

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 के कार्यवृत्त की विषय सूची।

मद सं०	परिशिष्ट सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	—	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10-11-14, 21-01-15 एवं 25-03-15 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।	1
2.	—	सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत विभिन्न मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदन।	1-2
3.	—	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टैक्सी/मैक्सी वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेशों का क्रिन्यावयन के सम्बन्ध में।	2-3
4.	परिशिष्ट-"क"	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं० 15/11 में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 12.12.2011 के अनुपालन में आईएसबीटी-परेड ग्राउण्ड-सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं आदेश।	3-6
5.	परिशिष्ट-"ख"	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं० 1/12 में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर-क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं आदेश।	6-12
6.	—	श्री भीम सिंह एवं श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका संख्या 386/एमएस/15 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.04.2015 पर विचार व आदेश।	13-14
7.	परिशिष्ट-"ग"	प्रेमनगर-गुलरघाटी तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।	15-16
8.	परिशिष्ट-"घ"	एमडीडीए-डालनवाला-डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश:-	17
9.	परिशिष्ट-"च"	परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।	18-20
10.	परिशिष्ट-"छ"	तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश	20-22

11.	परिशिष्ट-"ज"	परेडग्राउण्ड-सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक-सहारनपुर चौक-कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।	22-30
12.	-	बहादुराबाद-पिरान कलियर-रुडकी मार्ग के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	31-33
13.	-	श्री हरवंश लाल की याचिका सं० 601/2015 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में याचिका कर्ता के प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।	33-36
14.	-	टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टाटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों के परमित हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं आदेश।	37-39
15.	-	देहरादून-रायपुर-थानों मार्ग स्थाई सवारी गाडी परमितों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	39
16.	-	परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमित जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर विचार एवं आदेश।	40-41
17.	-	श्रीमती बबीता देवी के स्थाई सवारी गाडी परमित सं० 2039 का नवीनीकरण करने तथा परमित पर वाहन प्रतिस्थापन की आज्ञा प्रदान करने के सम्बन्ध में।	42-44
18.	-	प्रेमनगर-गुलरघाटी एवं सम्बन्धित मार्ग हेतु जारी परमित सं० पीएसटीपी 1290 के नवीनीकरण एवं परमित पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में।	44-47
19.	-	श्री हेमन्त कुमार को हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमित जारी करने के सम्बन्ध में मामले पर विचार व आदेश।	47-49
20.	-	देहरादून नगर को वायु प्रदूषण मुक्त करने तथा एलपीजी ऑटो रिक्शा परमित जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	49-50
21.	-	माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	50-53
22.	-	मोटरगाडी अधिनियम-1988 की धारा-74 (2) (xiii) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों पर परमित धारक एवं चालक के मोबाईल फोन संख्या अंकित करने सम्बन्धी परमित शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में।	53-54
23.	-	मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(5) तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी को और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्ति के सम्बन्ध में।	54-56

24.	—	मोटरगाड़ी अधिनियम-1988 की धारा-86 के अन्तर्गत चालानों को प्रशमन करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने के तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार टेका परमिट की अतिरिक्त शर्त के सम्बन्ध में विचार व आदेश।	56-62
25.	—	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 के निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार एवं आदेश।	63-64
26.	—	वाहनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाहन स्वामियों को मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत जारी नोटिसों पर विचार व आदेश।	65-69
27.	—	मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार एवं आदेश।	70-103
28.	—	अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।	103

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 की कार्य सूची।

मद सं0-1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10-11-14, 21-01-15 एवं दिनांक 25-03-15 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0-2 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदन:-

अ- दिनांक 01.03.15 से दिनांक 30.04.2015 तक मो0गा0अ0-1988 की धारा-87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :-

-सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक
22923 से 23083 तक- 161 परमिट

ब- शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिट:-

1-जनभार वाहन के स्थाई परमिट	48137 से 48554 तक- 418 परमिट
2-भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	12506 से 12713 तक- 208 परमिट
3-मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	6911 से 6980 तक- 70 परमिट
4-टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	5820 से 5846 तक- 47 परमिट
5-यूटिलिटी के स्थाई परमिट	2092 से 2098 तक- 07 परमिट

6-सवारी गाडी के स्थाई परमिट

पर्वतीय मार्ग -

4650 से 4701 तक- 52 परमिट

मैदानी मार्ग-

7-निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं)

को जारी परमिट -

2889 से 2960 तक- 72 परमिट

8- ठेका गाडी के स्थाई परमिट -

1586 से 1614 तक- 29 परमिट

स- स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट- पीएसटीपी- 1515, 1777, 3657, 2034, 1075, 1799, 1718, 1525, 1778, 025

द- स्थाई ठेका गाडी के परमितों का नवीनीकरण :-

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. सवारी गाडी परमित | - 15 परमित |
| 2. मैक्सी कैब परमित | - 94 परमित |
| 3. टैक्सी कैब परमित | - 16 परमित |
| 4. यूटिलिटी परमित | - 31 परमित |

न- प्रेमनगर- गुलरघाटी एंव सम्बन्धित मार्ग हेतु दिनांक 08.05.2015 को जारी अस्थाई सवारी गाडी के परमितों का अनुमोदन।

मद सं०- 3 राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टैक्सी/मैक्सी वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेशों का किन्यावयन के सम्बन्ध में।

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं० 1277/एसटीए/दस-82/2015 दिनांक 21.04.2015 द्वारा सूचित किया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03.03.2015 के संकल्प सं० 6 द्वारा टैक्सी/मैक्सी वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित करने के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये हैं।

“राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 20.06.2006 के मद/संकल्प सं० 7 में पारित आदेशों पर जनहित में पुर्नविचार करते हुये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उपधारा 3 एवं 4 में विहित शक्ति का प्रयोग करते हुये पर्वतीय मार्गों पर संचालित टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों की माडॅल सीमा 15 वर्ष निर्धारित की जाती है। 12 वर्ष की माडॅल सीमा पूर्ण होने के पश्चात वाहन की फिटनेस एक समिति द्वारा की जाये। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(जहाँ संभागीय परिवहन अधिकारी न हो)
2. संभागीय /सहायक संभागीय निरीक्षक।

समिति द्वारा परमित पर संचालित वाहन की माडॅल सीमा 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रत्येक 6-6 माह के अन्तराल में 3 वर्ष तक वाहन का भौतिक निरीक्षण करते हुये, वाहन उपयुक्त पाये जाने पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाये। पूर्व में 12 वर्ष की माडॅल सीमा की अवधि के लिये जारी किये गये परमितों पर संचालित वाहनों की माडॅल सीमा भी 15 वर्ष होगी। किन्तु उपरोक्त तकनीकी समिति के निरीक्षोपरान्त स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाये।”

अतः प्राधिकरण के अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

मद सं० 4- श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं० 15/11 में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 12.12.2011 के अनुपालन में आईएसबीटी-परेड ग्राउण्ड-सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं आदेश।

आईएसबीटी-परेड ग्राउण्ड-सहस्त्रधारा नगर बस सेवा मार्ग पर वर्तमान में 20 परमिट निजी वाहन स्वामियों को जारी किये गये हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं० 175/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2008 दिनांक 24.12.08 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की थी। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने 4 परमिट बढ़ाये जाने की संस्तुति की थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में संकल्प सं 7 द्वारा इस मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे:-

“इस मद के अन्तर्गत आई०एस०बी०टी०-परेड ग्राउण्ड-सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने इस मार्ग पर 4 परमितों के बढ़ाये जाने की संस्तुति की है। परमितों हेतु प्राप्त 120 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट 'ध' में दिये गये हैं, जिसमें से 01 प्रार्थनापत्र मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवहन निगम द्वारा 5 परमिट फ्लीट ऑनर के रूप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है। मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 4 परमितों की संख्या बढ़ाने की संस्तुति की गयी है, परन्तु परिवहन निगम द्वारा 5 परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर परिवहन निगम को 4 परमिट फ्लीट ऑनर के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थनापत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत परमिट नई वाहन/जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों (अधिकतम 166 इंच व्हीलबेस) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किये जायेंगे अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।”

प्राधिकरण के इन आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द, 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील सं0 15/11 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस अपील का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 12.12.2011 द्वारा किया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

“That the appeal be and the same is allowed. Order dated 08-10-2010 passed by the respondent RTA on item no. 7 of the agenda granting four permanent stage carriage permits in favour of UKSRTC, as fleet owner, is set aside. The RTA is directed to consider all the applications afresh and after affording opportunity of being heard to all, the applications shall be considered and permits granted as per mechanism suggested in the body of this judgment. No order as to costs.”

मा0 न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 521/एमएस/12 दायर की थी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.12 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों को स्थगित किया गया था। याचिकाकर्ता श्री अशोक कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.14 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत है:-

“The only grievance of the petitioner is that the Regional Transport Authority is not considering the application of the petitioner for grant of stage carriage permit.

Mr. R.C. Arya, learned Standing Counsel appearing for the State/respondents submits that if an appropriate application is moved by the petitioner before the Regional Transport Authority seeking stage carriage permit, is shall also be considered along with other applications submitted before the Regional Transport Authority as directed by the Appellate Tribunal in accordance with law preferably within ninety days from today.

In view of the above, Mr. Ganesh Kandpal, learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this petition in the light of the statement made by Mr. R.C. Arya, learned Standing Counsel.

Permitted to be withdrawn.

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 13 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये थे:-

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2008 में कराया गया है। तब से लगभग 04 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है एवं देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त

सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। परन्तु अभी तक संयुक्त सर्वेक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को तथा उसके पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु परिशिष्ट-"क" में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-5 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं आदेश।

श्री अशोक कुमार ने राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट देने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2010 को दिया था। इस प्रार्थना पत्र को अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में मद सं0 8 द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि मार्ग पर उपलब्ध चार परमिट परिवहन निगम को स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थना पत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। प्राधिकरण ने यह भी आदेश पारित किये थे कि परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत परमिट नई वाहन/जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों पर प्राप्त किये जायेंगे। श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण के इन आदेशों के विरुद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील सं0 1/12 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस अपील का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा किया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

"That the appeal be and the same is allowed. Order dated 08-10-2012 passed by the respondent RTA on item no. 8 of the agenda granting four permanent stage carriage permit in favour of UKSRTC, is set aside. The RTA is directed to consider all the applications afresh. After affording all possible opportunity of being heard to all the applicants permits shall be granted as per mechanism suggested in the body of this judgement. The RTA is further directed to complete this exercise within two month from the date of receiving a certified order of this judgement under intimation to this Tribunal. No order as to costs. Consign the record."

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.2013 में मद सं0 7 के अन्तर्गत विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे:-

“ इस मद के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर-क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।”

प्राधिकरण के सम्मुख श्री अशोक कुमार उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा निवेदन किया गया, कि उन्हे उक्त मार्ग का परमिट जारी कर दिया जाय।

एक अन्य प्रार्थी श्री सुभाष चन्द्र ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उन्होंने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष उक्त मार्ग के परमिट प्राप्ति करने हेतु अपील सं0 16/2006 दायर की थी। इस अपील में मा0 न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित आदेश पारित किये थे:-

“अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को निर्देशित किया जाता है, कि आगामी बैठक में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को सम्मिलित करते हुये निर्णय में दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार गुण दोष के आधार पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र निस्तारण करें।”

श्री सुभाष चन्द्र ने सूचित किया है कि प्राधिकरण ने अपनी बैठक 08.10.2010 में केवल उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे। उन्होंने मा0 न्यायाधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जारी परमितों को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप हुई रिक्ति के सापेक्ष एक परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया है।

श्री एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर स्पेशल अपील सं0 132/11 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2011 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

“It has been brought on record that applications for the route permit from Rajpur to Clement Town filed by others have been considered without considering the application made therefor by the appellants. In the circumstances, we are unable to interfere with the order under appeal. We hope and expect that as and when applications made for the route permit from Rajpur to Clement Town are considered, application made by the appellants for the said route shall also be considered.”

उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा निवेदन किया गया कि अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ सर्वश्री सुनील कुमार शर्मा, भीम सिंह, सचिन कुमार तथा राम कुमार सैनी (याचिकाकर्ता) के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाये।

इसके पश्चात श्री गोपाल सिंह भण्डारी जो कि राजपुर-क्लेमेनटाउन मार्ग के ऑपरेटर तथा यूनियन के अध्यक्ष हैं, ने प्राधिकरण को अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय में एक वाद दायर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनके मार्ग में अनेक विक्रम संचालित हो रहे हैं तथा उनका मार्ग कई स्थानों पर अन्य मार्गों की नगर बसों के द्वारा ओवरलेप होता है। उन्होंने निवेदन किया, कि वर्तमान में मार्ग पर 30 वाहनों संचालित हैं एवं ओर बसों की आवश्यकता नहीं है। उनके मार्ग पर और परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में कराया गया है। तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एवं देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त मार्ग हेतु जारी परमिट कितनी बार हस्तान्तरित हुये है की आख्या से प्राधिकरण को अवगत करायें।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0 7311/आरटीए/मार्ग सर्वेक्षण/दस-273/2014 दिनांक 06.01.2014 के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कर समिति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने पत्र सं0 9182/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या प्रस्तुत की है जो निम्नवत है:-

1. नगर बस सेवा मार्गों के सर्वेक्षण हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में जून 2010 में प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। मार्ग पर पूर्व में समिति द्वारा 04 नये परमिट जारी करने की संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर कई शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, आवासीय कॉलोनी स्थापित हो चुकी हैं। क्षेत्र की आबादी में भी काफी वृद्धि हुई है। उक्त के दृष्टिगत एवं प्रवर्तन कार्य के अनुभवों के अनुसार मार्ग पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।

2. अतः क्षेत्रीय जनता को सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अतिरिक्त बस सेवाओं की आवश्यकता है। इस हेतु पूर्व संस्तुति सहित मार्ग पर 06 नये परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

राजपुर-क्लेमेनटाउन मार्ग हेतु जारी परमितों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इस मार्ग हेतु जारी परमितों में से हस्तान्तरित परमितों की सूचना निम्नवत है:-

क्र० सं०	परमितों की संख्या	हस्तान्तरित होने की संख्या
1.	01	04
2.	01	03
3.	04	02
4.	16	01

उक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं० 14 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि:-

“इस मद के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं० 1/12 में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर-क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर श्री अशोक कुमार, सुभाष चन्द, श्री एस०के० श्रीवास्तव, रामकुमार सैनी उपस्थित हुये। श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर याचिका वापस ले ली है। परन्तु उनके द्वारा याचिका को वापस लेने का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने प्राधिकरण के सम्मुख मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा है कि मार्ग पर कुल 34 परमिट पूर्व से जारी तथा उक्त मार्ग को कई अन्य मार्गों की बसें ओवरलेप करती है। साथ ही विक्रम टैम्पो वाहन भी संचालित है। जिस कारण मार्ग पर बसों का संचालन लाभप्रद नहीं हो रहा है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों के लिये 04 परमिट स्वीकृत किये गये थे। श्री अशोक कुमार ने इन आदेशों के विरुद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सं0 1/12 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.12 द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुये आदेश पारित किये थे कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण पुनः सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार कर आदेश पारित करे।

मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने इस बैठक में निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में कराया गया है। तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एवं देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

श्री अशोक कुमार ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की है। मामला मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग पर परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया जाता है।”

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0 1778/एमएस/12 याचिकाकर्ता श्री अशोक कुमार द्वारा वापस ले ली गई है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि प्रश्नगत मार्ग पर स्थायी सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्रीमती बीना भण्डारी एवं श्री अरविन्द कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 817/एमएस/15 दायर की है। जो विचाराधीन है। याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष माँगे गये हैं:-

It is therefore most respectfully prayed that this Court may graciously be pleased to issue:-

- (i) A writ order or direction in the nature of Mandamus directing the respondent no. 2 for considering the applications of the petitioners for the grant of permanent stage carriage permits for the route called “Rajpur- Clement Town” within stipulated time.
- (ii) To pass any other order or direction which this Court deems fit and proper.

(iii) To award cost throughout.

उक्त याचिका में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.04.2015 को आदेश पारित किये थे कि:-

Let Secretary Transport shall file his personal affidavit meeting all the contents raised in the writ petitions within 7 days.

मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा दिनांक 21.04.2015 को शपथ पत्र दायर किया गया है। उक्त शपथ पत्र के पैरा सं० 7 में यह उल्लेख किया गया है कि शासनादेश दिनांक 16.04.2015 द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव को प्रश्नगत मार्ग के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने निर्देश दिये गये हैं।

उक्त क्रम में प्रमुख सचिव ने अपने पत्रोंक 3684/पी०एस०-प्र०स०/2015 दिनांक 16.04.2015 द्वारा उक्त मार्ग के लम्बित परमिट आवेदनों का शीघ्र निस्तारण के निर्देश सचिव/अध्यक्ष, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिये हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को तथा उसके पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु परिशिष्ट-"ख" में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण एवं मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-6

श्री भीम सिंह एवं श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका संख्या 386/एमएस/15 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.04.2015 पर विचार व आदेश।

श्री भीम सिंह एवं श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका सं० 386/एमएस/2015 में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 को निम्न आदेश पारित किये हैं:-

“The only grievance of the learned counsel for the petitioners is that, on the one hand, application seeking stage carriage permit is not being disposed of and is being adjourned from time to time, yet, on the other hand, request for issuance of temporary permit during the pendency of the application seeking stage carriage permit has been declined.

Mr. A.K. Joshi, learned Additional Chief Standing Counsel appearing for the respondents, submits that let petitioner move a representation before the Regional Transport Authority, Dehradun annexing therewith copy of the application seeking stage carriage permit within a week, whereupon appropriate decision in accordance with law shall be taken within next sixty days and decision so taken shall be communicated to the petitioner forthwith.

Mr. Amar Shukla, learned counsel for the petitioners, submits that present petition may be disposed of in the light of the statement made by Mr. A.K. Joshi, learned Additional Chief Standing Counsel.

Order accordingly.”

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री भीम सिंह तथा सुनील कुमार शर्मा के द्वारा प्रत्यावेदन के साथ स्थाई सवारी गाडी परमिट हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों की प्रति प्रस्तुत करनी थी। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को सर्व श्री भीम सिंह, सुनील कुमार, एस0के0 श्रीवास्तव एवं रामकुमार सैनी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ अस्थाई परमिट के प्रार्थना पत्र भी संलग्न किये हैं। प्रार्थियों ने अनुरोध किया है कि राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर प्रार्थियों के लम्बित प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करने की कृपा करें। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि जब तक स्थाई परमिटों के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं होता है तब तक की अवधि के लिये परिवहन निगम के समर्पित परमिटों के स्थान पर अस्थाई परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें।

उपरोक्त मार्ग पर अस्थाई परमिटों हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्रार्थना पत्र की तिथि

09.04.2015

09.04.2015

प्रार्थी का नाम व पता

श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह 79,लोअर नथनपुर, देहरादून

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गुणा नन्द, नथनपुर, देहरादून।

10.04.2015	श्री रामकुमार सैनी पुत्र श्री सीएल सैनी, प्रतीतपुर धर्मावाला, देहरादून।
10.04.2015	श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 4बी राजा रोड़, देहरादून।
13.11.2014	श्रीमती प्रीति कुल्हान पत्नी श्री अरविन्द सिंह, आम वाला, तपोवन, देहरादून।
13.11.2014	श्रीमती मधु पत्नी श्री संजीव कुमार कुल्हान, आमवाला तपोवन, देहरादून।
13.11.2014	श्रीमती बाँवी बोहरा पत्नी श्री सन्दीप बोहरा, 26/19 कैनाल रोड, देहरादून।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर 6 रिक्तियाँ हैं। वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर 30 वाहनों स्थाई सवारी गाडी परमिट पर संचालित हैं। उक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु उपरोक्त मद सं0 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राधिकरण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-7

प्रेमनगर-गुलरधाटी तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अन्तर्गत एक नगर बस सेवा मार्ग प्रेमनगर से गुलरधाटी है। इस मार्ग की लम्बाई 24 किमी0 है। प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में इस मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से डुंगा 9 किमी., प्रेमनगर से भाडवाला 11 किमी0, हर्रावाला से कुआंवाला 1.5 किमी0, मोहकमपुर से माजरी माफी-नवादा 2.5 किमी, बालागसवाल से तुनवाला 3 किमी0, गुलरधाटी से नथुवावाला मोड बालावाला कासिंग 5 किमी0, हर्रावाला से नकरोदा 4 किमी किया गया है। इस मार्ग पर 22 परमितों की संख्या निर्धारित है तथा वर्तमान में 20 वाहनों स्थायी सवारी गाडी परमितों पर संचालित हो रही है। प्राधिकरण की बैठक दि0 08.10.10 में इस मार्ग पर 4 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत परमितों में से 02 प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं।

श्री राजकुमार, मा0 विधायक एवं संसदीय सचिव ने अपने पत्र दिनांक 13.11.14 के द्वारा सूचित किया था कि, प्रेमनगर-गुलरधाटी मार्ग पर वाहनो का संचालन नहीं हो रहा है एवं बसें समय से नहीं चल रही हैं और ना ही इनकी संख्या इतनी है कि जनता को सुलभ सेवा उपलब्ध हो सके। उप प्रधान ग्राम पंचायत नकरौंदा द्वारा भी अपने पत्र दि0 16.

10.14 के द्वारा प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाने एवं समयानुसार चलाने हेतु निवेदन किया था। ग्राम बालावाला ने भी उक्त मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाने एवं समयानुसार बसें चलाने हेतु निवेदन किया है।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्र सं०-10722 दि० 28.11.14 के द्वारा सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं०-10795/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण / 2014](#) दिनांक 02.12.14 के द्वारा अपनी आख्या/मंतव्य प्रेषित किया है जो निम्न प्रकार है:-

“प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा 22 परमितों की संख्या निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में मार्ग पर 18 बसें संचालित हो रही हैं। स्थानीय जनता द्वारा अतिरिक्त बस सेवा बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त मार्ग चैकिंग के दौरान भी यह देखा गया है कि, उक्त मार्ग की बसों में भी काफी सवारियां रहती हैं जिससे मार्ग पर अतिरिक्त बसों की आवश्यकता प्रतीत होती है”।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दि० 10.09.14 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश किये हैं:-

“इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर-गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग पर 22 परमितों की संख्या निर्धारित है तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में 04 परमित स्वीकृत किये गये थे। जिसमें से 02 प्रार्थियों के द्वारा परमित प्राप्त नहीं किये हैं। जिस कारण मार्ग पर 02 परमितों की रिक्ति है। वर्तमान में इस मार्ग पर 20 वाहनों स्थाई सवारी गाडी परमितों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमित पर संचालित हो रही है। इस मार्ग हेतु स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-थ में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 03 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर मार्ग यूनियन के पदाधिकारी सहित श्री अनुज चन्देल उपस्थित हुये उनके द्वारा मार्ग पर परमित दिये जाने का विरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त अस्थायी सवारी गाडी के परमित धारक श्री आशीष के पिता श्री जे०के० कम्पानी के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके बेटे के नाम जारी अस्थायी परमित के स्थान पर स्थाई सवारी गाडी परमित में स्वीकृत किया जाये। प्राधिकरण द्वारा परमित स्वीकृत करने हेतु सचिव को नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने

के लिये निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं युक्तियुक्त नीति स्थापित होने पर आवेदनों पर विचार किया जायेगा। तब तक उक्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।”

उक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चाहें।

मद सं0 8-

एमडीडीए-डालनवाला-डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश:-

एमडीडीए-डालनवाला- डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में इस मार्ग पर 14 परमितों की संख्या निर्धारित करते हुये 03 स्थाई सवारी गाडी परमित स्वीकृत किये थे। जिसमें से एक प्रार्थी के द्वारा परमित प्राप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 13 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमितों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमित पर संचालित है।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दि0 10.9.14 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश किये हैं।

“इस मद के अन्तर्गत एमडीडीए-डालनवाला-डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है। एमडीडीए-डालनवाला- डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग की लम्बाई 16 किमी0 है। इस मार्ग हेतु प्राधिकरण के द्वारा 14 परमितों की संख्या निर्धारित की गई है। वर्तमान में इस मार्ग पर 13 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमितों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमित पर संचालित है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- में दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर अस्थायी सवारी गाडी के परमित धारक श्री कमल कुमार उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी वाहन को स्थाई सवारी गाडी परमित जारी कर दिया जाये। प्राधिकरण द्वारा परमित स्वीकृत करने हेतु सचिव को नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं युक्तियुक्त नीति स्थापित होने पर आवेदनों पर विचार किया जायेगा। तब तक उक्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।”

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट-"घ" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चाहें।

मद सं० 9— परेडग्राउण्ड—प्रेमनगर—परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश—

परेडग्राउण्ड—प्रेमनगर—परवल एक नगर बस सेवा मार्ग है। इस मार्ग पर प्राधिकरण की बैठक दि० 08.10.10 में 21 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण ने इस बैठक में 4 परमिट सामान्य वर्ग के प्रार्थियों को स्वीकृत किये गये थे तथा अनु० जाति का प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनु० जाति के लिये एक रिक्ति को सुरक्षित रखा गया था। वर्तमान में मार्ग पर 19 परमिट जारी है।

मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा अमित डोभाल की अपील सं०—16/11 तथा सचिन कुमार की अपील संख्या 17/11 में पारित आदेश दि० 24.7.12 के अनुपालन में मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दि० 10.9.14 में मद सं० 17 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये हैं:—

“इस मद के अन्तर्गत श्री अमित डोभाल की अपील सं० 16/2011 तथा श्री सचिन कुमार की अपील सं० 17/2011 में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 24.07.2012 के अनुपालन में परेडग्राउण्ड—प्रेमनगर—परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। परेड ग्राउण्ड—प्रेमनगर—परवल मार्ग पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में 04 परमिट स्वीकृत किये गये थे। जिसमें से एक परमिट मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किया था। अनुसूचित जाति श्रेणी का कोई प्रार्थी उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित एक रिक्ति को सुरक्षित रखा गया था तथा परिशिष्ट में उल्लेखित शेष प्रार्थना पत्रों को रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया गया था। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत करने के आदेशों के विरुद्ध श्री अमित डोभाल तथा सचिन कुमार ने मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील सं० 16/2011 तथा अपील सं० 17/2011 दायर की थी। मा० न्यायाधिकरण ने इन अपीलों को निस्तारण करते हुये मा० न्यायाधिकरण ने दिनांक 24.07.12 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं:—

“ On the basis of observations made by the this Tribunal in the body of this judgement, both of the appeals namely Appeal No. 16/11, Shri Amit Dobhal vs. Regional Transport Authority, Dehradun and appeal No. 17 of 2011, Shri Sachin Kumar vs. Regional Transport Authority, Dehradun are hereby partly allowed. The RTA determined 5 vacancies on the routs in question. Two vacancies are declared vacant. There shall be no effect on the permists grante to three persons namely Shri Nitin Ahuja,

Shri Anil Agarwal and Shri Rajendra Bhatt. Cases of appellants are remitted to RTA, Dehradun for its decision afresh on their candidature. After considering their candidature and the candidature of other applicants who have already applied for the permits, the RTA shall decide for granting two permits. As discussed in the body of this judgement, before considering the candidature of applicants, the RTA shall adopt a scientific, reasonable and transparent mechanism for granting permits. The RTA is directed to decide the applications within two months from the date of getting a certify copy of this judgement and accordingly apprise this Tribunal. No order as to costs. Consign the record.”

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में अनुसूचित जाति के प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हेमराज, 196 चुखूवाला, देहरादून को स्वीकृत किया गया है। परन्तु श्री राकेश कुमार के द्वारा अभी तक परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। एक परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अर्न्तगत प्राप्त वाहन के लिये स्वीकृत किया था, जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। प्राधिकरण की बैठक 04.12.13 में संकल्प सं० 9 में मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में किया गया था, तब से काफी समय व्यतीत हो गया है, इस दौरान शहर की जनसंख्या तथा मार्ग पर यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण समिति से सर्वेक्षण कराने के पश्चात मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कर समिति की आख्या प्रेषित की है। उन्होंने पत्र सं० 9421/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा मार्ग पर 05 अतिरिक्त परमिट जारी करने की संस्तुति की है। इस प्रकार मार्ग पर कुल 07 रिक्तियाँ उपलब्ध है। जिसमें से 02 रिक्तियाँ अनुसूचित जाति श्रेणी, 01 रिक्ति अनुसूचित जनजाति तथा 04 रिक्तियाँ सामान्य श्रेणी के लिये उपलब्ध हैं। प्राधिकरण के समक्ष श्री अमित डोभाल तथा सचिन कुमार की ओर से श्री एस० के० श्रीवास्तव उपस्थित हुये। उन्होंने लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि श्री सचिन कुमार राजकीय सेवा में नियुक्त हो गये हैं। इसलिये उनके नाम पर परमिट स्वीकृत न किया जाये। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि श्री अमित डोभाल को परमिट जारी किया जाये। इस मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण परिशिष्ट ग मे दिया गया है। मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेशों में उल्लेख किया है कि आवेदनों पर विचार करने से पूर्व संभागीय परिवहन प्राधिकरण परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं युक्तियुक्त प्रकिया अपनाये। अतः उक्त मामले पर विचार करना स्थगित करते हुये सचिव को आदेश दिये जाते हैं कि यथाशीघ्र मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं युक्तियुक्त प्रकिया हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।”

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार के परमिट की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट-"च" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चाहें।

मद सं०-10 तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश:-

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हसनावाला- बिहारीगढ वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग का 2.5 किमी० भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता था। मार्ग के अध्यक्ष श्री पवन कुमार ने उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को परमितों से हटाने का निवेदन किया था। उनके प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण ने दिनांक 04.12.13 में अनुपूरक संकल्प सं० 2 द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि उक्त मार्ग के परमितों में से उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटा दिया जाये। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला भाग हटा देने के फलस्वरूप अब मार्ग की लम्बाई अब 43.5 किमी० रह गई है। वर्तमान में मार्ग पर 7 वाहनों का संचालन स्थाई परमितों पर तथा 02 वाहन का संचालन अस्थाई परमित पर हो रहा है।

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दि० 10.9.14 में मद सं० 34 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये हैं।

“इस मद के अन्तर्गत तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हसनावाला- बिहारीगढ वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग का 2.5 किमी० भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता था। प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 04.12.13 में अनुपूरक संकल्प सं० 2 में उक्त मार्ग के परमितों में से उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटा दिया था। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला भाग हटा देने के फलस्वरूप मार्ग की लम्बाई 43.5 किमी० रह गई है। वर्तमान में मार्ग पर 7 वाहनों का संचालन स्थाई परमितों पर तथा 02 वाहन का संचालन अस्थाई परमित पर हो रहा है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मार्ग का सर्वेक्षण कर मार्ग हेतु रिक्तियों की संख्या प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।”

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन हरिद्वार उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कर रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार ने अपने पत्र सं0 22/प्रवर्तन-हरिद्वार/मार्ग [सर्वेक्षण/2015](#) दिनांक 05.05.2015 के द्वारा सूचित किया कि “----- प्रश्नगत मार्ग पर पूर्व में स्वीकृत 06 स्थाई व 02 अस्थाई परमिटों के अतिरिक्त वर्तमान में मार्ग की स्थिति को देखते हुए जनहित में 12 छोटी मिनी बसों को 15 से 21 सीट तक की वाहनों हेतु परमिट स्वीकृत किया जाना उचित रहेगा। प्रथम चरण में इन छोटी वाहनों को अस्थाई परमिट जारी किये जा सकते हैं। परन्तु 03 माह पश्चात मार्ग से लोड फैक्टर के आधार पर पुनः सर्वे कराने का कष्ट करें, जिसमें आवश्यकतानुसार और अधिक परमिट दिये जाने पर विचार किया जा सके।”

श्री फुरकान अहमद, संसदीय सचिव ने अपने पत्र सं0-22315 द्वारा सूचित किया है कि, तेलपुर-डांडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड-मजाहिदपुर-पिरान कलियर-रुडकी मार्ग के क्षेत्र की जनता के आवागमन के लिये पर्याप्त वाहनों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता एवं स्कूल में पडने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पडता है। जनहित एवं राजस्व हित को देखते हुए इस मार्ग पर आगामी बैठक में परमिट स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट "छ" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चाहें।

मद सं0 11 परेडग्राउण्ड-सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक-सहारनपुर चौक-कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

देहरादून-सेलाकुई मार्ग पर पूर्व में परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पश्चात संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा देहरादून में निजी नगर बस

सेवा संचालन हेतु मार्गों को वर्गीकृत किया गया था। जिसमें देहरादून-सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.2010 में मद सं० 5(12) (परिष्ठी ढ) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे:-

"मद सं०-5 के अन्तर्गत नगर बस सेवा मार्गों पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मद में वर्णित मार्गों के सम्बन्ध में क्रमानुसार विचारोपरान्त निम्न प्रकार आदेश पारित किये जाते हैं।

देहरादून नगर में वर्ष 1996 से पूर्व परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा देहरादून नगर में निजी नगर बस सेवा चलाने हेतु 14 मार्गों को वर्गीकृत किया गया था, जिसमें देहरादून-सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्गीकृत मार्गों का अनुमोदन करने हेतु कार्यालय के पत्र सं०-2772/आरटीए/नौ-37/98 दिनांक 01.07.98 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०-1672/एसटीए/स्टैज/99 दिनांक 13.05.99 द्वारा अवगत कराया गया था कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० के पद सं०-13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त इन मार्गों को वर्गीकरण का अनुमोदन कर दिया था।

अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखण्ड ने सूचित किया था कि सेलाकुई क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो जाने के कारण यहाँ पर फैक्ट्री के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने तथा वापस जाने हेतु कोई यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा देहरादून से सेलाकुई तक नगर बस सेवा चलाने की मांग की गई थी।

पूर्व सैनिक -असैनिक जनकल्याण एवम् ग्राम सुधार समिति हरिपुर, सेलाकुई ने अपने पत्र सं०-50 दिनांक 06.11.09 द्वारा अवगत कराया है कि इस मार्ग पर डाकपत्थर मोटर आनर्स यूनियन की बसों में बैठने की तो क्या धुसने की जगह भी नहीं मिलती कई बार दफ्तर/कालेज जाने वालों को अनावश्यक अवकाश करना पड़ता है। इन बसों में भेड़-बकरियों की तरह तुंसे जाने के लिये आम जनता बेबस है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि डाकपत्थर वाली बसें आईएसबीटी तक जाती हैं, जबकि 80 प्रतिशत लोगों को दफ्तर, कालेज अथवा बाजार जाना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें प्रेमनगर से दूसरी बस अथवा टैम्पो आदि का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने सेलाकुई से परेड ग्राउन्ड, देहरादून तक के लिये नगर बस सेवा चलाने की प्रार्थना की है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं०-5300/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/06 दिनांक 06.12.06 द्वारा सूचित किया था कि प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 23 किमी० है। मार्ग का सहारनपुर चौक से कांवली रोड होते हुए बल्लीवाला चौक तक संकरा होने के कारण मार्ग पर 133 इंच व्हीलबेस की छोटी बसें चलाई जानी उपयुक्त होंगी। उन्होंने अपनी आख्या में यह भी कहा है कि वर्तमान में सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एवं कुछ फैक्टरियों का निर्माण भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान भी खुल गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढ़ी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहनों बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकड़ना पड़ता है, जिनमें काफी भीड़ होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पड़ता है। इसी प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते-आते भर जाती हैं, जिससे फैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहनों भी बदलनी पड़ती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा। उनके द्वारा मार्ग पर 8 परमिट दिये जाने की संस्तुति की गई थी।

श्री दानवीर सिंह नेगी, पुत्र जे० एस० नेगी ने अपने पत्र दिनांक 18.06.10 द्वारा सूचित किया है कि मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध याचिका सं०-2047/एमएस/07 दायर की गयी थी। मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे। इस याचिका श्री दानवीर सिंह नेगी, तथा सर्व श्री महेशपाल मैनी, कुलिन्दर, स्वाति ठाकुर, ओम प्रकाश, श्री मोहन सिंह, श्रीमती संगीता देवी तथा अनूप कुमार प्रतिवादी बने थे। और उनके द्वारा उक्त याचिका में पैरवी करने के पश्चात मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनको प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

देहरादून-सेलाकुई मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध देहरादून-डाकपत्थर मार्ग के आपरेटरों द्वारा याचिका सं०-1562/एमएस/06 तथा 2047/एमएस/07 दायर की गयी थी, जो मा० उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा० उच्च न्यायालय में याचिका गतिमान होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर रामपुर देहरादून ने भी उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है कि जब तक उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है तब तक मार्ग पर नये परमिट स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या-1111/एचक्यू/संचालन-11/10 दिनांक 25.6.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून-प्रेमनगर तक मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून-प्रेमनगर तक मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। शासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम-1988 की धारा-102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या-2134/30-2-94-240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संशोधन किया गया था। इस अधिसूचना में अन्य नगरों के साथ-2 देहरादून नगर में भी 20 किमी० अर्धब्यास के भीतर (विशेष परिस्थितियों में 25 किमी० अर्धब्यास में) निजी क्षेत्र की बसों द्वारा सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना में संशोधन हो जाने के पश्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त-228 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिशिष्ट "ढ" में दिया गया है, इसके अतिरिक्त 11 प्रार्थना पत्रों का विवरण अनुपुरक सूची में उल्लेखित है। प्राधिकरण द्वारा परिशिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 10 प्रार्थी ही उपस्थित हुए।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा,, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता

है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।”

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि पूर्व में घंटाघर से कनाट प्लेस के मध्य मार्ग संकरा होने के कारण इस मार्ग पर बसों के संचालन पर रोक लगायी गई थी। जिस कारण प्रश्नगत मार्ग का वर्गीकरण वाया प्रिन्स चौक-सहारनपुर चौक- कांवली रोड़-बल्लीवाला चौक-जी0एम0एस0 रोड़ होते हुये किया गया था। वर्तमान में घंटाघर से कनाट प्लेस के मध्य मार्ग के चौड़ीकरण हो जाने के फलस्वरूप बसों का संचालन हो रहा है। अतः उक्त मार्ग को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जा सकता है।

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका सं0-2023/14 में पारित आदेश दि0 29.8.14 के अनुपालन में परेडग्राउण्ड-सेलाकुई मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दि0 10.09.14 में मद सं0 1 अनुपूरक के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये हैं।

“इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड-सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक-सहारनपुर चौक-कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

श्री दानवीर सिंह नेगी के द्वारा याचिका सं0 2023/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2014 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि उन्हें परेड ग्राउण्ड-सेलाकुई मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने की कृपा करें। इस मार्ग के लिये परमितों हेतु 253 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- य में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष याचिका कर्ता श्री दानवीर सिंह एवं अन्य प्रार्थी उपस्थित हुये उन्होने निवेदन किया कि मार्ग पर उनके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाये तथा उनको परमिट स्वीकृत किये जायें। इसके अतिरिक्त देहरादून-डाकपत्थर बस यूनियन के अध्यक्ष श्री राम कुमार सैनी एवं मार्ग के बस आपरेटर श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा इस मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियों व्यक्त की गई है:-

1. यह कि एजेन्डे की प्रति आज दिनांक 10.09.14 को प्रातः 10:30ए0एम0 पर प्राप्त हुई, जिसके कारण विस्तृत आपत्ति तैयार नहीं किया जा सका है।

2. उक्त मार्ग अभी तक मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग-क) के अन्तर्गत शासन द्वारा सृजित नहीं किया गया है। शासन द्वारा सृजित करने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है।
3. यह कि दिनांक 26.06.10 की बैठक की कार्य सूची के मद सं० 5(12) में सचिव, द्वारा नगर बस सेवा हेतु एवं मद सं० 12 में अंकित मार्गों की सूची में क्रमंक 28 पर टेका वाहनों के लिये प्रस्तावित किया था। इसलिये प्राधिकरण पहले नगर बस सेवा अथवा टेका वाहन में से किस प्रकार की वाहन संचालन करना चाहता है पर निर्णय ले। तदुपरान्त निश्चित हो जाने के पश्चात ही विचार करें।
4. वर्ष 1996 में मार्ग पर 39 परमिट स्वीकृति/जारी थे तदुपरान्त वर्ष 1998 में 67 और 28.12.09 में कुल स्वीकृत परमिट जारी 81 तथा 30 परमिट कालसी + 19 परमिट कुल्हाल मार्ग पर स्वीकृत हो चुके हैं।
5. यह कि नये परमिट स्वीकृत करने से समय सारणी (मार्ग) रा०प०प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत में अन्तर करने हेतु रा०प०प्रा० से सहमति आवश्यक है।
6. यह कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण आख्या कार्यालय में बैठकर तैयार की गयी है। उक्त आख्या भ्रामक है पुनः से समिति द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

श्री राम कुमार सैनी द्वारा लिखित आपत्ति पर विचार किया तथा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया गया है।

1. याचिका सं० 2023/एमएस/14 में उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को उक्त मार्ग पर याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचारण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा 06.09.14 को कार्यालय में प्राप्त कराया गया। जबकि प्राधिकरण की बैठक हेतु एजेण्डा दिनांक 05.09.2014 को अन्तिम रूप से सार्वजनिक किया जा चुका था। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उक्त प्रकरण को अनुपूरक मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है। बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व आपत्तिकर्ता को उक्त अनुपूरक मद उपलब्ध करा दिया गया था। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।

2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 के द्वारा नगर बस संचालन योजना को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 102 के अन्तर्गत राष्ट्रीकरण की संशोधित योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य के अन्य महानगरों के साथ-साथ देहरादून शहर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की सेवा के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की बसों का 20 किमी⁰ अर्द्धब्यास एवं विशेष परिस्थितियों में 25 किमी⁰ तक संचालन अनुमन्य किया गया है। उक्त के क्रम में नगर बस योजना के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 16.02.1999 की मद सं० 13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त देहरादून शहर हेतु 14 मार्गों का अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें प्रश्नगत मार्ग यथा देहरादून- सेलाकुई मार्ग भी क्रम सं० 4 पर अंकित है। प्रश्नगत मार्ग को छोड़कर अन्य सभी मार्गों पर नगर बस सेवा परमिट निर्गत हैं। जिसमें से एक मार्ग क्लेमेन्टाउन-राजपुर मार्ग पर आपत्तिकर्ता श्री रामकुमार सैनी द्वारा अस्थाई एवं स्थाई परमिट हेतु आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता के द्वारा वर्ष 2010 में इस प्रश्नगत मार्ग के परमिट हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। जो कि परिशिष्ट के क्रम सं० 213 पर अंकित है। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदित नगर बस सेवा के मार्गों में से कुछ मार्गों पर परमिट हेतु आवेदन करने एवं प्रश्नगत मार्ग पर नियमानुसार निर्मित न होने की आपत्ति करने से आपत्तिकर्ता के कृत्यों में स्पष्ट विरोधाभास स्थापित होता है। जिस कारण आपत्ति मान्य नहीं है।
3. पूर्व में प्रश्नगत मार्ग पर याचिका लम्बित होने के कारण नगर बस सेवा परमिट जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। जनहित में परिवहन सुविधा की पूर्ति हेतु उक्त मार्ग में ठेका परमिट जारी किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में उक्त याचिका के खारिज हो जाने के फलस्वरूप नगर बस मार्ग होने के कारण नगर बस सेवा के परमिट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।
4. प्रश्नगत मार्ग नगर बस सेवा का मार्ग है। वर्ष 2006 में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा अवगत कराया गया है कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एवं सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान भी खुल गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढ़ी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहनों बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकडना पडता है, जिनमें काफी भीड़ होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पडता है। इस प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते-जाते भर जाती हैं। जिससे फ़ैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहनों भी बदलनी पडती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर

नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा। इससे स्पष्ट है कि इस मार्ग पर नगर बस सेवा की आवश्यकता परिवर्तित परिस्थितियों के अन्तर्गत अनिवार्य है। चूकि: आपत्तिकर्ता देहरादून-विकासनगर मार्ग के परमिटधारक हैं जोकि प्रश्नगत मार्ग को बल्लूपुर चौक से सेलाकुई तक ओवरलेप करता है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने व्यावसायिक हितों से प्रभावित होकर आपत्ति की जा रही है।

5. प्रश्नगत मार्ग संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत आता है। प्राधिकरण अपने क्षेत्र के अन्तर्गत परमिट जारी करने एवं समय सारणी जारी करने हेतु विधिक रूप से पूर्णतया सक्षम है। जिस कारण परमिट जारी करने तथा समय सारणी निर्धारित करने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण से सहमति आवश्यक नहीं है।
6. प्रश्नगत संयुक्त सर्वेक्षण नियमानुसार गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा किया गया है। साक्ष्य के अभाव में लगाये गये आरोप स्वीकार्य नहीं है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मा0 न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचारण के निर्देश दिये हैं। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण बैठक से सम्बन्धित दिनांक 22.08.14 को प्रकाशित विज्ञप्ति में भी सम्मिलित नहीं था। जबकि मार्ग हेतु याचिकाकर्ताओं सहित 253 आवेदकों के द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है, जिन्हे इस बैठक में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। सभी आवेदकों को नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के आधार पर सुनवाई का समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया जाता है।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चाहें।

उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग की अधिसूचना सं०-349/IX-1/216(2008)/2015 दिनांक 30.04.15 द्वारा बहादुराबाद-पिरान कलियर-रुडकी मार्ग को उपांतरित किया गया है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है:-

उपरोक्त मार्ग हरिद्वार से 14 किमी० आगे हरिद्वार-रुडकी मार्ग के बहादुराबाद स्थान से दाईं ओर मुड़ जाता है तथा पिरान कलियर होते हुये रुडकी तक जाता है। राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण पूर्व में इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन होता था, परन्तु बहादुराबाद से रुडकी के मध्य बाईपास मार्ग का निर्माण होने के फलस्वरूप परिवहन निगम की बसों का संचालन बाईपास मार्ग से रुडकी के लिये हो रहा है। बहादुराबाद से पिरान कलियर के मध्य 10 किमी० की दूरी पर एक बैराज का पुल है तथा बैराज से 8 किमी० आगे सलोनी नदी के उपर एक बैराज का पुल बना है, जिसके उपर भारी वाहनों के संचालन को निषिद्ध किया गया है। इन दोनों बैराज पुलों के उपर 166 इंच या उससे बड़ी बसों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है। बैराज के उपर मार्ग की चौड़ाई 10 फीट है।

उपरोक्त मार्ग पर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मामले को प्राधिकरण की बैठक दि० 20.11.2004 में मद सं० 17(स-2) द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे-

“इस मद के अंतर्गत बहादुराबाद-पिरान कलियर-रुडकी तथा पिरान कलियर-दादूवास मार्ग को छोटी निजी बसों के चलने हेतु निर्मित करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हरिद्वार की आख्यानुसार बहादुराबाद-रुडकी वाया पिरान कलियर मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग था तथा पूर्व में इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित होती थी, परन्तु बहादुराबाद से रुडकी के लिये दूसरा नया मार्ग बन जाने के फलस्वरूप अब इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं होता है, क्योंकि मार्ग पर पडने वाले पुलों के कमजोर हो जाने के कारण यहां से बड़ी वाहनों का संचालन किया जाना संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मार्ग पर अनाधिकृत संचालन की संभावना बनी रहती है। सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हरिद्वार ने मार्ग पर 25 परमिट जारी करने की संस्तुति की है। बहादुराबाद-रुडकी-पिरानकलियर मार्ग को अभी तक अराष्ट्रीयकृत धोषित नहीं किया गया है। इसलिये इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करना संभव नहीं है।

अतः जनता को यातायात के साधन उपलब्ध कराने हेतु यह आवश्यक है कि, इस मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को अस्थाई परमिट जारी किये जायें। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, बहादुराबाद-रुडकी वाया पिरान कलियर मार्ग को "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाय तथा मो० गाडी अधिनियम 1988 की धारा 104 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निजी वाहन स्वामियों की 16 सीटर छोटी बसों को स्थाई सवारी गाडी परमिट इस शर्त के साथ जारी किये जायें कि, यदि मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवा का संचालन शुरु किया जाता है तो, अस्थाई परमिट स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। इस मार्ग को राष्ट्रीयकरण की योजना के निकाल दिया जाता है तो इसके पश्चात मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितो हेतु प्राप्त सभी प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है। मार्ग पर सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन हरिद्वार द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर इस मार्ग पर 25 अस्थाई सवारी गाडी परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्धान्त पर जारी किये जायेंगे। इन परमितों में से 13 परमिट नई वाहनों को तथा 12 परमिट पुरानी वाहनों का जारी किये जायेंगे। पुरानी वाहन 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त के पश्चात प्राधिकरण की बैठक दि० 15.04.05 में संकल्प सं०-3 द्वारा 10 परमिट तथा बैठक दिनांक 15.5.06 में संकल्प सं०-26 'ब' द्वारा एक अस्थाई परमिट स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार मार्ग पर कुल 36 मिनी बसों का संचालन अस्थाई परमितों पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की दो वाहनों को एक परमिट(सर्विस स्टैज कैरेज) दिनांक 28.12.11 को जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.06 के संकल्प सं०-26 'अ' द्वारा प्रश्नगत मार्ग का विस्तार बहादुराबाद से बीएचईएल होते हुए रोशनाबाद तक 10 किमी० तथा बैठक दिनांक 12.11.09 में संकल्प सं०-14 द्वारा बहादुराबाद से गढ़मीरपुर होते हुए रोशनाबाद तक (7किमी) किया गया था। इस प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 36 किमी० हो गई है।

अतः प्राधिकरण बहादुराबाद-पिरानकलियर-रुडकी मार्ग को स्टैज कैरिज के रूप में वर्गीकरण (Formulation) करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-13 श्री हरवंश लाल की याचिका सं० 601/2015 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में याचिका कर्ता के प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।

श्री हरवंश लाल पुत्र श्री कालूराम, बट्टीपुर, देहरादून ने निवेदन किया है कि उनकी याचिका सं० 601/2015 में पारित मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में उनकी वाहन सं० यूए 11 0690 हेतु अस्थाई परमिट जारी किया जाये। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है:-

श्री हरवंश लाल ने मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं० 601/2015/एमएस दायर की थी। इस याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2015 को निम्नवत आदेश पारित किये हैं:-

WPMS No. 601 of 2015

Learned counsel for the petitioner submits that petitioner was having stage carrier permit for his bus UA 11/0690 for the route Dehradun-Doiwala-Jyolygrant; bus was taken by the petitioner on hire purchase agreement; due to natural calamity, petitioner could not pay installments of loan under the hire purchase agreement within time, therefore, bus of the petitioner was seized by the Financer on 03.09.2013; on 03.09.2013, when bus was taken from the possession of the petitioner by the Financer, stage carrier permit in favour of the petitioner was in existence and valid; in the light of the judgment passed by the learned District Judge in Arbitration Case No. 02 of 2014, M/s Hinduja Leyland Finance Ltd. dated 07.02.2015, bus was released in favour of the petitioner and concession was granted to the petitioner to pay the award amount in installments; having secured possession of the bus after being released by the Financer in terms of the judgment dated 07.02.2015, petitioner applied for issuance of permit and meanwhile moved temporary permit application dated 23.02.2015, however, no decision has been taken thereon by the respondent Nos. 2 and 3.

According to the learned counsel for the petitioner, since permit of the petitioner was valid on the date when the petitioner was deprived from his vehicle, therefore, after restoration of the vehicle in the possession of the petitioner, permit ought to have been extended in favour of the petitioner and meanwhile, temporary permit ought to have been granted in favour of the petitioner.

Mr. Shailendra Singh Chauhan, learned Deputy Advocate General, appearing for the respondents, submitted that let petitioner move detailed representation before respondent No.2 with advance copy to respondent No.3 annexing therewith all the copies of the application moved by the petitioner as well as copy of the earlier permit within a week from today whereupon appropriate decision in accordance with law shall be taken preferably within next 30 days thereafter and decision so taken shall be communicated to the petitioner.

Order accordingly.

CLMA No. 2577 of 2015 also stands disposed of accordingly.

मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल द्वारा अध्यक्ष, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को सम्बोधित प्रतिवेदन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के कार्यालय से दिनांक 30.03.2015 को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता के द्वारा निवेदन किया है कि उनकी वाहन सं० यूए 11 0690 को पूर्व में समय-समय पर देहरादून से डोईवाला-जौलीग्रान्ट मार्ग का परमिट जारी किया गया था। परन्तु वर्तमान में उक्त वाहन बिना परमिट है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2015 पर विचारोपरान्त उक्त वाहन को अस्थाई परमिट जारी किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं० 9 द्वारा श्री हरवंश लाल की वाहन सं० यूए 11 0690 मॉडल 2006 को देहरादून-डोईवाला तथा सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत 04 माह के लिये इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि मार्ग पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी हो जाने के पश्चात प्रार्थी को जारी अस्थाई परमिट स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत अस्थाई परमिट प्रार्थी को दिनांक 17.12.11 से दिनांक 14.04.2012 तक जारी किया गया था। इसके पश्चात प्रार्थी की उनकी वाहन को अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत एक रिक्ति उपलब्ध होने पर दिनांक 08.08.2012 से दिनांक 05.12.12 तक, दिनांक 03.09.2013 से दिनांक 01.11.13 तक तथा इसके पश्चात दिनांक 02.11.2013 से दिनांक 31.12.2013 एवं दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 30.04.2014 तक अस्थाई परमिट जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की वाहन को प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग का अस्थाई परमिट दिनांक 01.02.2013 से दिनांक 01.05.2013 तक जारी किया गया था।

श्री हरवंश लाल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि उनकी वाहन को गंगोत्री-यमुनोत्री जाने के लिये दिनांक 14.06.2013 को पंजीकृत किया गया था। परन्तु दिनांक 16.06.2013 को प्राकृतिक आपदा आ जाने के फलरूप उनकी वाहन गंगोत्री एवं यमुनोत्री धारों को नहीं जा सकी। उनकी मै० हिन्दुजा लिमिटेड फा० के अन्तर्गत संविदा में थी। फाईनेन्सर का पैसा जमा न होने के फलरूप उनकी वाहन को दिनांक 27.02.14 को फाईनेन्सर ने कब्जे में ले लिया था। इस सम्बन्ध में मा० जिला न्यायालय, देहरादून के द्वारा मध्यस्थ वाद सं० 2/14 का निस्तारण दिनांक 07.02.15 को हो जाने के पश्चात फाईनेन्सर द्वारा वाहन उनके पक्ष में दिनांक 17.02.2015 में उनके पक्ष में मुक्त कर दी है।

वाहन फाईनेन्सर से मुक्त हो जाने के पश्चात प्रार्थी ने अपनी वाहन सं० यूए 11 0690, मॉडल 2006 को गुलरघाटी-प्रेमनगर मार्ग का 04 माह का अस्थाई परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2015 को प्रस्तुत किया था। परन्तु प्रतिवेदन में प्रार्थी ने देहरादून-डोईवाला मार्ग का परमिट दिये जाने का निवेदन किया था। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि प्रार्थी किस मार्ग का परमिट चाहता है।

इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं० 1000/आरटीए/याचिका 601/2015 दिनांक 18.04.2015 द्वारा श्री हरवंशलाल को स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा गया था कि वे किस मार्ग का परमिट चाहते हैं। प्रार्थी ने दिनांक 27.04.2015 को देहरादून-डोईवाला मार्ग पर अस्थाई परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

देहरादून-डोईवाला मार्ग के सम्बन्ध में अवगत करना है कि वर्तमान में 50 स्थाई सवारी गाडी परमिट निजी वाहन स्वामियों को जारी है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 में देहरादून-डोईवाला मार्ग का विस्तार किया गया था तथा मार्ग पर परमितों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण के इन आदेशों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उपरोक्त दिनांकित आदेश को सही माना था। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध मार्ग के एक आपरेटर श्री ओमप्रकाश द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-14 टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं आदेश।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 19.12.11 के द्वारा टाटा आयरिश वाहनों को राज्य के मैदानी मार्गों पर यात्री वाहनों के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। यह वाहन डीजल चालित है। वाहन में चालक सहित कुल 05 सीटें हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में यह निर्णय लिया गया था कि सचिव इन वाहनों को परमिट जारी करने हेतु नीति प्रस्तावित करेंगे। इन आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.2014 में सचिव द्वारा नीति प्रस्तुत की गई थी। जो निम्नवत है:-

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74 (2)(i) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार टेका गाडी परमिट विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग के लिये जारी किया जा सकता है। पूर्व में मोटर कैब को क्षेत्र के परमिट जारी किये गये हैं। टॉटा मैजिक आयरिश वाहन छोटी बनावट का वाहन है तथा परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के मैदानी मार्गों में संचालन हेतु पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिये इस वाहन को सीमित मैदानी क्षेत्र का मोटर कैब परमिट दिया जाना उचित होगा।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 10.11.2014 में संकल्प सं० 9 द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु किसी मार्ग विशेष का परमिट जारी किया जाये। इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून की संयुक्त समिति इन वाहनों के संचालन हेतु मार्गों का सर्वेक्षण कर आख्या प्रेषित करेंगे तथा आख्या प्राप्त होने के पश्चात मामले को प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं० 11004/आरटीए/दस-7(टाटा आयरिश) दिनांक 22.12.2014 के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून को टाटा मैजिक आयरिश 5 सीटर वाहनों के संचालन हेतु मार्गों का सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उन्होंने पत्र सं० 279/प्रवर्तन/संयुक्त [सर्वेक्षण/2015](#) दिनांक 21.01.2015 द्वारा टाटा आयरिश 05 सीटर वाहनों के संचालन हेतु दो मार्गों का सर्वेक्षण कर संयुक्त आख्या प्रेषित की है। जो निम्नवत है:-

1. बाजावाला-मसन्दावाला-कौलागढ- ओ0एन0जी0सी0-राजेन्द्र नगर-किशन नगर चौक-बिन्दाल-कनॉट पलेस-घंटाघर- परेड ग्राउण्ड मार्ग।
 - उक्त मार्ग पर कौलागढ-बाजावाला- मसन्दावाला क्षेत्र की जनता द्वारा निरन्तर परिवहन सुविधा की माँग की जा रही है।
 - कौलागढ से बाजावाला, मसन्दावाला की दूरी लगभग 2.5 किमी0 है। कौलागढ तक पूर्व में बस संचालित थी। जिनका संचालन वर्तमान में बन्द है।
 - बाजावाला- मसन्दावाला क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
 - उक्त मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने से बाजावाला, मसन्दावाला, कौलागढ, राजेन्द्र नगर, किशन नगर आदि क्षेत्र की जनता को सुविधा होगी।
 - मार्ग की कुल दूरी 8.5 किमी0 है। कौलागढ से बाजा वाला मसन्दावाला तक मार्ग पक्का है तथा छोटे वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।
2. परेड ग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल- एम0के0पी0- सीएमआई अस्पताल- आराघर- धर्मपुर माता मन्दिर- सरस्वती विहार चौक-बाईपास- बंगाली कोठी- पुलिस चौकी बाईपास- नवीन सचिवालय कॉलोनी- दून विश्वविद्यालय- इन्द्रेण हॉस्पिटल-मौथरोवाला चौक।
 - सचिवालय कॉलोनी, दून विश्वविद्यालय, बंगाली कोठी, माता मन्दिर, सरस्वती विहार क्षेत्र की जनता के लिये वर्तमान में आवागमन में असुविधा हो रही है। उक्त क्षेत्र में पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं है। क्षेत्रीय जनता द्वारा पर्याप्त परिवहन सुविधा की माँग की जा रही है।
 - अतः उक्त क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु परेड ग्राउण्ड से तिब्बती मार्केट बुद्धा पार्क, नगर निगम, दून अस्पताल, एमकेपी कॉलेज, सीएमआई चौक, आराघर, धर्मपुर, माता मन्दिर, सरस्वती विहार चौक, बाईपास, बंगाली कोठी, नवीन सचिवालय कॉलोनी, दून विश्वविद्यालय, महन्त इन्द्रेण अस्पताल, मोथरोवाला तक वाहन संचालन हेतु मार्ग निर्मित किया जाना उचित होगा।
 - प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 9.8 किमी0 है। मार्ग पक्का है।

वर्तमान में उपरोक्त प्रकार की 18 वाहनों कार्यालय में पंजीकृत हैं। अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-15

देहरादून-रायपुर-थानों मार्ग स्थाई सवारी गाडी परमितों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्रधान, ग्राम पंचायत भूपाल पानी, सन गॉव, बडासी, धारकोट तथा कोटीमाचक का जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 15.12.2014 प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदन में यह निवेदन किया गया है कि सभी ग्रामवासियों को देहरादून से थानों मार्ग पर वाहनों की कमी के कारण अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। समय पर अस्पताल तथा कहीं अन्य स्थानों पर जाने के लिये कई घंटों तक बसों का इन्तजार करना पडता है तथा समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। प्रत्यावेदन मे निवेदन किया है कि देहरादून से थानों या आगे भोगपुर तक नगर वाहन या विक्रम चलाने की कृपा करें। जिससे रायपुर से थानों तक के लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना न करना पडें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि देहरादून-रायपुर-थानों मार्ग लम्बाई 22 किमी० हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर 205 व्हीलवेस की 05 वाहनों का संचालन हो रहा है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में उक्त मार्ग का विस्तार बडासी इन्टर कॉलेज तक (2.5 किमी०) किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-16

परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमित जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर विचार एवं आदेश।

श्री राकेश कुमार, चुक्खूवाला, देहरादून ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2015 के द्वारा सूचित किया है कि मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 03.07.2012 के अनुपालन में परेड ग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग का स्थाई सवारी गाडी का परमित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था। दिनांक 10.09.2014 की बैठक में मेरा स्वीकृत परमित प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया था जोकि पूर्व में लगाई गई शर्त के अनुसार स्टैज कैरिज परमित को यदि प्रार्थी द्वारा स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमित उठाने में असफल रहता है। तो निर्धारित अवधि

के पश्चात बिलम्ब शुल्क के साथ स्वीकृत परमिट उठाया जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि परमिट प्राप्त करने हेतु एक साल का समय देने एवं निरस्त परमिट को स्वीकृत करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 को अपील सं0 10/2006 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 के अनुपालन में श्री राकेश कुमार को परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया था। प्राधिकरण ने आदेश पारित किये थे कि स्वीकृत परमिट नई वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 06 माह (दिनांक 03.06.2014) के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। यह परमिट जारी होने के पश्चात 03 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य के नाम हस्तांतरित नहीं किया जायेगा तथा उसके पश्चात हस्तान्तरण अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी को ही किया जा सकता है। प्रार्थी श्री राकेश कुमार के द्वारा उक्त स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं किया गया।

प्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 15.02.14 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 16/17 जून, 2013 को केदार नाथ धाम में आयी आपदा में उनकी एक बस बह गई थी। इस कारण उनको आर्थिक हानि उठानी पड़ी इस कारण वे नया वाहन खरीदने में समर्थ नहीं है। उन्होंने निवेदन किया था कि स्वीकृत परमिट 5 वर्ष पुराने वाहन पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। उक्त मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 को मद सं0 18 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। प्रार्थी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया था कि दिनांक 16/17 जून, 2013 को केदार नाथ धाम में आयी आपदा में उनकी एक बस बह गई थी। जो उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत थी। उन्होंने निवेदन किया है कि स्वीकृत परमिट 5 वर्ष पुराने वाहन पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्राधिकरण ने उक्त बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि **प्रार्थी श्री राकेश कुमार को परमिट प्राप्त करने हेतु पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। अतः उनके प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है एवं श्री राकेश कुमार को स्वीकृत परमिट को निरस्त किया जाता है।**

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 21.08.2000 संकल्प सं0 4 के निर्णय लिया था कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्टैज कैरिज परमिट उठाने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार नीति निर्धारित की गई थी:-

(1) स्टैज कॅरिज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पश्चात रू0 1000/- (रूपया एक हजार) प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिए भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बशर्ते कि प्राधिकरण ने कोई विशिष्ट आदेश न किये हों। एक वर्ष के पश्चात परमिट स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-17

श्रीमती बबीता देवी के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 2039 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन की आज्ञा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

श्रीमती बबीता देवी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2015 द्वारा निवेदन किया है कि उनके परमिट सं0 2039 जो दिनांक 14.09.2014 को समाप्त हो गया है का नवीनीकरण करने की आज्ञा प्रदान की जाये तथा परमिट पर 05 साल पुराने वाहन को लगाने की आज्ञा के साथ-साथ वाहन लगाने हेतु एक वर्ष का समय देने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है श्रीमती बबीता सोनकर पत्नी श्री राकेश सोनकर, 196 चुकखूवाला, देहरादून के नाम पर थाना कैंन्ट परेड ग्राउण्ड वाया बल्लुपूर चौक- जी0एम0एस0 रोड- आई0एस0बी0टी0- बाई पास मार्ग- रिस्पना पुल- धर्मपुर- सुभाष रोड का स्थाई सवारी गाडी परमिट दिनांक 14.09.2014 तक वैध था। इस परमिट पर बस सं0 यूके 07पीए 0466 संचालित हो रही थी। परमिट धारक ने वाहन प्रतिस्थान के आवेदन पत्र में सूचित किया कि वाहन सोनप्रयाग/रूद्रप्रयाग में बह गई है। प्रार्थी के अनुरोध पर दिनांक 29.06.2014 को उक्त परमिट पर ऊँचे मॉडल की वाहन लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी। परमिट पर वाहन का संचालन नहीं होने के कारण कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 10177/आरटीए/पीएसटीपी 2039/2014 दिनांक 22.11.2014 द्वारा परमिट धारक को धारा-86 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके प्रतिउत्तर में परमिट धारक ने सूचित किया था कि 16 जून 2013 को आयी आपदा में उनकी वाहन सं0 यूके 07पीए 0466 कंदारनाथ धाम में बह गई थी। (पुलिस कार्यालय, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा उक्त वाहन के सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट की प्रति संलग्न है) जिस कारण से उन्होंने वाहन का प्रतिस्थापन चाहा था। गाडी बह जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं० 9 द्वारा नवीनीकरण के सम्बन्ध में तथा संकल्प सं० 12 द्वारा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने की नीति निर्धारित की गई है। जो निम्नवत है:-

संकल्प सं० 9-

1. स्टैज कौरिज परमिट:-

- (1) गत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को ₹0 100/- शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/- विलम्ब शुल्क देय होगा।
- (2) परमिट की पिछली वैधता के दौरान प्रत्येक चालान के लिये ₹0 500/- प्रति चालान की दर से जुर्माना देय होगा तथा यदि कर अपवंचना का अभियोग हो तो ₹0 1000/- प्रति चालान की दर से देय होगा।
- (3) नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये 500 एवं 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों के लिये ₹0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये ₹0 1000 एवं 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये ₹0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
- (4) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनों फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) उत्तराखण्ड मोटर गाडी नियमावली- 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संकल्प सं० 12-

प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क जमा करने पर केवल ऊँचे माडेल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की गई है :-

1. छः माह तक निशुल्क।

2. छः माह से अधिक एवं एक वर्ष तक के लिये रू० 2000/- प्रशमन शुल्क।
3. एक वर्ष से अधिक होने पर प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण के द्वारा उक्त नीति अपनी बैठक 10.09.2014 में निर्धारित की गई है। जो दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में परमिटों के नवीनीकरण एवं परमिट पर ऊँचे माडल की वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 05 वर्ष का समय दिये जाने की नीति निर्धारित थी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-18

प्रेमनगर-गुलरघाटी एवं सम्बन्धित मार्ग हेतु जारी परमिट सं० पीएसटीपी 1290 के नवीनीकरण एवं परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में।

श्री मनीराम, बालावाला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 14.05.2015 के द्वारा निवेदन किया है कि उनके नाम पर प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग पर बस परमिट सं० पीएसटीपी 1290 है जो दिनांक 07.08.2012 में समाप्त हो गया है। इस परमिट का नवीनीकरण करने का कष्ट करे ताकि मैं अपने परमिट पर उच्च माडल की गाडी लगाकर चला सकूँ। यह परमिट मैंने अपनी लम्बी बीमारी के कारण कार्यालय में जमा करा दिया था। कृपया मेरे प्रार्थना पत्र पर सहानभूति पूर्वक विचार करने का कष्ट करें।

प्रेमनगर-गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग है। वर्तमान में इस मार्ग पर प्राधिकरण के द्वारा 20 परमिट जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.07.1997 में प्रश्नगत मार्ग हेतु परमिट संख्या पीएसटीपी 1290 श्री बलदेव राज विरमानी, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून के नाम पर स्वीकृत किया गया था। उक्त परमिट दिनांक 29.01.2008 को प्रार्थी श्री मनीलाल पुत्र कन्हैयालाल एवं श्री मुनीष पुत्र श्री कैलाशचन्द्र, बालावाला, देहरादून के नाम हस्तान्तरित हुआ था। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 11.08.2009 को उक्त परमिट कार्यालय में समर्पित कर ऊँचे माडल की वाहन लगाने हेतु आवेदन किया था। जिसके अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं० 6250/आर०टी०ए०/पी.एस.टी.पी. 1290 दिनांक 11.08.2009 के द्वारा उनको ऊँचे माडल माडल की वाहन लगाने हेतु 02 माह का समय प्रदान किया गया था। परन्तु लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब परमिट धारक के द्वारा अपने परमिट पर ऊँचे माडल की वाहन प्रतिस्थापित नहीं की गई तो कार्यालय के पत्र सं० 3211/आरटीए/पीएसटीपी 1290/11 दिनांक 25.07.2011 द्वारा उनको ऊँचे माडल की वाहन प्रतिस्थापित

करने हेतु सूचित किया गया था। इस पत्र के उत्तर में प्रार्थी ने दिनांक 24.08.2011 को ऊँचे माडल की गाडी लगाने हेतु 03 माह का समय देने की प्रार्थना की थी। परन्तु उक्त परमिट दिनांक 07.08.2012 को समाप्त हो गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं० 9 द्वारा नवीनीकरण के सम्बन्ध में तथा संकल्प सं० 12 द्वारा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने की नीति निर्धारित की गई है। जो निम्नवत है:-

संकल्प सं० 9-

1. स्टैज कौरिज परमिट:-

- (1) गत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू० 100/- शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/- विलम्ब शुल्क देय होगा।
- (2) परमिट की पिछली वैधता के दौरान प्रत्येक चालान के लिये रू० 500/- प्रति चालान की दर से जुर्माना देय होगा तथा यदि कर अपवंचना का अभियोग हो तो रू० 1000/- प्रति चालान की दर से देय होगा।
- (3) नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये 500 एवं 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों के लिये रू० 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू० 1000 एवं 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये रू० 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
- (4) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनों फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) उत्तराखण्ड मोटर गाडी नियमावली- 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संकल्प सं० 12-

प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क जमा करने पर केवल ऊँचे माडॅल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की गई है :-

1. छः माह तक निशुल्क।
2. छः माह से अधिक एवं एक वर्ष तक के लिये रू० 2000/- प्रशमन शुल्क।
3. एक वर्ष से अधिक होने पर प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण के द्वारा उक्त नीति अपनी बैठक 10.09.2014 में निर्धारित की गई है। जो दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में परमितों के नवीनीकरण एवं परमित पर ऊँचे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 05 वर्ष का समय दिये जाने की नीति निर्धारित थी। प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 11.08.2009 को उनके उक्त परमित पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु पूर्व निर्धारित नीति के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई थी। जिसके अनुसार 05 वर्ष की समय सीमा दिनांक 10.08.2014 को समाप्त हो गयी थी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-19 श्री हेमन्त कुमार को हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमित जारी करने के सम्बन्ध में मामले पर विचार व आदेश।

श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री कुंवर भान, रामनगर, हरिद्वार को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार हरिद्वार केन्द्र से एक ऑटो रिक्शा परमित निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया था:-

“हरिद्वार, ऋषिकेश एवं रूडकी केन्द्रों के लिये 3+1, 4+1 एवं 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमित निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एवं ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गों को छोड़कर) के परमित 25 किमी० अर्द्धब्यास एवं रूडकी केन्द्र के परमित 16 किमी० अर्द्धब्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं।

- 1- हरिद्वार एवं रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2- आवेदक बेरोजगार हो।
- 3- आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
- 4- आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
- 5- परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।”

श्री हेमन्त कुमार द्वारा प्रस्तुत मै0 नाथ मोटर्स प्रा0 लि0 द्वारा जारी विक्रय पत्र दिनांक 22.11.2014 के अनुसार उन्होंने एक नन्दी ऑटो रिक्शा खरीद ली थी। परन्तु उनके नाम पर एक डिलवरी वैन सं0 यूके 08सीए 3805 हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत होने के कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) हरिद्वार ने उनके द्वारा खरीदे गये नये ऑटो रिक्शा वाहन का पंजीकरण नहीं किया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2015 द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने अपनी वाहन सं0 यूके08 सीए 3805 दिनांक 29.07.2014 को श्री संजय कुमार पुत्र कालूराम, विकास कॉलोनी, हरिद्वार को बेच दी थी। तब से प्रार्थी बेरोजगार था। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच हुये अनुबन्ध की छायाप्रति संलग्न की है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त गाडी के प्रपत्र वाहन स्वामी द्वारा द्वितीय पक्ष को दे दिये गये हैं। आज के बाद द्वितीय पक्ष ही गाडी के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हो गये हैं। गाडी का फाईनेन्स पूरा होने पर द्वितीय पक्ष गाडी को अपने नाम हस्तान्तरण करना चाहेगा तो प्रथम पक्ष पूरी सहायता करेगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), हरिद्वार ने अपने पत्र सं0 1081/नया पंजीयन/14 दिनांक 01.12.2014 द्वारा सूचित किया है कि वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार श्री हेमन्त कुमार द्वारा वाहन दिनांक 29.07.2014 को प्रपत्रों सहित श्री संजय कुमार के सुपुर्द कर दी गई थी। उस तिथि से वाहन स्वामी के कब्जे में नहीं है। इस वाहन का कोई परमिट नहीं होता है तथा इसके अतिरिक्त कोई परमिट इनके नाम पर नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि में उनके नाम कोई व्यवसायिक वाहन नहीं था। परन्तु हरिद्वार कार्यालय के अभिलेखानुसार श्री हेमन्त कुमार का नाम वाहन स्वामी के रूप में दर्शाया जा रहा है।

श्री हेमन्त कुमार ने निवेदन किया है कि प्रार्थी बेरोजगार है। प्रार्थी के द्वारा क्रय की गई ऑटो रिक्शा वाहन को पंजीयन कर स्वीकृत परमिट जारी करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-20 देहरादून नगर को वायु प्रदूषण मुक्त करने तथा एलपीजी ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश

श्री सुरेश चन्द आर्य, पूर्व मंत्री उत्तराखण्ड सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23.03.2015 द्वारा सूचित किया है कि जनता की सुविधाओं को देखते हुये तथा बेरोजगारों के हित में एलपीजी चालित ऑटो रिक्शा परमिट जारी करना अति आवश्यक है। यह माँग लगातार बेरोजगार ऑटो चालकों, जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री आशीष उनियाल, 11 मोहनी रोड, देहरादून ने मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 07.04.2015 द्वारा सूचित किया है कि देहरादून नगर में चल रहे तीन पहिया डीजल वाहनों के कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण देहरादून नगर की आम जनता के स्वस्थता पर बुरा असर हो रहा है तथा अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही है। यदि समय रहते देहरादून नगर में तीन पहिया डीजल वाहनों विक्रम/लोडर के द्वारा किये जा रहे वायु/ध्वनि प्रदूषण को नहीं रोका गया तो देहरादून नगर में किसी भी प्रकार की महामारी फैल सकती है। नगर का प्रत्येक नागरिक इन प्रदूषणों की चपेट में आकर अनेक रोंगो से ग्रसित हो जायेगा। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ जैसे शहरों के साथ ही हल्द्वानी शहर में जिला प्रशासन द्वारा डीजल से चलने वाले विक्रमों पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है तथा इन शहरों में पेट्रोल, सीएनजी तथा एलपीजी से चालित तीन पहिया वाहन चलाने के निर्देश हैं। जिससे इन शहरों में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर काफी हद तक नियन्त्रण पाया जा सकता है।

श्री उनियाल ने निवेदन किया है कि देहरादून नगर के समस्त विक्रमों को सीएनजी या एलपीजी में तब्दील करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायें, जिससे नगर की आम जनता को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से छुटकारा मिल सके। भविष्य में देहरादून जनपद में सीएनजी/एलपीजी/पेट्रोल से चलने वाले तीन पहिया वाहन को ही परमिट दिये जायें तथा डीजल से चलने वाले तीन पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये।।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०- 21 माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

मोटर गाड़ी अधिनियम-1988 की धारा-93 में यह प्राविधान है कि सार्वजनिक सेवायानों को यात्रीयों के टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में तथा माल वाहनों के द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में अपने को तभी लगायेगा जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

धारा-93 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारोबार में लगे अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली-2011 के नियम 112 से 120 तक दिया गया है। नियम 113 यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारोबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हे अनुज्ञप्ति में विनिविष्ट किया गया हो, चलाने के लिये प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। नियमावली के नियम-114(6) में यह प्राविधान है कि अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

पूर्व में उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में “सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम-2007” बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा-2 निम्न प्रकार है:-

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “सामान्य वाहक” से किसी माल की रसीद के अधीन माल वाहकों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रहण, भंडारण, प्रेषण और वितरण करने तथा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों के लिये सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का भाड़े के लिए परिवहन करने के कारोबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, अभिकर्ता दलाल और ऐसा कुरियर अभिकरण भी है, जो दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार-द्वार तक परिवहन में, ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं की वहन करने या साथ ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके, लगा हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत सरकार नहीं है;

-----XXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

(ज) “रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी” से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन गठित कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा-3 निम्न प्रकार है:-

3. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त न किया गया हो।
- (2) कोई व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतः या भागतः सामान्य वाहन के कारबार में लगा है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व,-
 - (क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा;
 - (ख) जब तक उसने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन न किया हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया गया हो, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर उस कारबार में नहीं लगेगा। अधिनियम की धारा-4 (6) में यह प्राविधान है कि अनुगत या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम-2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सड़क मार्ग वहन नियम-2011 बनाये हैं। इस नियमावली के नियम -3 में यह प्राविधान है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिये आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रारूप-1 में किया जायेगा। आवेदन के साथ नियम-13 के अन्तर्गत विनिदिष्ट फीस संलग्न की जायेगी।

नियम-13 में विनिदिष्ट फीस निम्न प्रकार है:-

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय ब्याज मुक्त प्रतिभूति निक्षेप | - ₹0 5000/- |
| 2. | रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिये फीस | - ₹0 1000/- |
| | | + ₹0 250/- |
| | | (प्रसंस्करण फीस) |
| 3. | रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिये फीस | - ₹0 1000/- |
| | | + ₹0 250/- |
| | | (प्रसंस्करण फीस) |

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 4. | रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधनों के फीस | रु0 250 /—
(प्रसंस्करण फीस) |
| 5. | अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए | रु0 500 /— |

निम्नलिखित प्रार्थियों के द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं:-

क्र० सं०	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1.	21.04.2015	मै0 शुभम ट्रांसपोर्ट 6 विधि विहार, नई टिहरी।
2.	16.05.2015	मै0 उत्तरांचल सर्विसेस, बालावाला, गुलरघाटी, देहरादून।
3.	16.05.2015	श्री ध्यानी ट्रांसपोर्टर, ऋषिकेश।

अतः प्राधिकरण माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले उपरोक्त अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-22 मोटरगाड़ी अधिनियम-1988 की धारा-74 (2) (xiii) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों पर परमिट धारक एवं चालक के मोबाईल फोन संख्या अंकित करने सम्बन्धी परमिट शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 21.04.15 के द्वारा सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये “समाधान” पोर्टल पर श्री अहमद अली, 17 नवयुग इन्कलेव, जीएमएस रोड, देहरादून से प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

“In Dehradun it is not mandatory for Auto Rickshaw and Three Wheeler owners that they should print their mobile phone number and driver mobile phone number. If some passengers forget their luggage in three wheeler then he is not in a position to contact the driver. All the owner and driver may be directed to print their mobile inside the vehicle and outside the vehicle.”

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-84(छ) में प्राविधान है कि प्रत्येक यान जिसको परमिट सम्बन्धित करता है के बाडी के बाह्य भाग पर दोनो ओर रंग या रंगो से, यान के रंग के विपरीत रंग में, जहाँ तक सम्भव हो, खिडकी के नीचे बडे अक्षरों में संचालक का नाम व पता पेन्ट कर दिया जायेगा या अन्यथा स्थिर रूप से टांग दिया जायेगा।

मोटरगाडी अधिनियम 1988 की उक्त धारा में व्यवसायिक वाहन में संचालक का नाम व पता अंकित किया जाना अनिवार्य है। उक्त विवरण में नाम व पता के अतिरिक्त दूरभाष नं० अंकित किया जाना अनिवार्य नहीं है।

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-74 (2) (xiii) में कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएं के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित करने का प्राविधान है।

अतः शिकायतकर्ता के सुझाव की उपयोगिता के दृष्टिगत व्यवसायिक वाहनों पर उनके स्वामी/चालकों के दूरभाष संख्या अंकित करने की शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं० 23 मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(5) तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी को और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्ति के सम्बन्ध में।

मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई परमिट जारी करने के लिये निम्न प्राविधान है:-

- (1)(क) यात्रियों को विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों में, ले जाने और वहाँ से लाने के लिए, या
- (ख) मौसमी कारबार के प्रयोजनों के लिए, या
- (ग) किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या
- (घ) परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक के लिए,

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के संकल्प सं० 4 दो (ख)(1) (2) के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (केवल संभाग में) को अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार शक्ति प्रत्यायोजन करने के आदेश पारित किये गये हैं:-

दो-(क)- धारा 87(ए) के अन्तर्गत विशेष अवसरों जैसे मेला एवं धार्मिक समारोहों पर अस्थाई यात्री गाडी परमिट जिनकी वैधता सामान्यतयः एक सप्ताह से अधिक न हो, देने की शक्ति।

(ख)(1)- सवारी गाडी के किसी स्थायी परमिट के समर्पित या प्रतिस्थापित होने से उत्पन्न अस्थायी रिक्ति को पूर्ण करने हेतु धारा 87(सी) के अन्तर्गत अस्थायी सवारी गाडी परमिट देने का अधिकार, यदि विवाद न हो।

(2)-परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अस्थाई परमिट के समाप्त होने पर पुनः उन्ही शर्तों पर एक बार चार माह के लिये, यदि विवाद न हो, जारी करने का अधिकार।

(ग)- स्थायी परमिट के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने की दशा में धारा 87(डी) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट देने का अधिकार।

(घ)- धारा 87(सी) तथा 88(8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिये विशेष अस्थायी परमिट दिये जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक वापसी फेरे के लिए वैध होंगे।

स्पष्ट है कि यदि विवाद हो तो सचिव, स्तर से अस्थाई परमिट जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था का कई अवसरों पर वाहन स्वामियों, पूर्व परमिटधारक तथा परिवहन सस्थाओं द्वारा दुरुप्रयोग किया जाता है। जब कभी भी पूर्व परमिट धारक सम्बन्धित मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी किये जाने पर सहमत नहीं होते, उनके द्वारा आपत्ति दर्ज करा दी जाती है। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग सचिव द्वारा उक्त आपत्ति के कारण नहीं किया जाता। कई अवसरों पर आपत्ति का कोई विधिक आधार या तथ्य नहीं होते हैं। केवल अस्थाई परमिट से पूर्व परमिट धारकों को आर्थिक हानि न हो इस कारण आपत्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजित शक्ति में अंकित “यदि विवाद न हो” को परिभाषित किया जाना उचित होगा।

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त उपरोक्त में उल्लेखित *यदि विवाद न हो* के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देने की कृपा करें।

मद सं0-24 मोटरगाडी अधिनियम-1988 की धारा-86 के अन्तर्गत चालानों को प्रशमन करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने के तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्त के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

उत्तराखण्ड परिवहन महासंघ, यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि0, देहरादून रोड, ऋषिकेश पदाधिकारियों का एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 30.10.2014 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के कार्यालय के पतांक 1310/सा0प्र0/14 दिनांक 31.10.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ। परिवहन महासंघ ने अपने उक्त पत्र के द्वारा सूचित किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 में संकल्प सं0 05 व 08 में क्रमशः मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत हुये चालानों के वर्तमान प्रावधानों में अनपेक्षित परिवर्तन कर दिया है। अन्य बिन्दुओं के साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में भारी जुर्माना राशि तथा परमिट निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है। जो कि सरासर अन्याय पूर्ण व विधि विरुद्ध है। उनके द्वारा उपरोक्त संशोधनों को तत्काल निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि सामान्य जन मानस एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय-समय पर सूचित कराया जाता रहा है कि वाहनों के द्वारा अत्यधिक ओवरलोडिंग एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालन किया जा रहा है। जिससे दुर्घटना की संभावना एवं वाहन स्वामियों/चालको के द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उनके मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। सम्बन्धित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक दिन अपने क्षेत्रों में ओवर लोडिंग, परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के विरुद्ध चैकिंग कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-2 पर विशेष/संयुक्त चैकिंग अभियान चलाकर अवैध संचालन की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही की जाती है। चूकि: संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा अपनी बैठक दिनांक 21.04.1987 में मोटर गाडी अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वाहनों के द्वारा नियम विरुद्ध संचालन एवं ओवरलोडिंग आदि कार्यवाही करने पर धारा-86 की कार्यवाही हेतु नीति निर्धारित की थी। इसके अतिरिक्त बैठक दिनांक 29.09.2001 में प्रशमन शुल्क की दरों का निर्धारण किया था। जनप्रतिनिधियों, सामान्य जनता के द्वारा तथा कार्यालय में प्राप्त चालानों की सूचना के अनुसार वाहनों के द्वारा की जा रही ओवरलोडिंग, परमितों शर्तों का उल्लंघन एवं नियम विरुद्ध संचालन हेतु धारा-86 की कार्यवाही हेतु नयी नीति एवं प्रशमन शुल्क की दरों का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी। जिसके सम्बन्ध में नई नीति एवं प्रशमन शुल्क निर्धारण करने के सन्दर्भ में मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचार कर संकल्प सं0 5 के द्वारा धारा-86 की कार्यवाही हेतु नई नीति निर्धारित कर विभिन्न अभियोगों हेतु प्रशमन शुल्क की दरों का निर्धारण किया है। जो निम्नवत है:-

प्राधिकरण की उक्त बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद सं0 5 के अन्तर्गत मोटर गाडी अधिनियम-1988 की धारा-86 के अन्तर्गत चालानों को कार्यवाही हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष भेजने तथा चालानों के लिये प्रशमन शुल्क निर्धारित

करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु नीति निर्धारित की जाती है:-

मोटर गाड़ी अधिनियम -1988 की धारा- 86 (सी) (डी) एवं (ई) के प्रकरणों में प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के समक्ष रखे जायेंगे। सचिव द्वारा ऐसे प्रकरणों पर 86(4) में शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा-86 (ए) व (बी) के निम्न अभियोगों में किये गये चालान (प्रथम अथवा अनुवर्ती) को गम्भीर श्रेणी में रखकर उनको निस्तारण भी प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों का प्रशमन सचिव द्वारा धारा 86 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

1. भार वाहन के मामले।

- (क) क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक भार ले जाने पर।
- (ख) 05 तथा 05 से अधिक सवारी मैदानी क्षेत्र में और 03 या 03 से अधिक सवारी पर्वतीय क्षेत्र में किराये पर ले जाने पर।
- (ग) क्षमता से मैदानी क्षेत्र में 10 और पर्वतीय क्षेत्र में 05 व्यक्ति अधिक ले जाने पर।
- (घ) बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
- (च) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

2. सवारी गाड़ी के मामले।

- (क) निर्धारित क्षमता से 20 प्रतिशत सवारी ले जाने के मामले।
- (ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
- (ग) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।
- (घ) बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
- (च) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
- (छ) 05 तथा 05 से अधिक बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले।
- (ज) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

3. टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/टैम्पो वाहनों के मामले।

- (क) टैक्सी/मैक्सी, टैम्पो तथा दो/तीन सीट की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में क्षमता से 02 सवारी अधिक ले जाने मामले।
- (ख) बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
- (ग) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।

- (घ) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।
 (च) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
 (छ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

प्राधिकरण द्वारा धारा-86 के अन्तर्गत निलम्बन व निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु धारा 86(ए), (बी) व (ई) के अन्तर्गत निम्न अभियोगों में प्राप्त चालानों के प्रथम अभियोग को प्रशमित करने हेतु निम्नवत प्रशमन शुल्क निर्धारित किया है:-

1. **भार वाहनों के मामले।**

- (अ) अधिक भार ले जाने पर – शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
 (ब) अधिक/किराये पर सवारी ले जाने पर – रू0 500 प्रति सवारी
 (सी) धारा- 86(ई) के उल्लंघन पर – रू0 4000/-

2. **01 से 12 की सीटिंग क्षमता तक की वाहनों के लिये।**

- (अ) ओवरलोडिंग के लिये – रू0 500 प्रति सवारी।
 (ब) मार्ग/क्षेत्र एवं उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन- रू0 4000 प्रति अभियोग।
 (स) सामान्य एवं अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन(नियम-71 की शर्त को छोड़कर)- रू0 1000 प्रति अभियोग।

3. **12 से अधिक सीटिंग क्षमता की वाहनों के लिये।**

- (अ) ओवरलोडिंग के लिये – रू0 1000 प्रति सवारी।
 (ब) मार्ग/क्षेत्र एवं उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन – रू0 8000 प्रति अभियोग।
 (स) सामान्य एवं अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन (नियम-71 की शर्त को छोड़कर)-रू0 2000 प्रतिअभियोग।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 के संकल्प सं0 19(अ) एवं दिनांक 11.11.11 में ठेका परमिट वाहनों में ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिये सचिव को अधिकृत किया गया है। सचिव ऐसे मामलों में सामान्यतया: देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा परमिट को दो माह के लिये निम्लबित करेंगे।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि सभी प्रकार के यात्री वाहनों के ओवरलोडिंग के दो चालान होने पर दिनांक 08.10.10 एवं दिनांक 11.11.11 को लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार सचिव के द्वारा कार्यवाही की जायेगी एवं ओवर लोडिंग के दो चालानों के पश्चात अनुवर्ती चालानों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 86 (ए), (बी) व (ई) के प्रथम अभियोगों के उपरोक्तानुसार प्रशमन हेतु सचिव, को अधिकृत किया जाता है। सचिव के अतिरिक्त अन्य परिवहन अधिकारी के द्वारा प्रशमन नहीं किया जायेगा। प्रशमन हेतु आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर सहमति देनी अनिवार्य होगी। सहमति पत्र का प्रारूप सचिव द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्णित मार्ग/क्षेत्र सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा अन्य शर्तों का उल्लंघन होने पर प्रथम बार चालान होने पर चालान उक्तानुसार प्रशमित किया जायेगा तथा द्वितीय बार चालान होने पर सचिव के द्वारा अधिकतम 6 माह के लिये परमिट का निलम्बन किया जा सकेगा एवं तृतीय बार चालान होने पर सचिव मामले को निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तृतीय बार चालान होने पर सचिव, द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, वरन ऐसे नवीनीकरण के प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

प्राधिकरण की उक्त बैठक में मद सं० 8 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका परमिटों में अतिरिक्त शर्त के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में यह प्राविधान है कि मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी:-

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखित प्रपत्र में तैयार करायेगा।

यात्रियों की सूची

मोटर यान की संख्या दिनांक
प्रस्थान का समय से तक।

क्रम संख्या	यात्री का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा ऐसे प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी,

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाड़े के भुगतान की भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपुर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(चार) परमिट धारक दिन-प्रतिदिन की वार्षिक लॉग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राइवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पहुंचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गन्तव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा,

(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उर्पयुक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लॉगबुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लॉग बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी: परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गए किसी ठेका गाड़ी पर लागू नहीं होगी।

उपरोक्त शर्त (2) में यात्रियों की सूची तथा (5) में लॉग बुक का उद्धरण त्रैमासिक सम्बन्धित प्राधिकरण को भेजी जाने का प्राविधान है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने याचिका सं0 2290, 2576/2011 तथा 2766/एमएस/2013 का निस्तारण करते हुये दिनांक 27.05.2014 को आदेश पारित किये हैं कि उक्त नियमावली में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन कराया जाये। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका गाड़ी परमिट की अतिरिक्त शर्त का अनुपालन नहीं करने/त्रैमासिक विवरण नहीं भेजने पर प्रथम बार मैक्सी कैब वाहनों के लिये रू0 1500/- प्रशमन शुल्क तथा 12 से अधिक सीटिंग क्षमता वाले वाहनों के लिये रू0 2500/- प्रशमन शुल्क वसूला जायेगा। द्वितीय बार शर्त का पालन न किये जाने पर सचिव द्वारा मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा 86(4) में प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत वाहन के परमिट को अधिकतम 06 माह के लिये निलम्बित किया जा सकेगा तथा तृतीय बार अपराध की पुनरावृत्ति होने पर परमिट के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त प्रशमन एवं प्रक्रिया मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत निहित की गई है। धारा-86 प्राधिकरण को परमिट शर्त के उल्लंघन करने पर परमिट के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अधिकृत करती है। धारा-86(5) प्राधिकरण को उक्त कार्यवाही के स्थान पर प्रशमन शुल्क वसूलने के लिये अधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(5) के अनुसार प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ कुछ शर्त के साथ सचिव को प्रत्यायोजित कर सकती है। प्राधिकरण ने उक्त अधिकार का प्रयोग कर धारा 86(4) के अनुक्रम में सचिव को अधिकतम 06 माह तक परमिट निलम्बन करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है। अतः स्पष्ट है कि उक्त नीति मोटर गाडी अधिनियम में दी गई वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत निहित की गई है।

अतः प्राधिकरण दिनांक 10.09.2014 में उक्त संकल्प सं0 5 व 8 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन महासंघ, यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि0, देहरादून रोड, ऋषिकेश द्वारा प्राप्त उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय पारित करने का कृपा करें।

मद सं0-25 संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 के निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार एवं आदेश।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में मद सं0 6 में के द्वारा परिशिष्ट-छः में वर्णित सभी प्रार्थियों को हरिद्वार केन्द्र से एक-एक आटोरिक्शा परमिट अन्य शर्तों के साथ आवेदक पूर्व में किसी परमिट का धारक न हो, की शर्त के साथ स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में श्री अरोड़ा ने दिनांक 20.03.2010 को वाहन सं0 यूके 08टीए 1283 के वैध प्रपत्रों को प्रस्तुत कर ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 प्राप्त किया गया। परमिट प्राप्त करते समय श्री पंकज अरोड़ा द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया था कि वह किसी प्रकार के परमिट का धारक नहीं है। परन्तु परमिट जारी होने के पश्चात सज्ञान में आया कि श्री पंकज अरोड़ा के नाम पर टैम्पो परमिट सं0 3428 है जिस पर वाहन सं0 यूके08टीए-0819 संचालित है। कार्यालय के पत्र सं0 5848/आरटीए/ऑटो-7461/धारा-86/13 दिनांक 12.09.2013 द्वारा उन्हें धारा-86 का नोटिस प्रेषित किया गया था कि आपके द्वारा तथ्यों को छिपा कर हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त किया गया है जबकि आप टैम्पो परमिट सं0 3428 के पूर्व से ही परमिट धारक हैं। श्री अरोड़ा को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर

स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया था कि क्यों न आपको जारी परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। परन्तु उक्त पत्र बिना प्राप्त हुये कार्यालय में वापस आ गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पंकज अरोड़ा के नाम से जारी पूर्व परमिट सं0 3428 दिनांक 07.02.13 को श्री अमन कुमार पुत्र श्री हुक्म सिंह, नत्थूखेरी, मंगलौर, हरिद्वार के नाम हस्तांतरित हो गया है।

उक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने संकल्प सं0 31 में निम्न आदेश पारित किये थे कि:-

"परमिट धारक को पुनः धारा-86 का नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाये तथा मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में परमिट धारक श्री पंकज अरोड़ा को पंजीकृत पत्र सं0 7385/आरटीए/ ऑटो 7461/धारा-86/14 दिनांक 13.01.2014 प्रेषित किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर श्री पंकज अरोड़ा को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचना दें तथा मामले को पुनः प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक 9794/आरटीए/ऑटो 7461/2014 दिनांक 14.10.2014 के द्वारा दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला में क्रमशः दिनांक 15.10.2014 एवं दिनांक 17.10.2014 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर श्री अरोड़ा को सूचित किया था कि वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। परन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-26 वाहनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाहन स्वामियों को मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अर्न्तगत जारी नोटिसों पर विचार व आदेश।

(1) श्री मनबीर सिंह नेगी, 14 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2014 के द्वारा सूचित किया है कि प्रार्थी एक 70 वर्षीय वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है। जो आज दिनांक 27.10.2014 को सुबह लगभग 10:30 बजे धर्मपुर चौक से उक्त नम्बर (यूके 07पीए 0428) बस में प्रिंस चौक तक के लिये बैठा, बस परिचालक के द्वारा किराया मॉगने पर मैंने 10 रू० का नोट उसे दिया तो उसने 7 रू० काटकर 3 रू० वापस दिये। इस पर मैंने उसे कहा कि कम से कम 5 रू० धर्मपुर से प्रिंस चौक तक के होते है, तुम मुझसे गलत किराया ले रहे हो, जिस पर परिचालक ने मुझसे अभ्रदता करते हुये बस से नीचे उतारने की धमकी दी और कहा कि यह डोईवाला रूट की बस है, इसमे कम से कम 7 रू० किराया लगता है जबकि प्रार्थी के द्वारा टिकिट मॉगने पर टिकिट पर कम से कम किराया रू० 5 अंकित है। उसके द्वारा बस से नीचे उतारने की धमकी देने का मैंने विरोध किया और प्रिंस चौक आने पर जब मैं नीचे उतरा तो परिचालक कहने लगा कि जल्दी से नीचे उतर बुड्ढे, तू क्या आरटीओ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता है।

शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा वाहन की स्वामिनी श्रीमती शीला मोघा पत्नी श्री बी०एल०मोघा, 195/2, नव विहार, चुक्खूवाला, देहरादून को पंजीकृत पत्र सं० 9927/आरटीए/पीएसटीपी- 2110/2014 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा धारा-86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में वाहन स्वामिनी ने अपने पत्र दिनांक 18.11.2014 के द्वारा सूचित किया है मेरी बस संख्या यूके 07पीए 0428 में विनोद कुमार परिचालक के रूप में कार्य कर रहा है। जब मैंने परिचालक से आपके द्वारा जारी पत्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जिस ब्यक्ति ने शिकायत की है वह व्यक्ति दिनांक 27.10.2014 को तो मेरी गाडी में बैठा ही नही क्योंकि जैसा कि उसने शिकायत में लिखा है कि वह 10:30 बजे धर्मपुर चौक से बैठा था जबकि दिनांक 27.10.2014

को गाडी को कम से कम धर्मपुर चौक तक पहुँचने में एक घंटा का समय तो लगता ही है। शिकायतकर्ता सरासर झूठ बोल रहा है और निराधार आरोप लगा रहा है।

(2) सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं० 3070/समाधान/नि०-33/पीजी-039012014/2014 दिनांक 27.09.2014 के द्वारा सूचित किया है कि सुराज, भष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये "समाधान" पोर्टल पर दिनांक 24.09.2014 को निम्नवत् निवेदन (Grievance) दर्ज कराया गया है—

UK07PA 0356 is a public transport bus which runs on kanwali road route. The driver of this bus was driving this bus at around 60-70 km/hr which is quite dangerous for such a busy road. This i noticed today at 1155 AM while i was waling along the road and this bus passed me like a tracer bullet. i noted down the number. More such buses exist.

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में वाहन सं० यूके 07पीए 0356 के परमिट सं० पीएसटीपी 1935 के धारक श्री मनोज पुत्र श्री राम सिंह, 105 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं० 9750/आरटीए/समाधान पोर्टल/2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। परन्तु परमिट धारक के द्वारा इस सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया गया है।

(3) श्री समीर चौहान, लेन नं० सी-24 मोरोवाला, टर्नर रोड, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 02.02.15 द्वारा शिकायत की है कि टर्नर रोड पर चलने वाले सभी विक्रम चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। पूर्व में टर्नर रोड से आईएसबीटी का किराया 5 रू० होता था। अब विक्रम चालक 10 रू० किराया वसूल रहे हैं। ऐसा करने से रोकने पर टर्नर रोड के विक्रम चालक असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एवं हाथापाई करने पर उतारू हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में अधिक किराया लेने वाले वाहन सं० यूके 07टीए 4814 तथा वाहन सं० यूके 07टीए 4030 का उल्लेख किया है।

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में वाहन सं० यूके 07टीए 4030 के परमिट सं० टैम्पो 0928 के धारक श्री रमनदीन पुत्र श्री बंसीलाल, 239 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं० 519/आरटीए/टैम्पो 928/2015 दिनांक 12.02.2015 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। उक्त प्रतिउत्तर में परमिटधारक ने अपने पत्र दिनांक 24.02.2015 के द्वारा सूचित किया है कि शिकायत कर्ता के साथ किराये को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, छूटा पैसा न होने पर कई बार यात्री कम पैसा दे देते हैं। अन्जाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो चालक क्षमा प्रार्थी है।

वाहन सं० यूके 07टीए 4814 के परमिट सं० टैम्पो 1139 के धारक श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री विरेन्द्र, 60/1 भण्डारी बाग देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 28.02.15 द्वारा सूचित किया है कि वे स्वयं शिकायत कर्ता से मिलकर खेद प्रकट करना चाह रहे थे परन्तु वे दिये गये पते पर नहीं मिले। उन्होंने पुनः सूचित किया है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलने का भरोसा दिलाते हैं।

(4) श्री अरुण भट्ट, नेहरू ग्राम, इन्द्रप्रस्त, लेन नं०-1, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2015 के द्वारा सूचित किया था कि वाहन सं० यूके 07टीए 5052 में मैं परेड ग्राउण्ड के लिये बैठा चालक ने पुलिसिया नं०. 06 पर अधिक सवारी भरी और अधिक आवाज में हनुमान चालिसा चला दी। सवारियों ने आवाज कम करने को कहा तो वह नहीं माना आराघर चौक से पीछे मैंने उसे आवाज बन्द करने को कहा तो वह मुझे उल्टा डॉटने लगा एवं उसने कहा की 14 लाख की गाडी अययाशी के लिये है आपके लिये नहीं।

वाहन सं० यूके 07टीए 5052 के परमिट सं० मैक्सी 3730 के धारक श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन, 32 राजीव नगर, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं० 476/आरटीए/मैक्सी- 3730/2015 दिनांक 06.02.2015 के द्वारा मोटर गाडी अधिनियम 1988 के अन्तर्गत धारा-86 का नोटिस जारी किया गया था। परमिट धारक उक्त के प्रतिउत्तर में अपने पत्र दिनांक 12.02.15 द्वारा सूचित किया है कि प्रार्थी का वाहन सं० यूके 07टीए 5052 टाटा मैजिक है जो परेडग्राउण्ड से मियाँवाला संचालित होता है, आपके पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि चालक ने 29.01.2015 को एक सवारी से अभद्रता की थी। जब चालक से सख्ती से पूछताछ की तो चालक ने बताया कि सवारी जल्दी में थी और गाडी तेज चलाने को कह रही थी जब चालक ने कहा कि मैं तेज गाडी नहीं चला सकता गाडी में और भी सवारी है तो उक्त सवारी ने पहले पुलिस की धमकी दी और कहा कि तुझे मैं गाडी चलाना सिखाऊँगा। आरटीओ द्वारा तेरी गाडी बन्द नहीं करवायी तो कहना। हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। पत्र पाने के उपरान्त ड्राईवर से गाडी खडी कर ली है।

(5) श्री हरिपूजन सिंह पुत्र श्री बृजपाल सिंह मार्फत श्री राम सिंह, श्यामपुर प्रेमनगर, पो०ओ०- अम्बीवाला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 23.04.2015 के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 22.04.2015 को वह घंटाघर से प्रेमनगर विक्रम संख्या यूके 07टीए 8762 शाम को 6 बजे बैठे विक्रम चालक जो मालिक भी था बल्लूपुर में सब सवारियों से 10-10 रूपये ले लिया और सबको उतार दिया बोला विक्रम यही तक आते है। एक महिला जिसकी गोद में बच्चा भी था उतरने से मना कर दिया बोली भैया हमें सेलाकुई जाना है। प्रेमनगर छोड देते तो बोला हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है और हाथ पकड कर खीचने लगा। महिला नीचे गिर गई जब हम

लोगों ने विरोध किया तो विक्रम चालक के साथ दो लोग और आगे सीट पर बैठे थे हमारे साथ मारपीट किया और बोले इस रोड पर दिखाई दिये तो जान से मार देंगे। श्रीमान जी विक्रम चालक घंटाघर से सवारी बैठाकर बल्लूपुर लाकर सवारी उतार देते हैं। और सवारियों से पैसे लेकर उनके साथ बदतमीजी एवं मारपीट करते हैं और मनमाना किराया वसूलते हैं।

वाहन सं० यूके 07टीए 8762 के परमिट सं० टैम्पो 4398 के धारक श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार, गाँव मिठठीबेरी, पो०ओ० प्रेमनगर, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं० 1111 दिनांक 05 मई, 2015 के द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था। उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में परमिट के धारक ने अपने पत्र दिनांक 08.05.2015 के द्वारा सूचित किया है कि परिवहन विभाग द्वारा मेरे घर पर एक पत्र आया जब उस पत्र को मैंने पढ़ा तो उसमें पत्र में सवारी से दुर्ब्यवाहर एवं मारपीट की बात लिखी थी जिसका मुझे पत्र मिलने पर एक सप्ताह में इस पत्र का जबाव देना है। अतः महोदय आपको अवगत करायें कि जो बात पत्र में लिखी थी। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं शिकायत कर्ता ने अपनी लिखी हुई शिकायत पर शर्मिदा हैं। और चाहता कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा।

शिकायत कर्ता श्री हरिपूजन ने अपने पत्र दिनांक 08.05.15 के द्वारा सूचित किया है कि मेरे द्वारा जो शिकायत की उस पर विक्रम न० 8762 द्वारा आपसी समझौता हो गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न करने की कृपा करे।

(6) श्री सतीश वर्मा, मैन चौक हरबटपुर, देहरादून ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना के द्वारा अवगत कराया था कि विक्रम सं० यूके 07टीए 7271 ने दिनांक 07.01.2015 को उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की है। उन्होंने विक्रम चालक से कहा कि वह किराये की सूची दिखाये तो उसने कहा कि यमुना कॉलोनी से बल्लूपुर चौक विक्रम का किराया रू० 7-/- है जबकि विक्रम का किराया रू० 5-/- है।

वाहन सं० यूके 07टीए 7271 के परमिट सं० टैम्पो 4254 के धारक श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द शेखर, 196 पंडितवाडी, प्रेमनगर, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं० 227 दिनांक 13.01.2015 के द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था। उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में परमिट के धारक ने अपने पत्र दिनांक 19.01.2015 के द्वारा सूचित किया था कि चालक द्वारा वसूला गया 07 रू० (सात रूपये मात्र) किराया तय मानक के अनुरूप था जिसको संज्ञान में लाने हेतु प्रार्थी ने शिकायतकर्ता श्री सतीश वर्मा से सम्पर्क कर तथा उनके व चालक के मध्य हुए भौतिक विवाद पर क्षमा याचना

कर शिकायत को समाप्त करने की प्रार्थना की। परमिट धारक द्वारा शिकायत कर्ता श्री सतीश वर्मा का पत्र संलग्न किय गया है। उक्त पत्र के द्वारा सूचित किया है कि विक्रम मालिक द्वारा अपने ड्राइवर को अपनी गाडी सं० यूके ०७टीए ७२७१ से हटा दिया है। और स्वयं मालिक ने अपने ड्राइवर की तरफ से माफी माँग ली है।

अतः प्राधिकरण उक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-२७ मोटरगाड़ी अधिनियम, १९८८ की धारा ८६ के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार एवं आदेश।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक १५.०७.०३ में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टैक्सी परमिटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रशमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलम्बन एवं तृतीय अपराध में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक १०.०९.२०१४ के संकल्प सं० ५ में निर्णय लिया था कि:-

मोटर गाडी अधिनियम -१९८८ की धारा- ८६ (सी) (डी) एवं (ई) के प्रकरणों में प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के समक्ष रखे जायेंगे। सचिव द्वारा ऐसे प्रकरणों पर ८६(४) में शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त धारा-86 (ए) व (बी) के निम्न अभियोगों में किये गये चालान (प्रथम अथवा अनुवर्ती) को गम्भीर श्रेणी में रखकर उनको निस्तारण भी प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों का प्रश्मन सचिव द्वारा धारा 86 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

1. भार वाहन के मामले।

- (क) क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक भार ले जाने पर।
- (ख) 05 तथा 05 से अधिक सवारी मैदानी क्षेत्र में और 03 या 03 से अधिक सवारी पर्वतीय क्षेत्र में किराये पर ले जाने पर।
- (ग) क्षमता से मैदानी क्षेत्र में 10 और पर्वतीय क्षेत्र में 05 व्यक्ति अधिक ले जाने पर।
- (घ) बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
- (च) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

2. सवारी गाड़ी के मामले।

- (क) निर्धारित क्षमता से 20 प्रतिशत सवारी ले जाने के मामले।
- (ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
- (ग) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।
- (घ) बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
- (च) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
- (छ) 05 तथा 05 से अधिक बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले।
- (ज) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

3. टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/टैम्पो वाहनों के मामले।

- (क) टैक्सी/मैक्सी, टैम्पो तथा दो/तीन सीट की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में क्षमता से 02 सवारी अधिक ले जाने के मामले।
- (ख) बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
- (ग) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
- (घ) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।

- (च) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
 (छ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 के संकल्प सं० 19(अ) एवं दिनांक 11.11.11 में ठेका परमिट वाहनों में ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिये सचिव को अधिकृत किया गया है। सचिव ऐसे मामलों में सामान्यतया: देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा परमिट को दो माह के लिये निम्लबित करेंगे।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि सभी प्रकार के यात्री वाहनों के ओवरलोडिंग के दो चालान होने पर दिनांक 08.10.10 एवं दिनांक 11.11.11 को लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार सचिव के द्वारा कार्यवाही की जायेगी एवं ओवर लोडिंग के दो चालानों के पश्चात अनुवर्ती चालानों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 86 (ए), (बी) व (ई) के प्रथम अभियोगों के उपरोक्तानुसार प्रशमन हेतु सचिव, को अधिकृत किया जाता है। सचिव के अतिरिक्त अन्य परिवहन अधिकारी के द्वारा प्रशमन नहीं किया जायेगा। प्रशमन हेतु आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर सहमति देनी अनिवार्य होगी। सहमति पत्र का प्रारूप सचिव द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्णित मार्ग/क्षेत्र सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा अन्य शर्तों का उल्लंघन होने पर प्रथम बार चालान होने पर चालान उक्तानुसार प्रशमित किया जायेगा तथा द्वितीय बार चालान होने पर सचिव के द्वारा अधिकतम 6 माह के लिये परमिट का निलम्बन किया जा सकेगा एवं तृतीय बार चालान होने पर सचिव मामले को निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तृतीय बार चालान होने पर सचिव, द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, वरन ऐसे नवीनीकरण के प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

ओवरलोडिंग एवं परमिट शर्तों के उल्लंघन के अभियोग मे प्राप्त चालानों का विवरण:-

1. 02 से अधिक सवारी ढोने एवं परमिट की अन्य शर्त का उल्लंघन करने के अभियोग।

क्र० सं०	परमिट धारक का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्रीमती स्नेहलता काला	टैम्पो-1693 यूके07टीए-8048	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
2.	श्री योगेश	टैम्पो-3812 यूके07टीए-8331	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
3.	श्री धर्मवीर	टैम्पो-3021 यूके07टीए-3694	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.09.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
4.	श्री संजय सिंह	टैम्पो-3664 यूके07टीए-9170	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
5.	श्री चंद्र प्रकाश	टैम्पो-3756 यूके07टीए-3915	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
6.	श्री जसवन्त सिंह	मैक्सी-4184 यूके07टीए-5551	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.11.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
7.	श्री राजेन्द्र सिंह	मैक्सी-3279 यूके07टीए-4752	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
8.	श्री दिलषाद	एनपी-8587 यूए08सी-9900	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-08.10.2014	अनिस्तारित	10 सवारी ओवरलोड
9.	श्री गुरदयाल	टैम्पो-3815 यूए07एस-8427	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
10.	श्री रानू	मैक्सी-4176 यूके07टीए-5549	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
11.	श्री अजय सोनकर	पीएसटीपी-1959 यूके07पीए-0423	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.10.2014	अनिस्तारित	23 सवारी ओवरलोड
12.	श्रीमती अनामिका	टैम्पो-1598 यूए07एस-9087	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन

13.	श्री बृजभूषण षर्मा	टैम्पो-3946 यूके07टीए-6884	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
14.	श्री इकराम	टैम्पो-4033 यूके07टीसी-0738	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
15.	श्री कृष्ण चन्द्र	टैम्पो-1646 यूके07टीसी-1482	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.11.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
16.	श्री दिवान सिंह	यूपीसीओपी-1801 यूके07सीए-7049	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.12.2014	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
17.	श्री मगनदास	यूपीसीओपी-1132 यूके07सीए-2662	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
18.	श्री प्रकाश चन्द मैन्दोला	टैम्पो-725 यूके07टीए-9174	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-04.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
19.	श्रीमती सरिता अग्रवाल	टैम्पो-3850 यूके07टीए-7982	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
20.	श्री आबिद हसन	टैम्पो-4288 यूके07टीए-0156	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
21.	श्री चुन्नी लाल	टैम्पो-3750 यूके07टीए-7180	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
22.	श्री मनीश कुमार	टैम्पो-4186 यूके07टीए-8461	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
23.	मौ0 नदीम	टैम्पो-3970 यूके07टीए-7855	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
24.	श्री अमरीक सिंह	टैम्पो-3620 यूके07टीए-7805	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
25.	श्री विक्रम सिंह	पीएसटीपी-1455 यूए07डी-6285	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.11.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
26.	श्री सुरेन्द्र कुमार	मैक्सी-4143 यूके07टीए-5227	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.01.2015	अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन

27.	श्रीमती मिनाक्षी	टैम्पो-1139 यूके07टीए-4814	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
28.	श्री फिरोज खान	ऑटो-4618 यूके07टीए-4029	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.01.2015	अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड
29.	श्री सुल्तान सिंह राणा	टैम्पो-4173 यूके07टीए-9199	यातायात पुलिस दिनांक-06.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
30.	श्री बसारत	टैम्पो-3728 यूए07एम-2595	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
31.	श्री दिनेष कुमार	टैम्पो-399 यूके07टीए-8824	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.12.2014	निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
32.	श्री प्रीतम सिंह	टैम्पो-4508 यूके07टीसी-0122	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
33.	श्री जसविन्दर सिंह	पीपीयूसी-46519 यूके07सीए-7842	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.01.2015	अनिस्तारित	13890 किग्रा0 ओवरलोड
34.	श्री गोपेष्वर प्रसाद	मैक्सी-3206 यूके07टीए-4616	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
35.	श्री बलबीर सिंह	टैम्पो-4538 यूके07टीए-5714	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
36.	श्री लखविन्दर सिंह	ऑटो-4776 यूके07टीए-5049	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
37.	श्री मोहन कुमार	टैम्पो-3622 यूके07टीए-8073	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
38.	श्री चन्द्र मोहन सिंह	मैक्सी-5893 यूए07एस-0976	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
39.	श्री बिनेष	टैम्पो-2997 यूके07टीए-3605	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

	रावत				
40.	श्री सुधील मौर्य	मैक्सी-3661 यूए07एम-3326	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
41.	श्री सुनील कुमार षर्मा	टैम्पो-781 यूके07टीए-9231	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
42.	श्री जुल्फान	पीपीयूसी-45160 यूके07सीए-3901	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.01.2015	अनिस्तारित	14225 किग्रा0 ओवरलोड
43.	श्री दर्शन लाल	टैम्पो-2780 यूके07टीए-2141	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
44.	श्री शैलेन्द्र	टैम्पो-2750 यूए07आर-8697	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.10.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
45.	श्री राजेश पाल	टैम्पो- 4363 यूके07टीए-3297	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
46.	श्री राजीव जैन	ऑटो-4434 यूके07टीए-2507	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.12.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
47.	श्री सुरेन्द्र प्रकाश	टैम्पो-2929 यूके07टीए-3707	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
48.	श्री कुँवर सिंह	टैम्पो-4537 यूके07टीए-0490	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
49.	श्री राकेश सिंह	टैम्पो-1552 यूए07एल-6605	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
50.	श्री अमित कुमार षर्मा	टैम्पो-3829 यूके07टीए-9188	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
51.	श्री साहिब अब्बास	एपी-11663 यूके07सीए-7420	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.01.2015	अनिस्तारित	10820 किग्रा0 ओवरलोड
52.	लतिका राय मेमोरियल	पीपीआरएस-2176 यूके07यू-2004	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.02.2015	अनिस्तारित	फिटनेस समाप्त थी।

	फाउन्डेशन				
53.	श्री ऋषिपाल	टैम्पो-4454 यूके08टीए-0640	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.01.2015	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
54.	श्री अलताफ अहमद	टैम्पो-3152 यूके08जे-5551	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-31.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
55.	श्री कंचन तिवारी	टैम्पो-3643 यूके07टीए-6314	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
56.	श्री सुरेन्द्र प्रकाश	टैम्पो-2929 यूके07टीए-3707	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
57.	श्री गजेन्द्र सिंह	पीएसटीपी-4364 यूए07जी-7421	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.10.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
58.	श्री अनूप पंत	टैम्पो-2571 यूके07टीए-7867	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
59.	श्रीमती सावित्री देवी	मैक्सी-4199 यूके07टीए-5569	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.12.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
60.	श्री हरिष चन्द	मैक्सी-3401 यूके10टीए-0264	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-31.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
61.	श्री मौ0 इस्लाम	टैम्पो-3851 यूके07टीए-8449	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
62.	श्री अखलाक हसन	टैम्पो-3578 यूके07टीए-8403	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
63.	श्री षमषाद अली	टैम्पो-2223 यूके07टीए-9291	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
64.	श्री योगेश चौधरी	एनपी-11988 यूके07सीए-2257	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.02.2015	अनिस्तारित	8 टन ओवरलोड
65.	श्री प्याम सिंह	यूपीसीओपी-2071 यूके16सीए-0110	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.12.2014	अनिस्तारित	7 सवारी ओवरलोड
66.	श्री परविन्दर चौहान	टैम्पो-444 यूके07टीए-4156	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

67.	श्री हुकम सिंह	यूपीसीओपी-163 यूए07सी-8216	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
68.	श्री राकेश कुमार	टैम्पो-468 यूके07टीए-8023	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
69.	श्रीमती किरन षर्मा	टैम्पो-3611 यूके07टीए-5015	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
70.	गीता सूरी	मैक्सी-4520 यूके07टीए-5928	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
71.	श्री हरि बहादुर	टैम्पो-2629 यूके07टीए-0926	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
72.	श्री अमित कुमार	टैम्पो-2834 यूके07टीए-4811	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
73.	श्री अर्जुन सिंह	पीएसटीपी-1973 यूके07पीए-1970	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.01.2015	अनिस्तारित	15 सवारी ओवरलोड
74.	श्री सुमेर सिंह बिष्ट	मैक्सी-5591 यूके07एस-4163	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.01.2015	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
75.	पृथ्वीराज सिंह रांगड	मैक्सी-3422 यूके07टीसी-1916	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-31.12.2014	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
76.	श्री दलवीर सिंह	टैम्पो-4158 यूके07टीए-0855	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
77.	श्री रिजवान	टैम्पो-4300 यूके07टीए-4788	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
78.	श्री उत्तम सिंह	टैम्पो-3209 यूके08टीए-0193	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
79.	श्री देवेन्द्र ध्यानी	टैम्पो-2323 यूए07डी-3193	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
80.	श्री राकेश कुमार	ऑटो-6086 यूके07टीए-1455	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना
81.	प्यारे लाल	टैम्पो-3503 यूके07टीए-9158	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

					असुरक्षित संचालन
82.	श्री संजीव पाल	टैम्पो-2209 यूके07टीए-3822	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
83.	श्री राजेन्द्र	मैक्सी-3135 यूके10टीए-0235	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.12.2014	अनिस्तारित	10 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
84.	मौ0 शाहिद हसन	टैम्पो-2084 यूके07टीए-9294	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.11.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
85.	श्री षरद राणा	टैम्पो-4251 यूके07टीए-0735	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.03.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
86.	श्री मुसीर	ऑटो-3002 यूके07टीए-6216	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना
87.	श्री विश्वजीत	एनपी-9074 यूके08सीए-1718	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.10.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
88.	श्री योगेश राणा	टैम्पो-3153 यूके07टीए-2491	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
89.	श्री त्रिलोक सिंह	मैक्सी-3151 यूके07टीए-4539	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
90.	श्री मदन मोहन काला	पीएसटीपी-4340 यूके12पीए-0092	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.11.2014	अनिस्तारित	13 सवारियों को टिकट नहीं दिये गये। असुरक्षित संचालन
91.	श्री राकेश कुमार	मैक्सी-3157 यूके07टीए-4544	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.12.2014	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
92.	श्री बीर सिंह	मैक्सी-4943 यूके07टीए-0384	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.12.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
93.	श्री हरेन्द्र सिंह	मैक्सी-3628 यूए08एफ-9774	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
94.	श्री विरेन्द्र सिंह	मैक्सी-5342 यूए07एस-3747	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
95.	श्री सुरेश	टैम्पो-3968 यूपी07एल-9486	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.12.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन

	कुमार				
96.	श्री सरवर अली	टैम्पो-2518 यूके07टीए-3776	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
97.	श्री लाभ सिंह	टैम्पो-1360 यूए07जे-9976	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
98.	श्री अमरदीप	टैम्पो-2411 यूके07टीए-2719	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोडे
99.	श्री मंगत सिंह	टैम्पो-3228 यूके07टीए-4170	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
100.	श्री मनोज बडोनी	टैम्पो-3834 यूके07टीए-2376	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
101.	श्री बृज भूषण	पीएसटीपी-1927 यूके07पीए-0318	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.03.2015	अनिस्तारित	चालक ने बस मे से 20 सवारियां रास्ते में उतार दी यात्रियों को बिना किसी कारण के परेषान किया जा रहा था। परमिट के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति।
102.	श्री सूर्यमणी नौटियाल	मैक्सी-5817 यूके10टीए-0046	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
103.	श्री भगवान सिंह रावत	सीसी-4332 यूके07पीसी-720	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.11.2014	अनिस्तारित	10 सवारी ओवरलोड
104.	श्री विषाल अहमद	ऑटो-4086 यूके07टीए-4835	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना।
105.	श्रीमती रानी भारद्वाज	टैम्पो-4128 यूके07टीए-6816	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
106.	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो-430 यूके07टीए-4434	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
107.	श्रीमती	टैम्पो-1456 यूके07टीए-3405	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी I ओवरलोड

	तसनीय				
108.	श्री अमीर हुसैन	ऑटो-3017 यूके07टीए-7059	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-14.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना।
109.	श्री मौ0 फारूख	ऑटो-4496 यूके07टीए-2840	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना।
110.	श्री राजेन्द्र प्रसार	मैक्सी-4149 यूके07टीए-5502	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.01.2015	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
111.	श्री सूरत सिंह पंवार	पीएसटीपी-1855 यूए12-8399	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.11.2014	अनिस्तारित	किसी भी यात्रियो को टिकट नहीं दिया गया।
112.	श्री राकेष पाल	टैम्पो-2081 यूए07आर-8516	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
113.	श्री अर्जुन	टैम्पो-3193 यूके07टीए-7318	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
114.	श्री शम्भू प्रसाद	टैम्पो-2061 यूके07टीसी-0716	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
115.	श्री सुरेन्द्र दत्त नौटियाल	यूपीसीओपी-1603 यूए07टी-6693	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
116.	श्री महेन्द्र सिंह	यूपीसीओपी-1440 यूए07एल-3148	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
117.	श्री ललित कुमार	टैम्पो-3699 यूए07टी-6547	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
118.	श्री शिव सिंह	मैक्सी-4132 यूके07टीए-5486	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
119.	श्री राम षंकर	ऑटो-5849 यूके07टीए-1178	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना।
120.	श्री भरत सिंह नेगी	टैम्पो-3656 यूके07टीसी-2712	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
121.	श्री अजय	टैम्पो-3833 यूके07ए-8765	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

	सिंह रावत				
122.	श्री खुशी राम	टैम्पो-2436 यूके07टीए-3689	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-15.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
123.	श्री षम्मी कुमार धवन	टैम्पो-3817 यूके07टीए-0821	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-01.02.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
124.	श्री ताहिद हुसैन	टैम्पो-2405 यूके07टीए-1293	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-29.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
125.	श्री मौ0 गुलफाम	ऑटो-4570 यूके07टीए-3400	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-14.03.2015	अनिस्तारित	निर्धारित दर से अधिक किराया लेना।
126.	श्री मदन सोनकर	मैक्सी-3216 यूके07टीए-4605	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-16.02.2015	अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन वाहन की स्वस्थता समाप्त है।
127.	श्री मित्तर सिंह	यूपीसीओपी-1344 यूए08डी-9788	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-12.03.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
128.	श्री गोपाल सिंह भण्डारी	पीएसटीपी-1998 यूके07पीए-0478	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-27.11.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
129.	श्री बीरजीत सिंह	टैम्पो-4311 यूके07टीए-2321	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-10.04.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
130.	श्रीमती गोदाम्बरी देवी	मैक्सी-3188 यूके07टीए-4589	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-31.03.2015	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
131.	श्री विजय सिंह	पीएसटीपी-4180 यूए07आर-7033	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-27.12.2014	अनिस्तारित	8 सवारी ओवरलोड
132.	श्री सुभाष	मैक्सी-5405 यूए07एस-1247	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.12.2014	अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
133.	श्रीमती सुमित्रा नेगी	टैम्पो-2177 यूके07टीए-8715	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-04.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन

134.	श्री प्रदीप कुमार	टैम्पो-3839 यूए07टी-1761	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.04.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
135.	श्री अरविन्द कुमार	टैम्पो-3975 यूए07टी-3510	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.10.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
136.	श्री महावीर सिंह असवाल	मैक्सी-5341 यूके07एस-5418	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-14.12.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
137.	श्री सुरेन्द्र	टैम्पो-4522 यूके07टीसी-0698	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-31.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
138.	श्री मदन सिंह	मैक्सी-2478 यूके10टीए-0215	उपजिलाधिकारी उत्तरकाशी दिनांक-13.12.2014	अनिस्तारित	12 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
139.	श्री खुर्षीद अहमद	टैम्पो-3572 यूए07एम-7191	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.03.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
140.	श्री ओम प्रकाश	टैम्पो-3973 यूके07टीए-9272	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
141.	श्री यशोधर नौटियाल	मैक्सी-3961 यूके07टीए-5228	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-17.11.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
142.	श्री सतीष कुमार	टैम्पो-1144 यूए07एल-2448	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
143.	श्री रियाज अहमद	टैम्पो-3683 यूके07टीए-0719	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-28.12.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
144.	श्री बृजमोहन नेगी	मैक्सी-2734 यूके07टीए-1708	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
145.	श्री सूरज प्रकाश	टैम्पो-3554 यूके07टीए-2226	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-08.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
146.	श्री गजेन्द्र पाल	मैक्सी-6180 यूके10टीए-0476	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
147.	श्रीमती मनोद	पीएसटीपी-2152	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

	नौटियाल	यूके07टीए-5262			
148.	श्री गजेन्द्र सिंह भण्डारी	पीएसटीपी-4344 यूके07पीसी-518	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.02.2015	अनिस्तारित	8 सवारी ओवरलोड
149.	श्री सोहन लाल	टैम्पो-4321 यूके07सीसी-0851	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-23.02.2015	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
150.	श्री नरेन्द्र कुमार	टैम्पो-2073 यूके07टीए-8635	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.01.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
151.	श्री रोषन लाल	टैम्पो-3442 यूके07टीए-5889	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-13.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
152.	श्री विनोद सिंह	मैक्सी-6726 यूके16टीए-0050	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
153.	श्री रंजीत सिंह	टैम्पो-1554 यूके07टीए-2318	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-18.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
154.	श्री राकेश चन्द	टैम्पो-3557 यूके07टीए-7945	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
155.	श्रीमती कुसुम देवी	टैम्पो-4474 यूके07टीए-8562	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-08.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
156.	श्री विवेक जोशी	मैक्सी-4691 यूके07टीए-6231	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
157.	श्री सरदार मंजीत सिंह	टैम्पो-3635 यूके07टीए-3586	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.12.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
158.	श्री मनोज प्रसाद	मैक्सी-4103 यूके07टीए-5439	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.05.2015	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
159.	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो-3888 यूके07टीए-3284	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-16.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
160.	श्री मदन सिंह राणा	टैम्पो-2511 यूके07टीए-0695	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-17.04.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

161.	श्री धीरज षाही	मैक्सी-3665 यूए08एफ-9960	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-09.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
162.	श्री संजय उप्पल	टैम्पो-3692 यूके07टीए-3614	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-18.12.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
163.	श्री मौ0 हसन	पीएसटीपी-1842 यूए10-4813	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-07.01.2015	अनिस्तारित	किसी भी सवारी को टिकट वितरित नहीं करना।
164.	श्री कपिल दत्त	मैक्सी-3281 यूए07टीए-4746	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-31.03.2015	अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड
165.	श्री हीरेन्द्र कुमार	टैम्पो-2745 यूके08टीए-0627	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-20.02.2015	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
166.	श्री सुभाष चन्द	पीपीयूसी-44319 यूए07सी-9487	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-03.11.2014	अनिस्तारित	7055 किग्रा ओवरलोड भरा था।
167.	श्री रतन चन्द	टैम्पो-2786 यूके07टीसी-2887	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)दिनांक-27.02.2015	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
168.	श्री विवेक कुमार	पीएसटीपी 1879 यूके07पीए 1837	यातायात पुलिस, दिनांक 06.01.2015	अनिस्तारित	16 सवारी ओवरलोड
169.	श्री शुभम	पीपीयूसी 44980 यूके08सीए 3881	यातायात पुलिस दिनांक 14.11.2014	अनिस्तारित	13 टन ओवरलोड माल भरा

2. 02 से अधिक सवारी ढोने एवं अन्य परमिट शर्तों के उल्लंघन के अभियोग में दो बार चालान होने पर।

क्र0 सं0	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री राजेन्द्र कुमार	टैम्पो-4388 यूके07टीए-0468	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.12.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.03.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
2.	श्री राजू जयसवाल	टैम्पो-1514 यूके07टीए-7762	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.10.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन

			स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-12.01.2015	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
3.	श्री पंकज वालिया	टैम्पो-3981 यूके०७टीए-7267	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-15.10.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-03.11.2014	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
4.	श्री वीरेन्द्र चौहान	टैम्पो-3584 यूके०७टीए-8733	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-01.11.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-06.01.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
5.	श्री जाकिर हुसैन	टैम्पो-3784 यूके०७टीए-8766	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-08.12.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-14.02.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
6.	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	टैम्पो-2926 यूके०७टीए-2578	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-08.12.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-15.12.2014	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
7.	श्री विजय गुलाटी	टीपीसीओपी-4738 यूके०७टीए-6428	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-28.11.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-23.01.2015	निस्तारित अनिस्तारित (परमिट दिनांक 13.02. 2015 को समाप्त तथा नवीनीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत)	फुटकर सवारी का दुलान फुटकर सवारी का दुलान
8.	श्री निर्मल जुगरान	टीपीसीओपी-5286 यूके०७टीए-5726	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-19.11.2014	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

			स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-16.12.2014	अनिस्तारित	असुरक्षित संचालन
9.	मौ० उस्मान	टैम्पो-4081 यूके०७टीए-6649	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-28.12.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-10.03.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
10.	श्री गजेन्द्र सिंह	यूपीसीओपी-2074 यूके१६सीए-0097	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-13.12.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-18.12.2014	निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
11.	श्री सुखपाल सिंह	टैम्पो-2101 यूके०७टीए-3941	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-17.01.2015 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-12.03.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
12.	श्री नरेश कुमार	टैम्पो-767 यूके०७टीए-3690	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-06.02.2015 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-10.03.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
13.	श्री मौहम्मद छोटा	टैम्पो-3431 यूके०७टीए-3612	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-20.12.2014 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-13.04.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन 3 सवारी ओवरलोड
14.	श्री राहुल	मैक्सी-3165 यूके०७टीए-4572	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-25.03.2015 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-27.03.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
15.	श्री करम सिंह	टैम्पो-4451	स०स०प०अ०(प्रवर्तन)	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

		यूके07टीए-7370	दिनांक-16.02.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.11.2014	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
16.	श्री मौहम्मद बिलाल	टीपीसीओपी-5290 यूके08सीए-4041	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.03.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.04.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन
17.	श्री दीपक	टैम्पो-2941 यूके07टीए-3966	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.03.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.04.2015	अनिस्तारित अनिस्तारित	वाहन की फिटनेस की वैधता समाप्त। 3 सवारी ओवरलोड
18.	श्री नीतिन षर्मा	टैम्पो-2354 यूके07टीए-2446	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.11.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.03.2015	निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
19.	श्री ओम कुमार	टैम्पो-3745 यूके07टीए-7365	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.12.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.12.2014	अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
20.	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो-2339 यूके07टीए-3695	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.03.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.04.2015	निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
21.	श्री इन्द्रजीत सिंह	पीएसटीपी-2024 यूके07पीसी-0053	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.11.2014 यातायात पुलिस	अनिस्तारित अनिस्तारित	25 सवारी ओवरलोड 12 सवारी ओवरलोड

			दिनांक-07.01.2015		
--	--	--	-------------------	--	--

3. 03 से अधिक बार ओवरलोडिंग सवारी ढोने एवं अन्य परमिट शर्तों के उल्लंघन के अभियोग में चालान होने पर।

क्र० सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री सुभाष कुमार	मैक्सी-3149 यूके07टीए-4549	यातायात पुलिस दिनांक-13.02.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.12.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.04.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
2.	श्री संदीप वर्मा	टैम्पो-2186 यूके07टीए-8965	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.10.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.09.14	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, बैटक में जो भी निर्णय होगा, उन्हें मंजूर होगा)	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
3.	श्री विजय	टैम्पो-2625	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

	खन्ना	यूके07टीए-0949	दिनांक-05.11.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.04.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.05.2014	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
4.	श्री युनेन्द्र कुमार	टैम्पो-4242 यूके07टीए-6960	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.09.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.03.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड
5.	श्रीमती सरिता पाल	टैम्पो-3847 यूके07टीए-0386	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.04.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.07.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित (वाहन का परमिट दिनांक 16.12.2014 को समाप्त, नवीनीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत)	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड
6.	श्री हरेन्द्र कुमार	टैम्पो-2494 यूके07टीए-9213	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.08.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-31.12.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.05.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड

7.	श्री राजेश	टैम्पो-3980 यूके07टीए-6814	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.11.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.07.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
8.	श्री अरुण कुमार	टैम्पो-0516 यूके07टीए-1733	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.09.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.09.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.03.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
9.	श्री विनोद सिंह बिष्ट	टैम्पो-3961 यूके07क्यू-5262	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.07.2010 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.12.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.12.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड

10.	श्रीमती सर्वेप रानी	टैम्पो-152 यूके07टीए-6724	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.04.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
11.	श्री नदीम अली	टैम्पो-2024 यूके07टीए-5954	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा षपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा) वाहन का परमिट दिनांक 31.01.2015 को समाप्त तथा नवीनीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ।	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
12.	श्री षेर सिंह	टैम्पो-3195 यूके07टीए-3789	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.02.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.04.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.07.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया	2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

				गया है कि, बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	
13.	श्रीमती प्रमिला शर्मा	टैम्पो-3373 यूके07टीए-7942	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.07.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
14.	श्री रमेश सिंह	मैक्सी-4130 यूके07टीए-5480	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.03.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.09.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.08.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.12.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित (आरटीए की बैठक दि0 10.09.2014 के पश्चात प्रथम चालान)	2 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

15.	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार	यूपीसीओपी-1084 यूके07सीए-1787	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.11.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.01.2012 यातायात पुलिस दिनांक-20.06.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.05.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड 12 सवारी ओवरलोड
16.	श्री संजय	टैम्पो-3865 यूके07टीए-3318	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.03.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.01.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.07.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
17.	श्री तालिब	टैम्पो-2620 यूके07टीए-9401	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.03.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.02.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.09.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
18.	श्री फुरकान	टैम्पो-779 यूके07टीए-3785	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.10.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.10.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड

			दिनांक-10.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.09.2014	निस्तारित (आरटीए की बैठक दिनांक 10.09.14 मे परमिट को 04 माह के लिये निलम्बित कर दिया गया था) अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड	
19.	श्री रघुवीर सिंह रावत	यूपीसीओपी-1335	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.09.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.11.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.07.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.08.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.02.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 10 सवारी ओवरलोड	
20.	श्री राजेन्द्र कुमार	टैम्पो-3401 यूके07टीए-3629	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.09.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.02.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड (आरटीए की बैठक दिनांक 10. 09.14 मे परमिट को 04 माह के लिये निलम्बित कर दिया गया	

					था)	
21.	श्री नेहा मेहदीरत्ता	टेंम्पो-3904 यूए07एम-3870	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-12.11.2010 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.04.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-05.04.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड	
22.	श्री सुमेर सिंह	मैक्सी-3677 यूके10टीए-0274	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-31.10.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.12.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.12.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.06.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड	
23.	श्री संतोष जनक	मैक्सी-4259 यूके10टीए-0292	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.03.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-11.08.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.09.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड	

24.	श्री सोनू कुमार	टैम्पो-187 यूके07टीए-5434	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-22.11.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-20.12.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.01.2015	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की। 3 सवारी ओवरलोड लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की। लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की।
25.	श्री मोहम्मद तहसीन	टैम्पो-2825 यूके07टीए-8755	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.06.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.06.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.09.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा षपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी निर्णय होगा, उन्हें मंजूर होगा)	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
26.	श्री रतनदास	यूपीसीओपी-1435 यूए07एल-9059	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-25.02.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.01.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.09.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
27.	श्री रामानन्द कुकरेती	टैम्पो-3529 यूके07टीए-5178	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.01.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.01.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.03.2015	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड

28.	श्रीमती पूजा अग्रवाल	टैम्पो-0306 यूके07टीए-3735	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.01.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-06.02.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.04.2015	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
29.	श्री पंकज कुमार	टैम्पो-4280 यूए07ए-4526	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-08.02.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-16.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.07.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
30.	श्री शेरखान	टैम्पो-4413 यूके07टीए-6056	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-29.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-11.07.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.08.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
31.	श्री सुधीर भारद्वाज	टैम्पो-2983 यूके07टीए-4765	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.04.2012 यातायात पुलिस दिनांक-07.06.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.07.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड
32.	श्री भारत भूषण	मैक्सी-2661 यूए09-5599	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-24.01.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड

			दिनांक-14.06.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.09.2014	अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड	
33.	श्री सोमदत्त गुप्ता	टैम्पो-153 यूके07टीए-3882	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.11.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.12.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड फुटकर सवारी का दुलान 3 सवारी ओवरलोड फुटकर सवारी का दुलान 3 सवारी ओवरलोड फुटकर सवारी का दुलान	
34.	श्री हेमन्त कुमार	टैम्पो-2956 यूके07टीए-2496	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.02.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.04.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.01.2014	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड	
35.	श्रीमती संध्या पुण्डीर	टैम्पो-4382 यूके07टीए-3670	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.10.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.01.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.02.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.05.2015	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड फुटकर सवारी का दुलान 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन / फुटकर सवारी 3 सवारी ओवरलोड असुरक्षित संचालन / फुटकर सवारी	

अतः प्राधिकरण उक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-28 अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 की अनुपूरक कार्य सूची।

मद सं0 1(अनुपूरक)-देहरादून-रायपुर- मालदेवता मार्ग पर चालक को छोड़कर 06 से अधिक सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को स्थाई सवारी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह पुण्डीर तथा अन्य के प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.03.2015 में मद सं0 4 के अन्तर्गत देहरादून-रायपुर- मालदेवता मार्ग पर चालक को छोड़कर 06 से अधिक सवारी ढोने वाली चार पहिया हल्की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त श्री विजय पुण्डीर एवं अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 03.03.15 को प्रस्तुत किया गया था। श्री पुण्डीर ने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया था कि वर्ष 2011 से उनकी वाहनों को देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर अस्थाई मंजिली गाडी परमिट जारी किये जा रहे थे। परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उनको अस्थाई परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2319/14 दायर की थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2014 को आदेश पारित किये थे कि उनके अस्थाई परमिट के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 60 दिन में किया जाये। अपने प्रत्यावेदन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी वाहनों का संचालन बन्द है, जिससे उनको आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी वाहनों को अस्थाई/स्थाई परमिट जारी करने का आदेश पारित किये जायें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.01.2015 में सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया था कि टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमां, टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून अध्यक्ष तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून सदस्य होंगे। समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं मोटर गाडी अधिनियम एवं नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकार के वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सन्दर्भ में अपनी आख्या/मन्तव्य प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की आख्या को प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकरण के इन आदेशों के अनुपालन में गठित समिति ने आख्या प्रस्तुत की थी। जिसका निष्कर्ष निम्नवत है:-

“समिति मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(28), (40) एवं धारा 72 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 67 दिये गये प्राविधानों का अध्ययन करने के पश्चात सर्व सम्मति इस निर्णय पर पहुँची की छः से अधिक यात्रियों को ढोने वाली वाहनों मजिली गाडी श्रेणी में आती हैं। टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमां वाहनों जो छः से अधिक सवारियों ढोने के लिये निर्मित हैं, उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विक्रम टैम्पो वाहनों जिनमें बैठने की क्षमता चालक को छोड़कर छः से अधिक हो तथा उसके इंजन की क्षमता 25 घनमीटर से अधिक है ऐसी वाहनों मोटरयान की श्रेणी में आते हैं एवं इन वाहनों को स्टैज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। उपरोक्त रिट याचिकाओं में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 के आधार पर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमां एवं थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई है, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया। समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारियों को वहन करने वाले प्रत्येक टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम थ्री व्हीलर प्रकार की वाहनों हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 पालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मजिली गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।”

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25.03.15 में प्राधिकरण ने निम्न आदेश पारित किये थे:-

“ प्राधिकरण ने समिति की आख्या एवं शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 18.12.2014 पर विचार किया। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी विधिक राय में उल्लेख किया है कि जो टैम्पो थ्री व्हीलर, मैक्सिमां, टाटा मैजिक अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूरी करते हों उनके पक्ष में स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त राय से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा

विक्रम श्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारी ढोने वाली वाहनों को लिये निर्मित है, स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूर्ण करते हैं या नहीं।

प्राधिकरण ने मामले पर गम्भीरता से विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुँची कि **शासकीय अधिवक्ता से टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमाँ तथा श्री व्हीलर विक्रम टैम्पो वाहनों जो चालक को छोड़कर 06 से अधिक सवारी ढोने के लिये निर्मित एवं अधिकृत है को मंजिली गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पुनः उपरोक्त बिन्दु पर स्पष्ट विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।**

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं० 1080/आरटीए/दस-274/2015 दिनांक 24.04.2015 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की उक्त आख्या संलग्न कर शासकीय अधिवक्ता से अनुरोध किया गया था कि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमाँ तथा विक्रम श्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारी ढोने के लिये निर्मित है, स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूर्ण करते हैं या नहीं।

इस सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.05.2015 के द्वारा अपनी विधिक राय प्रेषित की है। जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया है कि **अधिनियम में दिये गये प्राविधानों/परिभाषा के अनुरूप टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमाँ तथा विक्रम श्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोड़कर (excluding the Driver) छः से अधिक सवारी ढोने वाले वाहन है, और इसी प्रयोजन के लिये निर्मित है, Stage Carriage की परिभाषा में आते हैं।**

अतः पुनः स्पष्ट करते हुए मैं इस मत का हूँ कि यदि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमाँ तथा श्री व्हीलर विक्रम टैम्पो जिनकी क्षमता विधिक रूप से ड्राइवर को छोड़कर (excluding the Driver) 6 सवारी से अधिक वहन करने की है तथा इंजन की 25 सी०सी० से अधिक शक्ति है, तो चाहे वह तीन पहिए या चार पहिए वाला वाहन हो को Stage Carriage की परिभाषा में माना जायगा और ऐसे वाहन Stage Carriage की परिभाषा में आते हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर वर्ष 2011 से चालक को छोड़कर 7/8 सीटर, चार पहिया 11 हल्के वाहनों को अस्थाई स्टैज कैरिज परमिट जारी किये गये जा रहे थे। परन्तु याचिका सं० 2076/14 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2014 के अनुपालन में इन वाहनों को अस्थाई स्टैज कैरिज परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं। मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं० 2076/14, 2119/14 एवं 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकि: उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या

टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व श्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नहीं? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टैज कैरीज की शर्तों को पूर्ण करती हों।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं0 2 (अनुपूरक)– बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 37 के अन्तर्गत बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून की आख्या के अनुसार सप्लाई डिपो से मिलिट्री हॉस्पिटल होते हुए डाकरा बाजार से कैंट थाना के निकट एक मार्ग निकलता है। इस मार्ग की लम्बाई मिलिट्री हॉस्पिटल से 1.5 किमी0 है। यह मार्ग हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उन्होने मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की थी। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि **बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग का विस्तार मिलिट्री हॉस्पिटल से डाकरा बाजार मार्ग संकरा होने के कारण मार्ग विस्तार किया जाना स्थगित किया जाता है एवं गढी चौक से दुर्गा मन्दिर मार्ग को वैकल्पिक विस्तार हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून से आख्या प्राप्त की जाये।**

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0 9749/आरटीए/दस-320(5)/2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को उक्त के सम्बन्ध में आख्या/मन्तव्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 मेमो/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/ 2015 दिनांक 16.05.2015 के द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है। जो निम्नवत है:-

1. यह मार्ग मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर से दांये से सीधे गढ़ीकैन्ट निकलता है। मिलिट्री हॉस्पिटल के निकट दांयी ओर से मार्ग पर ढाल है तथा ढाल पर मार्ग की कुल चौड़ाई 15 फीट है। मार्ग का 11 फीट भाग पक्का है। उससे आगे मार्ग 20 फीट चौड़ा है।
2. मिलिट्री हॉस्पिटल होते हुए गढ़ीकैन्ट चौक विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल दूरी 1.00 किमी० है। उक्त मार्ग पर गढ़ी बाजार, डाकरा आंशिक पडता है। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उक्त मार्ग काफी चौड़ा है किन्तु मार्ग पर कई स्थानों पर अतिक्रमण है।
3. मार्ग हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। मार्ग का विस्तार किया जा सकता है।
4. मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं० 3 (अनुपूरक)– पर्वतीय क्षेत्र में नवनिर्मित मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी/ उत्तरकाशी ने अपने-अपने पत्रों के द्वारा मार्ग सूची सं०-1 (ऋषिकेश केन्द्र) एवं मार्ग सूची सं०-4 (उत्तरकाशी केन्द्र) के परमिटों पर निम्नलिखित मार्गों को पृष्ठांकित करने हेतु संस्तुति की है:-

1. जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्ग:-

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी ने अपने पत्र सं० 788/ मार्ग सर्वे/2015 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा सूचित किया है कि **धारकोट-बंगद्वारा-कुराणी गाँव मोटर मार्ग (4.85 किमी०)** को उनके द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण श्री आर०सी० केलखुरा, सहायक अभियन्ता व श्री अनुप कुमार रावत, जे०ई०, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० नई टिहरी के साथ दिनांक 31.01.2015 विभागीय वाहन सं० यूए 07एच- 5300 से किया गया। उक्त मार्ग यातायात संचालन हेतु उपयुक्त है। अतः उक्त मोटर मार्ग पर यातायात संचालन विषयक संस्तुति की जाती है।

2. जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्ग:-

परिवहन कर अधिकारी-द्वितीय, सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं० 71/प्रशासन-याता-परमिट/14 दिनांक 12.02.15 के द्वारा पुजारा गॉव-गवणा- देवली- भाटगॉव धनारी मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.01.2015 को श्री सन्नी दयाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री रिजवान खान, अपर सहायक अभियन्ता के साथ उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा 8 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करा कर संलग्न कर उक्त मोटर मार्ग पर भार वाहनो के आवागमन की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 के मद संख्या 10 का परिशिष्ट "छ" के अन्तर्गत तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड-मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के विवरण

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	अन्य विवरण
1.	146	30.09.11	श्रीमती नीता पत्नी श्री सेवराज, तेलपुरा, विहारीगढ़, हरिद्वार।	
2.	2792	05.01.12	श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री मदनभूषण, नौकरी ग्रान्ट, रूडकी, हरिद्वार।	
3.	2793	05.01.12	श्री पवन पुत्र श्री चमनलाल, फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, हरिद्वार।	
4.	13827	18.12.06	श्री जय प्रकाश सैनी पुत्र श्री स्व० मंगत राम सैनी, बुग्गावाला, रूडकी, हरि०	
5.	12421	23.11.09	श्री राजपाल पुत्र श्री चमनलाल, फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, रूडकी, हरि०।	
6.	12423	23.11.09	श्रीमती ममता पत्नी श्री पवन कुमार, तेलपुरा, बुग्गावाला, रूडकी, हरि०।	
7.	4475	17.04.10	श्री इसरार पुत्र श्री सुल्तान, म० न०-4 लाल वाला, तहसील- रूडकी, हरि०।	
8.	4476	17.04.10	श्री अययूब पुत्र श्री सुल्तान, म० न०-9 लाल वाला, तहसील- रूडकी, हरि०।	
9.	4477	17.04.10	श्री वहीद पुत्र श्री फक्कर, ग्राम व पो० ओ०- बन्दर जूड, तहसील- रूडकी, हरि०।	
10.	14004	18.09.10	श्री नसीम पुत्र श्री सुल्तान, म० न०-136 मुहाजिदपुर, तहसील- रूडकी, हरि०।	
11.	14969	12.10.10	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मदन पाल, बंजारे वाला ग्रान्ट, भगवानपुर, हरि०।	
12.	04	13.06.13	मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, 66 गाँधी रोड़, देहरादून।	यूके 07पीए-0030
13.	05	13.06.13	मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, 66 गाँधी रोड़, देहरादून।	यूके 07पीए-0031
14.	1304	27.08.14	मौ० अनवर पुत्र श्री रसीद अहमद, 183 मुकरबूरपुर, रूडकी, हरिद्वार	
15.	1305	27.08.14	श्री दिलशाद पुत्र श्री मोहब्बत, 61 बेजपुर पिरान कलियर, रूडकी।	
16.	1306	27.08.14	श्री नीरज पुत्र श्री बिजेन्द्र, 99 ढण्डेरा, मिलापनगर, रूडकी, हरिद्वार।	
17.	1307	27.08.14	श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री सुरजन 96 ढण्डेरा, रूडकी, हरिद्वार।	
18.	1308	27.08.14	श्री सन्देश पुत्र श्री अजब सिंह, 12 नसीरपुर, अफजलपुर, मंगलौर, हरिद्वार।	
19.	1309	27.08.14	श्री शमीम पुत्र श्री मजर शाह, पिरान कलियर मुकरबूरपुर, रूडकी, हरिद्वार	
20.	1310	27.08.14	श्री विजय गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र, ए 95 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।	
21.	66	23.08.14	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री आन्नद कुमार 439 बहम्रपुरी, हरिद्वार।	
22.	173	25.08.14	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री चौहल सिंह मोहनपुर, रूडकी, देहरादून।	
23.	29	27.01.15	श्री सतीश पुत्र श्री इलम सिंह माजरी, पिरान कलियर, हरिद्वार।	

24.	30	27.01.15	मौ० खालिद अमीन पुत्र अब्दुल वहीद बैडपुर पिरान कलियर, रूडकी, हरिद्वार।	
25.	31	27.01.15	श्री सरफराज पुत्र हबीब फतेहपुर डांडा, इब्राहिमपुर, हरिद्वार।	
26.	32	27.01.15	श्री तेजपाल पुरी पुत्र श्री बिनोद पुरी, दौलतपुर बहादराबाद, हरिद्वार।	
27.	33	27.01.15	श्री सुलेख चन्द पुत्र श्री विशम्बर सिंह इब्राहिमपुर, हरिद्वार।	
28.	34	27.01.15	श्री तौकिर अमीन पुत्र श्री अब्दुल शहीद बैडपुर पिरान कलियर, हरिद्वार।	
29.	35	27.01.15	श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री शादी राम सैनी राजेन्द्र नगर, रूडकी, हरिद्वार।	
30.	36	27.01.15	श्री सुखपाल पुत्र श्री चन्द्रपाल माजरी भगवानपुर, हरिद्वार।	
31.	37	27.01.15	श्री विनोद पुरी पुत्र श्री इन्द्रराजपुरी, दौलतपुर बहादराबाद, हरिद्वार।	
32.	38	27.01.15	श्री वसीम पुत्र श्री मुनफेद पिरान कलियर रूडकी, हरिद्वार।	
33.	39	27.01.15	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री कदम सिंह माजरी गुमावाला, रूडकी	
34.	40	27.01.15	श्री प्रमोद पुत्र श्री सीता राम, धनौरी हरिद्वार।	
35.	41	27.01.15	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जग्गू दौलतपुर योगपीठ, हरिद्वार।	
36.	42	27.01.15	श्री मनोज गिरी स्व० श्री प्रेमगिरी, दौलतपुर बहादराबाद, हरिद्वार।	
37.	43	27.01.15	श्री सलीम पुत्र श्री मुनफेद पिरान कलियर, रूडकी, हरिद्वार।	
38.	178	14.05.15	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री शोभाराम नकरौंदा गूलरघाटी, देहरादून।	
39.	250	15.05.15	श्री वीर सिंह पुत्र स्व श्री दौलत राम, वालावाला, देहरादून।	
40.	323	16.05.15	श्रीमती बाबी पत्नी श्री सुभाष कुमार, 29 डी०एल० रोड, देहरादून।	अनु०जाति०
41.	320	16.05.15	श्री सरिता पत्नी स्व० श्री अजय सिंह, 29 डी०एल० रोड, देहरादून।	अनु०जाति०
42.	321	16.05.15	श्री राकेश कंसवाल पुत्र श्री देवेन्द्र दत्त 24/48 धर्मपुर, देहरादून।	
43.	532	16.05.15	श्री इन्द्रपाल पुत्र श्री मोलहद सिंह, 117 चमनपुर रूडकी।	
44.	574	16.05.15	श्री राहुल सिंह पुत्र श्री सुभाष सिंह, विष्णु घाटी, हरिद्वार।	

सचिव,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 25.05.2015 के मद संख्या-11का परिशिष्ट "ज"
परेड ग्राउन्ड-प्रेमनगर-सेलाकुई नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण।

क्र० सं०	कोर्ट फीस नं०	प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की तिथि	नाम व पता	टिप्पणी
1.	19782	07.01.09	श्रीमती निशी प्रभा पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह निवासी केदारपुर मोथरोवाला देहरादून।	
2.	20425	17.01.09	श्री केनी हाईफिल्ड पुत्र श्री आर ए हाईफिल्ड निवासी 144 राजीव नगर देहरादून।	
3.	20818	19.01.09	श्री विजय यादव पुत्र श्री परमेश्वर निवासी 60 विजय कालोनी देहरादून।	
4.	21046	21.01.09	श्री अमजद खान पुत्र श्री अजमत खान निवासी लोअर अधोईवाला दिव्या बिहार देहरादून।	
5.	21193	23.01.09	श्रीमती रोजेलिण्ड हाईफिल्ड पत्नी श्री हरिन्द्र मोहन राय, 5 डिक रोड डालनवाला देहरादून।	
6.	22440	10.02.09	कु आरती पुत्री श्री नाथी सिंह निवासी 79 लोअर नत्थनपुर देहरादून।	
7.	22449	10.02.09	श्री भीम सिंह पुत्र श्री नाथी सिंह निवासी लोअर नत्थनपुर देहरादून।	
8.	23448	02.03.09	श्री जोगेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री शमशेर सिंह निवासी ओली रायपुर देहरादून।	
9.	23869	07.03.09	श्री बसीर अहमद पुत्र श्री अजीमू दीन निवासी माजरा मस्जिद वाली गली देहरादून।	
10.	23990	09.03.09	श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री रंगगी लाल निवासी 47 डोडा लंखोड गुजराडा देहरादून।	
11.	24429	19.03.09	श्री जुनैद आलम पुत्र श्री गुलिस्तां निवासी माजरा देहरादून।	
12.	24668	20.03.09	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नाथी सिंह निवासी सीआईबीएस नत्थनपुर देहरादून।	
13.	24671	20.03.09	श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री जी एन शर्मा निवासी 264 नत्थनपुर देहरादून।	
14.	24850	24.03.09	श्री राकेश गोयल पुत्र स्व श्री रामनाथ गोयल निवासी 58/1 कांवली रोड देहरादून।	
15.	25200	31.03.09	श्री पवन गुरुंग पुत्र श्री जंग बहादुर निवासी 34 संजय कालोनी मोहिनी रोड देहरादून।	
16.	25210	31.03.09	श्रीमती रागिनी सिंधल पत्नी श्री संजीव सिंधल निवासी चमनपुरी पटेलनगर देहरादून।	
17.	958	23.04.09	श्री गगन चावला पुत्र श्री के एल चावला निवासी 85 टीएचडीसी कालोनी देहरादून।	
18.	1090	25.04.09	श्रीमती अंजु यादव पत्नी श्री विनोद यादव निवासी 27 बाडी गार्ड कैनाल रोड देहरादून।	
19.	3674	01.06.09	श्री पंकज गोयल पुत्र श्री रमेश चन्द गोयल निवासी मेन बाजार विकासनगर देहरादून।	
20.	8195	12.10.06	श्री अनुज कुमार बंसल पुत्र श्री राज कुमार 2/9 काली मन्दिर जीएमएस रोड देहरादून।	
21.	8362	13.10.09	श्री गुरु प्रसाद तिवारी पुत्र श्री पूरनानन्द तिवारी निवासी 258 डाकरा बाजार देहरादून।	
22.	8377	13.10.09	श्री योगेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कान्ता प्रसाद गुप्ता, 283 तिलक बाजार, सुभाष रोड देहरादून।	
23.	8946	15.10.09	श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रवि कान्त गर्ग निवासी हास्पीटल रोड विकासनगर देहरादून।	

24.	9078	15.10.09	श्री शाहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर देहरादून।	
25.	9079	15.10.09	श्री अरशद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर देहरादून।	
26.	9444	15.10.09	श्री बलबिन्दर खत्री पुत्र श्री सूरज प्रकाश निवासी 6/2 जनरल विंग देहरादून।	
27.	9445	15.10.09	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बंशीलाल निवासी 7/2 स्पेशल विंग प्रेमनगर देहरादून।	
28.	9459	15.10.09	श्री सयैद फरहत अली पुत्र श्री सैयद इसरत अली निवासी 1/59 टैगोर विला देहरादून।	
29.	9482	15.10.09	श्री सुरेन्द्र कुमार जिन्दल पुत्र श्री लेखराज जिन्दल, 25ए महंत रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
30.	10100	16.10.09	श्री अजय मिश्रा पुत्र श्री सी बी मिश्रा निवासी 20 बकरालवाला देहरादून।	
31.	10103	16.10.09	श्री बलबिन्दर खत्री पुत्र श्री सूरज प्रकाश निवासी 6/2 जनरल विंग प्रेमनगर देहरादून।	
32.	11241	05.11.09	श्री सुरेन्द्र कुमार जिन्दल पुत्र श्री लेखराज जिन्दल, 25ए महंत रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
33.	11302	05.11.09	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री बी एस रावत निवासी 172/4 ओल्ड डालनवाला देहरादून।	
34.	12624	30.11.09	श्री ओमप्रकाश पुत्र सेमवाल पुत्र श्री पी0डी0सेमवाल निवासी पौधा देहरादून।	
35.	12625	30.11.09	श्री महेश पाल मैनी पुत्र श्री के एल मैनी निवासी विंग न0 6 प्रेमनगर देहरादून।	
36.	12626	30.11.09	श्री कुलबिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह निवासी विंग न0 7 प्रेमनगर देहरादून।	
37.	12627	30.11.09	कु0 स्वाति ठाकुर पुत्री श्री नरेश कुमार निवासी पंडितवाडी देहरादून।	
38.	12628	30.11.09	श्री अनूप कुमार पुत्र श्री बीर सिंह निवासी धूलकोट देहरादून।	
39.	12629	30.11.09	श्री दानवीर सिंह नेगी पुत्र श्री जे एस नेगी निवासी प्यामपुर देहरादून।	
40.	12630	30.11.09	श्री मोहन सिंह पंचवाण पुत्र स्व श्री बीर सिंह पंचवाण, 3/8 प्रेमनगर जनरल विंग देहरादून।	
41.	12631	30.11.09	श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री दानवीर सिंह निवासी श्यामपुर देहरादून।	
42.	12983	09.12.09	श्री शीला मोधा पत्नी श्री बृज लाल मोधा निवासी 195 इन्द्रा नगर नव बिहार देहरादून।	
43.	12984	09.12.09	श्री शीतल मोधा पुत्री श्री बृज लाल मोधा निवासी 195 इन्द्रा नगर नव बिहार देहरादून।	
44.	12985	09.12.09	श्री हेमलता मोधा पत्नी श्री बृज लाल मोधा निवासी 195 इन्द्रा नगर नव बिहार देहरादून।	
45.	4578	19.04.10	श्री राजकुमार पुत्र श्री धरमपाल निवासी बालावाला देहरादून।	
46.	4579	19.04.10	श्री रधुवीर नेगी पुत्र श्री कुशल सिंह नेगी निवासी 65 डोभालवाला देहरादून।	
47.	4582	19.04.10	श्री मिजाजी लाल पुत्र स्व श्री मुंशी राम निवासी मटक माजरी कुल्हाल देहरादून।	
48.	4583	19.04.10	श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री मिजाजी लाल निवासी मटक माजरी कुल्हाल देहरादून।	
49.	4585	19.04.10	श्री सतेन्द्र शर्मा पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश, हाईडिल कालोनी मटक माजरी कुल्हाल देहरादून।	
50.	4586	19.04.10	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री विजय सिंह, हाईडिल कालोनी मटक माजरी कुल्हाल देहरादून।	
51.	4588	19.04.10	श्रीमती कामिनि टंडन पत्नी श्री विवेक टंडन निवासी 91 मुस्लिम बस्ती विकासनगर देहरादून।	
52.	4720	19.04.10	श्रीमती आंचल शार्मा पत्नी श्री जनार्दन शर्मा, म0 न0 84 वार्ड न0 7 विकासनगर देहरादून।	

53.	4721	19.04.10	श्री राजीव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी म0न0 2 वार्ड न0 7 विकासनगर देहरादून।	
54.	4797	20.04.10	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री जी एस भण्डारी निवासी 186 नेहरु कालोनी देहरादून।	
55.	4798	20.04.10	श्रीमती रेखा पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी संतोष कुमार आई आई पी मोहकमपुर देहरादून।	अनु0जाति0
56.	4799	20.04.10	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द निवासी 613 राजेन्द्र नगर देहरादून।	
57.	4800	20.04.10	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल निवासी 152/1 डी एल रोड देहरादून।	
58.	4801	20.04.10	श्री विश्वनाथ चमोली पुत्र श्री शोभाराम चमोली निवासी 139 स्मिथ नगर देहरादून।	
59.	4802	20.04.10	श्री मायाराम पन्त पुत्र स्वा श्री दत्त राम पन्त निवासी 35 पंडितवाडी देहरादून।	
60.	4803	20.04.10	श्रीमती दर्शनी देवी पत्नी श्री माया राम पन्त निवासी 35 पंडितवाडी देहरादून।	
61.	4804	20.04.10	श्री राजेन्द्र भट्ट पुत्र श्री बी डी भट्ट निवासी 49 सुमन नगर देहरादून।	
62.	4805	20.04.10	श्री नरेश कुमार पुण्डी पुत्र श्री एल एस पुण्डीर 243 कैनाल रोड निकट बाईपास देहरादून।	
63.	4806	20.04.10	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री सदानन्द निवासी 24/3 सहारनपुर रोड देहरादून।	
64.	4807	20.04.10	श्री सुधीर भारद्वाज पुत्र स्व श्री ए आर भारद्वाज निवासी 132 सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।	
65.	4808	20.04.10	श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश निवासी रेडापुर सहसपुर देहरादून।	
66.	4809	20.04.10	श्री जगदी यादव पुत्र श्री वासुदेव यादव निवासी 71/4 राजपुर रोड देहरादून।	
67.	4810	20.04.10	श्री महेन्द्र गोयल पुत्र श्री हरबिलास गोयल, अजीत नगर बाबू गढ विकासनगर देहरादून।	
68.	4811	20.04.10	श्रीमती नीरु गोयल पत्नी श्री महेन्द्र गोयल, अजीत नगर बाबू गढ विकासनगर देहरादून।	
69.	4812	20.04.10	श्रीमती आरती पत्नी श्री प्रवीन कुमार निवासी रेडापुर सहसपुर देहरादून।	
70.	4812(अ)	20.04.10	श्री कुलदेव सिंह केन्तुरा पुत्र श्री कृपाल सिंह, माजरी माफी आईआईपी मोहकमपुर देहरादून।	भूतपूर्व सैनिक
71.	4813	20.04.10	श्री सत्या सिंह केन्तुरा पुत्र स्वा श्री रुप चन्द सिंह निवासी हरिपुर पो0 सेलाकुई देहरादून।	भूतपूर्व सैनिक
72.	4814	20.04.10	श्री बिजेन्द्र सिंह कैरो पुत्र श्री हरदेव सिंह कैरो निवासी विंग न0 3 37बी प्रेमनगर देहरादून।	
73.	4815	20.04.10	श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री निका राम 125 प्रेमनगर वार्ड न0 3 स्पेशल विंग प्रेमनगर देहरादून।	
74.	4816	20.04.10	श्रीमती सारिका पंवार पत्नी श्री कमल सिंह पंवार निवासी तरला नागल कुल्हान देहरादून।	
75.	4817	20.04.10	श्री कमल सिंह पंवार पुत्र श्री पूरन सिंह पंवार निवासी तरला नागल कुल्हान देहरादून	
76.	4841	20.04.10	श्रीमती कमलेश सिंधल पत्नी श्री रोशन लाल सिंधल आशीर्वाद हाउस, हरबर्टपुर देहरादून।	
77.	4910	21.04.10	श्रीमती मिथिलेश रानी पत्नी श्री भूषण कुमार निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।	
78.	4911	21.04.10	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।	
79.	4912	21.04.10	श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी एम अग्रवाल निवासी 23/12 कारबारी बाजार रुडकी।	
80.	4913	21.04.10	श्री अरुण कुमार पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी बालावाला देहरादून।	
81.	4914	21.04.10	श्री मोहित जायसवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल 27 पी0डी0 टंडन मार्ग लक्ष्मन चौक देहरादून।	

82.	4915	21.04.10	श्री उमेश पन्त पुत्र श्री वीर सिंह निवासी राजावाला देहरादून।	पिछडी जाति
83.	4916	21.04.10	श्रीमती संगीता गोयल पत्नी श्री अनूप गोयल निवासी 16/3 ई0सी0 रोड देहरादून।	
84.	4917	21.04.10	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासी 42 नसरुलपुरा लक्सर देहरादून।	
85.	4918	21.04.10	श्री सन्नी पुत्र श्री मुकेश निवासी 39 नसरुलापुर लक्सर देहरादून।	
86.	4926	21.04.10	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बचन निवासी नयागांव जस्सोवाला हरबर्टपुर देहरादून।	
87.	4949	21.04.10	मो0 शमरेज पुत्र श्री सईद अहमद निवासी 116 हरिपुर कालसी देहरादून।	
88.	4936	21.04.10	श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री अंतु राम निवासी 116 आसन बाग हरबर्टपुर देहरादून।	
89.	4937	21.04.10	श्री गौरव गुप्ता पुत्र स्व श्री आनन्द स्वरुप निवासी 79/78 अखाडा मौहल्ला देहरादून।	
90.	4938	21.04.10	सैयद अजीम उलशन पुत्र श्री अली काशनी निवासी सेवलाखुर्द देहरादून।	
91.	4939	21.04.10	डा0 इकबाल सिद्दीकी पुत्र कर्नल एम एस सिद्दीकी निवासी 528 सहसपुर आंशिक देहरादून।	
92.	4640	21.04.10	श्रीमती रेनु पत्नी श्री रजनीश निवासी 233 वार्ड न0 8 विकासनगर देहरादून।	
93.	4941	21.04.10	श्री बनवारी लाल पुत्र स्व श्री किशन लाल 365 बंसत बिहार पंडितवाडी आंशिक देहरादून।	
94.	4942	21.04.10	श्री जमशेद पुत्र श्री शैकत अली निवासी लाइन जीवनगढ विकासनगर देहरादून।	
95.	4943	21.04.10	श्री अनोज कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी 122 गुरुद्वारा गांधी ग्राम आंशिक देहरादून।	
96.	4944	21.04.10	श्री मोहित जैन पुत्र श्री कुंवरपाल जैन निवासी 4-1क पहाडी गली विकासनगर देहरादून।	
97.	4945	21.04.10	श्री संजय कुमार पुत्र श्री कुलवंत राय निवासी 159 शंकरपुर हरबर्टपुर देहरादून।	
98.	4946	21.04.10	श्री कुंवरपाल जैन पुत्र स्वा श्री कैलाश जैन 4-1क पहाडी गली विकासनगर देहरादून।	
99.	4948	21.04.10	श्री अमित डोभाल पुत्र श्री के डी डोभाल निवासी 297/II वंसत बिहार पंडितवाडी देहरादून।	
100.	4950	21.04.10	मौ0 कासिम पुत्र श्री दीन मोहम्मद निवासी लाइन जीवनगढ विकासनगर देहरादून।	
101.	4951	21.04.10	श्री कपलेश पुत्र श्री जगत निवासी 417 इन्द्रा नगर देहरादून।	
102.	4952	21.04.10	श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री भगवान सिंह निवासी 9 मालसी देहरादून।	
103.	4953	21.04.10	श्री के शह पुत्र श्री एम ए शह निवासी हरिपुर कालसी देहरादून।	
104.	4955	21.04.10	श्री इमरान खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी 30 शिमला इनक्लेव बाईपास रोड देहरादून।	
105.	4957	21.04.10	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री राममेहर सिंह निवासी 128 न्यू पटेल नगर देहरादून।	
106.	4958	21.04.10	श्रीमती सारिका पन्त पत्नी श्री आशेष पन्त निवासी 1108 इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून।	
107.	4960	21.04.10	श्री दयाशंकर लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व श्री राम गुलाम श्रीवास्तव तपोवन रोड रायपुर देहरादून।	
108.	4961	21.04.10	श्री सुनील सिंह आर्य पुत्र श्री मोहन सिंह आर्य, 20/2 इन्दिरा कालोनी चक्खूवाला देहरादून।	
109.	4962	21.04.10	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोहन सिंह आर्य, 20/2 इन्दिरा कालोनी चक्खूवाला देहरादून।	

110.	4964	21.04.10	श्री श्मी कुमार पुत्र श्री जी एल धवन निवासी ए 88 नेहरु कालोनी देहरादून।	
111.	4965	21.04.10	श्री राकेश कुमार पाल पुत्र श्री दर्शन सिंह पाल निवासी 210 धर्मचक डोईवाला देहरादून।	
112.	4966	21.04.10	श्री विरेन्द्र थापा पुत्र श्री प्रेमसिंह थापा निवासी मेहुवाला माफी देहरादून।	
113.	4970	21.04.10	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी 198 चक्खूवाला देहरादून।	अनु0जाति0
114.	4971	21.04.10	श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी दौडवाला मोथरोवाला देहरादून।	
115.	4973	21.04.10	श्रीमती रिमझिम पत्नी श्री सुभाष चन्द्र निवासी हरवाला कुआंवाला देहरादून।	अनु0जाति0
116.	4981	21.04.10	श्री भारत चौधरी पुत्र श्री नाथी राम माजरी माफी पो0 आई0आई0पी0 मोहकमपुर देहरादून।	
117.	4990	21.04.10	श्री जबर सिंह रावत एवम् श्रीमती शाकुम्बरी देवी निवासी 63 एफ राजपुर रोड देहरादून।	
118.	4991	21.04.10	श्रीमती केवल पत्नी श्री सोहन लाल निवासी 4/1 डंगवाल मार्ग देहरादून।	
119.	4992	21.04.10	श्री केवल ओबराय पुत्र स्व श्री के एल ओबराय, 4/3 चन्दर रोड डालनवाला देहरादून।	
120.	4993	21.04.10	श्री सोम प्रकाश उनियाल पुत्र श्री आर एल उनियाल गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
121.	4994	21.04.10	श्री कुलदीप पुत्र श्री उत्तम सिंह राणा निवासी मेहुवाला माफी देहरादून।	
122.	4995	21.04.10	श्रीमती बख्शी कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह निवासी 31 हरिद्वार रोड देहरादून।	
123.	4996	21.04.10	श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा पुत्र स्व श्री करम चन्द मल्होत्रा निवासी 64 रिठा मण्डी देहरादून।	
124.	4997	21.04.10	श्री अनिल कुमार प्रजापति पुत्र श्री भारत प्रजापति, 89 ब्लाक-ए रेसकोर्स नई बस्ती देहरादून।	
125.	4999	21.04.10	श्री सुनील कुमार प्रजापति पुत्र श्री भारत प्रजापति 89 ब्लाक-ए रेसकोर्स नई बस्ती देहरादून।	
126.	5000	21.04.10	श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व श्री गजेन्द्र सिंह निवासी ठाकुरपुर पो0 उमेदपुर देहरादून।	
127.	5001	21.04.10	श्री आशीष भाटिया पुत्र श्री राजेश कुमार भाटिया विंग नं0 3 15/1 प्रेमनगर देहरादून।	
128.	5002	21.04.10	श्री सुनील कुमार पुत्र स्व श्री नन्द लाल निवासी माजरी माफी मोहकमपुर देहरादून।	
129.	5003	21.04.10	श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशन दास गुप्ता, गली नं0 4 जोगीवाला देहरादून।	
130.	5004	21.04.10	श्री अंकित चौरसिया पुत्र श्री सत्यवान चौरसिया, चौक बाजार हरबर्टपुर विकासनगर देहरादून।	
131.	5005	21.04.10	श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह, सरस्वती बिहार, हरिपुर हरबर्टपुर विकासनगर देहरादून।	
132.	5006	21.04.10	श्री विजय शर्मा पुत्र श्री सदानन्द निवासी सहसपुर विकासनगर देहरादून।	
133.	5007	21.04.10	श्री अंकुर चौरसिया पुत्र श्री राजकुमार चौरसिया निवासी हरबर्टपुर विकासनगर देहरादून।	
134.	5008	21.04.10	श्री रमेश तोपवाल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह अटुरवाला खांड भानियावाला बौराडी, देहरादून।	
135.	5009	21.04.10	श्री हरीश शर्मा पुत्र श्री अरुण शर्मा निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।	
136.	5010	21.04.10	श्री करमा भूटिया पुत्र श्री सिलिंग भूटिया निवासी सहरूत्रधारा रोड गुजराडा देहरादून।	
137.	5011	21.04.10	श्री कन्हैया लाल यादव पुत्र श्री एच पी यादव निवासी 46/1 मोहिनी रोड देहरादून।	

138.	5012	21.04.10	श्री सचिन थापा पुत्र श्री हरि प्रसाद थापा निवासी हरिपुर नवादा आई पी पी देहरादून।	
139.	5184	22.04.10	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह निवासी 206 अजबपुर कलां देहरादून।	
140.	5191	22.04.10	मुमसेद अली पुत्र श्री श्मशद अली निवासी रामपुर देहरादून।	
141.	5192	22.04.10	श्रीमती संगीता पाल श्री महेन्द्र पाल निवासी ढालीपुर देहरादून।	
142.	5193	22.04.10	जमशेद अली पुत्र श्री श्मशद अली निवासी रामपुर देहरादून।	
143.	5194	22.04.10	श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रवि कांत गर्ग निवासी हास्पीटल रोड विकासनगर देहरादून।	
144.	5196	22.04.10	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी ढालीपुर देहरादून।	
145.	5197	22.04.10	श्री नवदीप अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन लाल गुप्ता निवासी शिवपुरी डाकपत्थर देहरादून।	
146.	5198	22.04.10	श्री ईलम चन्द पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी ढालीपुर देहरादून।	
147.	5200	22.04.10	श्रीमती बाला शर्मा पत्नी श्री नन्दलाला शर्मा निवासी भगवानपुर राजावाला देहरादून।	
148.	5201	22.04.10	श्री मनोज पुत्र श्री सुरेश निवासी 35 विंग ने01 डाकपत्थर रोड विकासनगर देहरादून।	
149.	5202	22.04.10	श्री सुभाष उनियाल पुत्र श्री आर एल उनियाल निवासी गुजरा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
150.	5203	22.04.10	श्री अनूप गोस्वामी पुत्र श्री राजेन्द्र गोस्वामी निवासी आमावाला तपोवन नालापानी देहरादून।	
151.	5205	22.04.10	श्री विरेन्द्र सिंह गुसाई पुत्र श्री एन एस गुसाई, 156 माजरी माफी आईआईपी देहरादून।	
152.	5206	22.04.10	श्रीमती रीना भारद्वाज पत्नी श्री अष्वनी भारद्वाज निवासी 27 पो. माजरा देहरादून।	
153.	5207	22.04.10	श्री सन्दीप सिंह बोहरा पुत्र श्री श्याम सिंह बोहरा 26/19 राजपुर, कैनाल रोड, देहरादून।	
154.	5208	22.04.10	श्रीमती प्रीति कुल्हान पत्नी श्री अरविन्द कुल्हान निवासी आमावाला माजला रायपुर देहरादून।	
155.	5211	22.04.10	श्रीमती प्रीति भारद्वाज पत्नी श्री आदेश भारद्वाज निवासी म न0 27 पो0 माजरा देहरादून।	
156.	5214	22.04.10	श्री विजयंत शर्मा पुत्र श्री एच एम शर्मा निवासी 72 नेशविला रोड देहरादून।	
157.	5217	22.04.10	श्री सुशिल कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी 128/4 खुडबुडा मोहला देहरादून।	
158.	5218	22.04.10	श्री राहत सिंह पुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी 199 मोहकमपुर आदमपुर झबरेडा रोड हरिद्वार।	
159.	5219	22.04.10	श्रीमती बालेश देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार निवासी 148/4 मानकपुर आदमपुर रुडकी हरिद्वार।	
160.	5220	22.04.10	श्रीमती सुदेशना देवी पत्नी श्री धर्मपाल सिंह, 148/4 मानकपुर आदमपुर रुडकी हरिद्वार।	
161.	5221	22.04.10	श्रीमती सरस्वती बिष्ट पत्नी श्री बलबीर सिंह बिष्ट, 126 अशोक बिहार अजबपुर कलां देहरादून	
162.	5222	22.04.10	श्रीमती सन्तोष बिष्ट पत्नी श्री मनमोहन बिष्ट निवासी 47/3 सालावाला देहरादून।	
163.	5225	22.04.10	मौ0 तालिब पुत्र श्री अब्दुल वाहिद निवासी आजाद नगर कालोनी अधोईवाला देहरादून।	
164.	5226	22.04.10	श्री हीरा लाल पुत्र श्री चन्दर प्रकाश निवासी 81 एमडीडीए कालोनी देहरादून।	अनु0जाति0
165.	5228	22.04.10	श्री कमल कुमार पुत्र श्री चन्दर प्रकाश निवासी 81 एमडीडीए कालोनी देहरादून।	
166.	5229	22.04.10	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी 14/3 मन्नु गंज देहरादून।	

167.	5231	22.04.10	श्रीमती रीता पत्नी श्री कमल कुमार 80 एमडीडीए लक्ष्मन चोक देहरादून।	
168.	5233	22.04.10	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जे 75 हाथीबडकला देहरादून।	
169.	5239	22.04.10	श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी श्री श्रीमन नारायण गुप्ता 79/78 अखाडा मोहल्ला कैन्ट देहरादून।	
170.	5240	22.04.10	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन निवासी कुडकावाला डोईवाला देहरादून।	
171.	5241	22.04.10	श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री अनन्तराम शर्मा एवं श्री विजय गोयल पुत्र स्व श्री के सी गोयल निवासी 127 देहरादून।	
172.	5243	22.04.10	श्री अष्वनी शर्मा पुत्र श्री ईश्वर चन्द शर्मा न्यू शिवमंदिर रायपुर दे0दून।	
173.	5244	22.04.10	श्रीमती संपति देवी पत्नी स्व श्री उत्तम सिंह नेगी निवासी सालावाला देहरादून।	
174.	5246	22.04.10	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व श्री हीरा सिंह निवासी 71ए ऋशिनगर रायपुर देहरादून।	अनु0जाति0
175.	5247	22.04.10	श्री इन्दरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरबख्शा सिंह निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।	
176.	5253	22.04.10	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह निवासी 171 ई0सी0रोड देहरादून।	
177.	5255	22.04.10	श्री कश्मिश्रा पुत्र श्री अरुण मिश्रा निवासी 20 बकरानवाला देहरादून।	
178.	5256	22.04.10	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्योति सिंह निवासी 37/21 किशन नगर देहरादून।	
179.	5250	22.04.10	श्री विजय मिश्रा पुत्र श्री सी बी मिश्रा निवासी 20 बकरानवाला देहरादून।	
180.	5260	22.04.10	श्री प्रवीन कुमार भगत पुत्र श्री आयाराम भगत निवासी 44 पटेलनगर देहरादून।	
181.	5261	22.04.10	श्री असलम शह पुत्र श्री एम शह निवासी सी 15 टर्नर रोड देहरादून।	
182.	5262	22.04.10	श्री पप्पू सिंह कन्नौजिया पुत्र श्री सुखराम कन्नौजिय 16 डी भण्डारी बाग कालोनी देहरादून।	
183.	5263	22.04.10	श्री इरशद पुत्र श्री मुंशी शाह निवासी माजरा राम मन्दिर देहरादून।	
184.	5266	22.04.10	श्री सुरेन्द्र कुमार जिंदल पुत्र स्व श्री लेखराज जिन्दल 25ए मंहत रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
185.	5269	22.04.10	श्री विशल थापा पुत्र श्री के बी थापा निवासी लच्छीवाला डोईवाला देहरादून।	
186.	5274	22.04.10	श्रीमती पूनम पत्नी श्री रणजीत सिंह निवासी 09 खदरी मोहला सहारनपुर चौक देहरादून।	
187.	5277	22.04.10	कु सीमा पत्नी श्री इन्द्रजीत निवासी 09 खदरी मोहला सहारनपुर चौक देहरादून।	
188.	5283	22.04.10	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल निवासी 19 न्यू पटेलनगर देहरादून।	
189.	5284	22.04.10	श्री राजीव सहानी पुत्र श्री भोला सिंह निवासी 7 संजय कालोनी पटेलनगर देहरादून।	
190.	5287	22.04.10	श्री विनोद पुत्र श्री सागर सिंह निवासी 51 वार्ड न. 4/6 हरबर्टपुर देहरादून।	
191.	5290	22.04.10	श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह निवासी 11 धूलकोट सहसपुर देहरादून।	
192.	5293	22.04.102	श्रीमती बबीता पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी 150 हकीकत राय नगर देहरादून।	
193.	5297	22.04.10	श्री इरशद मो0 पुत्र श्री गफुर अहमद निवासी धनोला पो0 सहस्त्रधारा देहरादून।	
194.	5298	22.04.10	श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री बिशनलाल निवासी 177 चुक्खूवाला देहरादून।	

195.	5300	22.04.10	श्रीमती ऊषा पुत्री श्री दाताराम निवासी दिलाराम बाजार देहरादून।
196.	5301	22.04.10	श्री बालकिशन पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी चन्दरनगर देहरादून।
197.	5305	22.04.10	श्री सोनू पाल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह पाल निवासी गुलरधाटी नकरौंदा देहरादून।
198.	5306	22.04.10	श्री संजय कुमार पुत्र श्री सेवा राम निवासी 114 कांवली रोड देहरादून।
199.	5308	22.04.10	श्री नवीन कटियार पुत्र श्री राम सिंह कटियार निवासी अजबपुर खुर्द देहरादून।
200.	5311	22.04.10	श्री मंजीत सिंह चौहान पुत्र स्वा श्री खजान सिंह निवासी 24 जाखन राजपुर रोड देहरादून।
201.	5312	22.04.10	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री धरमपाल सिंह निवासी 148/4 मानकपुर आदमपुर रुडकी हरिद्वार
202.	5314	22.04.10	श्री अजय धवन पुत्र श्री जी एल धवन निवासी ए 88 नेहरु कालोनी देहरादून।
203.	5316	22.04.10	श्री श्मशद अली पुत्र श्री कामासुदीन माजरा मस्जिद वाली गली देहरादून।
204.	5317	22.04.10	मो0 साजिद पुत्र श्री कबूल हसन निवासी माजरा मस्जिद वाली गली देहरादून।
205.	5319	22.04.10	श्री किशन लाल खण्डूजा पुत्र श्री मनसा राम 148 नेशनल रोड लक्ष्मन चौक देहरादून।
206.	5320	22.04.10	श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री मिश्री लाल निवासी 1-45 चूखूवाला डंगवाल मार्ग देहरादून।
207.	5454	22.04.10	श्री धरम सिंह राणा पुत्र श्री रेलु सिंह राना निवासी मेहुवाला माफी देहरादून।
208.	5455	22.04.10	श्री जावेद अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी रामपुर सहसपुर देहरादून।
209.	5458	22.04.10	श्री दयाराम पुत्र श्री चमन लाल निवासी दूधरीच विकासनगर देहरादून।
210.	5460	22.04.10	श्रीमती मसूदा खातून पत्नी श्री तौकीर अली ई0डबल0एस0 99 एमडीडीए कालोनी देहरादून।
211.	5465	22.04.10	श्री अमिताभ चौहान पुत्र श्री गब्बर सिंह निवासी 73 हिलव्यू कालोनी इन्दिरानगर देहरादून।
212.	5469	22.04.10	श्री दर्शन लाल पुत्र श्री आश राम निवासी ब्राहमणवाला माजरा देहरादून।
213.	5471	22.04.10	श्री राम कुमार पुत्र श्री चमन लाल निवासी धर्मावाला देहरादून।
214.	5472	22.04.10	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भगत राम निवासी विंग नं0 । प्रेमनगर देहरादून।
215.	5473	22.04.10	श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री सीता राम निवासी प्रतीतपुर धर्मावाला देहरादून।
216.	5474	22.04.10	श्री कमल सिंह पुत्र श्री अतर सिंह निवासी सुल्तानपुर कारबारी धर्मावाला देहरादून।
217.	5475	22.04.10	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राम कुमार निवासी प्रतीतपुर धर्मावाला देहरादून।
218.	5476	22.04.10	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री एस के श्रीवास्तव निवासी 4बी राजा रोड देहरादून।
219.	5477	22.04.10	श्रीमती ममता पत्नी श्री डुब्बु कुमार निवासी शेरपुर देहरादून।
220.	5478	22.04.10	श्री विपिन मेहता पुत्र श्री चन्द मेहता निवासी 187 पटेलनगर देहरादून।
221.	5479	22.04.10	श्री महिपाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह निवासी टीचर कालोनी सहसपुर देहरादून।
222.	5490	22.04.10	श्री इखलाख पुत्र श्री अली हसन, निवासी-180 शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून।
223.	5491	22.04.10	श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूरहसन, निवासी-180 शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून।

224.	5492	22.04.10	श्री अरशद अली पुत्र श्री नूर हसन, निवासी, 191 शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून।	
225.	6139	01.05.10	श्री आशुतोष सिंह बोहरा पुत्र श्री प्रदीप सिंह निवासी 26/19 राजपुर कैनाल रोड देहरादून।	
226.	6194	01.05.10	श्री संजय कुमार पुत्र श्री सोहन लाल निवासी 24 किशनपुर राजपुर रोड देहरादून।	
227.	6195	01.05.10	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी मोहला सलान गांव राजपुर देहरादून।	
228.	6524	05.05.10	श्री अजय सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह निवासी 01 लक्कड धाट ओल्ड राजपुर देहरादून।	
229.	6525	05.05.10	श्री बीरी सिंह पुत्र स्व श्री फिन्जु सिंह निवासी 01 लक्कड धाट ओल्ड राजपुर देहरादून।	
230.	8909	03.06.10	श्रीमती मीनू पाल पत्नी श्री सुमित पाल निवासी 89/4 धर्मपुर देहरादून।	
231.	9469	14.06.10	श्री अवतार सिंह चौहान पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी 170 लक्खीबाग देहरादून।	
232.	10033	18.06.10	श्री सुरेश उनियाल पुत्र श्री सोहन लाल निवासी सहस्त्रधारा रोड गुजराडा देहरादून।	
233.	10095	19.06.10	श्री विशाल सिंह पुत्र श्री महेश कुमार निवासी हरवाला हरिद्वार रोड देहरादून।	
234.	10122	19.06.10	श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी श्री ए एस नेगी निवासी 76 नालापानी रोड देहरादून।	
235.	10139	19.06.10	श्री मिलन रावत पुत्र श्री बिनेश रावत निवासी मालसी सिनोला देहरादून।	
236.	10198	19.06.10	श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भगवान दास निवासी नकरौंदा देहरादून।	
237.	10644	19.06.10	श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरी सिंह निवासी यूपीसीएल ऊर्जाभवन देहरादून।	
238.	20283	19.06.10	श्री मनोज नौटियाल पुत्र श्री एल पी नौटियाल निवासी जौलीग्रान्ट देहरादून।	
239.	10925	26.06.10	ले०कर्नल जे० के० शर्मा पुत्र श्री विशलमणि निवासी हरिपुर नवादा मोहकमपुर देहरादून।	
240.	12583	06.08.10	उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून	स्कीम (10 परमिट)
241.	52	01.12.13	मौहम्मद कासिम पुत्र श्री दीन मुहम्मद, 178 एनफिल्ड ग्रान्ट, विकासनगर, देहरादून।	
242.	53	02.12.13	श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रविकान्त गर्ग, नजदीक पुल नं०1, डाक्टर गंज, विकासनगर,	
243.	54	02.12.13	श्री शंकर अग्रवाल पुत्र रवि कान्त गर्ग, नजदीक पुल नं०1, डाक्टर गंज, विकासनगर, देहरादून।	
244.	55	02.12.13	श्रीमती कामिनी टण्डन पत्नी श्री विवेक कुमार टण्डन, म०न० 2 मुस्लिम बस्ती, विकासनगर,	
245.	56	02.12.13	श्री अजय कुमार टण्डन पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद टण्डन म०न० 91 मुस्लिम बस्ती, विकासनगर,	
246.	57	02.12.13	श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र डी०एम० अग्रवाल, 23/12 कबाड़ी बाजार, रूडकी	
247.	58	02.12.13	श्रीमती रामा अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल, 23/12 कबाड़ी बाजार, रूडकी,	
248.	62	03.12.13	श्री मनोज कुमार स्व० श्री सुरेशपाल, 280 अष्विनी इन्कलेव, माजरा, देहरादून।	
249.	12028	22.07.10	श्री नितिन अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन लाल, शिवपुरी डाकपत्थर, देहरादून।	
250.	12029	22.07.10	श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री कुन्ज बिहारी लाल, अस्पताल रोड विकासनगर, देहरादून।	

251.	13747	08.07.10	श्री संजय कुमार पुत्र श्री हरिचन्द, चाँदपुर खुर्द, सहसपुर, देहरादून।	
252.	9757	01.11.11	श्रीमती सीमा गर्ग, पत्नी रविकान्त गर्ग, पुल न0 1, डाक्टर गंज, विकासनगर, देहरादून।	
253.	9758	01.11.11	श्री शंकर अग्रवाल पुत्र श्री रविकान्त अग्रवाल पुल न01, डाक्टर गंज, विकासनगर, देहरादून।	
254.	1540	10.09.2014	श्री नवीन कटियार पुत्र श्री राम सिंह कटियार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	
255.	1541	10.09.2014	श्री विनोद बोहरा पुत्र श्री मनोहर सिंह, 819/12 इंदिरा नगर, देहरादून।	
256.	1542	10.09.2014	श्री धर्म सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री रेलु सिंह राणा, म0नं0-147 मेहुवाला माफी, देहरादून।	
257.	1543	10.09.2014	श्री मौ0 कासिम पुत्र श्री दीन मोहम्मद, लाईन जीवनगढ़, विकासनगर, देहरादून।	
258.	1544	10.09.2014	श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता, 79/78, अखाड़ा मोहल्ला, देहरादून।	
259.	1545	10.09.2014	श्री अनिल सिंह नेगी पुत्र श्री मूर्ति सिंह नेगी, डाण्डा अजबपुर, देहरादून।	
260.	1546	10.09.2014	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल, 73, गांधीरोड, देहरादून।	
261.	1547	10.09.2014	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री एम0एस0 सिद्दीकी, बीएसएनएल एकसटेन्सन, सहसपुर, देहरादून।	
262.	1548	10.09.2014	श्रीमती मिथलेश रानी पत्नी श्री भूषण त्यागी, 73, गांधी रोड, देहरादून।	
263.	1549	10.09.2014	श्री महेन्द्र सिंह पाल पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह, ग्रा0 व पो0 ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
264.	1550	10.09.2014	श्री कपिलेश पुत्र श्री जगत सिंह, 29/08 इंदिरा नगर, कालोनी, देहरादून।	
265.	1551	10.09.2014	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री किशन लाल, विंग नं0-प्रेमनगर, देहरादून।	
266.	1552	10.09.2014	श्री विवेक कुमार टण्डन पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद टण्डन, मुस्लिम बस्ती, विकासनगर, देहरादून।	
267.	1756	10.09.2014	श्री सुमित बिष्ट पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट, नकरौंदा, नालापानी, देहरादून।	
268.	99	11.05.15	श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, 152 डीएल रोड, देहरादून।	अनु0जाति
269.	102	11.05.15	श्री सचिन रावत पुत्र श्री केसर सिंह रावत, एफ 22/2 रेसकोर्स, देहरादून।	
270.	105	12.05.15	श्री अनिल पाल पुत्र श्री प्रदीप पाल, 64 पाल बस्ती जौलीग्रान्ट, देहरादून।	
271.	106	12.05.15	श्री मनोज नौटियाल पुत्र श्री ललिता प्रसाद, 203 बडी जौली ग्रान्ट, देहरादून।	
272.	107	12.05.15	श्री प्रदीप पाल पुत्र श्री फूल सिंह, 64 जौली ग्रान्ट, देहरादून।	
273.	108	12.05.15	श्री मनोज नौटियाल पुत्र श्री ललिता प्रसाद, 203 बडी जौली ग्रान्ट, देहरादून।	
274.	109	12.05.15	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, 15 जौली ग्रान्ट, डोईवाला, देहरादून।	
275.	114	13.05.15	श्री तिलकराज पुत्र श्री याद राम 107 इन्द्रेण नगर, काँवली रोड, देहरादून।	अनु0जाति0
276.	115	13.05.15	श्री आशीष पंवार पुत्र श्री चन्दन सिंह 48 सुमन नगर, अधोईवाला, देहरादून।	
277.	116	13.05.15	श्री जे0के0 कम्पानी पुत्र श्री एस0एन0 कुमार 34, पुलिस लाईन आराघर, देहरादून।	

278.	118	13.05.15	श्री आशीष कम्पानी पुत्र श्री जे0पी0 कम्पानी, 34 आराघर, देहरादून।	
279.	122	13.05.15	श्री सोनूपाल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह पाल नानक मत्ता, गुलरघाटी, देहरादून	
280.	124	13.05.15	श्री देवरत पाल पुत्र श्री उदय कुमार, नकरौंदा, देहरादून।	
281.	126	13.05.15	श्री राजकुमार पुत्र श्री स्व0 धर्मपाल, बालावाला, देहरादून।	
282.	128	13.05.15	श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भवानी दत्त, नकरौंदा, देहरादून।	
283	149	13.05.15	श्री रिकु पाल पुत्र श्री विक्रम सिंह पाल, ग्रा0 व पो0 बालावाला, गुलरघाटी, देहरादून।	
284	173	14.05.15	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री खुषी राम, 134 नकरौंदा, बालावाला, देहरादून।	
285	150	14.05.15	श्रीमती बबली पत्नी श्री विक्रम सिंह पाल, ग्रा0 व पो0 बालावाला, गुलरघाटी, देहरादून।	
286	151	14.05.15	श्री महेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री हरविलास, बाबूगढ़ विकासनगर, देहरादून।	
287	153	14.05.15	श्रीमती नीरज गोयल पत्नी श्री महेन्द्र गोयल, बाबूगढ़, विकास नगर, देदून।	
288	155	14.05.15	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री श्री वेद प्राकष ग्रा0 रेडापुर छरबा, सहसपुर, देदून	
289	162	14.05.15	श्री राकेश कुमार सोनकर पुत्र श्री हेमराज नयागांव बद्रीपुर जोगीवाला देदून	अनु0 जाति
290	163	14.05.15	श्री आलम सिंह भण्डारी पुत्र श्री चन्दन सिंह ग्रा0 माजरी माफी पो0 आईआईपी देहरादून।	
291	164	14.05.15	श्रीमती सुशमा भंडारी पत्नी श्री आलम सिंह ग्रा0 माजरी माफी पो0 आईआईपी, देहरादून।	
292	170	14.05.15	श्री दीपक नेगी पुत्र श्री कलम सिंह, बालावाला, नत्थुवावाला, देहरादून।	
293	171	14.05.15	श्री सूरज पुत्र श्री धनबीर सिंह, बालावाला, देहरादून।	
294	179	14.05.15	श्री वीर सिंह पुत्र श्री दौलत राम, ग्रा0 बालावाला, देहरादून।	
295	183	14.05.15	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री कुषाल सिंह, निकट पेट्रोल पंप, बालावाला, देहरादून।	
296	194	14.05.15	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री षोभाराम, ग्रा0 नकरौंदा गुलरघाटी, देहरादून।	अ0पि0व0
297	130	14.05.15	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री वीर सिंह मिया 65/11 प्रताप नर्सरी रोड, पंडितवाड़ी देहरादून।	
298	131	14.05.15	श्री गगन सिंह पंवार पुत्र श्री मिथन सिंह पंवार, ग्रा0 व पो0 विधौली वया प्रेमनगर, देहरादून।	
299	132	14.05.15	श्री तरुण नेरूला पुत्र श्री सुभाष नेरूला, 31/2 भंडारी बाग, देहरादून।	
300	133	14.05.15	श्री चन्द्र षेखर जोषी पुत्र श्री यू0डी0 जोषी , बडोवाला, आरकेडिया ग्रांट, प्रेमनगर, देहरादून।	
301	134	14.05.15	श्री दिलबर सिंह रावत पुत्र श्री जगत सिंह रावत, बडोवाला, आरकेडिया ग्राण्ट, प्रेमनगर, देहरादून।	
302	135	14.05.15	श्रीमती रानी पत्नी श्री मनमोहन, 292 सरस्वती विहार डाकपत्थर विकासनगर, देहरादून।	
303	136	14.05.15	श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री दयाला सिंह, 37 बी प्रेमनगर, बिंग 3 प्रेमनगर, देहरादून।	
304	139	14.05.15	श्री विकास कुमार पुत्र श्री प्रेमनाथ 227 बालावाला, देहरादून।	

305	191	15.05.15	श्री नभ चौरसिया पुत्र श्री सत्यवान चौरसिया, मैन चौक हरबर्टपुर, देहरादून।	
306	192	15.05.15	श्री अंकित चौरसिया पुत्र श्री सत्यवान चौरसिया मैन चौक हरबर्टपुर, देहरादून।	
307	194	15.05.15	श्री अनमोल षाह पुत्र श्री पी के षाह, 183/25 एटनबाग, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून।	
308	190	15.05.15	श्री रजत कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार रामबाग, हरबर्टपुर, आसन बाग, देहरादून।	
309	188	15.05.15	श्री विजय षर्मा पुत्र श्री सदानन्द षर्मा, ग्रा0 व पो0 सहसपुर, देहरादून।	
310	268	15.05.15	श्रीमती किरण चन्देल पत्नी श्री अनुज चन्देल, 5 सेबक आश्रम रोड, देहरादून।	
311	265	15.05.15	श्री रोहित सोनकर पुत्र श्री रतन लाल, 196 चुक्खुवाला, देहरादून।	
312	264	15.05.15	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोषन लाल, 455 नया गांव, बट्टीपुर, जोगीवाला, देहरादून।	
313	195	15.05.15	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अजय सिंह 29 डीएल रोड, देहरादून।	अनु0जाति
314	208	15.05.15	श्री अजय कुमार पुत्र श्री मनिराम, 97 बालावाला, देहरादून।	
315	206	15.05.15	श्री अभय उनियाल, पुत्र श्री नन्द लाल उनियाल, गुजराडा मानसिंह वाला, देहरादून।	
316	205	15.05.15	श्री विषाल कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार 125 खुड़बुड़ा मोहल्ला, कांवली रोड, देहरादून।	
317	200	15.05.15	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार 104 मोहन पुर, प्रेमनगर, निकट एसबीआई, देहरादून।	
318	199	15.05.15	श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार 104 मोहनपुर, प्रेमनगर, निकट एसबीआई, देहरादून।	
319	185	15.05.15	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अजय सिंह, 29 डीएल रोड, देहरादून।	
320	272	15.05.15	श्रीमती ज्योति गोयल पत्नी श्री अनुज गोयल, 1613 ईसी रोड, देहरादून।	
321	274	15.05.15	श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री हरीष चन्द, 56/11 डीएल रोड, निकट हरिमंदिर देहरादून।	
322	275	15.05.15	श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द गुप्ता, 56 डीएल रोड, निकट हरिमंदिर, देहरादून।	
323	242	15.05.15	श्री साहित गोयल पुत्र श्री महेन्द्र प्रकाश, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून।	
324	244	15.05.15	श्री संचित नारंग पुत्र श्री कृष्ण कुमार नारंग, नवादा, देहरादून।	
325	246	15.05.15	श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री जीत सिंह रावत, ग्रा0 गडोला पट्टी रेखा, पो0 रोला कोर्ट, प्रताप नगर, टिहरी	
326	247	15.05.15	श्री सन्नी मासूम, 24 संजय कालोनी, पटेलनगर, देहरादून।	
327	248	15.05.15	श्रीमती हेमलता मोघा, 195 नवविहार कालोनी, चुक्खुवाला, देहरादून।	
328	249	15.05.15	श्री हितेश भस्कर, ग्रा0 व पो0 बालावाला, देहरादून।	
329	251	15.05.15	श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री उग्गर सिंह, 95 प्रतीतपुर, विकासनगर, देहरादून।	
330	261	15.05.15	श्री रोषन लाल पुत्र श्री हेमराज, 455 नया गांव, बट्टीपुर, देहरादून।	

331	362	15.05.15	श्री गौतम पुत्र श्री मनिराम, 22 न्यूरोड, द्वारिका स्टोर, देहरादून।	
332	219	15.05.15	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, 39 आराघर देहरादून।	अनु0जाति
333	220	15.05.15	श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री नागेन्द्र गोयल, 172 घमण्डपुर, रानीपोखरी, देदून	
334	223	15.05.15	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अजय सिंह 29 डीएल रोड, देहरादून	अनु0जाति
336	226	15.05.15	श्री अजय कुमार पुत्र श्री परस राम, म0 न0 66 वार्ड नं 3/7 हर्बर्टपुर, देहरादून।	
337	233	15.05.15	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोमनाथ पाल, 101 कांवली, देहरादून।	
338	236	15.05.15	श्री पवन मुखर्जी पुत्र श्री देवीदास मुखर्जी, 116/1 शिव कालोनी, पटेलनगर, देहरादून।	
339	238	15.05.15	श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री सत्य प्रकाश, गणेश विहार, अजबपुर, कलां, देहरादून	
340	239	15.05.15	श्री दिव्यांक गर्ग पुत्र श्री विश्वा कुमार गर्ग, 115/9 टेलीफोन एक्सेचेंज विकासनगर, देहरादून।	
341	288		श्री अनुप पाल, पुत्र श्री अशोक पाल, ग्रा0 व पो0 सेलाकूर्ई, सहसपुर, देहरादून।	
342	284	16.05.15	श्री चमन लाल पुत्र श्री बलवंत सिंह पाल, ग्रा0 व0पो0 ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
343	281	16.05.15	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन, कुड़कावाला, डोईवाला, देहरादून।	
344	290	16.05.15	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रहलाद स्वरूप 17/14 धर्मपुर, देहरादून।	
345	294	16.05.15	श्री कैलाश बुटोला पुत्र श्री राजीत सिंह बुटोला, ग्रा0 गणेशपुर, कारबारी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून।	
346	295	16.05.15	श्रीमती सुषमा रानी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, 434/1 त्रिवेणी विहार, वेस्ट कैनाल रोड, सेवला कलां, देहरादून।	
347	299	16.05.15	श्री रवि पुत्र श्री प्रेमलाल, 22 आईआईपी, ऐरिया मोहकमपुर, डोईवाला, देहरादून।	
348	300	16.05.15	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, प्रगति विहार कालोनी, सेंट्रल हॉप टाउन, सेलाकूर्ई, विकासनगर, देहरादून।	
349	301	16.05.15	श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, 166 ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून।	
350	303	16.05.15	श्रीमती सरोज नेगी पत्नी श्री गजेन्द्र नेगी, शमशेर गढ़ कोसिंग, नाथुवाला, देहरादून।	विकलांग
351	307	16.05.15	श्री संजीव कुमार बालियान पुत्र श्री जे एस0 बालियान, 16 साईबाबा इन्चलेव, देहराखास, देहरादून।	
352	308	16.05.15	श्री शैकत अली पुत्र श्री नासिरुद्दीन, उसमानपुर छरबा, सहसपुर, देहरादून।	
353	311	16.05.15	श्री कलम सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, 59 डांडा लखौंड, देहरादून।	
354	315	16.05.15	श्री राजीव गर्ग पुत्र श्री प्रीतम दास गर्ग, 69 गांधीरोड, देहरादून।	
355	316	16.05.15	श्री विजय कुमार पुत्र श्री शगुन, 55 डांडा लाखौंड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	
356	318	16.05.15	श्रीमती अनीता पत्नी श्री सागर कुमार 133 ग्रा0 व पो0 बालावाला, देहरादून।	

357	319	16.05.15	सरित पुत्री स्व0 श्री अजय सिंह, 29 डीएल रोड, देहरादून।	अनु0जाति
358	322	16.05.15	श्री राकेष कंसवाल पुत्र श्री देवेन्द्र दत्त कंसवाल, 24/48 धर्मपुर, देहरादून।	
359	236	16.05.15	श्री सारग पाल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र पाल, 133 ग्न व पो बालावाला, देहरादून।	
360	328	16.05.15	श्री विकास कर्णवाल पुत्र श्री हरीष चन्द्र, ऐकता विहार, लेन 8 एसडी रोड, देहरादून	विकलांग
361	329	16.05.15	श्री संजय चंदौला पुत्र श्री बलवीर सिंह, 165 वार्ड नं0 01 हरबर्टपुर, देहरादून।	अपिव
362	330	16.05.15	श्री रघुविन्दर सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह 8 बेस्ट होप टाउन, देहरादून।	विकलांग
363	333	16.05.15	श्री पंजक गोयल पुत्र श्री रईस चन्द, राजेन्द्र कालोनी, विकासनगर, देहरादून।	
364	335	16.05.15	श्री सजाऊ रहमान पुत्र श्री इमरान सिरचन्दी हरिद्वार	
365	336	16.05.15	श्री सुजीत कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द, 126 ग्रा0 व पो0 पौधा, प्रेमनगर, देहरादून।	
366	337	16.05.15	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसराम, ग्रा0 नम्बरपुर, जस्सावाला, देहरादून।	
367	338	16.05.15	श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह, 52/99 ओल्ड डालनवाला देहरादून।	
368	339	16.05.15	श्री महेन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री रतन लाल राजीव नगर, भारूवाला, मोहब्बेवाला, देहरादून।	
369	340	16.05.15	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भगवान सिंह 29 डीएल रोड देहरादून।	विकलांग
370	341	16.05.15	श्री सलीम खान पुत्र श्री अरशद अली खान 56 ऑगल भट्टा, सी 20 गली, क्लेमेनटाउन, देहरादून।	
371	342	16.05.15	श्री तेजेन्द्र मल्होत्रा पुत्र श्री रतन लाल, 39 प्रेमनगर, विंग नं0 04 देहरादून।	
372	343	16.05.15	श्री विजय कश्यप पुत्र श्री नैन सिंह, 322 शास्त्रीनगर, देहरादून।	
373	344	16.05.15	श्री चरनजीत कुमार पुत्र श्री लाखु दास, विंग नं0 1/4/6 प्रेमनगर, देहरादून।	
374	345	16.05.15	श्री हरवंश सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह ,22 लुनियामोहल्ला, देहरादून।	
375	346	16.05.15	श्री सुरेन्द्र पंवार पुत्र श्री बी0एस0 पंवार, 88 अपर मोहल्ला रायपुर, देहरादून	
376	349	16.05.15	श्रीमती शोभा नेगी पत्नी श्री संजय 9 कन्हारावाला, बक्सरवाला, डोईवाला, देहरादून।	
377	350	16.05.15	श्री यषपाल रावत पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, 9 षक्तिविहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	
378	351	16.05.15	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोत सिंह, ग्रा0 व पो0 फतेहपुर, देहरादून।	
379	352	16.05.15	श्रीमती परमीदेवी पत्नी श्री पूरन सिंह, 108 माजरी ग्रांट, आंषिक डोईवाला, देहरादून।	
380	353	16.05.15	श्री सचिन अग्रवाल, पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल, 98 चन्दरनगर, देहरादून।	
381	354	16.05.15	श्री बहादुर सिंह रावत पुत्र श्री पी0एस0 रावत, 30 डी कालीदास रोड, देहरादून।	
382	355	16.05.15	श्री सतेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, 49 कारगी ग्राण्ट, देहरादून।	
383	356	16.05.15	श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, 81 पार्क रोड, देहरादून।	

384	357	16.05.15	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, 49 वार्ड नं0 3 हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून।
385	358	16.05.15	श्री आषीश वालिया पुत्र श्री सुदर्शन कुमार, 735 राणाप्रताप रोड, वार्ड नंव 47 पो0 माजरा, देहरादून।
386	359	16.05.15	श्री सुनील जायसवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जायसवाल, 11 गुरुरोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून।
387	360	16.05.15	श्री राजीव कुमार जायसवाल, पुत्र श्री ओमप्रकाश जायसवाल, 11 गुरू रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून।
388	361	16.05.15	श्री अरूण कुमार जायसवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जायसवाल, 11 गुरू रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून।
389	362	16.05.15	श्रीमती मसूदा खातून पत्नी श्री तौकीर अली, 99 एमडीडीए कालोनी, डालनवाला, देहरादून।
390	363	16.05.15	श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री गुरुचरण सिंह, 90 अहीर मण्डी, राजपुर, रोड, देहरादून।
391	364	16.05.15	श्री आर0 के0 शर्मा पुत्र श्री वेद प्रकाश शर्मा, 568 वसंत विहार इंदिरानगर, देहरादून।
392	365	16.05.15	श्री नीरज रावत पुत्र श्री सुन्दर सिंह रावत, 2 अस्थल रायपुर, देहरादून।
393	369	16.05.15	श्रीमती शीतल पाल पत्नी श्री ईलमचन्द ग्रा0 व पो0 ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।
394	370	16.05.15	श्री मोहन पाल पुत्र श्री राजपाल ग्रा0 पो0 बालावाला, गुलरघारी रोड, देहरादून।
395	372	16.05.15	श्री मदनपाल पुत्र श्री बलवन्त सिंह पाल, ग्रा पो0 ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।
396	374	16.05.15	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्रा0 व पो0 होरावाला, विकासनगर, देहरादून।
397	375	16.05.15	श्री अकिंत गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद गोयल, 2/30 सराय गली, विकासनगर, देहरादून।
398	376	16.05.15	श्री मनमोहन रावत पुत्र श्री राजेशिंह रावत, ग्रा0 व पो0 मोहब्बेवाला, देहरादून।
399	377	16.05.15	श्री सौरभ ममगाई पुत्र श्री रोधष्याम ममगाई निकट शिव मंदिर रायपुर, देहरादून।
400	378	16.05.15	श्री पुष्कर वर्मा पुत्र श्री चम्बर वर्मा, 28/6 डंगवाल मार्ग, देहरादून।
401	379	16.05.15	श्री मनीश सोनकर पुत्र श्री स्वर्ण सोनकर, 119 कांवली रोड, देहरादून।
402	380	16.05.15	श्री अजय कुमार पुत्र श्री चमन लाल, 185 झाझरा सहसपुर, देहरादून।
403	381	16.05.15	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री राम लाल, ए 156/25 नेहरूकालोनी, धर्मपुर, देहरादून।
404	382	16.05.15	श्री बृजभान पुत्र श्री घनष्याम, भीमावाला, विकासनगर, देहरादून।
405	383	16.05.15	श्री जय प्रकाश पुत्र श्री पाटू राम, विजय लोक, बालावाला, देहरादून।
406	384	16.05.15	श्रीमती स्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल सिंघल, सी-30 नेहरू कालोनी, देहरादून।
407	385	16.05.15	श्री विजय गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द ए 95 नेहरू कालोनी, देहरादून।
408	386	16.05.15	श्री ओम कक्कड़ पुत्र श्री अमरजीत कक्कड़ 14/11 ओल्ड सर्वे देहरादून।
409	387	16.05.15	श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री किषन लाल गुप्ता, 25/38 खदरी मोहल्ला, देहरादून।
410	388	16.05.15	श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्णलाल गुप्ता, 25/38 खदरी मोहल्ला, देहरादून।

411	389	16.05.15	श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह पुण्डीर, 117 गढ़ी कैण्ट, टपकेष्वर रोड, देहरादून।
412	390	16.05.15	श्री यशपाल सिंह तोमर पुत्र श्री सरदार सिंह तोमर 13/377 मोहित नगर, देहरादून।
413	391	16.05.15	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार कन्नोजिया, 67/1 भण्डारी बाग, देहरादून।
414	393	16.05.15	श्री नावेद अख्तर पुत्र श्री नवाबुद्दीन, तरला नांगल, कुल्हान एसडी रोड, देहरादून।
415	394	16.05.15	श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री रेषम सिंह, 78/1 भण्डारी बाग, देहरादून।
416	395	16.05.15	श्री सर्व दमन सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह, 60 सी आड़त बाजार, देहरादून।
417	396	16.05.15	श्री देवेन्द्र वर्मा पुत्र श्री ब्रह्म सिंह वर्मा 98/1 ए चन्द्रबनी सेवला कला, देहरादून।
418	397	16.05.15	श्री विनेष वर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा 98/1 ए चन्द्रवनी, सेवला कला, देहरादून।
419	398	16.05.15	श्री मोनी वर्मा पत्नी श्री विवके कुमार वर्मा 98/1 ए चन्द्रवरी सेवला कला, देहरादून।
420	399	16.05.15	श्री विवके कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा 98/1 ए चन्द्रवरी सेवला कला, देहरादून।
421	400	16.05.15	श्रीमती रजनी वर्मा पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा 98/1 ए चन्द्रवरी, सेवला कला, देहरादून।
422	401	16.05.15	श्री मौ0 जाकिर पुत्र श्री जाहिद हसन रामपुर कला, सहसपुर, विकासनगर, देहरादून।
423	402	16.05.15	श्री राम अवतार पुत्र श्री जगन नाथ, धरतावाला माफी, पंडितवाड़ी देहरादून।
424	403	16.05.15	श्री जन्नाथ पुत्र श्री राम भजन 83 धरतावाला माफी, देहरादून।
425	404	16.05.15	श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार, 52 सत्तोवाला घाटी, कांवली, द्रोणपुरी, देहरादून।
426	405	16.05.15	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री गंगा सरन, 127 शिवालिक इन्क्लेव, रेसकोर्स, देहरादून।
427	406	16.05.15	श्री राजबहादुर सिंह पुत्र श्री मुरारी लाल, बी-74 नेहरू कालोनी, देहरादून।
428	407	16.05.15	श्री चन्द्र किशोर पुत्र श्री कलपेश्वर प्रसाद, ग्रा0 कारबारी, देहरादून।
429	408	16.05.15	श्री नीरज कुमार पुत्र श्री वीरसैन जैन 17 झंडा बाजार, देहरादून।
430	409	16.05.15	श्री विजय कुमार पुत्र श्री बट्टी दत्त, 108 लाखनवाला, सहसपुर, देहरादून।
431	410	16.05.15	श्री अरूण कंडवाल पुत्र श्री सत्या प्रकाश कंडवाल, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून।
432	411	16.05.15	श्री अंकित जायसवाल पुत्र श्री राज कुमार जायसवाल, शिव मंदिर, देहरादून रोड, हरबर्टपुर, देहरादून।
433	412	16.05.15	श्री बाबू लाल पुत्र श्री दर्शन सिंह, लालीखेत विकासनगर, कालसी देहरादून।
434	413	16.05.15	श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री ओंकार चन्द, कोटरा कल्याणपुर, हर्वाला, देहरादून।
435	414	16.05.15	श्रीमती सुषीला देवी पत्नी श्री बाबू लाल, 50 लालीखेत लोहारी विकासनगर, देहरादून।
436	415	16.05.15	श्रीमती सतेष्वरी पत्नी श्री जसवंत सिंह, 292 सरस्वती विहार, विकासनगर, देहरादून।
437	415	16.05.15	श्री चन्द्र किशोर सोनी पुत्र श्री किषन लाल, नेहरूकालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून।

438	417	16.05.15	श्री कपिल कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह 38 आमरी गांव विकासनगर, देहरादून।
439	418	16.05.15	श्री प्रमिल सिंह नेगी पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह नेगी 54/1-1 विजय कालोनी, हाथीबड़कला, देहरादून।
440	419	16.05.15	श्री जय सिंह वालिया पुत्र श्री राजपाल सिंह, 196/184 डीएल रोड, देहरादून।
441	420	16.05.15	श्री षुक्रम चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, 191 षेखपुरी, रूड़की, गंगनहर हरिद्वार।
442	421	16.05.15	कु0पूजा पुत्र श्री चन्दु लाल, 196/184 डीएल, रोड, देहरादून।
443	422	16.05.15	श्री राम कुमार पुत्र श्री चमन लाल, 15/7 सिविल लाईन रूड़की, हरिद्वार।
444	423	16.05.15	श्री जतिन चांचरा पुत्र श्री आर के चांचरा 138/सी करनपुर, देहरादून।
445	424	16.05.15	श्री उमेश राणा पुत्र श्री बजीतर सिंह राणा, ग्रा0 व पो0 हरबर्टपुर, देहरादून।
446	425	16.05.15	श्री प्रमोद अग्रवाल पुत्र श्री ए पी अग्रवाल, 32 सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक, देहरादून।
447	426	16.05.15	श्री गोपाल षर्मा पुत्र श्री आर0 बी0 षर्मा, प्रिया लोक कालोनी, षिमला रोड, देहरादून।
448	427	16.05.15	श्री डी0एस0 लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री ए आर श्रीवास्तव, विद्याविहार, तपोवन रोड, देहरादून।
449	428	16.05.15	श्री अरूण यादव पुत्र श्री कमल सिंह यादव, ग्रा व पो0 उमेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून।
450	429	16.05.15	श्री राजीव षर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, 10/09 देऋशि इन्क्लेव, देहरादून।
451	430	16.05.15	श्री रघुवीर सिंह नेगी पुत्र श्री षेर सिंह, 13/11 बाडीगार्ड जाखन, देहरादून।
452	431	16.05.15	श्री अनुप कुमार थपलियाल पुत्र श्री के0एन0 थपलियाल, 583 डाकरा बाजार, संजय विहार, देहरादून।
453	432	16.05.15	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ष्याम लाल, 165 लकखीबाग, देहरादून।
454	433	16.05.15	श्रीमती मुजी पत्नी श्री अजय कुमार 245 खुड़बुड़ा मोहल्ला, देहरादून।
455	434	16.05.15	श्री विकास पुत्र श्री अजय कुमार 245 खुड़बुड़ा मोहल्ला, देहरादून।
456	435	16.05.15	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ष्याम लाल, 165 लकखीबाग, देहरादून।
457	436	16.05.15	श्रीमती संगीता पत्नी श्री सुनील कुमार 165 लकखीबाग, देहरादून।
458	437	16.05.15	श्रीमती बन्दना बंसल पत्नी श्री विपिन बंसल लेन नं0 3 गोविन्द नगर, एस डी रोड, देहरादून।
459	438	16.05.15	श्रीमती मंजू कष्यप पत्नी श्री सुरेष, डी 218 नेहरू कालोनी, देहरादून
460	439	16.05.15	श्री सोनू कुमार पुत्र श्री मुन्ना लाल, मेहुवाला, माफी, देहरादून।
461	440	16.05.15	श्री सूरज कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल, कुआंवाला, हर्रावाला, देहरादून।
462	441	16.05.15	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री आन्नद कुमार, 57/1 खुड़बुड़ा, मोहल्ला, देहरादून।
463	442	16.05.15	श्री संजय गर्ग पुत्र श्री कुलवन्त राय, 21 मालियान मोहल्ला, देहरादून।
464	443	16.05.15	श्री लोकेष मिततल पुत्र श्री मनोहर लाल मिततल, 3 महन्त रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून।

465	444	16.05.15	श्री श्रवण पुत्र श्री राजकुमार कपिल, 75 सरस्वती विहार, विकासनगर, देहरादून।	विकलांग
466	445	16.05.15	श्री सिद्धार्थ पुत्र प्रीतम लाल, आशीर्वाद इन्क्लेव, वसंत विहार, देहरादून।	
467	446	16.05.15	श्री राज भसीन पुत्र श्री प्रीतम लाल, आशीर्वाद इन्क्लेव वसंत विहार, देहरादून।	
468	447	16.05.15	श्रीमती रीना रावत पत्नी श्री अभिनव रावत, डांडा खुदानेवाला, गुजराड़ा देहरादून।	
469	448	16.05.15	श्री लव भसीन पुत्र श्री प्रीतम लाल, आशीर्वाद इन्क्लेव, वंसतविहार, देहरादून।	
470	449	16.05.15	श्रीमती षालिनी पत्नी श्री सिद्धार्थ , आशीर्वाद इन्क्लेव वंसत विहार, देहरादून।	
471	450	16.05.15	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राज पाल सिंह, 186/184 डीएल रोड, देहरादून।	
472	451	16.05.15	श्री पवेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री दिवान सिंह, 1001/1 ए षास्त्री नगर सीमाद्वार देहरादून।	
473	452	16.05.15	श्री इन्दरपाल पुत्र श्री मोलहाद सिंह 117 अलावलपुर, छुटमलपुर, रुड़की, हरिद्वार।	
474	453	16.05.15	श्री मौ0 नईम अंसारी पुत्र श्री अब्दुल करीम, जी ब्लोक, 210 नेहरूकालोनी, देहरादून।	
475	454	16.05.15	श्री संदीप पुत्र श्री राजीत सिंह, 49 पौधा देहरादून।	
476	455	16.05.15	श्री अमित पंवार पुत्र श्री अमर सिंह, 84 चकतुनवाला, रायपुर, देहरादून।	
477	456	16.05.15	श्री दुजेनदर पुत्र श्रीध्याम लाल, 49 पौधा देहरादून।	
478	457	16.05.15	श्री पवन कुमार पुत्र श्री सिद्ध नाथ तिवारी, बिंदाल कालोनी, देहरादून।	
479	458	16.05.15	श्रीमती मिलन गर्ग पत्नी श्री राजीव गर्ग ए 34 आर्कीती विहार, टर्नर रोड, देहरादून।	
480	459	16.05.15	श्री मयंक चमोली पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चमोली, बालावाला, देहरादून।	
481	460	16.05.15	श्री रमित चांचरा पुत्र श्री आर के चांचरा, 138/सी करनपुर, देहरादून।	
482	461	16.05.15	श्री रॉकी कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह, 196/184 डीएल रोड, देहरादून।	
483	462	16.05.15	श्रीमती ममता वालिया पत्नी श्री जय सिंह वालिया, 196/184 डी एल रोड, देहरादून।	
484	463	16.05.15	श्रीमती बीना मोघा पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, बंधीवाला झाझरा, सुद्धोवाला, देहरादून।	
485	464	16.05.15	श्री संजय कुमार पुत्र श्री ज्योति पाल, 135 बालावाला, देहरादून।	
486	465	16.05.15	श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री मुंषी राम, 58 द्रोणाखास डांडा लाखौण्ड, देहरादून।	
487	466	16.05.15	श्री संकेत नौटियाल पुत्र श्री संतोशी प्रसाद, द्रोणाखास, एस0डी0 रोड, देहरादून।	
488	538	16.05.15	श्री रितेश कुमार पुत्र श्री आन्नद कुमार 57/1 खुडबुड़ा मोहल्ला, देहरादून।	
489	546	16.05.15	श्री इल्ताफ अली पुत्र श्री षेर अली, जीवनगढ़ विकासनगर, देहरादून।	
490	555	16.05.15	श्री राजेश कुमार षर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द षर्मा, अमर भारती चन्द्रबनी, देहरादून।	
491	556	16.05.15	श्री अफाक अहमद पुत्र श्री बुनियाद, 362 नेहरू नगर कालोनी, देहरादून।	

492	558	16.05.15	श्री आकाष सोनकर पुत्र श्री एच0एल.0 सोनकर, 30 बट्टीपुर तिलवारी, देहरादून।	अनु0जाति
493	559	16.05.15	श्री मौ0 कौषर कुरैषी पुत्र श्री ए एच कुरैषी, आईआईपी कालोनी, मोहकमपुर, देहरादून।	
494	573	16.05.15	श्री हरबंश सिंह पुत्र श्री हिम्मद सिंह, विं 07 27/2 प्रेनगर, देहरादून।	
495	575	16.05.15	श्री राहुल सिंह पुत्र श्री सुभाष सिंह चौहान, विष्णु घाट हरिद्वार।	
496	576	16.05.15	श्री मनीश खत्री पुत्र श्री विरेन्द्र खत्री, बालावाला, देहरादून।	
497	577	16.05.15	श्री मदन मोहन अमोली पुत्र श्री कीरत राम, कॉस 12 तपोवन इन्वेलव, नालापानी रोड, देहरादून।	
498	612	16.05.15	श्री सुरेन्द्र घेयल पुत्र श्री किशोरी लाल, 117 जीएमएस रोड, कांवली, देहरादून।	अनु0जाति
499	614	16.05.15	श्री राजेन्द्र सिंह ढिल्लो पुत्र श्री भाग सिंह, 89 केशव विहार, निरंजनपुर, कांवली, देहरादून।	
500	213	15.05.15	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री चन्द्र मोहन लाल, 29 मान्डुवाला, देहरादून।	
501	596	16.05.15	श्री सन्दीप रोहिला पुत्र श्री माम चन्द, नजदीक आजाद टैन्ट हाउस, माजरा, देहरादून।	
502	617	16.05.15	श्री विवेक पुत्र श्री रामस्वरूप, एकता विहार अजबपुर कलॉ, देहरादून।	
503	618	16.05.15	श्री संजीव कुर पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद, सिद्धार्थ विहार, कन्दौली, देहरादून।	

सचिव,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून।

**संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 के मद संख्या-8 का परिशिष्ट "घ" के अन्तर्गत
एमडीडीए-डाट मंदिर मार्ग हेतु स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र के विवरण**

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	टिप्पणी
1.	12753	02.12.09	श्री दर्शन लाल पुत्र श्री आशा राम, ब्राहमणवाला, माजरा, देहरादून।	अनु०जाति
2.	12731	02.12.09	श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री कर्मचन्द्र मल्होत्रा, 64 रीठा मण्डी, देहरादून।	
3	12783	03.12.09	श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी श्री बी०एस० गुसाईं, 160/03 नीलकण्ठ, विहार,, देहरादून।	
4.	14578	04.10.10	श्री हिमांशु पुत्र श्री हुकुम चन्द, 177/01, चुखुवाला, देहरादून।	
5.	8838	18.02.11	श्री राकेश पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, 117, मदरसा क्षेत्र, गणेशपुर, पटेल नगर, देहरादून।	
6.	1327	04.11.11	श्री मनोज नौटियाल पुत्र श्री ललिता प्रसाद, ग्राम- जौलीग्रान्ट, देहरादून।	
7.	2783	20.12.11	श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, ओखला, सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून।	अनु०जाति
8.	68	03.12.13	श्रीमती शीतल देवी पत्नी श्री इलम चन्द, ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।	
9.	67	03.12.13	श्रीमती रीना पाल पत्नी श्री मदनपाल, ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।	
10.	66	03.12.13	श्रीमती संगीतापाल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।	
11.	10	04.03.14	श्री राजेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री हीरा सिंह, बालावाला, देहरादून।	
12.	12	04.03.14	श्री हबीब रहमान पुत्र श्री ए रहमान, जीएमएस रोड, एमडीडीए कॉलोनी, देहरादून।	
13	180	14.05.15	श्री वीर सिंह पुत्र स्व० श्री दौलत राम, ग्राम व पो० बालावाला देहरादून	
14	181	14.05.15	श्री सुरेश आनन्द पुत्र श्री राजकुमार आनन्द, 4/2 त्यागी रोड, रेस्ट कैम्प, देहरादून	
15	225	15.05.15	श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, 88 सुमन नगर, नेहरू कालोनी देहरादून	
16	260	15.05.15	श्री रोशन लाल पुत्र श्री हेमराज, 455 बट्टीपुर, जोगीवाला देहरादून	
17	267	15.05.15	श्री गौतम पुत्र श्री मनीराम, 22 अमृत कौर रोड, न्यू रोड वार्ड नं०27 देहरादून	
18	186	15.05.15	श्री मनोज कुमार पुत्र स्व० श्री अजय कुमार, 29 डी एल रोड, देहरादून	अनु०जाति
19	280	15.05.15	श्रीमती अनीता पाल पत्नी श्री प्रदीप पाल, 65 पाल बस्ती, जौलीग्रान्ट देहरादून	
20	304	16.05.15	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हरि सरन, जोगीवाला देहरादून	
21	325	16.05.15	श्रीमती बाबी पत्नी श्री सुभाष कुमार, 29 डी एल रोड, देहरादून	
22	327	16.05.15	श्री सागर पाल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र पाल, 133 ग्राम व पो० बालावाला देहरादून	
23	371	16.05.15	श्री पंकज पाल पुत्र श्री राजपाल ग्राम पो.० बालावाला देहरादून	

24	392	16.05.15	श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व० श्री अमरनाथ, 108 मोतीबाजार, देहरादून	
25	483	16.05.15	श्री जय सिंह वालिया पत्नी स्व० श्री राजपाल सिंह, 196/184 डीएल रोड, देहरादून	
26	484	16.05.15	श्री अभिषेक रावत पुत्र श्री मामराज सिंह, ग्राम डांडा कुन्दनवाला, गुजराडा देहरादून	विकलांग
27	485	16.05.15	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवराज सिंह, 191 शेखपुरी नेहरू नगर, रुडकी हरिद्वार	
28	486	16.05.15	कृ. पूजा पुत्री श्री चन्दू लाल, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
29	487	16.05.15	श्री रॉकी कुमार पुत्र स्व श्री राजपाल 196/184 डी एल रोड देहरादून	
30	488	16.05.15	श्री राम कुमार पुत्र श्री चमन लाल, 15/7 सिविल लाईन रुडकी हरिद्वार	
31	489	16.05.15	श्री महेश कुमार हल्दर पुत्र श्री मामराज सिंह, 59/7 नालापानी रोड, देहरादून	
32	490	16.05.15	श्री अरुण कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार, 18 कमला नगर, बल्लूपुर देहरादून	
33	491	16.05.15	कृ. सोनम कर्णवाल पुत्री श्री अनिल कर्णवाल, 165 लक्खी बाग, देहरादून	
34	492	16.05.15	श्रीमती रजनी कर्णवाल पत्नी श्री अनिल कर्णवाल, 165 लक्खी बाग, देहरादून	
35	493	16.05.15	श्री राकेश कुमार पुत्र स्व० श्री राजपाल सिंह, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
36	494	16.05.15	श्री मनमोहन सिंह रावत पुत्र स्व० श्री राजे सिंह रावत, ग्राम व पो. मोहब्बेवाला देहरादून	
37	495	16.05.15	श्री तौकिर अली पुत्र श्री शमशेर अली, 99 ईडब्लूएस, एमडीडीए कालोनी, डालनवाला देहरादून	
38	499	16.05.15	श्रीमती ममता वालिया पत्नी श्री जय सिंह वालिया, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
39	542	16.05.15	श्री अतुल कुमार सिंघल पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता, 30 नेहरू कालोनी, देहरादून	
40	563	16.05.15	श्री श्रवण पुत्र श्री राजकुमार, 75 सरस्वती बिहार, विकासनगर देहरादून	विकलांग
41	571	16.05.15	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बाबूलाल, 50 लटीखेत विकासनगर देहरादून	
42.	48	23.08.14	श्री सरेश आन्नद पुत्र श्री राजकुमार, त्यागी रोड, देहरादून	
43.	717	27.08.14	श्रीमती संगीतापाल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।	

सचिव,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.15 के मद संख्या-9 का परिशिष्ट-"च" देहरादून-प्रेमनगर-परवल तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण।

क्र० सं०	कोर्ट फीस नं०	प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की तिथि	आवेदनकर्ता का नाम व पता	टिप्पणी
1	9632	11.09.06	श्री किषन सिंह नेगी पुत्र श्री जय सिंह निवासी अस्थल रायपुर देहरादून।	
2	9863	15.09.06	श्री इन्दर मोहन विज पुत्र श्री वजीर चन्द निवासी बल्लूपुर देहरादून।	
3	9864	15.09.06	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी प्रेमनगर विंग 9/3 प्रेमनगर देहरादून।	
4	11089	02.11.06	श्री दीपक भारद्वाज पुत्र श्री बलबीर भारद्वाज निवासी भगवन्तपुर रायपुर देहरादून।	
5	12969	04.12.06	श्री राकेश अरोड़ा पुत्र श्री शिवलाल निवासी 19/1 राजपुर रोड़, देहरादून।	
6	13534	12.12.06	श्री मुकेश पाल पुत्र श्री लाल सिंह निवासी मोथरोवाला देहरादून।	
7	13211	06.12.06	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री गोपाल सिंह निवासी नेहरू कालोनी देहरादून।	
8	4556	07.05.07	श्री विश्राम सिंह बिष्ट पुत्र श्री जिमथी सिंह बिष्ट निवासी शुक्लापुर विकासनगर देहरादून।	
9	9181	03.09.07	श्री धमेन्द्र पुत्र श्री भारत प्रसाद निवासी टी 6 हाथी बडकला स्टेट देहरादून।	
10	9731	18.09.07	श्री गगन सडाना पुत्र श्री अर्ष कुमार सडाना निवासी 95 झण्डा बाजार देहरादून।	
11	10177	28.09.07	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी रुदरपुर विकासनगर देहरादून।	विकलांग
12	10178	28.09.07	श्री सोम सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी जस्सोवाला पछवादून देहरादून।	
13	10793	11.10.07	श्री नत्थी सिंह चौहान पुत्र श्री चन्द्र सिंह चौहान निवासी अजबपुर खुर्द देहरादून।	
14	11017	17.10.07	श्री विषाल थापा पुत्र श्री के बी थापा निवासी लछीवाला डोईवाला देहरादून।	पिछडी जाति
15	11272	22.10.07	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री शिव लाल निवासी 93/103 मोती बाजार देहरादून।	
16	11909	02.11.07	श्री अजीत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह 14ए/177 सुभाष रोड देहरादून।	
17	12105	06.11.07	श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री नानक चन्द्र निवासी कौलागढ देहरादून।	
18	13461	01.12.07	श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री सरदार महेन्द्र सिंह निवासी विंग न० 7 प्रेमनगर देहरादून।	
19	1133	31.01.08	श्री मनीष कुमार पुत्र श्री कुन्दन सिंह निवासी नवादा पछवादून देहरादून।	विकलांग
20	1138	31.01.08	श्री जमुना प्रसाद चमोली पुत्र श्री आदित्य राम, 4/1 सरस्वती कालोनी, देहरादून।	
21	2371	05.03.08	श्री पुलकित, पुत्र श्री बी एम नौटियाल निवासी 29 पार्क रोड देहरादून।	
22	2574	11.03.08	श्री गौरव उपाध्याय पुत्र श्री हरीष चन्द्र उपाध्याय होप प्लेनेट मांडूवाला देहरादून।	
23	2958	20.03.08	श्री सुषील बिष्ट पुत्र श्री तिलक राज बिष्ट निवासी 277 गढी कैन्ट देहरादून।	
24	3142	28.03.08	श्री अतुल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम निवासी 167 चौधरी बिहारी लाल मार्ग देहरादून।	अनु०जाति०

25	9399	16.05.08	श्री बिश्रम सिंह बिष्ट पुत्र श्री जिमथी सिंह बिष्ट, शुक्लापुर अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून।	
26	10045	04.06.08	श्री जितेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह रावत निवासी 29/25 नई बस्ती देहरादून।	
27	13377	14.08.08	श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री धर्मवीर शर्मा 227/125 कनाट प्लेस देहरादून।	
28	14372	15.09.08	श्रीमती अनीता नेगी पत्नी श्री राजवीर सिंह नेगी निवासी राजीव नगर डांडा देहरादून।	
29	15130	10.10.08	श्री रोहित कुमार पुत्र राम लाल निवासी 12 सीमेन्द रोड देहरादून।	अनु0जाति0
30	15623	23.10.08	श्री संदीप कुमार पुत्र स्व श्री मंगल सिंह निवासी सेवला कला माजरा देहरादून।	अनु0जाति0
31	17212	04.12.08	श्री संसार सिंह पुत्र श्री प्यामलाल निवासी पौधा देहरादून।	
32	17197	04.12.08	श्री पुनीत तलवार पुत्र श्री अतर चन्द तलवार निवासी विंग नं01 13/5 प्रेमनगर देहरादून।	
33	17193	04.12.08	श्री मधु सूदन पुत्र श्री पदम रानी निवासी 489-ए गढी कैन्ट देहरादून।	
34	17345	06.12.08	श्रीमती बीना करासी पत्नी श्री प्रदीप करासी 35/1 बाडी गार्ड राजपुर रोड देहरादून।	
35	17478	06.12.08	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमृत लाल भाटिया निवासी 3/15/1 प्रेमनगर देहरादून।	
36	17481	06.12.08	श्रीमती सीमा भाटिया पत्नी श्री बी के भाटिया निवासी 3 प्रेमनगर देहरादून।	
37	17594	08.12.08	श्री कमल कुमार खेतरपाल पुत्र श्री लेखराज निवासी विंग नं0 4 प्रेमनगर देहरादून।	
38	18777	18.12.08	श्री विनोद चन्दोला पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी डांडा लखोंड गुजराडा देहरादून।	
39	18564	18.12.08	श्री मथोर सिंह चौहान पुत्र श्री भाव सिंह निवासी सवाई कालसी देहरादून।	विकलांग
40	18238	12.12.08	श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून।	
41	18230	12.12.08	श्री रुपेश कुल्हान पत्नी श्री भगवान सिंह कुल्हान निवासी मालसी सिनोला देहरादून।	
42	18152	12.12.08	श्री संदीप सोनकर पुत्र स्व श्री कुलदीप सिंह सोनकर निवासी 196 चुक्खुवाला देहरादून।	विकलांग
43	22438	10.02.09	श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री भीम सिंह निवासी 79 लोअर नत्थनपुर देहरादून।	
44	9621	16.10.09	श्रीमती सुनीता बिष्ट पत्नी श्री एम एस बिष्ट 184 विजय कालोनी न्यू कैन्ट रोड देहरादून।	
45	11825	06.11.09	श्री प्रांकुर उर्फ पियुष काम्बोज पुत्र श्री अषोक कुमार निवासी 613 राजेन्द्र नगर देहरादून।	विकलांग/ पिछडी जाति
46	4836	20.04.10	श्री रामकुमार पुत्र श्री चमन लाल निवासी आदर्ष नगर रुडकी।	
47	4837	20.04.10	श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व श्री लक्ष्मी चन्द निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।	यूके07पीए-0632
48	4838	20.04.10	श्रीमती मिथिलेश रानी पत्नी श्री भूषण कुमार 73 गांधी रोड देहरादून।	यूके07पीए-0631
49	4839	20.04.10	श्री जमुना प्रसाद चमोली पुत्र श्री आदित्य राम न0 4/1 स्मिथ नगर प्रेमनगर देहरादून।	भूतपूर्व सैनिक
50	4947	21.04.10	श्री अमित डोभाल पुत्र श्री के डी डोभाल निवासी 297/II वंसत बिहार देहरादून।	
51	4954	21.04.10	श्री के शाह पुत्र श्री एम ए शाह निवासी हरिपुर कालसी देहरादून।	

52	4976	21.04.10	श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह कैरोन निवासी विंग न03, 37बी प्रेमनगर देहरादून।	
53	4998	21.04.10	श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री केवल ओबराय निवासी 4/3 चन्दर रोड डालनवाला देहरादून।	
54	5216	22.04.10	श्री जावेद अली पुत्र लियाकत अली निवासी रामपुर सहसपुर देहरादून।	
55	5237	22.04.10	श्री अमर सिंह पंवार पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी तुनवाला देहरादून।	
56	5250	22.04.10	श्रीमती चेतनदीप कौर पत्नी श्री इन्दरप्रीत सिंह निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।	
57	5251	22.04.10	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह निवासी 171 ई सी रोड देहरादून।	
58	5257	22.04.10	श्री महेश सिंह पुत्र श्री ज्योति सिंह निवासी 37/21 किषन नगर देहरादून।	
59	5270	22.04.10	श्री विषाल थापा पुत्र श्री के बी थापा निवासी लच्छीवाला डोईवाला देहरादून।	
60	5453	22.04.10	श्री अभय राना पुत्र श्री प्रीतम सिंह राना निवासी मेहुवाला माफी देहरादून।	
61	5461	22.04.10	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री छोटे लाल निवासी 154 नेहरुकालोनी देहरादून।	अनु0जाति
62	5463	22.04.10	श्रीमती स्वता सिंधल पत्नी श्री अतुल कुमार निवासी सी 30 नेहरुकालोनी देहरादून।	
63	5486	22.04.10	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भगत राम निवासी बैरेक न0 22/6 प्रेमनगर देहरादून।	
64	5487	22.04.10	श्री सचिन कुमार श्रीवास्वत पुत्र श्री एस के श्रीवास्तव निवासी 4बी राजा रोड देहरादून।	
65	5488	22.04.10	श्री अरशद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी षंकरपुर रामपुर देहरादून।	
66	8126	22.05.10	श्री संजय कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी 750 बहादुराबाद हरिद्वार।	
67	10147	19.06.10	श्री अमित डोभाल पुत्र श्री बी एल डोभाल निवासी 297/।। लवली मार्केट देहरादून।	
68	14296	27.09.10	श्री चन्दन सिंह पवार पुत्र श्री दीप चन्द पंवार, निवासी 48 सुमन नगर देहरादून	विंकलाग
69	14351	28.09.10	श्री सचिन नांरग पुत्र श्री के के नांरग निवासी नवादा देहरादून।	
70	14526	01.10.10	श्री दीपक जोशी पुत्र श्री जी आर जोशी 91 उपासना इन्कलेव, लेन नं0 3 प्रेमनगर, देहरादून	
71	14535	01.10.10	श्रीमती कामिनी टंडन पत्नी श्री विवेक कुमार 91 मुस्लिम बस्ती विकासनगर, देहरादून	
72	14589	04.10.10.	श्री अंकित गोयल पुत्र श्री प्रमोद गोयल निवासी सराई गली, विकासनगर, देहरादून।	
73	14617	04.10.10	श्री सचिन कोन्डल पुत्र श्री दीना नाथ कोन्डल निवासी छरबा, सहसपुर, देहरादून।	
74	12585	06.08.10	मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।	देहरादून से प्रेमनगर तक राष्ट्रीयकृत मार्ग है तथा प्रेमनगर से परवल अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। निगम द्वारा इस मार्ग पर प्लोट आर्नर के रूप में 10 परमिटों हेतु आवेदन किया है।

75	2802	15.02.12	श्री आलोक कुमार पुत्र श्री राम सरन, विंग नं0-01, बीके0 नं0 11/02, प्रेमनगर, देहरादून	
76	74	23.08.14	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार,ग्राम मिटठी बेरी, प्रेमनगर, देहरादून ।	
77	57	23.03.15	श्री हिमांशु पुत्र श्री हुक्मचन्द, 1/177 चुक्खू वाला, देहरादून ।	अनु0जाति
78	161	14.5.15	श्री राकेश कुमार सोनकर पुत्र श्री हेमराज, नया गांव बट्टीपुर, देहरादून	अनु0जाति
79	178	14.5.15	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री शोभाराज, ग्राम व पो0 नकरौंदा गुलरधाटी देहरादून	अन्य पिछडा वर्ग
80	222	15.05.15	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अजय सिंह, 29 डी एल रोड, देहरादून	अनु0जाति
81	228	15.05.15	श्री सचिन रावत पुत्र श्री केशर सिंह, 22/2 रेसकोर्स देहरादून	
82	229	15.05.15	श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह रावत, 22/2 रेसकोर्स देहरादून	
83	240	15.05.15	श्री विश्व कुमार गर्ग पुत्र श्री फकीर चन्द, 115/9 टेलीफोन एक्सचेंज विकासनगन दे.0दून	
84	277	15.05.15	श्री राकेश कुमार बहुगुणा पुत्र स्व0 श्री प्रेम बल्लभ, 181 धर्मपुर देहरादून	
85	279	15.05.15	श्रीमती संतोष बिष्ट पत्नी श्री मनमोहन बिष्ट, चन्द्रबनी, पतीयोवाला, मोहब्बेवाला देहरादून	
86	529	16.05.15	श्री धर्म सिंह राना पुत्र श्री रेलू सिंह राना, 47 थाना पटेल नगर देहरादून	
87	530	16.05.15	श्री शानदार अली पुत्र श्री तौकिर अली, 99 ईडब्लूएस, एमडीडीए कालोनी डालनवाला देहरादून	
88	531	16.05.15	श्री वंदना डोभाल पत्नी श्री प्रशांत डोभाल, 27 सुमनपुरी अधोईवाला देहरादून	
89	532	16.05.15	श्री शौकत पुत्र श्री नसरुदीन, उस्मानपुर छरबा, देहरादून	
90	540	16.05.15	श्री देवेन्द्र सिंह राना पुत्र श्री आनन्द सिंह, दीपनगर अजबपुर कलां देहरादून	अनु0 जाति
91	548	16.05.15	श्री कमल कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व0 धर्मपाल गुप्ता, 401 डी, खुडबुडा देहरादून	
92	549	16.05.15	श्रीमती अरुणा बाला पत्नी स्व0 श्री के सी चान्दना, 66 आढत बाजार देहरादून	विकलांग

सचिव,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून ।

**संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की आगामी बैठक दिनांक 20.05.2015 के मद संख्या-7 का परिशिष्ट "ग" के अन्तर्गत
प्रेमनगर-गुलरघाटी एवं सम्बन्धित मार्ग के लिए स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र के विवरण**

क्र० सं०	कोर्टफीस कमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	अन्य विवरण
1.	1892	11.02.11	श्री राकेश पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, 117 मदरसा क्षेत्र, गणेशपुर, देहरादून।	
2.	2801	14.02.12	श्री आशीष कम्पानी पुत्र श्री जे०के० कम्पानी, 34, आराघर, देहरादून।	
3.	71	03.12.13	श्री इलमचन्द पुत्र स्व०श्री बलवन्त सिंह, ग्राम व पो०ओ० ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
4.	70	03.12.13	श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
5.	69	03.12.13	श्री मदन पाल पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह ग्राम व पो०ओ० ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
6.	43	23.08.14	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भवानी दत्त, नकरौंदा, डोईवाला, देहरादून।	
7.	44	23.08.14	श्री प्रवीन कुमार पाल पुत्र स्व० श्री राधेश्याम पाल, बालावाला, रायुपर, देहरादून।	
8.	47	23.08.14	श्री सुरेश आन्नद पुत्र श्री आर०के० आन्नद, 4/2 इस्ट रेस्ट कैम्प त्यागी, देहरादून।	
9.	720	27.08.14	श्रीमती संगीता पाल पत्नी श्री महेन्द्र पाल ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
10.	722	27.08.14	श्री ईलम चन्द पुत्र स्व० बलवन्त सिंह ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून	
11.	1314	27.08.14	श्री नवल किशोर पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह माजरी माफी आई०आई०पी०, देहरादून।	
12.	1411	27.08.14	श्री सुनील डिमरी पुत्र गोविन्द राम डिमरी, नकरौंदा, देहरादून।	
13.	329	26.08.14	श्री विवेकानन्द पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र प्रसाद, नागल हटनाला, कुल्हान सहस्त्रधारा, देहरादून।	
14.	332	26.08.14	श्री अजय बिज्लवाण पुत्र श्री विजय प्रकाश बिजलवाण नागल हट सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	
15.	81	23.08.14	कुमारी मीनाक्षी भण्डारी पुत्री श्री गोपाल सिंह भण्डारी, नेहरू कालोनी, देहरादून।	
16.	113	25.08.14	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री गोवर्धन, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून।	
17.	120	25.08.14	श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व० श्री चन्द्र मोहन ग्राम व पो०ओ० माण्डूवाला, प्रेमनगर, देहरादून।	
18.	121	25.08.14	श्री रजनेश कुमार पुत्र श्री पी०डी० शर्मा माडूवाला, देहरादून।	
19.	1608	10.09.14	श्री भीम सिंह पुत्र श्री नाथी सिंह, 79, लोवर नत्थनपुर, नेहरूग्राम, देहरादून।	
20.	1609	10.09.14	श्री एस०के० श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री डी०पी० श्रीवास्तव, 70/02 गांधी रोड, देहरादून।	

21.	1622	10.09.14	श्री अतुल सिंघल पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता, सी-30 नेहरू कालोनी, देहरादून।	
22.	2029	20.12.14	श्री हरबंस लाल पुत्र श्री कलू राम 30 बट्टीपुर, क्लेमेन्टाउन, देहरादून।	आवेदन फार्म 21 में किया है
23.	1998	20.11.14	श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, ओखला सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून।	अनु0जाति0
24.	56	23.03.15	श्री हुक्म चन्द पुत्र श्री स्व0 विशन सिंह 1/77 चुक्खूवाला, देहरादून	अनु0जाति यूके07 पीए 0479
25	140	14.05.15	श्री विकास कुमार पुत्र श्री प्रेमनाथ, 227 बालावाला, देहरादून।	
26	174	14.05.15	श्री देवेन्द्र मल्होत्रा पुत्र श्री करम चन्द मल्होत्रा निवासी रीठा मण्डी, देहरादून	
27	177	14.05.15	श्री दिनेश चन्द पाल पुत्र श्री सुरेश चन्द पाल, एच 118 नेहरू कालोनी अधोईवाला देहरादून	
28	182	14.05.15	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री कुशल कुमार, नियर पेट्रोल पम्प, बालावाला देहरादून	
29	196	15.05.15	श्री सम्रट सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, हाथीबडकला, देहरादून	
30	203	15.05.15	श्री पी आर जोशी पुत्र श्री आर डी जोशी, ग्राम व पो.0 कांवली देहरादून	
31	209	15.05.15	श्री अजय कुमार पुत्र श्री मनीराम, 97 बालावाला देहरादून	
32	214	15.05.15	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री चन्द्रमोहन लाल, 29 माण्डुवाला देहरादून	प्रपत्र 21 पर आवेदन किया है।
33	215	15.05.15	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द, ग्राम डांडा खुदानेवाला रायपुर देहरादून	
34	217	15.05.15	श्री आशीष कम्पानी पुत्र श्री जगदीश कुमार कम्पानी, 34 आराधर देहरादून	
35	218	15.05.15	श्री सन्नी थापा पुत्र श्री दल बहादुर थापा, निवासी गढी कैन्ट देहरादून	
36	271	15.05.15	श्रीमती किरन चन्देल पत्नी श्री अनुज कुमार चन्देल, 5 सेवक आश्रम रोड देहरादून	
37	282	15.05.15	श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन प्रसाद, ग्राम तुनवाला अपर देहरादून	
38	283	16.05.15	श्रीमती मोनिका पाल पत्नी श्री पंकज पाल, ग्राम व पो0 बालावाला, देहरादून	
39	289	16.05.15	श्री धर्मपाल गुसाईं पुत्र श्री कस्तुरी लाल, मेन बाजार, सेलाकुई देहरादून	
40	291	16.05.15	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, संतोष नगर, आईआईपी, मोहकमपुर, देहरादून	
41	293	16.05.15	श्री मदन लाल पुत्र श्री बाबूराम, 496 लोअर नत्थनपुर देहरादून	
42	312	16.05.15	श्री संगीता सेमवाल पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, 95 ए संजय कालोनी बलबीर रोड देहरादून	
43	331	16.05.15	श्री मंयक चमोली पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, ग्राम व पो.0 बालावाला देहरादून	
44	347	16.05.15	श्री मठोर सिंह चौहान, पुत्र स्व0 श्री भाव सिंह, ग्राम सवाई कालसी देहरादून	विकलांग

45	496	16.05.15	श्री जय सिंह वालिया पत्नी स्व श्री राजपाल सिंह, 196/184 डी एल रोड देहरादून	
46	497	16.05.15	श्री लेखराज यादव पुत्र श्री रामदेव यादव, 24 हाथीबडकला, देहरादून	
47	498	16.05.15	श्री ममता वालिया पत्नी श्री जय सिंह वालिया, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
48	500	16.05.15	कृ. पूजा पुत्री श्री चन्दु लाल, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
49	501	16.05.15	श्री राकी कुमार पुत्र श्री राजपाल, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
50	502	16.05.15	श्री भगवान दास पुत्र श्री मिश्री लाल, पिताम्बरपुर, प्रेमनगर, देहरादून	विकलांग
51	503	16.5.15	श्री राकेश कुमार पुत्र स्व श्री राजपाल, 196/184 डी एल रोड, देहरादून	
52	504	16.05.15	श्री रिकू पाल पुत्र श्री विक्रम पाल, बालावाला देहरादून	
53	505	16.05.15	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रबनी, सुन्दरवाला रायपुर देहरादून	
54	506	16.05.15	श्री मिनाक्षी गर्ग पत्नी श्री संजय गर्ग, 21 मालियान मोहल्ला, आढत बाजार देहरादून	
55	507	16.05.15	श्री अभिषेक रावत पुत्र श्री माम राज सिंह रावत, डांडा खुदानेवाला, गुजराडा देहरादून	विकलांग
56	508	16.05.15	श्री अनूप कुमार दुबे पुत्र श्री पी एन दुबे, नत्थूवाला बालावाला रोड, देहरादून	
57	509	16.05.15	श्रीमती मंजीत पाल पत्नी श्री प्रदीप पाल, 134 ग्राम व पो0 बालावाला देहरादून	
58	510	16.05.15	श्रीमती फौजिया अंसारी पत्नी श्री नईम अंसारी, ए ब्लॉक 61/3 नेहरु कालोनी देहरादून	
59	511	16.05.15	श्री सुजीत कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व0 सुभाष चन्द शर्मा, 126 पौधा, प्रेमनगर, देहरादून	
60	512	16.05.15	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री जे एस बालियान, 16 साई बाबा एनक्लेव, देहराखास, देहरादून	
61	513	16.05.15	श्री लवकेश सिंह राणा पुत्र श्री महिपाल सिंह, 12/12 ए ब्लॉक नई बस्ती, रेसकार्स देहरादून	
62	543	16.05.15	श्रीमती श्वेता सिंधल पत्नी श्री अतुल सिंधल, सी 30 नेहरु कालोनी, देहरादून	
63	545	16.05.15	श्री इल्ताफ पत्नी श्री शेरअली, जीवनगढ विकासनगर देहरादून	
64	551	16.5.15	श्रीमती सुमन भास्कर पत्नी श्री जयप्रकाश भास्कर, विजयलोक बालावाला देहरादून	
65	553	16.05.15	श्री सौरभ मंमगाई पुत्र श्री राधेश्याम मंमगाई निकट शिव मंदिर रायपुर देहरादून	
66	554	16.05.15	श्री दक्ष कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, अमर भारती चन्द्रबनी, देहरादून	
67	560	16.05.15	श्रीमती बीना मोघा पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, बंशीवाला झाझरा सुदोवाला देहरादून	
68	562	16.05.15	श्री चन्द्र किशोर सोनी पुत्र श्री किशन लाल, नेहरुकालोनी हरिद्वार रोड देहरादून	
69	565	16.05.15	श्री बाबू पाल पुत्र श्री दर्शन सिंह, 50 लालीखेत विकासनगर देहरादून	
70	566	16.05.15	श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री ओंकार चन्द, कोटरा कल्याणपुर देहरादून	
71	567	16.05.15	श्री श्रवण पुत्र श्री राजकुमार, 75 सरस्वती बिहार, विकासनगर देहरादून	

72	568	16.05.15	श्री अंकित जायसवाल पुत्र श्री राजकुमार जायसवाल, शिवमंदिर, हरबर्टपुर देहरादून	
73	569	16.05.15	श्री अरुण कंडवाल पुत्र श्री सत्यप्रकाश कंडवाल, हरिपुर विकासनगर देहरादून	
74	570	16.05.15	श्री विजय कुमार पुत्र श्री बद्रीदत्त सहसपुर देहरादून	
75	602	16.05.15	श्री हरिओम पुत्र श्री जयप्रकाश, नजदीक आजाद टैन्ट हाउस, माजरा, देहरादून	

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 के मद संख्या-5 के परिशिष्ट "ख "
राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण

क्र० सं०	कोर्ट फीस नं०	प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की तिथि	आवेदनकर्ता का नाम व पता	टिप्पणी
1	5862	09.06.06	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री करन सिंह निवासी 77 डंगवाल मार्ग काली मंदिर देहरादून।	अनु०जाति
2	7154	18.07.06	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री माखन लाल 01 अम्बेडकर कालोनी, नालापानी रोड देहरादून।	
3	7803	31.07.06	श्री नील बहादुर थापा पुत्र स्व श्री अतर सिंह थापा निवासी 129 जाखन देहरादून।	
4	8168	07.08.06	श्री यतीश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी भगवन्तपुर राजपुर देहरादून।	
5	8820	23.08.06	श्री विजय कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी निरंजनपुर 20 चमनबिहार देहरादून।	
6	9669	11.09.06	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी धर्मपुर डांडा नत्थनपुर देहरादून।	
7	9820	14.09.06	श्री मरगुब आलम पुत्र श्री खुरशीद आलम निवासी 43 गांधी रोड देहरादून। तेजपाल	
8	10122	22.09.06	श्री अजय सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी 14 ओल्ड सर्वे रोड देहरादून।	विकलांग
9	12577	02.12.06	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री गोपाल सिंह निवासी 186 नेहरु कालोनी देहरादून।	
10	14180	06.09.08	श्री अरुण डिमरी पुत्र स्व श्री आर पी डिमरी निवासी 47 केशव रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
11	14370	15.09.08	श्री बीरी सिंह पुत्र श्री फिन्जु राम निवासी लक्कड धाट ओल्ड राजपुर देहरादून।	
12	14516	19.09.08	श्री अन्नु ठाकुर पुत्री श्री लाल बहादुर ठाकुर निवासी सुभाष नगर मोहब्बेवाला देहरादून।	विकलांग
13	14518	19.09.08	श्रीमती हेमंती देवी पत्नी श्री राम सिंह निवासी चन्द्रमणि खालसा मोहब्बेवाला देहरादून।	विकलांग
14	13847	03.11.08	श्री किरन उनियाल पत्नी श्री विरेन्द्र उनियाल निवासी 05 कालीदास रोड देहरादून।	
15	16499	19.11.08	श्री गौरव चौहान पुत्र श्री मंगल सिंह चौहान निवासी 32 गांधी रोड देहरादून।	
16	16706	25.11.08	श्री अनुज कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी 387 पटेल नगर देहरादून।	
17	17195	04.12.08	श्री कमल सिंह कण्डवाल पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी 10/2 ओल्ड सर्वे रोड देहरादून।	
18	17201	04.12.08	श्री दीपक सिंह नेगी एवम् ओमप्रकाश निवासी मालसी सिनौला 46/5 चुक्खुवाला देहरादून।	
19	17376	06.12.08	श्री मयूर पुत्र श्री सुन्दर लाल निवासी 40 नेहरु कालोनी लोअर नत्थनपुर देहरादून।	
20	17388	06.12.08	श्री इकबाल राव पुत्र श्री लाल मोहम्मद निवासी 15 सी टर्नर रोड क्लेमेन्टाउन देहरादून।	
21	17487	06.12.08	श्री प्रदीप पुत्र श्री फूल सिंह निवासी जौली ग्रान्ट देहरादून।	
22	17614	08.12.08	श्री अमीर रजा पुत्र श्री जीमल अहमद निवासी 280 एन बी चन्दर रोड डालनवाला देहरादून।	
23	17531	08.12.08	श्री लोकेश सिंह पुत्र श्री गिरधारी प्रसाद निवासी भाऊवाला वाया प्रेमनगर देहरादून।	
24	17924	11.12.08	श्रीमती सोनिया पत्नी श्री शंकर निवासी 120 आराधर देहरादून।	

25	17972	11.12.08	श्री अर्जुन पुत्र श्री सत्यदेव सिंह निवासी सनगांव देहरादून।	
26	17973	11.12.08	श्रीमती सोनिया पत्नी श्री शंकर निवासी 120 आराधर देहरादून।	
27	18146	12.12.08	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री गोपाल सिंह निवासी ए 186 नेहरु कालोनी देहरादून।	
28	18292	18.12.08	श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व श्री फूल सिंह निवासी 54 एमडीडीए कालोनी केदारपुरम देहरादून।	
29	18265	18.12.08	श्री अतुल कुमार पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता निवासी 6 दर्शनी गेट देहरादून।	
30	18807	18.12.08	श्री जितेन वर्मा पुत्र श्री वी के वर्मा निवासी 47/18 पार्क रोड देहरादून।	
31	18825	18.12.08	श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी 26 मालविया रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
32	18433	18.12.08	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व श्री बन्शी लाल निवासी 7/2 स्पेशल विंग प्रेमनगर देहरादून।	
33	18467	18.12.08	श्री अमरजीत सिंह पुत्र स्व श्री सरदार माखन सिंह निवासी 912 रेस कोर्स वैली देहरादून।	
34	18431	18.12.08	श्री कलम सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी बहेलिया बस्ती निरंजनपुर देहरादून।	
35	18432	18.12.08	श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व श्री कस्तुरी लाल निवासी 11 रेस्ट कैम्प इस्ट ।। देहरादून।	
36	19778	07.01.09	श्री अधीर सिंह नेगी पुत्र श्री आर एस नेगी निवासी 274 ब्लाक। धर्मपुर देहरादून।	
37	20969	21.01.09	श्री प्रकाश सिंह पाल पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी अपर नत्थनपुर नेहरु ग्राम देहरादून।	अनु0जाति
38	21097	22.01.09	श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी 222 डी एल रोड देहरादून।	अनु0जाति
39	21098	22.01.09	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी 222 डी एल रोड देहरादून।	
40	21099	22.01.09	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री विकास कुमार निवासी 222 डीएल रोड देहरादून।	
41	21100	22.01.09	श्री विकास कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी 222 डी एल रोड देहरादून।	अनु0जाति
42	21168	22.01.09	श्री राजकुमार पुत्र श्री राम आसरे निवासी 93/3 ईदगाह कुम्हार मण्डी देहरादून।	
43	21390	24.0.09	श्री मतलूब साबरी पुत्र श्री साबिर हुसैन निवासी 164 खुडबुडा मोहला देहरादून।	
44	22290	07.02.09	श्री रहिस अहमद पुत्र श्री जहुर अहमद निवासी 14 नया नगर गांधी रोड देहरादून।	
45	22448	10.02.09	श्रीमती कमलेश पत्नी श्री चमन लाल निवासी 137 कांवली रोड शिवाजी मार्ग देहरादून।	विकलांग
46	22542	12.02.09	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लाल सिंह निवासी 19 नई बस्ती नालापानी रोड देहरादून।	
47	22613	13.02.09	श्री कृष्ण लाल शर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल शर्मा निवासी 331 खुडबुडा मोहला देहरादून।	
48	23177	25.02.09	श्रीमती बिलकिश जहान पत्नी श्री खलील अहमद, 205 लास्ट इन्दर रोड भगत सिंह कालोनी डालनवाला देहरादून।	
49	23647	04.03.09	श्री खान अली पुत्र श्री सबीर अहमद निवासी मस्जिद वाली गली माजरा देहरादून।	विकलांग
50	24121	13.03.09	श्री संदीप यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव, गौरवपुर षाह नगर डिफेन्स कालोनी देहरादून।	
51	24639	20.03.09	श्री शिव कुमार पुत्र श्री स्वरूप चन्द निवासी 62 गुजराडा मान सिंह देहरादून।	
52	24667	20.03.09	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री एन सिंह निवासी सीआईबीएस नत्थनपुर देहरादून।	

53	24777	23.03.09	श्री अखलाक हसन पुत्र स्व श्री महब हसन निवासी माजरा देहरादून।	
54	24950	25.03.09	श्री बिशन सिंह पुत्र स्व श्री दौलतराम निवासी 14 ओल्ड सर्वे रोड देहरादून।	
55	25209	31.03.09	श्री संजीव सिंधल पुत्र श्री धनप्रकाश सिंधल निवासी चमनपुरी पटेलनगर देहरादून।	
56	943	23.04.09	श्री बी एस बिष्ट पुत्र श्री जीत सिंह बिष्ट, 4/126 अशोक बिहार अजबपुर कलां देहरादून।	
57	2090	20.05.09	श्री गौरव सक्सेना पुत्र श्री जगदीश सक्सेना 79 विवेक बिहार जीएमएस रोड देहरादून।	
58	4098	12.06.09	श्री प्रवीण सिंह नेगी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह नेगी निवासी नेगी निवास 104 कांवली देहरादून।	
59	7692	29.09.09	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पूरन सिंह निवासी तरला नागल कुल्हान देहरादून।	
60	8016	09.10.09	श्री रमेश पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी बौराडी अदुरवाला देहरादून।	
61	8174	12.10.09	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी जौलीग्रान्ट देहरादून।	
62	8193	12.10.09	श्री द्विगपाल सिंह रावत पुत्र स्व श्री प्रताप सिंह निवासी इन्दिरा एनक्लेव हरबंशवाला देहरादून	भूतपूर्व सैनिक
63	8379	13.10.09	श्री बीरी सिंह पुत्र स्व श्री फिन्जु सिंह निवासी 01 लखोण्ड धाट ओल्ड राजपुर देहरादून।	
64	8381	13.10.09	श्री संजय सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह निवासी 01 लखोण्ड धाट ओल्ड राजपुर देहरादून।	
65	8825	14.10.09	श्रीमती सीमा पत्नी श्री इन्दरजीत निवासी 9 खत्री मोहला देहरादून।	
66	8826	14.10.09	श्रीमती पूनम पत्नी श्री रणजीत सिंह निवासी 9 खत्री मोहला देहरादून।	
67	8571	14.10.09	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व श्री अवतार सिंह, 20 शास्त्री मोहला जौलीग्रान्ट देहरादून।	
68	8910	15.10.09	श्री सुभाष चन्द पुत्र स्व श्री सालिक राम निवासी कुआंवाला हर्वाला देहरादून।	अनु0 जाति
69	10510	24.10.09	श्री विपिन सिंह पंवार पुत्र श्री कमल सिंह पंवार, 3/102 माता मंदिर कालोनी अजबपुर कलां देहरादून।	विकलांग
70	10102	16.10.09	श्री सन्देश पन्त पुत्र श्री अरुण पन्त निवासी डांडा लंखोण्ड गुजराडा देहरादून।	
71	11712	06.11.09	श्रीमती रीना शर्मा पत्नी श्री नवीन शर्मा निवासी 162 वैष्णव बिहार रायपुर देहरादून।	
72	10137	19.06.10	श्री अतुल सिंधल पुत्र श्री शिव कुमार सिंधल निवासी सी 30 नेहरु कालोनी देहरादून।	
73	10138	19.06.10	श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरी सिंह निवासी यूपीसीएल ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून।	अनु0जाति
74	10281	19.06.10	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी जौलीग्रान्ट देहरादून।	पिछडी जाति
75	10282	19.06.10	श्रीमती किरन चन्देल पत्नी श्री अनुज कुमार चन्देल निवासी 5 सेवक आश्रम रोड देहरादून।	
76	10248	19.06.10	श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपूर देहरादून।	
77	10646	19.06.10	मौ0 गुलफाम पुत्र श्री अब्दुल वाहिद निवासी आजाद नगर रायपुर रोड देहरादून।	
78	10920	26.06.10	श्री रधुवीर सिंह नेगी पुत्र श्री के एस नेगी निवासी 65 डोभालवाला देहरादून।	
79.	11772	10.07.10	श्रीमती सारिका पन्त पत्नी श्री आशीष पन्त निवासी 1108 इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून।	
80	14250	25.09.10	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल निवासी 152 डी0एल0 रोड, देहरादून।	

81.	14293	27.09.10	श्री धीरज कुमार पुत्र श्री राम किशोर निवासी 149, पथरियापीर, देहरादून।	
82.	14343	28.08.10	श्री सुशील नौटियाल पुत्र श्री गणेश दत्त नौटियाल 227 फेज 1 बसन्त बिहार देहरादून।	
83.	14521	01.10.10	श्री अभिनव गर्ग पुत्र श्री आर एस गर्ग निवासी 9ए रिस्पना राड़ ब्लाक रोड़ करनपुर, देहरादून।	
84.	14525	01.10.10	श्री संजय बहादुर सिंह पुत्र श्री हरवश सिंह निवासी 24/08 धर्मपुर देहरादून	
85.	14531	01.10.10	श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री ए के अग्रवाल निवासी 23/12 कबाड़ी बाजार, रूड़की।	
86.	14533	01.10.10	श्रीमती कामिनी टंडन पत्नी श्री विवेक कुमार वार्ड नं0 2 मुस्लिम बस्ती विकासनगर, देहरादून।	
87.	14536	01.10.10	श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व श्री डी एम अग्रवाल 23/12 कबाड़ी बाजार, रूड़की।	
88.	14541	01.10.10	श्री अशोक कुमार कम्बोज/प्राकुर कम्बोज निवासी 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून	
89.	14580	04.10.10	श्रीमती जितेन्द्र कौर पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी 303 पटेल नगर, देहरादून।	
90.	14581	04.10.10	श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह निवासी 303 पटेल नगर देहरादून।	
91.	15585	04.10.10	श्री प्रमोद गोयल पुत्र स्व श्री सीता राम निवासी सराई गली विकासनगर, देहरादून।	
92.	14588	04.10.10	श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री अजय कुमार निवासी सराई गली विकासनगर देहरादून।	
93.	14591	04.10.10	श्री गौतम व अंकित गोयल निवासी सराई गली विकासनगर देहरादून।	अनु0 जाति
94.	14592	04.10.10	श्री महेन्द्र पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जे 75 हाथीबड़कला, देहरादून	
95.	14594	04.10.10	श्री रोहिताश पुत्र श्री मामराज निवासी मौहल्ला लोधामण्डी ज्वालापुर, देहरादून।	
96.	14595	04.10.10	श्री सत्य सिंह कैन्तुरा पुत्र स्व0 श्री आर सी सिंह निवासी ग्राम हरिपुर सेलाकुई देहरादून।	
97.	14596	04.10.10	श्री कुलदेव कैन्तुरा पुत्र श्री के एस कैन्तुरा, माजरी माफी आईआईपी मोहकमपुर, देहरादून।	
98.	14597	04.10.10	श्री विजय कुमार पुत्र श्री करम चन्द निवासी मोहल्ला ला मन्दिर आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार।	
99.	14601	04.10.10	श्री इन्दरजीत सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह निवासी 52 ओल्ड डालनवाला, देहरादून।	
100.	14602	04.10.10	श्री नवाबुदीन पुत्र श्री इलाहुदीन निवासी मेहुवाँला माफी, देहरादून।	
101.	14624	04.10.10	श्री याकूब पुत्र श्री दीन मोहम्मद निवासी ग्राम लाइन जीवनगढ़ विकासनगर, देहरादून।	

102	12587	06.08.10	मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।	राजपुर-क्लेमेन्टान राष्ट्रीयकृत मार्ग पर फ्लीट आर्नर के रूप में 10 परमिटों हेतु आवेदन किया गया है।
103	17329	29.11.10	श्रीमती अजय भारद्वाज पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारद्वाज, केवल विहार, सहस्रधारा रोड़, देहरादून।	
104	17919	15.12.10	श्री अनुज कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, 387 पटेलनगर, देहरादून।	
105	18229	22.12.10	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सलिकराम, ग्राम- कुआँ वाला, पो0ओ0- हर्वाला, देहरादून।	

106	4026	04.03.11	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री जी0एन0 शर्मा, 264 नत्थनपुर, देहरादून।	
107	4027	04.03.11	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, 4 बी राजा रोड, देहरादून।	
108	4028	04.03.11	श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थीसिंह, 79 लोअर नत्थनपुर, नेहरूग्राम, देहरादून।	
109	4029	04.03.11	श्री रामकुमार पुत्र श्री चमनलाल, प्रतीतपुर, धर्मावाला, देहरादून।	
110	64	03.12.13	श्री संगीतापाल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
111	01	15.01.14	श्री आसिफ इकबाल पुत्र श्री सुल्तान आलम, बजरग निवास, सुभाषनगर, देहरादून।	
112	24	21.08.14	श्री हरबन्स लाल पुत्र स्व0 कल्लूराम, 30 बट्टीपुर तिलवाड़ी, देहरादून	यूए 11 0690
113	454	26.08.14	श्री असफाक अली पुत्र हनीफ अली भुडडी कारबारी, देहरादून।	
114	595	27.08.14	श्री शेख जलील अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद 93 संजय कॉलोनी इन्दर रोड, देहरादून।	
115	596	27.08.14	श्री सलमान अन्सारी पुत्र श्री मोहम्मद इदरीश, संजय कॉलोनी देहरादून।	
116	716	27.08.14	श्री मदनपाल पुत्र स्व0 बलवन्त सिंह निवासी ढालीपुर, विकासनगर, देहरादून।	
117	719	27.08.14	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।	
118.	724	27.08.14	श्री इकबाल हसन पुत्र श्री सगीर अहमद, ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।	
119.	778	27.08.14	श्री पवन मुखेजा पुत्र श्री देवीदास 124 गुरु रोड, देहरादून।	
120.	1301	27.08.14	श्री मो0 कासिम पुत्र श्री दीन मुहम्मद एनफील्ड ग्रान्ट, विकासनगर, देहरादून।	
121.	1302	27.08.14	श्रीमती कामिनी टण्डन पत्नी श्री विवेक कुमार, 91 मुस्लिम बस्ती, विकासनगर, देहरादून।	
122.	1315	27.08.14	श्री नवल किशोर पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह माजरी माफी, आईआईपी, देहरादून	
123.	1398	27.08.14	श्री कमल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह तरला नागल पो0ओ0 नागल, देहरादून।	
124.	1399	27.08.14	श्री दीपक बिज्जवाण पुत्र श्री ओम प्रकाश बिज्जवाण मरोठा नागल हटनाला, देहरादून।	
125	1401	27.08.14	श्री सुमित बिष्ट पुत्र श्री देवेन्द्र बिष्ट ननूरखेडा नालापानी देहरादून।	
126	1404	27.08.14	श्रीमती प्रीति पत्नी श्री विनय सिंह तरला नागल, कुल्हान, देहरादून।	
127	1405	27.08.14	श्री बिनू कुमार पुत्र श्री गोकुल, आफीसर कालोनी, टिहरी हाउस, राजपुर रोड देहरादून।	
128.	56	23.08.14	श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 री बाबू राम 116 बी चन्द्र शेखर आजाद कॉलोनी, देहरादून	
129.	171	23.08.14	श्री मनीष चन्द्र पुत्र श्री देवी प्रसाद भट्ट, गुजराडा देहरादून।	
130.	82	23.08.14	श्री कन्हैया लाल पुत्र हरी प्रसाद यादव, 96/21 मोहनी रोड, देहरादून।	
131.	1437	27.08.14	श्री हुक्म चन्द पुत्र स्व0 श्री विशन लाल 1/77 चुक्खूवाला, देहरादून	
132	1605	10.09.14	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री तिलक राज, 126, सेवला कलां, पटेलनगर, देहरादून।	

133	1606	10.09.14	श्रीमती ज्योति गोयल पत्नी श्री अनुज गोयल, 16/03 ई0सी0 रोड, देहरादून।	
134	1607	10.09.14	श्रीमती अनीता गोयल पत्नी श्री पंकज गुप्ता, 56 डी0एल0 रोड, देहरादून।	
135	1610	10.09.14	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री हरि सिंह, ग्रा0 आमवाला अपर नालापानी, देहरादून।	
136	1612	10.09.14	श्री सतीश आनन्द पुत्र श्री ओम प्रकाश, मेहुवाला माफी, माजरा, देहरादून।	
137	1611	10.09.14	श्री अतुल सिंघल पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता, 30-नेहरू कालोनी, देहरादून।	
138	1613	10.09.14	श्री राजकुमार पुत्र श्री तिलक राज, 126, सेवला कलां, पटेलनगर, देहरादून।	
139	1614	10.09.14	श्री रूपेश कुल्हान पुत्र श्री बी0एस0 कुल्हान, मालसी पोस्ट ऑफिर सिनोला, देहरादून।	
140	1615	10.09.14	श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 70/07 गांधी रोड, देहरादून।	
141	1616	10.9.14	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री किशन लाल, विंग नं0-03, प्रेमनगर, देहरादून।	
142	1621	10.09.14	श्री ऊषा आनन्द पुत्र श्री सतीश आनन्द, मेहुवाला माफी, माजरा, देहरादून।	
143	1467	29.08.14	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री तेज पाल सिंह, 289, संजय कालोनी पटेल नगर, देहरादून।	
144	1999	20.11.14	श्री मनोहर लाल पुत्र स0 श्री नथू सिंह 152 डील रोड, देहरादून।	
145	1946	10.11.14	श्री आशीष पुत्र श्री रमेश चन्द, अपर कण्डौली, देहरादून।	
146	98	11.05.15	श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, 152 डीएल रोड, देहरादून।	अनुसूचित जाति
147	103	11.05.15	श्री सचिन रावत पुत्र श्री केसर सिंह रावत, एफ 22/2 रेर्सकोर्स, देहरादून।	
148	112	13.05.15	श्री तिलक राज पुत्र श्री यादराम 107, इन्देशनगर, कांवली रोड, देहरादून।	
149	117	13.05.15	श्री दीपक नेगी पुत्र श्री कलम सिंह, बालावाला, देहरादून।	
150	127	13.05.15	श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भवानी दत्त, नकरौंदा, देहरादून।	
151.	152	14.05.15	श्रीमती नीरज गोयल पत्नी श्री महेन्द्र गोयल बाबूगढ विकासनगर देहरादून।	
152.	175	14.05.15	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री खुषी राम, 134, नकरौंदा बालावाला देहरादून।	
153.	193	14.05.15	श्री निषान्त गुप्ता पुत्र श्री पवन गुप्ता, बैरागीवाला, हरबर्टपुर देहरादून।	
154.	197	15.05.15	श्री मनोज पुत्र श्री प्रहलाद स्वरूप, 46/2 आराघर देहरादून।	
155.	198	15.05.15	श्री सतीष कष्यप पुत्र श्री अत्तर सिंह, 18 ग्रीन पार्क निरजनपुर माजरा देहरादून।	
156.	202	15.05.15	श्री पी0 आर0 जोषी पुत्र श्री आर0डी0 जोषी, कांवली देहरादून। श्री दिव्यांक गर्ग पुत्र श्री विष्व कुमार गर्ग, 115/9 टेलीफोन एक्सचेंज विकासनगर देहरादून।	
157.	207	15.05.2015	श्री अभय उनियाल पुत्र स्व0 श्री नन्द लाल उनियाल, गुजराडा, एस0डी0 रोड देहरादून।	
158.	216	15.05.2015	श्री दीपक षर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द षर्मा, ग्राम डांडा खुदानेवाला, रायपुर देहरादून।	

159.	232	15.05.2015	श्री दिनेष कुमार पुत्र श्री सोमनाथ पाल, 101, कांवली देहरादून।	
160.	241	15.05.2015	श्री दिव्यांक गर्ग पुत्र श्री विष्णु कुमार गर्ग, 115/9 टेलीफोन एक्सचेंज विकासनगर देहरादून।	
161.	243	15.05.2015	श्री साहिल गोयल पुत्र श्री महेन्द्र प्रकाश बाबूगढ विकासनगर देहरादून।	
162.	252	15.05.2015	श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री उग्रर सिंह, 95 प्रतीतपुर विकासनगर देहरादून।	
163.	254	15.05.2015	श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री जीत सिंह रावत, ग्राम गडोली प्रतापनगर देहरादून।	
164.	263	15.05.2015	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोषन लाल, 455 नयागांव बट्टीपुर देहरादून।	
165.	266	15.05.2015	श्री रोहित सोनकर पुत्र श्री रतन लाल सोनकर, चुक्खुवाला आंषिक वार्ड नं0 12 देहरादून।	
166.	270	15.05.2015	श्रीमती किरण चन्देल पुत्र श्री अनुज चन्देल, 5 सेवक आश्रम रोड देहरादून।	
167.	276	15.05.2015	श्रीमती नीलत डंडरियाल पत्नी श्री विजय वर्धन डंडरियाल, 3 नरदेव शास्त्री मार्ग देहरादून।	
168.	278	15.05.2015	श्री मति संतोश बिष्ट पत्नी श्री मनमोहन सिंह बिष्ट, चन्द्रबनी मोहब्बेवाला देहरादून।	
169.	286	16.05.2015	श्री महेन्द्र सिंह पाल पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह पाल, ढालीपुर विकासनगर देहरादून।	
170.	292	16.05.2015	श्री मनोज नेगी पुत्र श्री पुश्कर सिंह, ग्राम बडोवाला आरकेडिया ग्राण्ट प्रेमनगर देहरादून।	
171.	298	16.05.2015	श्री ओमेन्द्र यादव पुत्र श्री एस0 एस0 यादव, 379, इन्द्रा नगर कालोनी देहरादून।	
172.	305	16.05.2015	श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री चरन सिंह, राजपुर घासमण्डी देहरादून।	
173.	310	16.05.2015	श्री कमल सिंह पुत्र श्री किषन सिंह, 59, डांडा लखौण्ड रायपुर देहरादून।	
174.	332	16.05.2015	श्री जसप्रीत सिंह मान पुत्र श्री जगवीर सिंह मान, 112 बॉडी गार्ड राजपुर रोड देहरादून।	
175.	334	16.05.2015	श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद, वार्ड नं0 2 विकासनगर देहरादून।	
176.	348	16.05.2015	श्रीमती षोभा नेगी पत्नी श्री संजय रौथान, 9 कान्हरवाला, बक्सरवाला, डोईवाला देहरादून।	
177.	367	16.05.2015	श्री नीरज रावत पुत्र श्री सुन्दर सिंह रावत, 2 अस्थल रायपुर देहरादून।	
178.	368	16.5.2015	श्री मदन पाल पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह, ग्राम व पोस्ट ढालीपर विकासनगर देहरादून।	
179.	467	16.05.2015	श्री जयसिंह वालिया पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह, 196 व 184 डी0 एल0 रोड देहरादून।	
180.	468	16.05.2015	श्रीमती पूजा रानी पत्नी श्री चन्दू लाल, 196, डी0एल0 रोड देहरादून।	
181.	469	16.05.2015	श्री रोकी कुमार, पुत्र श्री चन्दू लाल, 196, डी0एल0 रोड देहरादून।	
182.	470	16.05.2015	श्री अंकित कष्यप पुत्र श्री रमेश चन्द्र, 29/2 बॉडी गार्ड राजपुर रोड देहरादून।	
183.	471	16.05.2015	श्री आबिद हुसैन पुत्र श्री इबने हसन, रक्षा बिहार अधोईवाला तपोवन देहरादून।	
184.	472	16.05.2015	श्री राकेष कुमार पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह, 196, डी0एल0 रोड देहरादून।	
185.	473	16.05.2015	श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री मुंषी राज, 58 धोरण खास डांडा लखौण्ड देहरादून।	

186.	474	16.05.2015	श्री संकेत नौटियाल पुत्र स्व० श्री संतोशी प्रसाद नौटियाल, 58 धोरण खास गुजराडादेहरादून।	
187.	475	16.05.2015	श्री मती ममता वालिया पत्नी श्री जय सिंह वालिया, 196, डी०एल० रोड देहरादून।	
188.	476	16.05.2015	श्री राजीव गर्ग पुत्र श्री कुलवंत राय, 21, मालीयान मौहल्ला आढत बाजार देहरादून।	
189.	477	16.05.2015	श्रीमती अल्का मित्तल पत्नी श्री लोकेष मित्तल, 3 महन्त रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
190.	478	16.05.2015	श्री अंकुष सिंह पुत्र श्री विनय सिंह, 48 हाथी बडकला देहरादून।	
191.	479	16.05.2015	श्री प्रवीन तिवारी पुत्र श्री एन बी तिवारी, 533, गांधीग्राम देहरादून।	
192.	480	16.05.2015	श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, 81, पार्क रोड देहरादून।	
193.	481	16.05.2015	श्री अरुण कुमार जसवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश जसवाल, 11 गुरु रोड लक्ष्मण चौक देहरादून।	
194.	482	16.05.2015	श्री राजेश वालिया पुत्र श्री सुषील वालिया, 735 वार्ड नं० 47, माजरा देहरादून।	
195.	539	16.05.2015	श्री अतुल कुमार पुत्र श्री मुरानी लाल, बी-74, नेहरू कालोनी देहरादून।	
196.	544	16.05.2015	श्रीमती स्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल सिंघल, सी-30 नेहरू कालोनी देहरादून।	
197.	547	16.05.2015	श्री कमल कुमार गुप्ता पुत्र श्री धर्मपाल गुप्ता, 401 डी खुडबुडा देहरादून।	
198.	550	16.05.2015	श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व० श्री वीरसैन जैन, 17 झंडा बाजार देहरादून।	प्रपत्र एस०आर०-21
199.	552	16.05.2015	श्री मनीश सोनकर पुत्र श्री श्रवण सोनकर, 119 कांवली रोड देहरादून।	
200.	572	16.05.2015	श्री विपिन बंसल पुत्र स्व० श्री पी० सी० बंसल, 3 गोविंद नगर, सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
201.	161	16.05.2015	श्रीमती संगीता मनवाल पत्नी श्री रमेश मनवाल, 11 भूपाल पानी देहरादून।	
202.	611	16.05.2015	श्री सुरेन्द्र घेयल पुत्र श्री किषोरी लाल, 117, जीएमएस रोड कांवली देहरादून।	अनुसूचित जाति
203.	597	16.05.15	श्री मनीष पुण्डीर पुत्र श्री विजय पुण्डीर, दुर्गा मन्दिर, जैन्तन वाला, देहरादून।	

सचिव,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून।

**संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 के मद संख्या-4 परिशिष्ट "क"
सहस्त्रधारा-देहरादून-आईएसबीटी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण**

क्र० सं०	कोर्ट फीस नं०	प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की तिथि	नाम व पता	श्रेणी	टिप्पणी
1.	7230	19.07.06	श्री रोहित सोनकर पुत्र श्री राजेन्द्र सोनकर निवासी 50/3 बाडी गाई राजपुर देहरादून।	अनु०जाति	
2.	12306	28.11.06	श्री नितिन कुमार पुत्र श्री मोहन लाल निवासी एच 108 नेहरु कालोनी देहरादून।		
3.	12311	28.11.06	श्री पदम प्रकाशपुत्र श्री सुन्दर लाल निवासी एच 308 नेहरु कालोनी देहरादून।		
4.	6145	12.06.07	श्री बंसत सिंह बिष्ट पुत्र श्री इन्दर सिंह बिष्ट निवासी माजरी माफी 392 मोहकमपुर देहरादून।		
5.	9200	09.07.07	श्री नवीन गुप्ता पुत्र श्री आर के गुप्ता निवासी 5 मेनबाजार रायपुर देहरादून।		
6.	10032	24.09.07	श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री छज्जू सिंह निवासी टिमली मानसिंह राजपुर रोड देहरादून।		
7.	10175	28.09.07	श्रीमती नीतू ढिल्लो पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह ढिल्लो निवासी 89 ए, लेन न06 केशव बिहार निंरजनपुर देहरादून।		
8.	10909	15.10.07	श्री विपिन कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जैन निवासी अपर राजीव नगर नेहरु ग्राम देहरादून।		
9.	13462	11.12.07	श्री गुरचरन सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह विंग न 7 प्रेमनगर देहरादून।		
10.	14334	24.12.07	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री तरतू सिंह निवासी नथूवाला देहरादून।		
11.	14524	28.12.07	श्री रोहित बंसल पुत्र श्री बी के बंसल निवासी 13/18 मंहत रोड लक्ष्मन चौक देहरादून।		
12.	2423	07.03.08	श्री सतीशपुत्र श्री एस कुमार 119 शिवाजी मार्ग कांवली रोड देहरादून।		
13.	5020	28.04.08	शमीमा परवीन पुत्र श्री अब्दुल मजीद 51 एलआईजी एमडीडीए डालनवाला देहरादून।		
14.	9054	08.05.08	श्री हुकम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी बगदा डोरन सहस्त्रधारा देहरादून।		
15.	17038	02.12.08	श्री परवेन्दर सिंह बिष्ट पुत्र श्री एस बी बिष्ट निवासी एफ12 शिवालिक कालोनी रायपुर देहरादून।		

16.	17427	06.12.08	श्री रमेशपुत्र श्री छज्जू सिंह निवासी 28 कृशाली नागल हटनाला देहरादून।		
17.	17525	08.12.08	श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी 1/6 ब्लाक ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून।	अनु0जाति	
18.	17957	11.12.08	श्री महिन्दर पाल पुत्र स्व श्री रामलाल निवासी म नं0 236 पटेलनगर देहरादून।		
19.	17975	11.12.08	श्री सुलक्ष्यवीर सिंह पुत्र स्वा श्री एम पी सिंह निवासी 472 खुडबुडा मोहला देहरादून।		
20.	18771	18.12.08	श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह निवासी मरोथा कुल्हान देहरादून।		
21.	18351	18.12.08	मौ0 हुसैन पुत्र श्री मुसा राम निवासी डांडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।		
22.	20059	12.01.09	श्री कमील अहमद पुत्र श्री अब्दुल मलिक आजाद नगर निकट मस्जिद रायपुर रोड देहरादून।		
23.	20809	17.11.09	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री कुंवर सिंह निवासी खराउ कुल्हान देहरादून।		
24.	21083	22.01.09	श्री करन सिंह पंवार पुत्र स्व श्री आर एस पंवार सेरकी मालदेवता वाया रायपुर देहरादून।		
25.	21597	29.01.09	श्री कमल किशोर पुत्र श्री यादव चन्द 58 डांडा लंखोड देहरादून।		
26.	21907	03.02.09	श्री मेहरबान सिंह रावत पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह रावत अपर चिरोवाली पो कंडोली देहरादून।		
27.	22084	05.02.09	श्री विकास मखलोगा पुत्र स्व श्री शमशेर सिंह मखलोगा तरला नागला कुल्हान देहरादून।		
28.	22419	10.02.09	श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री भीम सिंह निवासी 79 लोअर नत्थनपुर रायपुर देहरादून।		
29.	22667	16.02.09	श्री सईद अहमद कुरैशी पुत्र श्री खलील अहमद कुरैशी रायपुर रोड देहरादून।		
30.	24027	09.03.09	श्री तनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री पी शर्मा निवासी डांडा लंखोड देहरादून।		
31.	24088	12.03.09	श्री दीपक कुमार वेद पुत्र श्री ओ पी वेद निवासी आर्य नगर ब्लाक 56 देहरादून।		
32.	24120	13.03.09	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री देव नारायण यादव निवासी सिरमौर टी स्टेट लोहरवाला देहरादून।		
33.	24355	18.03.09	श्री तनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री निवासी डांडा लंखोड देहरादून।		
34.	24367	20.03.09	श्री शिव कुमार पुत्र श्री स्वरुप चन्द निवासी 62 गुजराडा मानसिंह देहरादून।		
35.	24776	23.03.09	श्रीमती गुलशना पत्नी श्री अखलाक हसन निवासी माजरा देहरादून।		
36.	24949	25.03.09	श्री किशन सिंह पुत्र श्री दौलत राम निवासी 14 ओल्ड सर्वे रोड देहरादून।		
37.	25196	31.03.09	श्री जोधन सिंह पुत्र श्री करन सिंह निवासी 35 संजय कालोनी डालनवाला देहरादून।		
38.	1254	29.04.09	श्री बलराज सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी 7/2/2 तेग बहादुर रोड देहरादून।		
39.	1799	14.05.09	श्री इस्तखार अहमद पुत्र श्री मो0 यामीन निवासी 5 बी आराधर चौक हरिद्वार रोड देहरादून।		
40.	7638	29.09.09	श्रीमती शक्ति देवी पत्नी श्री पूरन सिंह निवासी तरला नागल कुल्हान देहरादून।		
41.	8013	09.10.09	श्री संजय नेगी पुत्र श्री जी एस नेगी निवासी 23 तिलक रोड देहरादून।		

42.	8014	09.10.09	श्री विपिन कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जैन निवासी अपर राजीव नगर देहरादून।		
43.	8443	13.10.09	श्रीमती रुपा स्वामी पत्नी श्री अजय स्वामी निवासी नालापानी तपोवन इनक्लेव देहरादून।		
44.	8547	14.10.09	श्री श्मूह राना पुत्र श्री ए एस राना निवासी थानो शंशही आश्रम राजपुर देहरादून।		
45.	8949	15.10.09	श्रीमती सारिका पत्नी श्री कमल सिंह निवासी तरला नागल कुल्हान देहरादून।		
46.	8960	15.10.09	श्री सोम प्रकाश उनियाल पुत्र स्व श्री आर एल उनियाल गुजराडा देहरादून।		
47.	8961	15.10.09	श्री मुकेश उनियाल पुत्र श्री ओमकार उनियाल निवासी गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।		
48.	11786	06.11.09	श्री प्रांकुर उर्फ पियूष कम्बोज पुत्र श्री अशोक कुमार 613 राजेन्द्र नगर देहरादून।	अनु० जाति	विक०
49.	12754	02.12.09	कु० किरन कन्नोजिया पुत्री स्व० श्री छोटे लाल निवासी एच 154 नेहरु कालोनी देहरादून।	अनु० जाति	
50.	12781	03.12.09	श्री मनीष कुमार वाल्मीकि पुत्र श्री रमेशवाल्मीकि 185 पथरीयापीर नेशविला रोड देहरादून।	अनु० जाति	
51.	12811	04.12.09	कु० नीश पुत्र श्री पदम सिंह निवासी माजरी माफी आई आई पी मोहकमपुर देहरादून।	अनु० जाति	
52.	12824	04.12.09	श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री जयकिशन गुप्ता निवासी 149/8 आराधर देहरादून।		
53.	12825	04.12.09	श्री सुनील कुमार पुत्र स्व० श्री नन्द लाल निवासी माजरी माफी मोहकमपुर देहरादून।		
54.	12826	04.12.09	श्रीमती शीला मोधा पत्नी श्री बी एल मोधा निवासी 195/2 नव बिहार चुम्बुवाला देहरादून।		
55.	73	06.01.10	श्री अशोक कुमार कम्बोज पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द निवासी राजेन्द्र नगर कौलागढ रोड देहरादून।	पिछडी जाति	
56.	4348	16.04.10	श्री विनोद चन्दोला पुत्र श्री रमेशचन्दोला निवासी डांडा लंखोड गुजराडा देहरादून।		
57.	4482	19.04.10	श्री जबर सिंह रावत पुत्र श्री टी एस रावत 63 राजपुर रोड आंशिक डालनवाला देहरादून।		
58.	4580	19.04.10	श्रीमती शीला मोधा पत्नी श्री बृज लाल मोधा निवासी 195 इन्दिरा नगर नव बिहार देहरादून।		
59.	4723	20.04.10	श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री लोचन शर्मा निवासी 28 पार्क रोड लक्ष्मन चौक देहरादून।		
60.	4783	20.04.10	श्रीमती नम्रता पत्नी श्री आदेश निवासी 325 कौलागढ चूना भट्टा देहरादून।		
61.	4840	20.04.10	श्रीमती आरती पत्नी श्री प्रवीन कुमार निवासी रेडापुर सहसपुर देहरादून।		
62.	4924	21.04.10	श्रीमती ज्योति गोयल पत्नी श्री अनुज गोयल निवासी 16/3 ई०सी०रोड देहरादून।		
63.	4925	21.04.10	श्री मीनू कुमार पुत्र श्री बी राम निवासी 523 खुडबुडा देहरादून।		
64.	4959	21.04.10	श्री दयाशंकर लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व श्री राम गुलाम श्रीवास्तव विधाबिहार कालोनी रायपुरदेहरादून।		

65.	5013	21.04.10	श्री अमिताभ शर्मा पुत्र स्व श्री ए सी शर्मा निवासी 11/1 हरिपुरम कांवली देहरादून।		
66.	5014	21.04.10	श्री अजय सोनकर पुत्र श्री सोहन लाल सोनकर निवासी 4/1 डंगवाल मार्ग देहरादून।		
67.	5015	21.04.10	श्री सोम प्रकाशउनियाल पुत्र श्री आर एल उनियाल निवासी गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।		
68.	5016	21.04.10	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री जी एस भण्डारी निवासी 186 ए नेहरु कालोनी देहरादून।		
69.	5017	21.04.10	श्री रमेशतोपवाल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी अटुरवाला खान्ड भानियावाला देहरादून।		
70.	5018	21.04.10	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।		
71.	5019	21.04.10	श्री करमा भोटिया पुत्र श्री सिलिंग भोटिया निवासी सहस्त्रधारा रोड देहरादून।		
72.	5020	21.04.10	श्री हरीश शर्मा पुत्र श्री अरुण शर्मा निवासी 73 गांधी रोड देहरादून।		
73.	5021	21.04.10	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री एच पी यादव निवासी 46/1 मोहिनी रोड देहरादून।		
74.	5028	21.04.10	श्रीमती सुरेशी देवी पत्नी श्री भगवान सिंह निवासी 33 आर्य नगर देहरादून।		
75.	5029	21.04.10	श्री रवि शर्मा पुत्र श्री पी एल शर्मा निवासी बाक्स आई पी पी मोहकमपुर देहरादून।		
76.	5176	21.04.10	श्री कुलदीप पठोई पुत्र श्री खेमराज पठोई विकास लोक लेन 1 सहस्त्रधारा देहरादून।		
77.	5199	21.04.10	श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह निवासी 8/9/12 इन्दिरा नगर देहरादून।		
78.	5212	22.04.10	श्री अजहर परवेज पुत्र श्री सिंकदर परवेज निवासी 230 राजपुर रोड देहरादून।		वाहन पूर्व में डोइवाला मार्ग के परमिट पर संचालित थी, परमिट को न्यायालय के आदेश द्वारा निरस्त किया गया।
79.	5232	22.04.10	श्री जावेद अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी रामपुर सहसपुर देहरादून।		
80.	5234	22.04.10	श्री ताजवर सिंह सजवान पुत्र श्री प्रताप सिंह सौधोवाला कंडोली देहरादून।		
81.	5235	22.04.10	श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री ईष्वर चन्द शर्मा निवासी निकट शिवमन्दिर रायपुर देहरादून।		
82.	5259	22.04.10	श्रीमती हेमा सजवान पत्नी श्री ताजवर सिंह सजवान सौधोवाला कन्डोली सहस्त्रधारा रोड देहरादून।		
83.	5267	22.04.10	श्री सुरेन्द्र कुमार जिन्दल पुत्र स्व लेखराज जिन्दल निवासी 25 ए महंत रोड देहरादून।		
84.	5273	22.04.10	श्री शबीह आलम खान पुत्र श्री एम ए खान निवासी 426ए खुरबुडा स्ट्रीट देहरादून।		
85.	5278	22.04.10	श्री सचिन थापा पुत्र श्री हरिप्रसाद निवासी हरिपुर नवादा वाया आईआईपी देहरादून।		
86.	5286	22.04.10	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सागर सिंह निवासी 51 वार्ड न0 4/6 हरबर्टपुर देहरादून।		

87.	5289	22.04.10	श्री मनोज पुत्र श्री सुरेशनिवासी 35 वार्ड न0 1 डाकपत्थर रोड देहरादून।		
88.	5291	22.04.10	श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह निवासी 11 धूलकोट सहसपुर देहरादून।		
89.	5294	22.04.10	श्री प्यारे लाल जगुडी पुत्र श्री कमला प्रसाद यमनोत्री एन्क्लेव कला चन्द्रबनी रोड देहरादून।		
90.	5313	22.04.10	श्री विजय धवन पुत्र श्री जी एल धवन निवासी ए 88 नेहरु कालोनी देहरादून।		
91.	5459	22.04.10	श्री कलम सिंह नेगी पुत्र श्री आर एस नेगी निवासी सी 12 विकासनगर		
92.	5467	22.04.10	श्री अतुल कुमार पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता निवासी सी 30 नेहरु कालोनी देहरादून।		
93.	5470	22.04.10	श्री डब्लू कुमार पुत्र श्री कालूराम निवासी शेरपुर देहरादून।		
94.	5485	22.04.10	श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री सीता राम निवासी प्रतीतनगर धर्मावाला देहरादून।		
95.	5489	22.04.10	श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर रामपुर देहरादून।		
96.	6138	01.05.10	श्री आशुतोष सिंह बोहरा पुत्र श्री प्रदीप सिंह बोहरा 26/19 राजपुर कैनाल रोड देहरादून।		
97.	6523	05.05.10	श्री संजय सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह निवासी 01 लक्कड घाट ओल्ड राजपुर देहरादून।		
98.	7327	15.05.10	श्री नितेश पन्त पुत्र श्री अरुण कुमार पन्त निवासी डांडा लखोण्ड गुजराडा देहरादून।		
99.	8125	22.05.10	श्री संजय कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी 750 बहादुराबाद हरिद्वार।		
100.	10031	18.06.10	श्री सुरेश उनियाल पुत्र श्री सोहन लाल निवासी सहस्त्रधारा रोड गुजराडा देहरादून।		
101.	10094	19.06.10	श्री विशाल सिंह पुत्र श्री महेशकुमार निवासी हर्षवाला हरिद्वार रोड देहरादून।		
102.	10134	19.06.10	श्री अलेल सिंह भण्डारी पुत्र श्री हेम सिंह निवासी आदर्श ग्राम ऋषिकेश।		
103.	10539	19.06.10	श्री राजेन्द्र सिंह कलूडा पुत्र श्री जोत सिंह निवासी छिददरवाला देहरादून।		
104.	10542	19.06.10	श्री राम प्रसाद सकलानी पुत्र श्री डी पी सकलानी निवासी 502 लेन नं0 4 गंगा नगर ऋषि		
105.	14292	27.09.10	श्री धीरज कुमार पुत्र श्री राम किशोर निवासी 149 पथरियापीर देहरादून।		
106.	14295	27.09.10	श्रीमती कमला भट्ट पत्नी श्री राजेन्द्र भट्ट निवासी 49 सुमन बिहार धर्मपुर देहरादून।		
107.	14345	28.08.10	श्रीमती मीनाक्षी बोहरा पत्नी श्री बी एस बोहरा निवासी इदूवाला रायपुर देहरादून।		
108.	14485	30.09.10	श्री अभिनव गर्ग पुत्र स्व श्री आर एस गर्ग 9 ए रिस्पना रोड करनपुर देहरादून।		
109.	14527	01.10.10	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री विजयपाल सिंह 214 डी एल रोड देहरादून।		
110.	14530	01.10.10	श्री राजेन्द्र भट्ट पुत्र श्री बी डी भट्ट 49 सुमन नगर धर्मपुर देहरादून।		
111.	14532	01.10.10	श्री रमा अग्रवाल पत्नी श्री ए के अग्रवाल 23/12 कबाडी बाजार रुडकी।		
112.	14540	01.10.10	श्री हिमांशु सोनकर पुत्र श्री हुकुम चन्द 177 चुक्खुवाला देहरादून।		
113.	14579	04.10.10	श्री राजमोहन सिंह बिष्ट पुत्र श्री आनन्द सिंह बिष्ट 425 यमुना कालोनी डाकपत्थर		

			देहरादून।		
114.	14582	04.10.10	श्रीमती बॉबी पत्नी श्री सुभाष कुमार निवासी 29 डी एल रोड देहरादून।	अनु0जाति	
115.	14587	04.10.10	श्री प्रमोद गोयल पुत्र स्व श्री सीता राम निवासी सराई गली, विकासनगर, देहरादून।		
116.	14593	04.10.10	श्री महेन्द्र पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी जे 75 हाथीबडकला स्टेट देहरादून।		
117.	14598	04.10.10	श्री याकूब अली पुत्र श्री महबूब अली निवासी मेहुवाला देहरादून।		
118.	14625	04.10.10	श्री राजपाल पुत्र श्री चमन लाल निवासी 45 फतेहपुर तेलपुरा रुडकी।		
119.	14627	04.10.10	श्री पंकज जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन निवासी पहाडी गली विकासनगर देहरादून।		
120.	12586	06.08.10	मण्डलीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून	आईएसबीटी-सहस्त्र- धारा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर पलीट आर्नर के रूप में 05 परमितों हेतु आवेदन किया गया है।	
121.	17328	29.11.10	श्री अजय भारद्वाज पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारद्वाज, 26 लेन न0-ई, केवल विहार, देहरादून।		
122.	65	03.12.13	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।		
123.	715	27.08.14	श्री मदनपाल पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।		
124.	723	27.08.14	श्री मौ0 इकबाल पुत्र श्री सगीर अहमद ढालीपुर विकासनगर, देहरादून।		
125.	1194	27.08.14	श्री कमल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, तरला नागल, कुल्हान, देहरादून।		
126.	1259	27.08.14	श्री शुभम बिष्ट पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, ननूरखेडा, नालापानी, देहरादून।		
127.	1260	27.08.14	श्री सुमित बिष्ट पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, ननूरखेडा, नालापानी, देहरादून।		
128.	1261	27.08.14	श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, तरला नागल पो0ओ0 कुल्हान, देहरादून।		
129.	1262	27.08.14	श्रीमती प्रीति पत्नी श्री शिव विनय सिंह, तरला नागल, कुल्हान सहस्त्रधारा, देहरादून।		
130.	1263	27.08.14	श्री अनुज कुमार पुत्र पुत्र श्री स्व0 ब्रिजेश कुमार, मलिन बस्ती, राजपुर रोड, देहरादून।		
131.	1303	27.08.14	श्रीमती कामिनी टण्डन पत्नी श्री विवेक कुमार 91 मुस्लिम बस्ती विकासनगर, देहरादून।		
132.	1313	27.08.14	कुमारी दीपीका पुत्र श्री प्रकाश विज्लवाण, 38 नागल, कुल्हान, देहरादून।		
133.	1378	27.08.14	श्री मोहम्मद कासिम पुत्र श्री दीन मुहम्मद, इन्फील्ड ग्रान्ट अम्बाडी, विकासनगर, देहरादून।		
134.	1395	27.08.14	श्री नूर हसन पुत्र बशीर अहमद, तरला नागल कुल्हान, सहस्त्रधारा, देहरादून।		
135.	1402	27.08.14	श्री नवीन कटियार पुत्र श्री राम सिंह कटियार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।		

136.	256	26.08.14	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मदन लाल 198 चुक्खूवाला देहरादून	
137.	330	26.08.14	श्री विवेकानन्द पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, नागल हटनाला, कुल्हान, देहरादून	
138.	333	26.08.14	श्री अजय बिज्लवाण पुत्र श्री विजय प्रकाश नागल हटनाला, सहस्त्रधारा, देहरादून।	
139.	334	26.08.14	श्री राजेश कुकरेती पुत्र श्री सी0एल0 कुकरेती, गुजराडा सहस्त्रधारा, देहरादून।	
140.	57	23.08.14	श्री आलम सिंह भण्डारी पुत्र चन्दन सिंह भण्डारी माजरी माफी पो0ओ0 आईआईपी, देहरादून	
141.	59	23.08.14	श्री शैलैन्द्र सिंह रावत पुत्र री विजेन्द्र सिंह रावत, माजरी माफी पो0ओ0 आईआईपी, देहरादून	
142.	80	23.08.14	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री गोपाल सिंह नेहरू कॉलोनी, डालनवाला, देहरादून।	
143.	169	23.08.14	श्री मनीष चन्द पुत्र श्री देवी प्रसाद 20 मैसी विहार, गुजराडा, देहरादून।	
144.	1436	27.08.14	श्री हिमाशु पुत्र श्री हुक्म सिंह, 1/77 चुक्खुवाला, देहरादून।	
145.	1603	10.09.14	श्री किशन लाल पुत्र श्री गुरुमुख सिंह, विंग नं0-3 प्रेमनगर रोड, देहरादून।	
146.	1604	10.09.14	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री सुरेण सिंह, विजय पार्क, देहरादून।	
147.	1617	10.09.14	श्री ऊषा आनन्द पुत्र सतीश आनन्द, मेहुवाला माफी, माजरा, देहरादून।	
148.	1618	10.09.14	श्री गीता देवी पुत्र सुनील पाल, मेहुवाला माफी, देहरादून।	
149.	1619	10.09.14	श्री श्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल सिंघल, सी-30 नेहरू कालोनी, देहरादून।	
150.	1620	10.09.14	श्री सतीश आनन्द पुत्र श्री ओम प्रकाश, मेहुवाला माफी, माजरा, देहरादून।	
151.	2007	01.12.14	श्री प्राकुर कुमार कम्बोज पुत्र श्री विनोद कुमार 6/3 राजेन्द्र नगर, देहरादून।	
152. 1	100	11.05.15	श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल 152 डीएल रोड, रेसकोर्स देहरादून।	
153.	101	11.05.15	श्री सचिन रावत पुत्र श्री केशर सिंह, 22/2 रेसकोर्स देहरादून।	
154.	121	13.05.15	श्री राजेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री एल0एस0पाल, नकरौंदा, गुलरघाटी, देहरादून।	
155.	113	13.05.15	श्री तिलकराज पुत्र यादराम पुत्र श्री 107 इन्देश नगर कावली रोड, देहरादून।	अनु0 जाति0
156.	123	13.05.15	श्री देवरत पाल पुत्र श्री उदय कुमार पाल, नकरौंदा, गुलरघाटी, देहरादून।	
157.	125	13.05.15	श्री राहुल पाल पुत्र श्री राजकुमार पाल, बालावाला, देहरादून।	
158	154	14.05. 2015	श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री वेद प्रकाश, ग्राम रेडापुर सहसपुर देहरादून।	
159	160	14.05. 2015	श्री सुभाश भण्डारी पुत्र श्री आलम सिंह भण्डारी, ग्राम माजरी माफी, पो0ओ0 आई0आई0 पी0 देहरादून।	
160	172	14.05.	श्री सूरज पुत्र श्री धनवीर सिंह, ग्राम बालावाला देहरादून।	

		2015		
161.	187	15.05. 2015	श्री मनोज कुमार पुत्र स्व० श्री अजय सिंह, 29, डीएल रोड देहरादून।	अनु० जाति०
162.	189	15.05. 2015	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम चंद, रामबाग हर्बर्टपुर वार्ड नं० 5 देहरादून।	
163.	201	15.05. 2015	श्री कमल कुमार पुत्र श्री चन्द प्रकाश, 14/3 मन्नुगंज देहरादून।	अनु० जाति०
164.	204	15.05. 2015	श्री नीरज सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, 134/109, छिद्दर मार्ग देहरादून।	
165.	210	15.05. 2015	श्री अजय कुमार पुत्र श्री मनीराम, 97, बालावाला देहरादून।	
166.	212	15.05. 2015	श्री सचिन कुमार, पुत्र श्री मदन लाल, 198, चुक्खुवाला देहरादून।	अनु० जाति०
167.	221	15.05. 2015	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री अजय सिंह, 29 डी० एल० रोड देहरादून।	अनु० जाति०
168.	224	15.05. 2015	श्री विजय सिंह कलूडा पुत्र श्री भोला सिंह कलूडा, 88 सुमन नगर नेहरू कालोनी देहरादून।	
169.	227	15.05. 2015	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम, 358/2, गली मौहल्ला, बंषीपुर, हर्बर्टपुर, विकासनगर, देहरादून।	
170.	235	15.05. 2015	श्री पवन मुखेजा पुत्र स्व० श्री देवी दास मुखेजा, 116/1 शिव कालोनी नगर निगम देहरादून।	
171.	237	15.05. 2015	श्री लक्ष्मण प्रसाद बमराडा, पुत्र श्री चक्रधर प्रसार, 101, आर्यनगर ब्लॉक 2 देहरादून।	
172.	245	15.05. 2015	श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री जीत सिंह रावत, ग्राम गडोली, प्रतापनगर टिहरी गढवाल	
173.	269	15.05. 2015	श्रीमती किरण चन्देल पत्नी श्री अनुज चन्देल, 5 सेवक आश्रम रोड देहरादून।	

174.	273	15.05. 2015	श्रीमती ज्योति गोयल पत्नी श्री अनुज गोयल, 16/3 ई0 सी0 रोड देहरादून।	
175.	285	16.05. 2015	श्री पंकज पाल पुत्र श्री राज पाल, ग्राम व पो0ओ0 बालावाला गुलरघाटी देहरादून।	
176.	287	16.05. 2015	श्रीमती संगीता पाल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह पाल, ग्राम व पो0ओ0 ढालीपुर विकासनगर देहरादून।	
177.	296	16.05. 2015	श्री रोहित उनियाल पुत्र श्री सुभाश उनियाल, गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
178.	297	16.05. 2015	श्री नितीष षर्मा पुत्र श्री गोवर्धन षर्मा, गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
179.	306	16.05. 2015	श्री मदन मोहन अमोली पुत्र स्व0 श्री कृतराम अमोली तपोवन एन्कलेव नालापानी रोड देहरादून।	
180.	302	16.05. 2015	श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद गुप्ता, 166, ग्रीन पार्क निरजनपुर देहरादून।	
181.	309	16.05. 2015	श्री कमल किषोर पुत्र स्व0 श्री यादव चन्द, 58 डाण्डा लखौण्ड देहरादून।	
182.	313	16.05. 2015	श्री विनोद चंदोला पुत्र श्री रमेष चन्दोला, ग्राम डांडा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
183.	314	16.05. 2015	श्री राज मोहन सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 श्री आनन्द सिंह बिष्ट, तपोवन एनक्लेव रायपुर देहरादून।	
184.	317	16.05. 2015	श्रीमती अनिता पाल पत्नी श्री सागर कुमार, 133, बालावाला देहरादून।	
185.	324	16.05. 2015	श्रीमती बोबी पत्नी श्री पदम सिंह, 29, डी एल रोड देहरादून।	अनु0 जाति0
186.	366	16.05. 2015	श्री नीरज रावत पुत्र श्री सुन्दर सिंह रावत, 2 अस्थल रायपुर देहरादून।	
187.	373	16.05.	श्री ईलमचन्द पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह ढालीपुर विकासनगर देहरादून।	

		2015		
188.	514	16.05. 2015	श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, मरोठा कुल्हान देहरादून।	
189.	515	16.05. 2015	श्री जय सिंह वालिया पुत्र स्व० श्री राजपाल सिंह 196, व 184, डीएल रोड देहरादून।	
190.	516	16.05. 2015	श्रीमती पूजा रानी पत्नी श्री चन्दू लाल, 196, डी० एल० रोड देहरादून।	
191.	517	16.05. 2015	श्री रोकी कुमार पुत्र श्री चन्दूलाल , 196, डी०एल० रोड देहरादून।	
192.	518	16.05. 2015	श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री मुन्षी राम, 58, धोरण खास डांडा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	
193.	519	16.05. 2015	श्री संकेत नौटियाल पुत्र स्व० श्री संतोशी प्रसाद नौटियाल, 58, धोरण खास, हस्त्रधारा रोड देहरादून।	
194.	520	16.05. 2015	श्री राकेश कुमार पुत्र स्व० श्री राजपाल सिंह 196, डी०एल० रोड देहरादून।	
195.	521	16.05. 2015	श्रीमती मंजू कष्य पत्नी श्री सुरेश , डी-218, नेहरू कालोनी देहरादून।	
196.	522	16.05. 2015	श्रीमती सिमरन विज पत्नी श्री विनय कुमार विज, 75 धामावाला बाजार, देहरादून।	
197.	523	16.05. 2015	श्री सोनू कुमार पुत्र श्री मुन्ना लाल, मेहूवाला माफी देहरादून।	
198.	524	16.05. 2015	श्रीमती सुमन पाल पत्नी श्री सजय कुमार पाल, 135 बालावाला देहरादून।	
199.	525	16.05. 2015	श्री देवेन्द्र मल्हौत्रा पुत्र श्री के०सी० मल्हौत्रा, 10 विक्टोरीया हाउस कुल्डी मसूरी देहरादून।	
200.	526	16.05. 2015	श्रीमती कमलप्रीत कौर पत्नी श्री जगबीर सिंह मान, 112 बॉडी गार्ड राजपुर रोड देहरादून।	

201.	527	16.05. 2015	श्रीमती रीना रावत पत्नी श्री अभिनव रावत, डांडा खुदानेवाला गुजराडा देहरादून।	
202.	528	16.05. 2015	श्री सत्येन्द्र रावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, 43, कारगी ग्राण्ट देहरादून।	
203.	541	16.05. 2015	श्री विजय गोयल पुत्र श्री कैलाष चन्द, ए-95, नेहरू कालोनी देहरादून।	
204.	557	16.05. 2015	श्री कमल किषोर डंगवाल पुत्र श्री बराक राम डंगवाल, के0 पी0 केषत्रा डोईवाला देहरादून।	
205.	561	16.05. 2015	श्री ममता रानी वालिया पत्नी श्री जय सिंह वालिया, 196, डी0 एल0 रोड देहरादून।	
206.	613	16.05. 2015	श्री सुरेन्द्र घेयल पुत्र श्री किषोरी लाल, 117, जीएमएस रोड कांवली देहरादून।	अनु0 जाति0
207.	615	16.05. 2015	श्रीमती नीतू ढिल्लो पत्नी श्री राजेन्द्र ढिल्लो, 89 केषव विहार, निरंजनपुर पटेलनगर देहरादून।	
208.	603	16.05. 2015	श्री सन्दीप रोहिल्ला पुत्र श्री माम चन्द, नियर आजाद टैन्ट हाउस, माजरा, देहरादून	
209.	616	16.05. 2015	श्री सागर कपिल पुत्र श्री राधे श्याम रिस्पना , डालनवाला, देहरादून।	

सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 की कार्यवाही।

उपस्थित :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री सी० एस० नपलच्याल
आई०ए०एस०
आयुक्त, गढ़वाल मंडल। | अध्यक्ष |
| 2. श्री रमेश बुटोला,
144 / 11, नेशविला रोड़
देहरादून। | सदस्य |
| 3. श्री अरविन्द शर्मा,
345 विवेक विहार
हरिद्वार। | सदस्य |
| 4. श्री दिनेश चन्द्र पठोई
संभागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून। | पदेन सचिव |

संकल्प सं०-1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10-11-14, 21-01-15 एवं दिनांक 25-03-15 की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

संकल्प सं०-2 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत अ ब स द एवं न पर जारी स्थाई/अस्थायी परमिटों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं०- 3

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित टैक्सी/मैक्सी वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित करने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 03.03.2015 पर विचार व आदेश।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने आदेश पारित किये हैं कि पर्वतीय मार्गों पर संचालित टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों की आयु 15 वर्ष रहेगी तथा सीमा 12 पूर्ण होने के पश्चात एक समिति द्वारा इन वाहनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात 6-6 माह का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

3. संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(जहाँ संभागीय परिवहन अधिकारी न हो)
4. संभागीय /सहायक संभागीय निरीक्षक।

अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित उक्त आदेश इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ठेका परमिट पर संचालित टैक्सी /मैक्सी पर भी प्रभावी होंगे।

संकल्प सं० 4-

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं० 15/11 में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 12.12.2011 के अनुपालन में आईएसबीटी-परेड ग्राउण्ड-सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचार एवं आदेश।

प्राधिकरण ने इस मार्ग पर अपनी बैठक दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे तथा मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण शेष प्रार्थना पत्रों का अस्वीकृत किया था। इन आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार के द्वारा मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड में अपील सं० 15/11 दायर की थी। मा० न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 12.12.11 के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त करते हुये सभी प्रार्थना पत्रों पर पुनः विचार करने के आदेश पारित किये थे।

“RTA is directed to consider all the application afresh and after affording opportunity of being heard to all, the application shall be considered and permits granted as per mechanism suggested in the body of this judgment.”

मा0 न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 521/एमएस/12 दायर की थी। परन्तु उनके द्वारा वर्तमान में उक्त याचिका वापस ले ली है।

अपीलकर्ता श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग का परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपील/ याचिका दायर की गई है। अतः उनके प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकता के आधार पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

मा0 राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिये हैं कि:—

“RTA is directed to consider all the applications for granting the permits before taking any decision. The RTA is also directed adopt and apparent, transparent and scientific mechanism for granting permit to for deserving candidates out of 121 applications. The RTA will be at liberty to consider all the applications afresh as per the, socio-economic condition, gender sensitization, and experience in transport business, economic visibility to run the transport business. The RTA can adopt any other mechanism suitable for the geographical conditions of the route in question to ascertain the transparent mechanism before the permits.”

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 17 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण पारित आदेशों के क्रम में सचिव को वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं युक्तियुक्त एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के अनुपालन में सचिव द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 के अध्याय-5 के अन्तर्गत उदार नीति से परमिट जारी करने की संस्तुति की है परन्तु अध्याय- 6 के अन्तर्गत निर्मित नगर बस योजना में मार्गवार निर्धारित रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में अन्तिम चयन हेतु कोई मापदण्ड/अधिमान/प्राथमिकता न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया है।

जिससे प्रश्नगत मार्ग पर उपलब्ध 04 रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त 209 आवेदनों के निस्तारण करने में तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

श्री विजय वर्धन डंडरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सीटी बस सेवा महासंघ ने परमिट जारी करने के विरुद्ध प्रेषित आपत्ति पत्र में कहा है कि धारा-71 (3)(क) की अधिसूचना के अभाव में आरटीए के द्वारा मार्गों का सृजन एवं उन पर परमितों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार को है।

अध्यक्ष देहरादून महानगर बस सेवा महासंघ की आपत्ति निराधार है, क्योंकि धारा 71(3)(क) मार्ग सृजन से सम्बन्धित नहीं है। उक्त धारा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में यदि केन्द्र सरकार ऐसा उचित समझे, राज्य सरकार को स्टैज कैरिज परमितों की संख्या सीमित करने हेतु निर्देश दिये जाने से सम्बन्धित है। ऐसी कोई निर्देश केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा कोई मार्ग सृजन नहीं किया जा रहा है तथा नगर बस योजना के अन्तर्गत परमितों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर किया जाने का प्राविधान है।

अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, नगर बस सेवा कार्ययोजना में रिक्ति के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में अंतिम चयन हेतु कोई प्राथमिकताएँ/अधिमान/नीति न होने के कारण राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों में सुझाये आधारों पर एक स्पष्ट नीति हेतु निम्न प्रकार एक कमेटी का गठन किया जाता है।

1. उपजिलाधिकारी(सदर), देहरादून।
2. संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
4. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून।

उक्त कमेटी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश एवम् अन्य महत्वपूर्ण/उचित/उपयोगी पहलुओं का अध्ययन का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक, तार्किक, पारदर्शी नीति हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.06.20015 तक सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी। पूर्व में इस मार्ग हेतु 04 रिक्तियाँ उपलब्ध थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 13 द्वारा प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। परन्तु अभी तक सर्वेक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त सर्वेक्षण कमेटी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.06.2015 तक सर्वेक्षण आख्या सचिव, प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तब तक के लिये उक्त मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 5-

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचार एवं आदेश।

प्राधिकरण ने इस मार्ग पर अपनी बैठक दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे तथा मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण शेष प्रार्थना पत्रों का अस्वीकृत किया था। इन आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार के द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड में अपील सं0 1/12 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27.07.12 के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त करते हुये सभी प्रार्थना पत्रों पर पुनः विचार करने के आदेश पारित किये थे।

“RTA is directed to consider all the application afresh and after affording opportunity of being heard to all, the application shall be considered and permits granted as per mechanism suggested in the body of this judgment.”

मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की थी। परन्तु वर्तमान में याचिकाकर्ता के द्वारा उक्त याचिका वापस ले ली गई है।

अपीलकर्ता श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग का परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपील/ याचिका दायर की गई है। अतः उनके प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकता के आधार पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

श्री सुभाष कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनकी अपील सं0 16/2006 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 20.09.2006 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त मार्ग का परमिट स्वीकृत किया जाये।

राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की है कि मार्ग पर प्रत्येक 7 मिनट के अन्तराल पर वाहनों का संचालन हो रहा है। बसों के अतिरिक्त मार्ग पर ट्रिक्म टैम्पो वाहनों संचालित हो रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि मार्ग पर और बसों के परमिट जारी न किये जायें।

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, श्री राम कुमार सैनी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उक्त मार्ग हेतु उनके स्थाई सवारी गाडी परमिट के प्रार्थना पत्र पर विचार कर परमिट स्वीकृत किया जाये।

मा0 राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने दिनांक 27.07.12 को उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिये हैं कि:-

“RTA is directed to consider all the applications for granting the permits before taking any decision. The RTA is also directed to adopt a resionable, transparent and scientific mechanism for granting permits to for deserving candidates out of 103 applications. While adopting a scienfific, resionable and transparent mechanism, The RTA can consider so many factors such as gender of applicant, socio-economic condition, socio-economic position, experience in transport business ect”.

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 17 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में सचिव को वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं युक्तियुक्त एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के अनुपालन में सचिव द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सचिव द्वारा नगर बस योजना में रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में अन्तिम चयन हेतु कोई मानदण्ड, प्राथमिकताएँ तथा नीति ना होने का उल्लेख किया। ऐसे में 04 रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त 209 आवेदनों के निस्तारण करने में तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

श्री विजय वर्धन डंडरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सीटी बस सेवा महासंघ ने परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति पत्र में कहा है कि धारा-71(3)(क) की अधिसूचना के अभाव में आरटीए के द्वारा मार्गों का सृजन एवं उन पर परमितों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार को है।

अध्यक्ष देहरादून महानगर बस सेवा महासंघ की आपत्ति निराधार है, क्योंकि धारा 71(3)(क) मार्ग सृजन से सम्बन्धित नहीं है। उक्त धारा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में यदि केन्द्र सरकार ऐसा उचित समझे, राज्य सरकार को स्टैज कैरिज परमितों की संख्या सीमित करने हेतु निर्देश दिये जाने से सम्बन्धित है। ऐसी कोई निर्देश केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा कोई मार्ग सृजन नहीं किया जा रहा है तथा नगर बस योजना के अन्तर्गत परमितों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर किये जाने का प्राविधान है।

अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संकल्प उक्त सं0 4 के अन्तर्गत गठित कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने तक उक्त मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

प्रार्थी ने उक्त प्रत्यावेदन के साथ मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका सं० 386/एमएस/15 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 को प्रस्तुत किया गया है। इस आदेश में उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता संभागीय परिवहन प्राधिकरण को अपने प्रतिवेदन के साथ-साथ अस्थाई परमिट जारी करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे जिसका निस्तारण 60 दिन के अन्तर्गत किया जायेगा। प्राधिकरण ने याचिका कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। प्रतिवेदन में निवेदन किया गया है कि जब तक उनके स्थाई सवारी गाडी परमितों के आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं होता है, तब तक की अवधि के लिये उनको अस्थाई परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें। याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों के साथ-साथ कुछ अन्य प्रार्थियों ने भी प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमिट प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं। मद में याचिका कर्ताओं सहित कुल 7 प्रार्थियों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान श्री एस०के० श्रीवास्तव एवं याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। श्री एस०के० श्रीवास्तव ने निवेदन किया कि यदि प्राधिकरण उक्त मद सं० 5 के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी जारी करने पर विचार कर रही है तो उनके स्थाई सवारी के प्रार्थना पत्रों पर विचार कर परमिट स्वीकृत किये जायें। परन्तु यदि स्थाई परमिट स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं तो उनको आवेदन के आधार पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये जायें। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि चूकि: प्रश्नगत मार्ग पर संयुक्त कमेटी के द्वारा 06 परमिट स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है। जबकि मार्ग पर अस्थाई परमिट हेतु 07 आवेदन प्राप्त हैं। प्राधिकरण उनके प्रार्थना पत्र को छोडकर अन्य 06 प्रार्थियों को अस्थाई परमिट जारी कर सकती है। उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्नगत मार्ग के अध्यक्ष, श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुये सूचित किया है कि प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई माँग नहीं है, जिससे विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। अतः उन्होंने निवेदन किया है कि प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 08.10.10 में प्रश्नगत मार्ग पर 04 परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध श्री अशोक कुमार मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड

में अपील दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने श्री अशोक कुमार की अपील का निस्तारण करते हुये संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये गये 04 परमिटो के आदेश को दिनांक 27.07.2012 को निरस्त कर दिया था। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 27.07.2012 को पारित आदेशों के विरुद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की थी। वर्तमान में याचिकाकर्ता के द्वारा उक्त याचिका वापस ले ली गई है।

श्री एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 10.11.2014 की बैठक में उपस्थित होकर मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, बैरागढ, भोपाल, मध्य प्रदेश बनाम बी पी उपाध्याय, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, रायपुर एवं अन्य (AIR 1966, SC 166) में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें निर्णय दिया गया है कि:-

"That these two kinds of need may co-exist on a particular route. If, therefore the Regional Transport Authority considered that, in the circumstances of the case, there was a particular temporary need, and granted a temporary permit to the appellant, the action of the Regional Transport Authority cannot be challenged as legally invalid."

उपरोक्त के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अस्थाई आवश्यकता स्थाई आवश्यकता के साथ विद्यमान हो सकती है। इसलिये यदि प्राधिकरण प्रकरण की दशा में यह पाती है कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है तो अस्थाई परमिट जारी किया जा सकता है।

परन्तु प्रत्येक दशा में स्थाई आवश्यकता के साथ विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता का अनिवार्य रूप से विद्यमान होना अनिवार्य नहीं है। यह प्रकरण की दशा तथा तथ्यों पर निर्भर करता है। केवल स्थाई आवश्यकता होने, परमिट/रिक्ति की संख्या में वृद्धि होने, परमिट स्वीकृति के आदेश निरस्त होने से विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। प्रकरण की परिस्थितियों में प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसे तथ्य आने चाहिये जिससे इस निर्णय पर पहुँच सके कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को ऐसे तथ्यों का विवरण अस्थाई परमिट जारी करने के आदेश में उल्लेख करना आवश्यक है।

प्रश्नगत मार्ग पर 04 रिक्तियाँ राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा परमिट जारी करने के संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेशों को निरस्त करने से तथा 02 अतिरिक्त रिक्तियाँ संयुक्त सर्वेक्षण समिति

की संस्तुति के आधार पर उत्पन्न हुई है। पूर्व में जारी 04 परमिटों पर वाहन का संचालन कभी नहीं हुआ है। इसी प्रकार 02 अतिरिक्त रिक्ति पर कभी भी वाहन का संचालन नहीं हुआ है। अतः यह मानना कि उक्त रिक्तियों के कारण वर्तमान परिवहन सेवा (*Existing Service*) में कमी आयी है अथवा वर्तमान परिवहन सुविधायें जनता की परिवहन हेतु अपर्याप्त हैं, तर्क संगत नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उक्त मार्ग में परिवहन की समस्या है, ना की ऐसी कोई माँग किसी संगठन, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय जनता द्वारा की गई है।

अतः प्राधिकरण की राय में उक्त मार्ग पर विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता विद्यमान होना पुष्ट नहीं होता है।

उपरोक्त निष्कर्ष को निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के आधार पर पुष्ट किया जा सकता है:—

1. *"It is true that in view of the decision of the Supreme Court in M.P. State Road Transport Corporation v. R.T.A. Raipur, AIR 1966 SC 156 a temporary permit can be granted under Section 62(c) even when there is a permanent need. But from this it does not follow that whenever there is a permanent need then it must be taken that a particular temporary need also exists. See Raipur Transport Co. v. R.T.A. Jabalpur, AIR 1967 Madh Pra 141. The Regional Transport Authority has to decide for itself whether in the facts and circumstances of a case there exists a particular temporary need before it can issue a permit under Section 62(c)."*

(Madhya Pradesh State Road Corporation vs Regional Transport Authority, AIR 1968 MP 148a)

2. *"In AIR 1966 SC 166 (Supra) The Supreme Court has not laid down that wherever there is a permanent need, then, without more, it must be presumed that a particular temporary need also exists"*

(Raipur Transport Co. Private Ltd. vs Regional Transport Authority, AIR 1967 M.P. 141)

3. *"A permanent need cannot become a temporary one merely because an order granting a permit has been set aside or its operation stayed in other proceedings."*

(G.B. Transports, Guruvayur vs R.T.A. Trichur, AIR 1960 Ker 239)

4. *"Merely because a temporary need may co-exist with a permanent need, it could not lead to the conclusion that whenever there is a permanent need a temporary need should always be presumed to exist as well. There can be no such presumption in law, but facts must be ascertained by the R.T.A and reasons must be given by that Authority, if it came to the conclusion that a particular temporary need did also exist along with the permanent need. Merely*

because filling of permanent vacancies, which were caused not on account of cancellation of existing permits or the discontinuance of existing services, but on account of the increase in the limit of permits on the route, was likely to take some time, it cannot be the basis for holding that a particular temporary need existed."

(Gafoor vs Regional Transport Authority, AIR 1976 Raj 166).

5. *"No doubt the existence of a permanent vacancy may not necessarily mean that there is a particular temporary need within the meaning of Section 62(1)(c) of the Act."*

(Bherulal vs The S.T.A.T. , Rajasthan, AIR 1977 Raj 29).

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता स्थापित न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई परमिट स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमितों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0-7

प्रेमनगर-गुलरघाटी तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

वर्तमान में इस मार्ग हेतु 22 परमितों की संख्या निर्धारित है तथा 20 परमित जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में इस मार्ग पर 04 परमित स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत परमित में से 02 प्रार्थियों के द्वारा परमित प्राप्त नहीं किये गये हैं।

प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण द्वारा सचिव को नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था तथा प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अस्थाई परमित पर संचालित वाहन स्वामी श्री आशीष कम्पानी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि *"वर्ष 2012 में उनके द्वारा नई वाहन क्रय कर उक्त मार्ग का अस्थाई परमित प्राप्त करते हुये लगभग 03 वर्ष तक नगर बस मानकों के अनुरूप अपनी वाहन का संचालन किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अस्थाई परमित की फीस स्थाई परमित जो कि 05 साल तक वैध होता है से काफी अधिक होता*

है। उसके बावजूद भी अत्यधिक परमिट शुल्क जमा कर मेरे द्वारा उक्त मार्ग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती रही है। उन्होंने निवेदन किया है इस मार्ग हेतु जारी परमिट सं० पीएसटीपी 1290 जो कि वर्ष 2009 में ऊँचे माडल की वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु कार्यालय में जमा कराया गया था। परन्तु परमिट धारक के द्वारा निर्धारित अवधि 05 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद आज तक भी नई वाहन नहीं लगायी गयी है। उक्त परमिट के सापेक्ष मुझको मेरी अस्थाई परमिट पर संचालित वाहन को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें। "

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर नगर बस सेवा के मानकों के अनुरूप 03 वर्ष तक अस्थाई परमिट पर नई वाहन संचालित कर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। अतः श्री आशीष कम्पानी को अस्थाई परमिट पर संचालित उनकी वाहन के लिये प्रेमनगर-गुलरघाटी एंव सम्बन्धित मार्ग हेतु सामान्य शर्तों के साथ 05 वर्ष की अवधि हेतु एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाता है तथा संकल्प सं० 4 के अन्तर्गत नगर बस सेवा कार्ययोजना के तहत परमिट स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नीति प्रस्तावित करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार उक्त मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

संकल्प सं० 8— एमडीडीए डालनवाला-डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में इस मार्ग पर हेतु संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 03 स्थाई सवारी परमितों बढ़ाये जाने की संस्तुति किये जाने के फलस्वरूप मार्ग पर 14 परमितों की संख्या निर्धारित हो गयी थी। उक्त बैठक से पूर्व मार्ग पर 11 वाहनों संचालित हो रही थी। प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग हेतु प्राप्त 03 रिक्तियों के सापेक्ष 03 स्थाई सवारी गाडी परमित स्वीकृत किये थे। जिसमें से एक प्रार्थी के द्वारा स्वीकृत परमित प्राप्त करने के पश्चात लगभग 03 माह बाद दिनांक 30.09.2010 को परमित निरस्त करवा दिया था। जिससे वर्तमान में इस मार्ग पर 13 वाहनों स्थाई सवारी गाडी परमित वैध हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त आदेश पारित किये थे कि परमित स्वीकृत करने हेतु सचिव को नीति

निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान एक प्रार्थी श्री कमल कुमार ने प्राधिकरण उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि "वर्ष 2012 में उनके द्वारा नई वाहन क्रय कर उक्त मार्ग का अस्थाई परमिट प्राप्त करते हुए लगभग 02 वर्ष तक नगर बस मानकों के अनुरूप अपनी वाहन का संचालन किया गया है। उसके पश्चात वर्तमान तक वाहन प्रेमनगर-गुलरधाटी मार्ग पर अस्थाई परमिट पर संचालित हो रही है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि, अस्थाई परमिट हेतु 04 माह का शुल्क लगभग 7000 है जबकि स्थाई परमिट जो कि 05 साल तक वैध होता है का शुल्क मात्र 5800 रुपये है। स्पष्ट है कि, प्रार्थी विकट आर्थिक तंगी के बावजूद भी अत्यधिक परमिट शुल्क जमा कर उक्त मार्ग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई है। प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का आपदा पीडित व्यक्ति है, जिसकी वाहन का 02 साल का कर सरकार द्वारा माफ किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी को एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें। "

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, श्री कमल कुमार द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर 02 वर्ष तक अस्थाई परमिट पर वाहन संचालित कर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का आपदा पीडित व्यक्ति है। अतः श्री कमल कुमार को उक्त मार्ग पर उपलब्ध एक रिक्वि के सापेक्ष अस्थाई परमिट पर संचालित वाहन के लिये एक स्थाई सवारी गाडी परमिट परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि, उक्त मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2008 में हुआ था। उसके पश्चात लगभग सात वर्ष ब्यतीत हो चुके हैं। उक्त अवधि में मार्ग में नये संस्थाओं, कालोनियों की स्थापना से लोड फैक्टर में वृद्धि होनी सम्भव है। अतः उक्त मार्ग का पुनः सर्वेक्षण कर संकल्प सं0 04 में गठित कमेटी से प्राप्त प्रस्ताव के साथ प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब तक उक्त मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त अन्य प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 9-

परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश।

इस मार्ग पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में 21 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी तथा 4 परमिट सामान्य वर्ग के प्रार्थियों को स्वीकृत किये गये थे। जिसमें से एक परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किया गया था। जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। अनु0 जाति का प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनु0 जाति के लिये एक रिक्ति को सुरक्षित रखा गया था।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार को एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया गया है। परन्तु उनके द्वारा स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं करने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में परमिट की स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी। संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या दिनांक 05.09.2014 के द्वारा मार्ग पर 05 अतिरिक्त परमिट जारी करने की संस्तुति की थी। इस प्रकार मार्ग पर कुल 26 रिक्तियां उपलब्ध हो गयी हैं। नगर बस कार्ययोजना में अनु0जाति तथा अनु0 जनजाति के लिये परमिट आरक्षित किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान शासनादेशों तथा रोस्टर के अनुसार कुल 26 रिक्तियों में से अनु0 जाति के लिये 06 रिक्तियां तथा अनु0 जनजाति के लिये 01 रिक्ति आरक्षित हैं। वर्तमान में मार्ग पर कुल 07 रिक्तियों के सापेक्ष 02 रिक्तियां अनुसूचित जाति श्रेणी, 01 रिक्ति अनुसूचित जनजाति तथा 04 रिक्तियां सामान्य श्रेणी के लिये उपलब्ध हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 17 के अन्तर्गत श्री अमित डोभाल की अपील सं0 16/2011 तथा श्री सचिन कुमार की अपील सं0 17/2011 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 24.07.2012 के अनुपालन में प्रश्नगत मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामले की सुनवाई के दौरान श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये। उन्होंने लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि श्री सचिन कुमार राजकीय सेवा में नियुक्त हो गये हैं। इसलिये उनके नाम पर परमिट स्वीकृत न किया जाये। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि श्री अमित डोभाल को परमिट जारी किया जाये।

प्राधिकरण की आज दिनांक 20.05.2015 की बैठक में संकल्प सं0 16 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार को प्रश्नगत मार्ग पर दिनांक 04.12.13 की बैठक में स्वीकृत परमिट को 06 माह के भीतर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके पश्चात इस प्रकार मार्ग पर वर्तमान में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत केवल 01 रिक्ति शेष है। परिशिष्ट में उल्लिखित अनु0 जाति श्रेणी के 07 आवेदकों के सापेक्ष 01 रिक्ति उपलब्ध होने तथा अंतिम चयन हेतु कोई स्पष्ट नीति ना होने के कारण विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त श्री देवेन्द्र सिंह राना द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनु० जनजाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि, वे विकलांग होने के साथ-साथ अनु० जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अतः उक्त मार्ग पर अनु० जनजाति हेतु आरक्षित स्थान के आधार पर मेरे प्रार्थनापत्र दिनांक 16.05.15 पर उक्त श्रेणी के अन्तर्गत विचार कर परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि, उक्त मार्ग पर अनु० जनजाति श्रेणी की 01 रिक्ति के सापेक्ष केवल श्री देवेन्द्र सिंह राना का प्रार्थना पत्र प्राप्त है। अतः उनको आरक्षित रिक्ति के सापेक्ष प्रश्नगत मार्ग का एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। उक्त परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.07.15 तक प्राप्त किया जा सकेगा। तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

अतः उक्त मार्ग का पुनः सर्वेक्षण कर संकल्प सं० 04 में गठित कमेटी से प्राप्त प्रस्ताव के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब तक उक्त मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त अन्य प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाना स्थगित जाता है।

संकल्प सं०-10

तेलपुरा डांडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

श्री फुरकान अहमद, संसदीय सचिव ने अपने पत्र सं० 807 दिनांक 22.03.2015 द्वारा सूचित किया है कि, तेलपुर-डांडा वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड-मजाहिदपुर-पिरान कलियर-रूडकी मार्ग के क्षेत्र की जनता के आवागमन के लिये पर्याप्त वाहनों की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता एवं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित एवं राजस्व हित को देखते हुए इस मार्ग पर आगामी बैठक में परमिट स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हसनावाला- बिहारीगढ वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग का 2.5 किमी० भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता था। प्राधिकरण ने दिनांक 04.12.13 में अनुपूरक संकल्प सं० 2 के द्वारा उक्त मार्ग के परमितों में से उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला भाग हटा देने के फलस्वरूप अब मार्ग की लम्बाई अब 43.5 किमी० रह गई है। वर्तमान में मार्ग पर 7 वाहनों का संचालन स्थाई परमितों पर तथा 02 वाहन का संचालन अस्थाई परमित पर हो रहा है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 में प्रश्नगत मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु मामला प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि मार्ग का सर्वेक्षण कर मार्ग हेतु रिक्तियों की संख्या प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार द्वारा उक्त मार्ग का सर्वेक्षण कर 12 छोटी मिनी बसों को (15 से 21 सीट तक की वाहनों हेतु) परमिट स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है। प्रथम चरण में इन छोटी वाहनों को अस्थाई परमिट जारी किये जा सकते हैं। परन्तु 03 माह पश्चात मार्ग से लोड फैक्टर के आधार पर पुनः सर्वे कराने का कष्ट करें, जिसमें आवश्यकतानुसार और अधिक परमिट दिये जाने पर विचार किया जा सके।

मामले की सुनवाई के दौरान श्री अरुण शर्मा द्वारा कुन्ता देवी पुत्री श्री रामशरण दास, बेहट रोड, सहारनपुर का प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। इस प्रत्यावेदन में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ मुख्यतया: उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा पिरान कलियर-मजाहिदपुर-बन्दरजूड-बुग्गावाला-तेलपुरा-बिहारीगढ - हसना वाला मार्ग फारमूलेट किया था न कि तेलपुरा-डांडा वाया बुग्गावाला- बन्दरजूड- मजाहिदपुर - पिरान कलियर- रूडकी। अतः जब तक प्रस्तावित मार्ग एमवी एक्ट की धारा 68 (3)(सी.ए.) के अनुसार फारमूलेट नहीं होता आरटीए द्वारा कोई भी परमिट स्वीकृत व जारी करना नियमानुसार उचित नहीं है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि ऐसे मार्ग पर परमिट स्वीकृत एवं जारी न करें जो फारमूलेट नहीं है।

श्री विनोद पुरी, अध्यक्ष, बहादुराबाद-रूडकी-पिरान कलियर मार्ग ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उक्त मार्ग पर जनता को पर्याप्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। मार्ग पर मिनी बसों को परमिट दिये जाने से जहाँ राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्रीय जनता को परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उनके द्वारा मार्ग पर नये परमिट स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हसनावाला- बिहारीगढ वाया बुग्गावाला-बन्दरजूड- मजाहिदपुर- पिरान कलियर- रूडकी मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग का 2.5 किमी० भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता था। प्राधिकरण ने दिनांक 04.12.13 में अनुपूरक संकल्प सं० 2 के द्वारा उक्त मार्ग के परमितों में से उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला भाग हटा देने के फलस्वरूप अब मार्ग की लम्बाई 43.5 किमी० रह गई है तथा मार्ग पूर्णतया: उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटाने से उपरोक्त मार्ग के Formulation पर पड़ने वाले प्रभाव तथा मार्ग को एक नये मार्ग के रूप में Formulate करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में

सचिव, प्राधिकरण द्वारा परीक्षण कर प्राधिकरण के समक्ष आख्या एक पक्ष में प्रस्तुत की जायेगी। तब तक मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने पर विचार स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं० 11

परेडग्राउण्ड-सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक-सहारनपुर चौक-कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश।

देहरादून-सेलाकुई मार्ग पर पूर्व में परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पश्चात संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा देहरादून में निजी नगर बस सेवा संचालन हेतु 14 मार्गों के वर्गीकरण हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण लखनऊ से पत्रांक 2772/आरटीए/नौ-37/98 दिनांक 01.07.98 द्वारा अनुरोध किया गया था। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पत्रांक 1672/एसटीए/99 दिनांक 13.05.99 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण लखनऊ ने उक्त अनुरोध के क्रम में 14 नगर बस मार्गों का वर्गीकरण का अनुमोदन कर दिया है। जिसमें देहरादून-सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.2010 में मद सं० 5(12) (परिष्ठी ढ) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे:-

"मद सं०-5 के अन्तर्गत नगर बस सेवा मार्गों पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मद में वर्णित मार्गों के सम्बन्ध में क्रमानुसार विचारोपरान्त निम्न प्रकार आदेश पारित किये जाते हैं।

देहरादून नगर में वर्ष 1996 से पूर्व परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा देहरादून नगर में निजी नगर बस सेवा चलाने हेतु 14 मार्गों को वर्गीकृत किया गया था, जिसमें देहरादून-सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्गीकृत मार्गों का अनुमोदन करने हेतु कार्यालय के पत्र सं०-2772/आरटीए/नौ-37/98 दिनांक 01.07.98 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०-1672/एसटीए/स्टैज/99 दिनांक 13.05.99 द्वारा अवगत कराया गया था कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० के पद सं०-13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त इन मार्गों को वर्गीकरण का अनुमोदन कर दिया था।

अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखण्ड ने सूचित किया था कि सेलाकुई क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो जाने के कारण यहाँ पर फ़ैक्ट्री के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने तथा वापस जाने हेतु कोई यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा देहरादून से सेलाकुई तक नगर बस सेवा चलाने की मांग की गई थी।

पूर्व सैनिक-असैनिक जनकल्याण एवम् ग्राम सुधार समिति हरिपुर, सेलाकुई ने अपने पत्र सं०-50 दिनांक 06.11.09 द्वारा अवगत कराया है कि इस मार्ग पर डाकपत्थर मोटर आनर्स यूनियन की बसों में बैठने की तो क्या धुसने की जगह भी नहीं मिलती कई बार दफ़्तर/कालेज जाने वालों को अनावश्यक अवकाश करना पड़ता है। इन बसों में भेड-बकरियों की तरह टुंसे जाने के लिये आम जनता बेबस है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि डाकपत्थर वाली बसें आईएसबीटी तक जाती हैं, जबकि 80 प्रतिशत लोगों को दफ़्तर, कालेज अथवा बाजार जाना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें प्रेमनगर से दूसरी बस अथवा टैम्पो आदि का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने सेलाकुई से परेड ग्राउन्ड, देहरादून तक के लिये नगर बस सेवा चलाने की प्रार्थना की है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं०-5300/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/06 दिनांक 06.12.06 द्वारा सूचित किया था कि प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 23 किमी० है। मार्ग का सहारनपुर चौक से कांवली रोड होते हुए बल्लीवाला चौक तक संकरा होने के कारण मार्ग पर 133 इंच व्हीलबेस की छोटी बसें चलाई जानी उपयुक्त होंगी। उन्होंने अपनी आख्या में यह भी कहा है कि वर्तमान में सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एवं कुछ फ़ैक्टरियों का निर्माण भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान भी खुल गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढ़ी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहन बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकड़ना पड़ता है, जिनमें काफी भीड होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पड़ता है। इसी प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते-आते भर जाती हैं, जिससे फ़ैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहन भी बदलनी पड़ती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा। उनके द्वारा मार्ग पर 8 परमिट दिये जाने की संस्तुति की गई थी।

श्री दानवीर सिंह नेगी, पुत्र जे0 एस0 नेगी ने अपने पत्र दिनांक 18.06.10 द्वारा सूचित किया है कि मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध याचिका सं0-2047/एमएस/07 दायर की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे। इस याचिका श्री दानवीर सिंह नेगी, तथा सर्व श्री महेशपाल मैनी, कुलिन्दर, स्वाति ठाकुर, ओम प्रकाश, श्री मोहन सिंह, श्रीमती संगीता देवी तथा अनूप कुमार प्रतिवादी बने थे। और उनके द्वारा उक्त याचिका में पैरवी करने के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनको प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

देहरादून-सेलाकुई मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध देहरादून-डाकपत्थर मार्ग के आपरेटरों द्वारा याचिका सं0-1562/एमएस/06 तथा 2047/एमएस/07 दायर की गयी थी, जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में इस मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय में याचिका गतिमान होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर रामपुर देहरादून ने भी उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है कि जब तक उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है तब तक मार्ग पर नये परमिट स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या-1111/एचक्यू/संचालन-11/10 दिनांक 25.06.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून-प्रेमनगर तक मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून-प्रेमनगर तक मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। शासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम-1988 की धारा-102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या-2134/30-2-94-240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संशोधन किया गया था। इस अधिसूचना में अन्य नगरों के

साथ-2 देहरादून नगर में भी 20 किमी० अर्धब्यास के भीतर (विशेष परिस्थितियों में 25 किमी० अर्धब्यास में) निजी क्षेत्र की बसों द्वारा सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना में संशोधन हो जाने के पश्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त-228 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिशिष्ट "ढ" में दिया गया था।, इसके अतिरिक्त 11 प्रार्थना पत्रों का विवरण अनुपूरक सूची में उल्लेखित है। प्राधिकरण द्वारा परिशिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 10 प्रार्थी ही उपस्थित हुए।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि **इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा,, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।"**

मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका सं०-2023/14 में पारित आदेश दि० 29.08.14 के अनुपालन में परेडग्राउण्ड-सेलाकुई मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दि० 10.09.14 में मद सं० 1 अनुपूरक के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये हैं।

“इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड-सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक-सहारनपुर चौक-कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

श्री दानवीर सिंह नेगी के द्वारा याचिका सं० 2023/2014 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2014 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि उन्हें परेड ग्राउण्ड-सेलाकुई मार्ग के स्थाई सवारी

गाडी परमिट जारी करने की कृपा करें। इस मार्ग के लिये परमिटों हेतु 253 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- य में दिया गया था। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे।

उक्त बैठक में प्राधिकरण के समक्ष याचिका कर्ता श्री दानवीर सिंह एवं अन्य प्रार्थी उपस्थित हुये उन्होने निवेदन किया कि मार्ग पर उनके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाये तथा उनको परमिट स्वीकृत किये जायें। इसके अतिरिक्त देहरादून-डाकपत्थर बस यूनियन के अध्यक्ष श्री राम कुमार सैनी एवं मार्ग के बस आपरेटर श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा इस मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ व्यक्त की गई हैं:-

1. यह कि एजेन्डे की प्रति आज दिनांक 10.09.14 को प्रातः 10:30ए0एम0 पर प्राप्त हुई, जिसके कारण विस्तृत आपत्ति तैयार नहीं किया जा सका है।
2. उक्त मार्ग अभी तक मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग-क) के अन्तर्गत शासन द्वारा सृजित नहीं किया गया है। शासन द्वारा सृजित करने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है।
3. यह कि दिनांक 26.06.10 की बैठक की कार्य सूची के मद सं0 5(12) में सचिव, द्वारा नगर बस सेवा हेतु एवं मद सं0 12 में अंकित मार्गों की सूची में क्रमांक 28 पर ठेका वाहनों के लिये प्रस्तावित किया था। इसलिये प्राधिकरण पहले नगर बस सेवा अथवा ठेका वाहन में से किस प्रकार की वाहन संचालन करना चाहता है पर निर्णय ले। तदुपरान्त निश्चित हो जाने के पश्चात ही विचार करें।
4. वर्ष 1996 में मार्ग पर 39 परमिट स्वीकृति/जारी थे तदुपरान्त वर्ष 1998 में 67 और 28.12.09 में कुल स्वीकृत परमिट जारी 81 तथा 30 परमिट कालसी + 19 परमिट कुल्हाल मार्ग पर स्वीकृत हो चुके हैं।
5. यह कि नये परमिट स्वीकृत करने से समय सारणी (मार्ग) रा0प0प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत में अन्तर करने हेतु रा0प0प्रा0 से सहमति आवश्यक है।

6. यह कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण आख्या कार्यालय में बैठकर तैयार की गयी है। उक्त आख्या भ्रामक है पुनः से समिति द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

श्री राम कुमार सैनी द्वारा लिखित आपत्ति पर विचार किया तथा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया गया है।

1. याचिका सं० 2023/एमएस/14 में उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को उक्त मार्ग पर याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचारण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा 06.09.14 को कार्यालय में प्राप्त कराया गया। जबकि प्राधिकरण की बैठक हेतु एजेण्डा दिनांक 05.09.2014 को अन्तिम रूप से सार्वजनिक किया जा चुका था। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उक्त प्रकरण को अनुपूरक मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है। बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व आपत्तिकर्ता को उक्त अनुपूरक मद उपलब्ध करा दिया गया था। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 के द्वारा नगर बस संचालन योजना को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 102 के अन्तर्गत राष्ट्रीकरण की संशोधित योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य के अन्य महानगरों के साथ-साथ देहरादून शहर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की सेवा के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की बसों का 20 किमी० अर्द्धब्यास एवं विशेष परिस्थितियों में 25 किमी० तक संचालन अनुमन्य किया गया है। उक्त के क्रम में नगर बस योजना के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 16.02.1999 की मद सं० 13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त देहरादून शहर हेतु 14 मार्गों का अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें प्रश्नगत मार्ग यथा देहरादून- सेलाकुई मार्ग भी क्रम सं० 4 पर अंकित है। प्रश्नगत मार्ग को छोड़कर अन्य सभी मार्गों पर नगर बस सेवा परमिट निर्गत हैं। जिसमें से एक मार्ग क्लेमन्टाउन-राजपुर मार्ग पर आपत्तिकर्ता श्री रामकुमार सैनी द्वारा अस्थाई एवं स्थाई परमिट हेतु आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता के द्वारा वर्ष 2010 में इस प्रश्नगत मार्ग के परमिट हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। जो कि परिशिष्ट के क्रमों सं० 213 पर अंकित है। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदित नगर बस सेवा के मार्गों में से कुछ मार्गों पर परमिट हेतु आवेदन करने एवं प्रश्नगत मार्ग पर नियमानुसार निर्मित न होने की आपत्ति करने से आपत्तिकर्ता के कृत्यों में स्पष्ट विरोधाभास स्थापित होता है। जिस कारण आपत्ति मान्य नहीं है।

3. पूर्व में प्रश्नगत मार्ग पर याचिका लम्बित होने के कारण नगर बस सेवा परमिट जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। जनहित में परिवहन सुविधा की पूर्ति हेतु उक्त मार्ग में ठेका परमिट जारी किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में उक्त याचिका के खारिज हो जाने के फलस्वरूप नगर बस मार्ग होने के कारण नगर बस सेवा के परमिट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।
4. प्रश्नगत मार्ग नगर बस सेवा का मार्ग है। वर्ष 2006 में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा अवगत कराया गया है कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एवं सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान भी खुल गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढ़ी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहनों बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकड़ना पडता है, जिनमें काफी भीड़ होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पडता है। इस प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते-जाते भर जाती हैं। जिससे फैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहनों भी बदलनी पडती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा। इससे स्पष्ट है कि इस मार्ग पर नगर बस सेवा की आवश्यकता परिवर्तित परिस्थितियों के अन्तर्गत अनिवार्य है। चूंकि: आपत्तिकर्ता देहरादून-विकासनगर मार्ग के परमिटधारक हैं जोकि प्रश्नगत मार्ग को बल्लूपुर चौक से सेलाकुई तक ओवरलेप करता है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने व्यावसायिक हितों से प्रभावित होकर आपत्ति की जा रही है।
5. प्रश्नगत मार्ग संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत आता है। प्राधिकरण अपने क्षेत्र के अन्तर्गत परमिट जारी करने एवं समय सारणी जारी करने हेतु विधिक रूप से पूर्णतया सक्षम है। जिस कारण परमिट जारी करने तथा समय सारणी निर्धारित करने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण से सहमति आवश्यक नहीं है।
6. प्रश्नगत संयुक्त सर्वेक्षण नियमानुसार गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा किया गया है। साक्ष्य के अभाव में लगाये गये आरोप स्वीकार्य नहीं है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मा0 न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचारण के निर्देश दिये हैं। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण बैठक से सम्बन्धित दिनांक 22.08.14 को प्रकाशित विज्ञापित में भी सम्मिलित नहीं था। जबकि मार्ग हेतु याचिकाकर्ताओं सहित 253 आवेदकों के द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है, जिन्हें इस बैठक में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। सभी आवेदकों को नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के आधार पर सुनवाई का समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया जाता है।”

मामले की सुनवाई के दौरान श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह पंवार की ओर से आपत्ति पत्र प्रस्तुत करते हुये सूचित किया है कि मार्ग का सृजन मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3)(ग-क) के अन्तर्गत नहीं किया गया है। आपत्ति में यह भी कहा गया है कि धीरेन्द्र सिंह पंवार द्वारा याचिका सं0 1115/एमएस/2015 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की है। जिसमें प्रतिवादी गण को 10 दिन के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रतिवेदन में यह भी निवेदन किया गया है कि देहरादून-डाकपत्थर मार्ग की छोटी बसों को परेड-ग्राउण्ड तक आने की अनुमति प्रदान की जाये। देहरादून-डाकपत्थर मार्ग वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अन्तर्गत है। श्री एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने का विरोध किया गया है।

उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अन्य मार्गों के साथ-साथ देहरादून-सेलाकुई मार्ग का वर्गीकरण संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के द्वारा किया गया था तथा वर्गीकृत मार्गों का अनुमोदन करने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया था। राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 16.02.1999 के मद सं0 13 द्वारा 14 मार्गों का वर्गीकरण का अनुमोदन किया गया था। उपरोक्त प्रकार वर्गीकृत 14 मार्गों में देहरादून-सेलाकुई मार्ग को छोड़कर वर्तमान में अन्य मार्गों पर नगर बस सेवा परमिट जारी किये गये हैं जिस पर वाहनों संचालित हो रही है।

श्री दानवीर सिंह नेगी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि, उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में याचिका 2023/14 दायर की थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने हेतु प्राधिकरण को निर्देशित किया गया था। उन्होंने निवेदन किया है कि, याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में विचार कर परमिट स्वीकृत किये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्र के कुछ अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में सेलाकुई एक ओद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका। इस क्षेत्र में अनेक ओद्योगिक ईकाइयाँ एवं शिक्षण संस्थान स्थापित हो गये हैं। शैक्षणिक संस्थानों एवं ओद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत सैकड़ों लोग प्रतिदिन सेलाकुई तक आवागमन करते हैं। परिवहन की समुचित सुविधा न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देहरादून से सेलाकुई तक सीधी सेवा न होने के कारण तथा लम्बी दूरी की सेवा यथा देहरादून-डाकपत्थर-कालसी तक होने के कारण सेलाकुई तक जाने वाले यात्रियों को स्थान न मिलने से यात्रियों/छात्राओं को समुचित परिवहन सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि सेलाकुई से देहरादून तक सीधी बस सेवा संचालित की जाये। जिससे क्षेत्र की जनता, स्कूल एवं कॉलेज आने जाने वाले छात्र-छात्राओं को सीधी बस सेवा उपलब्ध हो सके।

सेलाकुई-परेडग्राउन्ड नगर बस मार्ग राज्य परिवहन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा नगर बस सेवा हेतु अनुमोदित 14 मार्गों में सम्मिलित हैं। अन्य 13 मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा नगर बस परमिट जारी किये हैं, जिन पर कुल 13 मार्गों पर कुल 319 वाहनों को परमिट जारी किये गये हैं। उक्त मार्ग का कुछ भाग देहरादून-डाकपत्थर मार्ग से ओवरलैप करता है। स्पष्ट है कि, इसी कारण डाकपत्थर यूनियन द्वारा उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा के परमिट का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, याचिकाकर्ता श्री धीरेन्द्र कुमार के प्रतिनिधि श्री एस के श्रीवास्तव स्वयं जो कि बैठक में उपस्थित होकर उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने का विरोध कर रहे हैं, नगर बस सेवा के अन्य मार्ग जो कि, समान आदेश से वर्गीकृत/अनुमोदित है पर परमिट हेतु आवेदक है। उदाहरण के लिये राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर श्री एस के श्रीवास्तव द्वारा स्थाई एवम अस्थायी परमिट हेतु आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में अन्य नगर बस सेवा डोईवाला मार्ग में प्राप्त आवेदन पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.02.08 में विचार के दौरान श्री एस के श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित होकर कहा गया था कि, मिथिलेश गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया वाद में दिये गये निर्णय के आलोक में डोईवाला मार्ग में नगर बस परमिट स्वीकृत किये जा सकते हैं। श्री एसके श्रीवास्तव के साथ उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरोध में उपस्थित डाकपत्थर यूनियन के अध्यक्ष श्री रामकुमार सैनी द्वारा भी राजपुर-क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थायी तथा अस्थायी परमिट हेतु आवेदन किया है। श्री सैनी द्वारा देहरादून-परेड ग्राउन्ड-सेलाकुई मार्ग पर नगर बस परमिट हेतु भी आवेदन किया है जो कि, परिशिष्ट "ज" में क्रमांक 213 में अंकित है। इस प्रकार श्री सैनी प्रश्नगत मार्ग में नगर बस परमिट के विरोधी होने के साथ-साथ प्रश्नगत मार्ग पर परमिट हेतु आवेदक भी हैं।

ज्ञातव्य है कि, डाकपत्थर-देहरादून यूनियन द्वारा उक्त नगर बस मार्ग पर परमिट जारी करने का विरोध प्रारम्भ से ही किया जा रहा है। अभिलेखानुसार उक्त यूनियन द्वारा दिनांक 10.06.10, 01.07.10, 10.09.4, 20.05.15 आदि को प्रेषित पत्र द्वारा उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर विरोध किया है। इसके अतिरिक्त उक्त यूनियन के सदस्यों तथा देहरादून-डाकपत्थर मार्ग के विभिन्न परमिट धारकों द्वारा उक्त मार्ग पर नगर बस परमिट जारी करने के विरोध में निम्न याचिकाएँ दायर की गई हैं-

1. 1562/2006 श्री जितेन्द्र जोशी बनाम राज्य एवं अन्य।
2. 2047/2007 श्री राजकुमार बंसल बनाम राज्य एवं अन्य।
3. 587/2010 श्री इन्द्रप्रीत सिंह बनाम राज्य एवं अन्य।
4. 383/2015 श्री अमित डोभाल बनाम राज्य एवं अन्य।

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त याचिकाएँ अंतिम रूप से निस्तारित कर दी गई हैं तथा किसी भी याचिका के निर्णय में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा परमिट जारी करने पर स्थाई रोक नहीं लगाई गई है। अपितु, याचिका संख्या 2047/2007 के निस्तारण आदेश में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को नियमानुसार परमिट जारी करने एवम याचिकाकर्ता को आपत्ति होने की दशा में उचित/वैकल्पिक, वैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपील करने के निर्देश दिये हैं।

स्पष्ट है कि, उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं है। उक्त मार्ग का कुछ भाग डाकपत्थर मार्ग को ओवरलैप करता है। परन्तु, यह सर्वमान्य तथ्य है कि, उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बाद सेलाकुई नगर में औद्योगिक केन्द्र विकसित हुआ है, जिससे उक्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिक/शैक्षणिक संस्थाओं का गठन हुआ है। इसके अतिरिक्त विगत 15 वर्षों में उक्त मार्ग पर सेलाकुई तक जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। स्थिति यह है कि, देहरादून से सेलाकुई तक सीधी सेवा ना होने के कारण औद्योगिक कर्मियों/छात्र-छात्राओं को कई वाहन बदलते पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त डाकपत्थर यूनियन की बसों में सेलाकुई के स्थानीय यात्रियों को स्थान नहीं मिल पाता है। यह विभिन्न प्रत्यावेदनों के अध्ययन से स्पष्ट होता है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित यूनियन के उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के लम्बित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी नहीं किये जा रहे थे, किन्तु वर्तमान में सम्बन्धित सभी याचिकाओं का निस्तारण हो गया है तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं है।

अतः प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया गया कि संकल्प सं० 4 के अन्तर्गत नगर बस सेवा कार्ययोजना के तहत परमिट स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नीति प्रस्तावित करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार प्रश्नगत मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत मार्ग पर किये गये सर्वे को लगभग 09 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा इस अवधि में सम्बन्धित मार्ग पर जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना से परिवहन सुविधाओं की माँग एवं लोड फैक्टर में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण समिति से पुनः सर्वेक्षण कराकर आख्या प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये। सचिव ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि खण्ड विकास अधिकारी, सहसपुर, देहरादून ने अपने पत्र सं० 1433/विधि/2014.15 दिनांक 27.01.15 के साथ ग्राम सभा सेन्ट्रल होप टाउन, सहसपुर के वासियों का मा० मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पत्र में वर्णित बिन्दु सं० 3 जिसमें सेलाकुई तक नगर बस सेवा संचालित किये जाने की माँग की गई है, पर आवश्यक कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर को मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण समिति से सर्वेक्षण कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। उपरोक्तानुसार प्राप्त सर्वेक्षण आख्या को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। आख्या एक पक्ष में उपलब्ध करायी जाए।

संकल्प सं० 12— बहादुराबाद—पिरान कलियर—रुडकी मार्ग के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन अनुभाग की अधिसूचना सं०-349/IX-1/216(2008)/2015 दिनांक 30.04.15 द्वारा बहादुराबाद—पिरान कलियर—रुडकी मार्ग को उपांतरित किया गया है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है:—

उपरोक्त मार्ग हरिद्वार से 14 किमी० आगे हरिद्वार—रुडकी मार्ग के बहादुराबाद स्थान से दाईं ओर मुड़ जाता है तथा पिरान कलियर होते हुए रुडकी तक जाता है। राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण पूर्व में इस मार्ग पर परिवहन

निगम की बसों का संचालन होता था, परन्तु बहादुराबाद से रुडकी के मध्य बाईपास मार्ग का निर्माण होने के फलस्वरूप परिवहन निगम की बसों का संचालन बाईपास मार्ग से रुडकी के लिये हो रहा है। बहादुराबाद से पिरान कलियर के मध्य 10 किमी० की दूरी पर एक बैराज का पुल है तथा बैराज से 8 किमी० आगे सलोनी नदी के उपर एक बैराज का पुल बना है, जिसके उपर भारी वाहनों के संचालन को निषिद्ध किया गया है। इन दोनों बैराज पुलों के उपर 166 इंच या उससे बड़ी बसों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है। बैराज के उपर मार्ग की चौड़ाई 10 फीट है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.11.2004 में मद सं० 17(स-2) में प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 25 अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये थे।

इसके पश्चात प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.04.05 में संकल्प सं०-3 द्वारा 10 अस्थाई परमिट तथा बैठक दिनांक 15.5.06 में संकल्प सं०-26 'ब' द्वारा एक अस्थाई परमिट स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार मार्ग पर कुल 36 मिनी बसों का संचालन अस्थाई परमितों पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की दो वाहनों को एक परमिट(सर्विस स्टैज कैरेज) दिनांक 28.12.11 को जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.06 के संकल्प सं०-26 'अ' द्वारा प्रश्नगत मार्ग का विस्तार बहादुराबाद से बीएचईएल होते हुए रोशनाबाद तक 10 किमी० तथा तथा दिनांक 12.11.09 में संकल्प सं०-14 द्वारा बहादुराबाद से गढ़मीरपुर होते हुए रोशनाबाद तक (7 किमी) किया गया था। इस प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 36 किमी० हो गई है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, इस मार्ग का सर्वेक्षण लगभग 10-12 वर्ष पूर्व किया गया था। अतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर सम्बन्धित क्षेत्र के परिवहन अधिकारी से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त कर तदनुसार परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय। आख्या एक पक्ष में प्रस्तुत की जाए।

1. मार्ग की दशा (कच्चा/पक्का), लम्बाई/चौड़ाई सहित।
2. शासन की उक्त अधिसूचना से पूर्व मार्ग का कुल कितना भाग राष्ट्रीयकृत था।
3. मार्ग पर कितने व्हीलबेस तक की बस का संचालन उपयुक्त होगा?
4. मार्ग पर बस सेवा संचालन करने से मार्ग पर कितने लोग लाभान्वित होंगे?
5. इस मार्ग पर न्यूनतम कितनी वाहनों तथा कितनी सेवाओं की आवश्यकता होगी।

6. इस मार्ग पर उपलब्ध अन्य परिवहन साधनों का विवरण।
7. मार्ग पर स्थित मुख्य-2 स्थान सहित मार्ग का एक रफ मानचित्र।

संकल्प सं० -13 श्री हरवंश लाल की याचिका सं० 601/2015 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन में याचिका कर्ता के प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र को विचार व आदेश।

मा० उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में आदेश पारित किये थे कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर 30 दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लिया जाये। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल द्वारा वाहन सं० यूए 11 0690 हेतु देहरादून- डोईवाला नगर बस सेवा अस्थाई परमिट का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल द्वारा अध्यक्ष, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को सम्बोधित प्रतिवेदन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के कार्यालय से दिनांक 30.03.2015 को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता के द्वारा निवेदन किया है कि उनकी वाहन सं० यूए 11 0690 को पूर्व में समय-समय पर देहरादून से डोईवाला-जौलीग्रान्ट मार्ग का परमिट जारी किया गया था। परन्तु वर्तमान में उक्त वाहन बिना परमिट है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2015 पर विचारोपरान्त उक्त वाहन को अस्थाई परमिट जारी किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 में देहरादून-डोईवाला मार्ग का विस्तार किया गया था तथा मार्ग पर परमितों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण के इन आदेशों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उपरोक्त दिनांकित आदेश को सही माना था। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध मार्ग के एक आपरेटर श्री ओमप्रकाश द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है। परन्तु किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता श्री हरवंश लाल ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि पूर्व में भी उनको प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी किये जाते रहे हैं। परन्तु वर्तमान में उनकी वाहन खड़ी है जिससे वे वाहन की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने निवेदन किया कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तथा प्रश्नगत मार्ग पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत

रिक्त हुई 02 रिक्तियों में से एक रिक्ति पर उनकी वाहन सं० यूए 11 0690 को अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रार्थी श्री हुक्म चन्द पुत्र स्व० श्री विशन लाल, 177 चुक्खूवाला, देहरादून ने उपस्थित होकर अनुरोध किया था कि प्राधिकरण ने दिनांक 04.12.13 को देहरादून-डोईवाला मार्ग पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत उनकी माता जी के नाम पर पूर्व में स्वीकृत परमिट, माताजी के निधन होने के कारण उनके नाम पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया था कि, स्वीकृत परमिट नई वाहन के साथ छः माह में प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे नई बस लाने में असमर्थ हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके पास पुरानी बस है। अतः उन्हें प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमिट जारी किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 में देहरादून-डोईवाला मार्ग हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परमिट प्राप्त नहीं किये गये है। अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त दोनों प्रार्थियों को एक-एक अस्थाई परमिट इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी हो जाने के पश्चात इन परमितों की स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

संकल्प सं०-14

टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहनों (टाटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) के स्वामियों को परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 19.12.11 द्वारा टाटा आयरिश वाहनों को राज्य के मैदानी मार्गों पर यात्री वाहनों के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। यह वाहन डीजल चालित है। वाहन में चालक सहित कुल 05 सीटें हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में यह निर्णय लिया गया था कि सचिव इन वाहनों को परमिट जारी करने हेतु नीति प्रस्तावित करेंगे। इन आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.2014 में सचिव द्वारा नीति प्रस्तुत की गई थी। जो निम्नवत है:-

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74 (2)(i) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार टेका गाडी परमिट विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग के लिये जारी किया जा सकता है। पूर्व में मोटर कैब को क्षेत्र के परमिट जारी किये गये है। टॉटा मैजिक आयरिश वाहन छोटी बनावट का वाहन है तथा परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के मैदानी मार्गों में संचालन हेतु पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिये इस वाहन को सीमित मैदानी क्षेत्र का मोटर कैब परमिट दिया जाना उचित होगा।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 10.11.2014 में संकल्प सं0 9 द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु किसी मार्ग विशेष का परमिट जारी किया जाये। इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून की संयुक्त समिति इन वाहनों के संचालन हेतु मार्गों का सर्वेक्षण कर आख्या प्रेषित करेंगे तथा आख्या प्राप्त होने के पश्चात मामले को प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

मामले की सुनवाई के दौरान उक्त प्रकार के वाहन स्वामियों ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनकी वाहनों काफी समय से बिना परमिट खड़ी है। वाहन का संचालन न होने के कारण बैंक की किस्त तथा परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उनकी वाहन को मार्ग के स्थान पर सीमित क्षेत्र का परमिट जारी करने की कृपा करें। मार्ग वार परमिट दिये जाने से पूर्व से संचालित नगर बस वाहनों तथा विक्रम वाहनों से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगा। अध्यक्ष, संयुक्त परिवहन महासंघ उत्तराखण्ड, देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि यदि इन वाहनों को 25 किमी⁰ परिधि का परमिट स्वीकृत किया जाता है तो महासंघ को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकार की पंजीकृत सभी वाहनों को एक-एक स्थाई मोटर कैब परमिट सामान्य शर्तों के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिये देहरादून केन्द्र से 25 किमी⁰ अर्द्धब्यास (पहाडी मार्गों को छोडकर) के लिये स्वीकृत किया जाता है। उक्त वाहनों की मॉडल सीमा 10 वर्ष निर्धारित की जाती है। संचालन परिधि के सुनिश्चित निर्धारण एवं इस सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति से बचने के लिये उक्त प्रकार स्वीकृत परमिट का केन्द्र बिन्दु परेड ग्राउन्ड निर्धारित किया जाता है।

संकल्प सं०-15 देहरादून-रायपुर-थानों मार्ग स्थाई सवारी गाडी परमितों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्रश्नगत मार्ग से सम्बन्धित क्षेत्र के अनेक ग्राम प्रधानों ने निवेदन किया है कि ग्रामवासियों को देहरादून से थानों मार्ग पर वाहनों की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड रहा है। उन्होंने निवेदन किया है कि थानों मार्ग पर भोगपुर तक नगर वाहन या टैम्पो वाहन संचालित कराये जायें। वर्तमान में इस मार्ग पर 05 स्थाई सवारी गाडी संचालित हो रही है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, प्रश्नगत मार्ग पर न्यूनतम परमित/सेवाओं की आवश्यकता/वाहनों की उपयुक्तता/उपलब्ध अन्य परिवहन सुविधाओं/मार्ग की दशा आदि तथ्यों का सर्वेक्षण कर तदोपरांत परमित स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय। आख्या एक पक्ष में प्रस्तुत किया जाए।

संकल्प सं०-16 परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमित जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर विचार एवं आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में श्री राकेश कुमार, चुखूवाला, देहरादून को प्रश्नगत मार्ग पर एक स्थाई सवारी गाडी परमित स्वीकृत किया था तथा स्वीकृत परमित प्राप्त करने हेतु नई वाहन के साथ 6 माह का समय दिया गया था। परन्तु श्री राकेश कुमार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर परमित प्राप्त नहीं करने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में प्रार्थी को स्वीकृत परमित की स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी।

प्रार्थी श्री राकेश कुमार प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये तथा निवेदन किया था कि पूर्व में प्राधिकरण ने निर्णय लिया था कि यदि निर्धारित अवधि में परमित नहीं उठाया जाता है तो प्राधिकरण विलम्ब शुल्क प्राप्त कर परमित स्वीकृत कर सकती है। अतः उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हें एक वर्ष का समय प्रदान किया जाये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि बैठक दिनांक 21.08.2000 के संकल्प सं० 4 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रार्थी को उक्त परमित नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 6 माह के भीतर (दिनांक 30.11.2015

तक) रू0 1000/-प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करने पर स्वीकृत परमिट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विलम्ब शुल्क की गणना दिनांक 01.07.2015 से की जायेगी।

संकल्प सं0-17

श्रीमती बबीता देवी के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 2039 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन की आज्ञा प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्रीमती बबीता सोनकर पत्नी श्री राकेश सोनकर, 196 चुक्खूवाला, देहरादून के नाम पर थाना कैंन्ट परेड ग्राउण्ड वाया बल्लुपूर चौक- जी0एम0एस0 रोड- आई0एस0बी0टी0- बाई पास मार्ग- रिस्पना पुल- धर्मपुर- सुभाष रोड का स्थाई सवारी गाडी परमिट दिनांक 14.09.2014 तक वैध था। इस परमिट पर बस सं0 यूके 07पीए 0466 संचालित हो रही थी। प्रार्थी के अनुरोध पर दिनांक 29.06.2014 को उक्त परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

प्रार्थिनी की ओर से उनके पति श्री राकेश सोनकर ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उक्त परमिट पर संचालित वाहन 16 जून 2013 को आयी आपदा में केदारनाथ धाम में बह गई थी। **(पुलिस कार्यालय, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा उक्त वाहन के सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट की प्रति संलग्न है)** जिस कारण से वे उक्त परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण करने में असमर्थ हैं। उनके निवेदन किया गया है कि उक्त परमिट पर 05 वर्ष पुरानी वाहन लगाने हेतु एक वर्ष का समय प्रदान किया जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, वर्ष 2013 में राज्य में आयी भीषण आपदा में परिवहन व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। आपदा में प्रार्थिनी की वाहन भी बह गई है। अतः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने के लिये निर्धारित नीति द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क व डाउन माडल वाहन के प्रतिस्थापन पर रोक सम्बन्धी नीति में छूट प्रदान करते हुये परमिट नवीनीकरण करने तथा परमिट पर 05 वर्ष पुरानी वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 06 माह का समय प्रदान किया जाता है।

संकल्प सं० -18

प्रेमनगर-गुलरघाटी एवं सम्बन्धित मार्ग हेतु जारी परमिट सं० पीएसटीपी 1290 के नवीनीकरण एवं परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।

श्री मनीराम, बालावाला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 14.05.2015 के द्वारा निवेदन किया है कि उनके नाम पर प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग पर बस परमिट सं० पीएसटीपी 1290 है जो दिनांक 07.08.2012 में समाप्त हो गया है। इस परमिट का नवीनीकरण करने का कष्ट करे ताकि मैं अपने परमिट पर उच्चे मॉडल की गाडी लगाकर चला सकूं। यह परमिट मैंने अपनी लम्बी बीमारी के कारण कार्यालय में जमा करा दिया था।

श्री मनीराम पुत्र कन्हैयालाल एवं श्री मुनीष पुत्र श्री कैलाशचन्द, बालावाला, देहरादून के नाम पर प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग का परमिट सं० पीएसटीपी 1290 जारी है। इस परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु 02 माह का समय दिनांक 11.08.2009 को प्रदान किया परन्तु लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब परमिट धारक के द्वारा अपने परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापित नहीं की गई तो कार्यालय के पत्र सं० 3211/आरटीए/पीएसटीपी 1290/11 दिनांक 25.07.2011 द्वारा उनको ऊँचे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापित करने हेतु सूचित किया गया था। इस पत्र के उत्तर में प्रार्थी ने दिनांक 24.08.2011 को ऊँचे माडॅल की गाडी लगाने हेतु 03 माह का समय देने की प्रार्थना की थी। परन्तु उक्त परमिट दिनांक 07.08.2012 को समाप्त हो गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं० 9 द्वारा नवीनीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के अनुसार एक वर्ष की अवधि के पश्चात परमिट का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में परमितों के नवीनीकरण एवं परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 05 वर्ष का समय दिये जाने की नीति निर्धारित थी। प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 11.08.2009 को उनके उक्त परमिट पर ऊँचे माडॅल की वाहन लगाने हेतु पूर्व निर्धारित नीति के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई थी। जिसके अनुसार 05 वर्ष की समय सीमा दिनांक 10.08.2014 को समाप्त हो गयी थी। अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं०-19

श्री हेमन्त कुमार को हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में प्रार्थी को इस शर्त के साथ परमिट स्वीकृत किया गया था कि प्रार्थी बेरोजगार हो। परन्तु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रार्थी के नाम पर एक

डिलवरी वैन सं0 यूके 08सीए 3805 हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत होने के कारण उनके द्वारा खरीदे गये नये ऑटो रिक्शा वाहन का पंजीकरण नहीं किया है। प्रार्थी के नाम पर व्यवसायिक वाहन पंजीकृत होने के कारण प्रार्थी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आटो के लिये निर्धारित शर्त कि "आवेदक बेरोजगार हो" को पूर्ण नहीं करते हैं।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रार्थी के नाम पर व्यवसायिक वाहन पूर्व से ही पंजीकृत है तथा वर्तमान में भी उनके नाम पर हैं। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वे बेराजगार हैं। अतः बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रार्थी को ऑटो रिक्शा परमिट हेतु जारी स्वीकृत पत्र को निरस्त किया जाता है।

संकल्प सं0-20

देहरादून नगर को वायु प्रदूषण मुक्त करने तथा एलपीजी ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री सुरेश चन्द आर्य, पूर्व मंत्री उत्तराखण्ड सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23.03.2015 द्वारा सूचित किया है कि जनता की सुविधाओं को देखते हुये तथा बेरोजगारों के हित में एलपीजी चालित ऑटो रिक्शा परमिट जारी करना अति आवश्यक है। यह माँग लगातार बेरोजगार ऑटो चालकों, जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही है।

श्री आशीष उनियाल, 11 मोहनी रोड, देहरादून ने मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 07.04.2015 द्वारा सूचित किया है कि देहरादून नगर में चल रहे तीन पहिया डीजल वाहनों के कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण देहरादून नगर की आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है तथा अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं। यदि समय रहते देहरादून नगर में तीन पहिया डीजल वाहनों विक्रम/लोडर के द्वारा किये जा रहे वायु/ध्वनि प्रदूषण को नहीं रोका गया तो देहरादून नगर में किसी भी प्रकार की महामारी फैल सकती है। नगर का प्रत्येक नागरिक इन प्रदूषणों की चपेट में आकर अनेक रोंगो से ग्रसित हो जायेगा। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ जैसे शहरों के साथ भी हल्द्वानी शहर में जिला प्रशासन द्वारा डीजल से चलने वाले विक्रमों पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है तथा इन शहरों में पेट्रोल, सीएनजी तथा एलपीजी से चालित तीन पहिया वाहन चलाने के निर्देश हैं। जिससे इन शहरों में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर काफी हद तक नियन्त्रण पाया जा सकता है।

श्री उनियाल ने निवेदन किया है कि देहरादून नगर के समस्त विक्रमों को सीएनजी या एलपीजी में तब्दील करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायें, जिससे नगर की आम जनता को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से छुटकारा मिल सके।

भविष्य में देहरादून जनपद में सीएनजी/एलपीजी/पेट्रोल से चलने वाले तीन पहिया वाहन को ही परमिट दिये जायें तथा डीजल से चलने वाले तीन पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये।।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून से देहरादून शहर में स्थित सीएनजी/एलपीजी स्टेशनों की उपलब्धता तथा देहरादून में एलपीजी तथा पेट्रोल के संयुक्त विकल्प सहित उपलब्ध एलपीजी आटो तथा विक्रम सदृश्य वाहन के माडल के सम्बन्ध में सर्वे कर आख्या प्राप्त कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये तथा इसके अतिरिक्त हल्द्वानी आदि शहरों में डीजल विक्रम के संचालन में लगाये गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट कर ली जाये।

संकल्प सं0-21

माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त मद में वर्णित सभी 03 प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र तथा बैठक में मै0 राजा ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0, ऋषिकेश के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुये सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम-2007 तथा नियमावली- 2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार माल का संग्रह भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने हेतु अभिकर्ता अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है।

संकल्प सं0-22

अन्तर्गत मोटरगाड़ी अधिनियम-1988 की धारा-74 (2) (xiii) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों पर परमिट धारक एवं चालक के मोबाईल फोन संख्या अंकित करने सम्बन्धी परमिट शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

जिलाधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 21.04.15 के द्वारा सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये “समाधान” पोर्टल पर श्री अहमद अली, 17 नवयुग इन्कलेव, जीएमएस रोड, देहरादून से प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

“In Dehradun it is not mandatory for Auto Rickshaw and Three Wheeler owners that they should print their mobile phone number and driver mobile phone number. If some passengers forget their luggage in three wheeler then he is not in a position to contact the driver. All the owner and driver may be directed to print their mobile inside the vehicle and outside the vehicle.”

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-84(छ) में प्राविधान है कि प्रत्येक यान जिसको परमिट सम्बन्धित करता है के बाडी के बाहय भाग पर दोनो ओर रंग या रंगो से, यान के रंग के विपरीत रंग में, जहाँ तक सम्भव हो, खिडकी के नीचे बडे अक्षरों में संचालक का नाम व पता पेन्ट कर दिया जायेगा या अन्यथा स्थिर रूप से टांग दिया जायेगा।

मोटरगाडी अधिनियम 1988 की उक्त धारा में व्यवसायिक वाहन में संचालक का नाम व पता अंकित किया जाना अनिवार्य है। उक्त विवरण में नाम व पता के अतिरिक्त दूरभाष नं० अंकित किया जाना अनिवार्य नहीं है।

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-74 (2) (xiii) में कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएं के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित करने का प्राविधान है।

मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखण्ड परिवहन महासंघ, यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि०, देहरादून रोड, ऋषिकेश पदाधिकारियों ने प्राधिकरण को सूचित किया कि वाहन में कार्यरत चालक समय-समय पर बदलते रहते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि वाहन पर केवल वाहन स्वामी/परमिट धारक का मोबाईल नं० अंकित किया जाना उचित होगा।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परमिट से आच्छादित सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों पर परमिट धारक/वाहन स्वामी का दूरभाष/मोबाईल नं० अंकित किया जाना उचित होगा। अतः

सचिव प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि, मोटर गाडी अधिनियम में परमिट शर्त आरोपित करने सम्बन्धी प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करें।

संकल्प सं0 23 मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(5) तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सचिव, प्राधिकरण/संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्ति के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत अस्थायी परमिट जारी करने के लिये निम्न प्राविधान है:-

- (1)(क) यात्रियों को विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों में, ले जाने और वहाँ से लाने के लिए, या
- (ख) मौसमी कारबार के प्रयोजनों के लिए, या
- (ग) किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या
- (घ) परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक के लिए,

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के संकल्प सं0 4 दो (ख)(1) (2) के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (केवल संभाग में) को अस्थायी सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार शक्ति प्रत्यायोजन करने के आदेश पारित किये गये थे:-

दो-(क)- धारा 87(ए) के अन्तर्गत विशेष अवसरों जैसे मेला एवं धार्मिक समारोहों पर अस्थायी यात्री गाडी परमिट जिनकी वैधता सामान्यतयः एक सप्ताह से अधिक न हो, देने की शक्ति।

(ख) (1)- सवारी गाडी के किसी स्थायी परमिट के समर्पित या प्रतिस्थापित होने से उत्पन्न अस्थायी रिक्ति को पूर्ण करने हेतु धारा 87(सी) के अन्तर्गत अस्थायी सवारी गाडी परमिट देने का अधिकार, यदि विवाद न हो।

(2)- परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट के समाप्त होने पर पुनः उन्ही शर्तों पर एक बार चार माह के लिये, यदि विवाद न हो, जारी करने का अधिकार।

(ग)– स्थायी परमिट के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने की दशा में धारा 87(डी) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट देने का अधिकार।

(घ)– धारा 87(सी) तथा 88(8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिये विशेष अस्थायी परमिट दिये जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक वापसी फेरे के लिए वैध होंगे।

यदि विवाद हो तो सचिव, स्तर से अस्थाई परमिट जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था का कई अवसरों पर वाहन स्वामियों, पूर्व परमिटधारक तथा परिवहन सस्थाओं द्वारा दुरुप्रयोग किया जाता है। जब कभी भी पूर्व परमिट धारक सम्बन्धित मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी किये जाने पर सहमत नहीं होते, उनके द्वारा आपत्ति दर्ज करा दी जाती है। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग सचिव द्वारा उक्त आपत्ति के कारण नहीं किया जाता। कई अवसरों पर आपत्ति का कोई विधिक आधार या तथ्य नहीं होते हैं। केवल अस्थाई परमिट से पूर्व परमिट धारकों को आर्थिक हानि न हो इस कारण आपत्ति की जाती है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि, प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत अस्थाई परमिट पर सचिव द्वारा कार्यवाही की जाने की प्रक्रिया में केवल सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण में लम्बित प्रकरणों को ही विवाद माना जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा 87(सी) तथा 87(डी) तथा 88(8) के अन्तर्गत सचिव को अधिकतम 02 माह के परमिट दिये जाने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

उत्तराखण्ड परिवहन महासंघ, यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि0, देहरादून रोड, ऋषिकेश के पदाधिकारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित दिनांक 30.10.2014 के द्वारा सूचित किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 में संकल्प सं0 05 व 08 में क्रमशः मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत हुये चालानों के वर्तमान प्रावधानों में अनपेक्षित परिवर्तन कर दिया है। अन्य बिन्दुओं के साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में भारी जुर्माना राशि तथा परमिट निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है। जो कि सरासर अन्याय पूर्ण व विधि विरुद्ध है। उनके द्वारा उपरोक्त संशोधनों को तत्काल निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन महासंघ के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर सूचित किया है कि वाहनों के द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण के द्वारा जो प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है। वह राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड एवं राज्य के अन्य संभागों हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क से कई गुना अधिक है। चूकि: वर्ष 2013 में राज्य में आयी भीषण आपदा के कारण परिवहन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने के कारण ट्रांसपोर्टर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उनके द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की दरें कम करने की माँग की गई है।

इसके अतिरिक्त विक्रम जन कल्याण समिति, देहरादून के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि सरकार का कार्य अपनी जनता को रोजगार प्रदान करना होता है। परिवहन व्यवसाय में कई लोग कार्यरत हैं जिससे जनता को परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ स्थानीय युवकों को रोजगार भी मिलता है। परन्तु प्राधिकरण के द्वारा चालानों पर अत्यधिक जुर्माना राशि निर्धारित करने के कारण सम्बन्धित पक्षों में भारी निराशा है। उनके द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन करने पर निर्धारित प्रशमन शुल्क को कम करने तथा चालान को प्रशमन करने में सरलीकरण करने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार कर अपनी बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद सं0 5 के अन्तर्गत मोटर गाडी अधिनियम-1988 की धारा-86 के अन्तर्गत प्राप्त चालानों एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 के उल्लंघन हेतु निर्धारित नीति एवं प्रशमन शुल्क मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

मोटर गाडी अधिनियम -1988 की धारा- 86 (सी) (डी) एवं (ई) के प्रकरणों में प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के समक्ष रखे जायेंगे। सचिव द्वारा ऐसे प्रकरणों पर 86(4) में शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा-86 (ए) व (बी) के निम्न अभियोगों में किये गये चालान (प्रथम अथवा अनुवर्ती) को गम्भीर श्रेणी में रखकर उनको निस्तारण भी प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों का प्रशमन सचिव द्वारा धारा 86 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

4. **भार वाहन के मामले।**

- (क) क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक भार ले जाने पर।
- (ख) 05 तथा 05 से अधिक सवारी मैदानी क्षेत्र में और 03 या 03 से अधिक सवारी पर्वतीय क्षेत्र में किराये पर ले जाने पर।
- (ग) क्षमता से मैदानी क्षेत्र में 10 और पर्वतीय क्षेत्र में 05 व्यक्ति अधिक ले जाने पर।
- (घ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

5. **सवारी गाड़ी के मामले(टैक्सी/मैक्सी/आटो/टैम्पो को छोड़कर)**

- (क) निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ले जाने के मामले।
- (ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
- (ग) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
- (घ) 05 तथा 05 से अधिक बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले।
- (घ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

3. **टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/टैम्पो वाहनों के मामले।**

- (क) टैक्सी/मैक्सी, टैम्पो तथा दो/तीन सीट की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में क्षमता से 03 से सवारी अधिक ले जाने मामले।
- (ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
- (ग) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
- (घ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

प्राधिकरण द्वारा धारा-86 के अन्तर्गत निलम्बन व निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु धारा 86(ए), (बी) व (ई) के अन्तर्गत निम्न अभियोगों में प्राप्त चालानों के प्रथम अभियोग को प्रशमित करने हेतु निम्नवत प्रशमन शुल्क निर्धारित किया है:-

1. **भार वाहनों के मामले।**

- (अ) अधिक भार ले जाने पर – शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
- (ब) अधिक/किराये पर सवारी ले जाने पर – रू0 500 प्रति सवारी
- (सी) धारा- 86(ई) के उल्लंघन पर – रू0 4000/-

2. **01 से 12 की सीटिंग क्षमता तक की वाहनों के लिये।**

- (अ) ओवरलोडिंग के लिये – रू0 400 प्रति सवारी ।
 (ब) मार्ग/क्षेत्र एवं उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन– रू0 3500 प्रति अभियोग ।
 (स) सामान्य एवं अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन(नियम 71 के उल्लंघन सहित) – रू0 750 प्रति अभियोग ।

6. **12 से अधिक सीटिंग क्षमता की वाहनों के लिये ।**

- (अ) ओवरलोडिंग के लिये – रू0 800 प्रति सवारी ।
 (ब) मार्ग/क्षेत्र एवं उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन – रू0 7000 प्रति अभियोग ।
 (स) सामान्य एवं अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन(नियम 71 के उल्लंघन सहित) –रू0 1500 प्रति अभियोग ।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 के संकल्प सं0 19(अ) एवं दिनांक 11.11.11 के निर्णयों में संशोधन करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि, परमिट शर्त के उल्लंघन के समस्त अभियोग(ओवरलोडिंग सहित) के द्वितीय एवम उससे अधिक चालान के निस्तारण हेतु निम्न नीति निर्धारित की जाती है:-

क्र0 सं0	परमिट शर्तों के उल्लंघन(ओवरलोडिंग सहित) के चालान	निर्धारित प्रक्रिया
1	द्वितीय अवसर/चालान	प्रथम अभियोग हेतु निर्धारित प्रथम शुल्क की दुगुनी धनराशि ली जायेगी ।
2	तृतीय अवसर/चालान	रू0 12000/- अथवा दो माह का निलम्बन
3	चतुर्थ अवसर/चालान	रू0 15000/- अथवा तीन माह का निलम्बन
4	पंचम अवसर/चालान	रू0 18000/- अथवा चार: माह का निलम्बन

परमिट शर्तों के उल्लंघन का छठा एवम सातवां प्रकरण को निस्तारण हेतु सचिव प्राधिकरण को अधिकतम 06 माह के निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। सचिव द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। परमिट शर्तों के उल्लंघन के सातवीं बार से अधिक प्रकरण को निस्तारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि, सम्भाग के सुदूर जिलों यथा उत्तरकाशी, टिहरी में परमिट शर्तों के उल्लंघन में किये गये चालानों के निस्तारण के लिये सम्बन्धित परमिट धारक को देहरादून कार्यालय आना पडता है। मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत धारा 86(5) में प्राधिकरण को परमिट शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निलम्बन/निरस्तीकरण के स्थान पर प्रशमन शुल्क लिये जाने का अधिकार है। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत जब प्राधिकरण द्वारा प्रशमन शुल्क निर्धारित कर लिया गया है तो, प्राधिकरण द्वारा धारा 86(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लिया गया है। तदोपरांत केवल परमिट के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशमन शुल्क जमा किये जाने की औपचारिकता ही शेष रहती है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिले/सम्भाग के कार्यालय के अन्तर्गत तैनात सभी सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवम परिवहन कर अधिकारी-प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त प्रशमन एवं प्रक्रिया मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत निहित की गई है। धारा-86 प्राधिकरण को परमिट शर्त के उल्लंघन करने पर परमिट के विरुद्ध **निलम्बन/निरस्तीकरण** की कार्यवाही हेतु अधिकृत करती है। धारा-86(5) प्राधिकरण को उक्त कार्यवाही के स्थान पर प्रशमन शुल्क वसूलने के लिये अधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(5) के अनुसार प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ कुछ शर्त के साथ सचिव/सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है। प्राधिकरण ने उक्त अधिकार का प्रयोग कर धारा 86(4) के अनुक्रम में सचिव को अधिकतम 06 माह तक परमिट निलम्बन करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है। अतः स्पष्ट है कि उक्त नीति मोटर गाडी अधिनियम में दी गई वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत निहित की गई है।

उक्त नीति एवं प्रशमन शुल्क की दरें दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी होंगी।

संकल्प सं०-25

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत ऑटो रिक्शा परमिट सं० 7461 के निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में मद सं० 6 में के द्वारा परिशिष्ट-छः में वर्णित सभी प्रार्थियों को हरिद्वार केन्द्र से एक-एक आटोरिक्शा परमिट अन्य शर्तों के साथ आवेदक पूर्व में किसी परमिट का धारक न हो, की शर्त के साथ स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में श्री अरोड़ा ने दिनांक 20.03.2010 को वाहन सं० यूके 08टीए 1283 के वैध प्रपत्रों को प्रस्तुत कर ऑटो रिक्शा परमिट सं० 7461 प्राप्त किया गया। परमिट प्राप्त करते समय श्री पंकज अरोड़ा द्वारा इस आशय का

शपथ पत्र दिया गया था कि वह किसी प्रकार के परमिट के धारक नहीं है। परन्तु परमिट जारी होने के पश्चात सज़ान में आया कि श्री पंकज अरोड़ा के नाम पर टैम्पो परमिट सं० 3428 है जिस पर वाहन सं० यूके०८८१ए-०८१९ संचालित है। कार्यालय के पत्र सं० 5848/आरटीए/ऑटो-7461/धारा-86/13 दिनांक 12.09.2013 द्वारा उन्हें धारा-86 का नोटिस प्रेषित किया गया था कि आपके द्वारा तथ्यों को छिपा कर हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त किया गया है जबकि आप टैम्पो परमिट सं० 3428 के पूर्व से ही परमिट धारक हैं। श्री अरोड़ा को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया था कि क्यों न आपको जारी परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। परन्तु उक्त पत्र बिना प्राप्त हुये कार्यालय में वापस आ गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पंकज अरोड़ा के नाम से जारी पूर्व परमिट सं० 3428 दिनांक 07.02.13 को श्री अमन कुमार पुत्र श्री हुक्म सिंह, नत्थूखेरी, मंगलौर, हरिद्वार के नाम हस्तांतरित हो गया है।

उक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने संकल्प सं० 31 में निम्न आदेश पारित किये थे कि:-

"परमिट धारक को पुनः धारा-86 का नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाये तथा मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

परमिट धारक श्री पंकज अरोड़ा को पंजीकृत पत्र सं० 7385/आरटीए/ ऑटो 7461/धारा-86/14 दिनांक 13.01.2014 प्रेषित किया गया है। जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्राधिकरण ने दिनांक 10.09.2014 को मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर श्री पंकज अरोड़ा को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचना दें तथा मामले को पुनः प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एंव अमर उजाला में क्रमशः दिनांक 15.10.2014 एंव दिनांक 17.10.2014 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर श्री अरोड़ा को सूचित किया था कि वे 15 दिनों के भीतर उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त परमिट सं० ऑटो 7461 जो कि प्रार्थी के नाम दिनांक 20.03.2010 को उनकी वाहन सं० यूके 08टीए 1283 के लिये जारी किया गया था, गलत तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्त किया गया है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक 19.03.2015 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्त परमिट का नवीनीकरण न किया जाये तथा श्री पंकज अरोडा को गलत तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर आटो परमिट प्राप्त करने के कारण प्राधिकरण द्वारा भविष्य में स्वीकृत किये जाने वाले किसी भी प्रकार के परमिट के लिये निरर्हित किया जाता है।

संकल्प सं०-26

वाहनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मामले मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अर्न्तगत जारी नोटिसों पर विचार व आदेश।

(1) श्री मनबीर सिंह नेगी, 14 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून के द्वारा वाहन सं० यूके 07पीए 0428 बस के परिचालक द्वारा निर्धारित किराया दर से अधिक किराया वसूलने एवं अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की गई है।

शिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारक श्रीमती शीला मोघा के पति श्री बी ए मोघा ने उपस्थित होकर सूचित किया है कि, बस संख्या यूके 07पीए 0428 में कार्यरत परिचालक विनोद कुमार ने उन्हें अवगत कराया कि दिनांक 27.10.2014 को 10:30 बजे धर्मपुर चौक से शिकायत कर्ता उनकी वाहन में नहीं बैठे थे। शिकायतकर्ता सरासर झूठ बोल रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहा है। शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वाहन स्वामी को भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की चेतावनी जारी करने के साथ शिकायत पत्रावलित की जाती है।

(2) सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं० 3070/समाधान/ नि०-33 /पीजी -039012014/2014 दिनांक 27.09.2014 के द्वारा सूचित किया है कि सुराज, भष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये "समाधान" पोर्टल पर दिनांक 24.09.2014 को निम्नवत् निवेदन (Grievance) दर्ज कराया गया है—

UK07PA 0356 is a public transport bus which runs on kanwali road route. The driver of this bus was driving this bus at around 60-70 km/hr which is quite dangerous for such a busy road. This i noticed today at 1155 AM while i was waling along the road and this bus passed me like a tracer bullet. i noted down the number. More such buses exist.

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में वाहन सं० यूके 07पीए 0356 के परमिट सं० पीएसटीपी 1935 के धारक श्री मनोज पुत्र श्री राम सिंह, 105 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं० 9750/आरटीए/समाधान पोर्टल/2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। परन्तु परमिट धारक के द्वारा इस सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया गया है एवं ना ही वे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट संख्या पीएसटीपी 1935 को तेज एवम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन करने के कारण 1 माह हेतु निलम्बित किया जाता है। सचिव इस सम्बन्ध में मोटर गाडी नियमावली 2011 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(3) श्री समीर चौहान, लेन नं० सी-24 मोरोवाला, टर्नर रोड, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 02.02.15 द्वारा वाहन सं० यूके 07टीए 4814 तथा वाहन सं० यूके 07टीए 4030 द्वारा अधिक किराया वसूलने एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी।

परमिट सं० टैम्पो 0928 के धारक श्री रमनदीन पुत्र श्री बंसीलाल, 239 खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 24.02.2015 के द्वारा सूचित किया है कि, शिकायत कर्ता के साथ किराये को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, खुले पैसे न होने पर कई बार यात्री कम पैसा दे देते हैं। अन्जाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो चालक क्षमा प्रार्थी है।

प्राधिकरण के समक्ष उक्त परमिट धारक उपस्थित नहीं हुये। परन्तु वाहन में कार्यरत चालक उपस्थित होकर सूचित किया कि उस समय छोटे पैसे न होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। उनके द्वारा भविष्य में दोबारा गलती न करने एवं क्षमा याचना की माँग की गई है।

वाहन सं० यूके 07टीए 4814 के परमिट सं० टैम्पो 1139 के धारक श्रीमती मीनाक्षी के पति प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये तथा अनुरोध किया कि वे स्वयं शिकायत कर्ता से मिलकर खेद प्रकट करना चाह रहे थे परन्तु वे दिये गये पते पर नहीं मिले। उन्होंने निवेदन किया कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जायेगा। प्राधिकरण ने

विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, वाहन स्वामी को भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की चेतावनी जारी करने के साथ शिकायत पत्रावलित की जाती है।

(4) श्री अरूण भट्ट, नेहरू ग्राम, इन्द्रप्रस्त, लेन नं०-1, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2015 के द्वारा वाहन सं० यूके 07टीए 5052 में अधिक सवारी ले जाने एवं अधिक आवाज में हनुमान चालिसा चलाने की शिकायत की है।

वाहन सं० यूके 07टीए 5052 के परमिट सं० मैक्सी 3730 के धारक श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन, 32 राजीव नगर, देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया कि उनके द्वारा चालक से पूछताछ की तो चालक ने बताया कि सवारी जल्दी में थी और गाड़ी तेज चलाने को कह रही थी। जब चालक ने कहा कि मैं तेज गाड़ी नहीं चला सकता तो उक्त सवारी ने द्वेष भाव से शिकायत की है।

शिकायतकर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, वाहन स्वामी को भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की चेतावनी जारी करने के साथ शिकायत पत्रावलित की जाती है।

(5) श्री हरिपूजन सिंह पुत्र श्री बृजपाल सिंह मार्फत श्री राम सिंह, श्यामपुर प्रेमनगर, पो०ओ०- अम्बीवाला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 23.04.2015 के द्वारा विक्रम संख्या यूके 07टीए 8762 के द्वारा सवारियों से पैसे लेकर उनके साथ बदतमीजी एवं मारपीट करने एवं और मनमाना किराया वसूलने की शिकायत की है।

वाहन सं० यूके 07टीए 8762 के परमिट सं० टैम्पो 4398 के धारक श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार, गाँव मिठठीबेरी, पो०ओ० प्रेमनगर, देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया था कि शिकायत कर्ता श्री हरिपूजन ने जो शिकायत थी। आपसी समझौता हो गया है। उनके द्वारा क्षमा याचना हेतु अनुरोध किया गया है। शिकायत कर्ता भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा सूचित किया कि वे उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(6) श्री सतीश वर्मा, मैन चौक हरबटपुर, देहरादून ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना के द्वारा अवगत कराया था कि विक्रम सं० यूके 07टीए 7271 ने दिनांक 07.01.2015 को उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला गया है।

वाहन सं० यूके 07टीए 7271 के परमिट सं० टैम्पो 4254 के धारक श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द शेखर, 196 पंडितवाडी, प्रेमनगर, देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया कि चालक द्वारा वसूला गया 07 रू० (सात रूपये मात्र) किराया तय मानक के अनुरूप था जिसको संज्ञान में लाने हेतु प्रार्थी ने शिकायतकर्ता श्री सतीश वर्मा से सम्पर्क कर तथा उनके व चालक के मध्य हुए भौतिक विवाद पर क्षमा याचना कर शिकायत को समाप्त करने की प्रार्थना की है।

शिकायत कर्ता श्री सतीश वर्मा के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही न करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

संकल्प सं0-27

मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवरलोड के अभियोग में 02 सवारी से अधिक सवारी ढोने तथा दो से अधिक ओवरलोडिंग के चालान पाये जाने पर, परमितों के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार एवं आदेश

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि:-

- 1- परमित शर्तों के उल्लंघन एवं ओवरलोड के गम्भीर अभियोग (प्रथम) के निस्तारण हेतु प्रथम अभियोग के लिये निर्धारित सामान्य प्रशमन का डेढ गुना प्रशमन शुल्क अथवा दो माह का निलम्बन प्रभावी होगा। अनुवर्ती प्रकरणों को क्रमोंक 2 में निर्धारित नीति के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 2- परमित शर्तों के उल्लंघन एवं ओवरलोड के अन्य अभियोगों का प्रशमन निम्नवत लिया जायेगा:-

क्र० सं०	परमित शर्तों के उल्लंघन(ओवरलोडिंग सहित) के चालान	निर्धारित प्रक्रिया
1	द्वितीय अवसर/चालान	प्रथम अभियोग हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क की दुगुनी धनराशि/दो माह का निलम्बन
2	तृतीय अवसर/चालान	रु० 12000/- अथवा दो माह 15 दिन का निलम्बन
3	चतुर्थ अवसर/चालान	रु० 15000/- अथवा तीन माह का निलम्बन
4	पंचम अवसर/चालान	रु० 18000/- अथवा चार माह का निलम्बन
5	छटवां अवसर/चालान	रु० 20000/- अथवा पांच माह का निलम्बन

निम्नलिखित अनुपूरक कार्य सूची के सम्बन्ध में विचार व आदेश:-

संकल्प सं०01(अनुपूरक)-

देहरादून-रायपुर- मालदेवता मार्ग पर चालक को छोडकर 06 से अधिक सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को स्थाई/अस्थाई सवारी गाडी परमित जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.03.2015 में मद सं0 4 के अन्तर्गत देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर चालक को छोड़कर 06 से अधिक सवारी ढोने वाली चार पहिया हल्की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त श्री विजय पुण्डीर एवं अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 03.03.15 को प्रस्तुत किया गया था। श्री पुण्डीर ने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया था कि वर्ष 2011 से उनकी वाहनों को देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर अस्थाई मंजिली गाडी परमिट जारी किये जा रहे थे। परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उनको अस्थाई परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2319/14 दायर की थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2014 को आदेश पारित किये थे कि उनके अस्थाई परमिट के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 60 दिन में किया जाये। अपने प्रत्यावेदन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी वाहनों का संचालन बन्द है, जिससे उनको आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी वाहनों को अस्थाई/स्थाई परमिट जारी करने का आदेश पारित किये जायें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.01.2015 में सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया था कि टैम्पो श्री व्हीलर, मैक्सियों, टाटा मैजिक वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून अध्यक्ष तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ससदय होंगे। समिति द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं मोटर गाडी अधिनियम एवं नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकार के वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सन्दर्भ में अपनी आख्या/मन्तव्य प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकरण के इन आदेशों के अनुपालन में गठित समिति ने आख्या प्रस्तुत की थी। जिसका निष्कर्ष निम्नवत है:-

“समिति मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(28), (40) एवं धारा 72 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 67 दिये गये प्राविधानों का अध्ययन करने के पश्चात सर्व सम्मति इस निर्णय पर पहुँची की छः से अधिक यात्रियों को ढोने वाली वाहनों मजिली गाडी श्रेणी में आती हैं। टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सियों वाहनों जो छः से अधिक सवारियों ढोने के लिये निर्मित हैं, उनको स्टैज कैरिज परमिट जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विक्रम टैम्पो वाहनों जिनमें बैठने की क्षमता चालक को छोड़कर छः से अधिक हो तथा उसके इंजन की क्षमता 25 घनमीटर से अधिक है ऐसी वाहनों मोटरयान की श्रेणी में आते हैं एवं इन वाहनों को स्टैज कैरिज का परमिट दिया जा सकता है। उपरोक्त रिट याचिकाओं में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 136, 137, 138, 140, 153,

155, 157 व 160 के आधार पर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमां एवं श्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई है, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया। समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पंजीयन अधिकारी द्वारा चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारियों को वहन करने वाले प्रत्येक टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम श्री व्हीलर प्रकार की वाहनों हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 136, 137, 138, 140, 153, 155, 157 व 160 पालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मंजिली गाडी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।”

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25.03.15 में प्राधिकरण ने निम्न आदेश पारित किये थे:-

“प्राधिकरण ने समिति की आख्या एवं शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 18.12.2014 पर विचार किया। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी विधिक राय में उल्लेख किया था कि जो टैम्पो श्री व्हीलर, मैक्सिमो, टाटा मैजिक अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूरी करते हों उनके पक्ष में स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त राय से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम श्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारी ढोने वाली वाहनों को लिये निर्मित है, स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूर्ण करते हैं या नहीं।

प्राधिकरण ने मामले पर गम्भीरता से विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुँची कि शासकीय अधिवक्ता से टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा श्री व्हीलर विक्रम टैम्पो वाहनों जो चालक को छोड़कर 06 से अधिक सवारी ढोने के लिये निर्मित एवं अधिकृत है को मंजिली गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पुनः उपरोक्त बिन्दु पर स्पष्ट विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

कार्यालय के पत्र सं० 1080/आरटीए/दस-274/2015 दिनांक 24.04.2015 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की उपरोक्त आख्या संलग्न कर शासकीय अधिवक्ता को प्रेषित कर टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा विक्रम श्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोड़कर छः से अधिक सवारी ढोने के लिये निर्मित है, स्टैज कैरिज की परिभाषा/शर्तों को पूर्ण करते हैं या नहीं के सम्बन्ध में विधिक राय माँगी गई थी।

शासकीय अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 17.05.2015 के द्वारा अपनी विधिक राय प्रेषित की है। जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया है कि अधिनियम में दिये गये प्राविधानों/परिभाषा के अनुरूप टाटा मैजिक, महेन्द्रा

मैक्सिमों तथा विक्रम श्री व्हीलर वाहन जो चालक को छोड़कर (*excluding the Driver*) छः से अधिक सवारी ढोने वाले वाहन हैं, और इसी प्रयोजन के लिये निर्मित हैं, *Stage Carriage* की परिभाषा में आते हैं।

अतः पुनः स्पष्ट करते हुए मैं इस मत का हूँ कि यदि टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों तथा श्री व्हीलर विक्रम टैम्पो जिनकी क्षमता विधिक रूप से ड्राइवर को छोड़कर (*excluding the Driver*) 6 सवारी से अधिक वहन करने की है तथा इंजन की 25 सी0सी0 से अधिक शक्ति है, तो चाहे वह तीन पहिए या चार पहिए वाला वाहन हो को *Stage Carriage* की परिभाषा में माना जायगा और ऐसे वाहन *Stage Carriage* की परिभाषा में आते हैं।

देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर वर्ष 2011 से चालक को छोड़कर 7/8 सीटर, चार पहिया 11 हल्के वाहनों को अस्थाई स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जा रहे थे। परन्तु याचिका सं0 2076/14 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2014 के अनुपालन में इन वाहनों को अस्थाई स्टैज कैरिज परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एवं 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकि: उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व श्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नहीं? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टैज कैरीज की शर्तों को पूर्ण करती हों।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि कमेटी की आख्या तथा शासकीय अधिवक्ता की राय के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये। चूकि: उक्त मार्ग नगर बस सेवा मार्ग है। अतः उक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट के आवेदन पर विचार उक्त संकल्प सं0 4 के अन्तर्गत गठित कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकरण की बैठक में विचार किया जायेगा।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग पर 14 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत है। परन्तु विभिन्न कारणों से कई परमिट धारकों के द्वारा अपने परमिट कार्यालय में समर्पित कराये जाने के फलस्वरूप 11 अस्थाई परमिट जारी किये गये थे। मार्ग पर अस्थाई परमिट हेतु विशिष्ट आवश्यकता विद्यमान होने की दशा में स्थाई परमिट स्वीकृत होने तक अस्थाई परमिट जारी किये जा सकते हैं।

संकल्प सं0 2 (अनुपूरक)- बिष्ट गॉव- आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 37 के अन्तर्गत बिष्ट गॉव- आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून की आख्या के अनुसार सप्लाई डिपो से मिलिट्री हॉस्पिटल होते हुए डाकरा बाजार से कैन्ट थाना के निकट एक मार्ग निकलता है। इस मार्ग की लम्बाई मिलिट्री हॉस्पिटल से 1.5 किमी0 है। यह मार्ग हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उन्होंने मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की थी। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि ***बिष्ट गॉव- आईएसबीटी मार्ग का विस्तार मिलिट्री हॉस्पिटल से डाकरा बाजार मार्ग संकरा होने के कारण मार्ग विस्तार किया जाना स्थगित किया जाता है एवं गढी चौक से दुर्गा मन्दिर मार्ग को वैकल्पिक विस्तार हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून से आख्या प्राप्त की जाये।***

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून मार्ग का सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है। जो निम्नवत है:-

5. यह मार्ग मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर से दांये से सीधे गढीकैन्ट निकलता है। मिलिट्री हॉस्पिटल के निकट दांयी ओर से मार्ग पर ढाल है तथा ढाल पर मार्ग की कुल चौड़ाई 15 फीट है। मार्ग का 11 फीट भाग पक्का है। उससे आगे मार्ग 20 फीट चौड़ा है।
6. मिलिट्री हॉस्पिटल होते हुए गढीकैन्ट चौक विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल दूरी 1.00 किमी0 है। उक्त मार्ग पर गढी बाजार, डाकरा आंशिक पडता है। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उक्त मार्ग काफी चौड़ा है किन्तु मार्ग पर कई स्थानों पर अतिक्रमण है।
7. मार्ग हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। मार्ग का विस्तार किया जा सकता है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन की संस्तुति के आधार पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, उक्त मार्ग पर गढी चौक से दुर्गा मन्दिर मार्ग को वैकल्पिक विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं० 3 (अनुपूरक)– पर्वतीय क्षेत्र में नवनिर्मित मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी/ उत्तरकाशी ने अपने-अपने पत्रों के द्वारा मार्ग सूची सं०-1 (ऋषिकेश केन्द्र) एवं मार्ग सूची सं०-4 (उत्तरकाशी केन्द्र) के परमिटों पर निम्नलिखित मार्गों को पृष्ठांकित करने हेतु संस्तुति की है:-

2. जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्ग:-

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी ने अपने पत्र सं० 788/ मार्ग सर्वे/2015 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा सूचित किया है कि धारकोट-बंगद्वारा-कुराणी गॉव मोटर मार्ग (4.85 किमी०) को उनके द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण श्री आर०सी० केलखुरा, सहायक अभियन्ता व श्री अनुप कुमार रावत, जे०ई०, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० नई टिहरी के साथ दिनांक 31.01.2015 विभागीय वाहन सं० यूए 07एच- 5300 से किया गया। उक्त मार्ग यातायात संचालन हेतु उपयुक्त है। अतः उक्त मोटर मार्ग पर यातायात संचालन विषयक संस्तुति की जाती है।

2. जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्ग:-

परिवहन कर अधिकारी-द्वितीय, सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं० 71/प्रशासन-याता-परमिट/14 दिनांक 12.02.15 के द्वारा पुजारा गॉव-गवंगा- देवली- भाटगॉव धनारी मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.01.2015 को श्री सन्नी दयाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री रिजवान खान, अपर सहायक अभियन्ता के साथ उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा 8 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करा कर संलग्न कर उक्त मोटर मार्ग पर भार वाहनो के आवागमन की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण द्वारा उक्त संस्तुतियों के आधार पर क्रम सं० 1 के मार्ग को सेट नं०-1(ऋषिकेश केन्द्र) के परमिटों पर पृष्ठांकन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

रमेश बुटोला,
सदस्य
परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता-
दिनेश चन्द पठोई, पदेन सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

अरविन्द शर्मा,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सम्भागीय

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।